लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Third-Session

(सातवीं लोक सभा)



लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय-सूची

अंक 10. शुक्रवार, 20 जून, 1980/30 ज्येष्ठ, 1902 (शक)

विषय		
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 183, 184 188, से 191 और 193	...	1-18
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 185 से 187, 192 और 194 से 202	...	18-25
अतारांकित प्रश्न संख्या 1411 से 1434, 1436 से 1441, 1443 से 1511, 1513 से 1532, और 1534 से 1601	...	25-158
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	...	158-159
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	...	159-162 और
	...	179-180
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		
दिल्ली में आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों की हड़ताल का समाचार	...	162-166
श्री चिरंजीलाल शर्मा	...	162-164
श्री बी० शंकरानन्द	...	162-165
श्री के० ए० राजन	...	164-165
प्रेस आयोग के नये सदस्यों के बारे में वक्तव्य	...	166-168
श्री बसन्त साठे	...	166-168
सभा का कार्य	...	168-173
त्रिपुरा राहत शिवरों में राहत की व्यवस्था करने के बारे में वक्तव्य	...	173-174
श्री निहार रंजन लास्कर	...	173-174
समिति के लिये निर्वाचन		
केन्द्रीय रेशम बोर्ड	...	174

* किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मैसर्स यूनियन नार्थ जूट मिल, पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों की जबरन छुट्टी किये जाने का समाचार

श्री ज्योतिर्मय बसु ... 174-175

(दो) बिहार में पश्चिम कोसी नहर को शीघ्र पूरा करने के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री भोगेन्द्र झा ... 175

(तीन) सिन्दरी स्थित उर्वरक संयंत्र के नवीवरण तथा उसकी नीलामी को रोकने की आवश्यकता

श्री ए० के० राय ... 175-177

(चार) सांताकूज हवाई अड्डे पर कथित भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय

श्री वी० एस० विजयराघवन ... 177

(पांच) बिहार में जूट उत्पादकों के शोषण को रोकने के उपाय

श्री डूमर लाल बैठा ... 177-178

(छः) खरीफ की फसल बोने के लिये मध्य प्रदेश के सूखा-प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को डीजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री प्रताप भानु शर्मा ... 178-179

(सात) आंध्र प्रदेश में मन्चरियाल में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा किये गये कथित संदिग्ध सौदों की जांच कराने की आवश्यकता

श्री जी० नरसिन्हा रेड्डी ... 179

रेल बजट, 1980-81—सामान्य चर्चा — 180-194

श्री कमलापति त्रिपाठी ... 180-194

दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक ... 194-197

श्री पी० शिवशंकर ... 194-196

श्री विजय कुमार यादव ... 195

श्री मूल चन्द डागा ... 195-196

खंड 2 से 4 तथा 1 ... 197

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी० शिवशंकर ... 197

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

दूसरा प्रतिवेदन ... 197

केन्द्र और राज्यों के संबंधों के बारे में संकल्प-अस्वीकृत ... 197-208

श्री सी० टी० दंडपाणि ... 198-200

श्री पी० वेंटक सुब्बया ... 203-208

श्रीमती सुशीला गोपालन ... 204-207

खेतीहर मजदूरों के लिए केन्द्रीय विधान के बारे में संकल्प ... 208-228
श्री पी. के. कोडियन ... 208-214
श्री के० अर्जुनन ... 214-215
प्रो० एन० जी० रंगा ... 215-220
श्री रवीन्द्र वर्मा ... 220-225
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ... 225-228
श्री चित्त बसु ... 228.

लोक सभा

शुक्रवार, 20 जून, 1980/30 ज्येष्ठ, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कालीकट हवाई अड्डा

*183. **श्री ई. बालानन्दन :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित कालीकट हवाई अड्डे के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) कालीकट के नजदीक करीपुर में 2.52 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक हवाई अड्डा बनाने के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार करर ही है। प्रस्ताव चालू पंचवर्षीय योजना (1978-83) में सम्मिलित है। 1980-81 के बजट में प्रतीक स्वरूप कुछ धन-व्यवस्था की गयी है। बहुत शीघ्र ही (अगले दो महीने के अन्दर-अन्दर) कोई निर्णय ले लिये जाने की संभावना है।

श्री ई. बालनन्दन : 1971 में केरल सरकार ने 86.5 एकड़ भूमि अधिग्रहीत करके भारत सरकार को हवाई अड्डे के निर्माणार्थ दी थी। एक पहुँच मार्ग का भी निर्माण किया गया था। जब की कमी भारत सरकार से इस बिषय में पूछताछ की गई, उन्होंने कहा कि इस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इस बात को नौ वर्ष बीत चुके हैं और अब भी वही उत्तर दिया जा रहा है कि इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इसका क्या मतलब होता है ? क्या मन्त्री महोदय इस बारे में कोई अन्तिम तारीख बतायेंगे कि इस हवाई अड्डे की मंजूरी कब तक दे दी जायेगी ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : यह सच है कि किसी न किसी वजह से इस हवाई अड्डे के निर्माण में बिलम्ब होता रहा है। इसके कई कारण हैं किन्तु मैं उनको पढ़कर नहीं सुनाना चाहता। मैं कह चुका हूँ कि सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। स्थिति यह है कि

यह प्रस्ताव: व्यय बिल समिति के समक्ष प्रस्तुत, करने के पूर्ण ई. एफ. सी. मीमो कानून 16 जून 1980 का मूल्यांकन एजेन्सियों को इस पर अपनी टिप्पणियां करने हेतु भेजा गया था। व्यय बिल समिति द्वारा इसका अनुमोदन किये जाने की स्थिति में यह यथार्थ में परिणत हो जायेगा।

श्री ई. बालानन्दन : क्या मंत्री महोदय इसके शुरू किये जाने के विषय में कोई तारीख तथा समय बता सकते हैं।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : जब मैंने कहा जल्द तो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि इसमें पहले की तरह ही विलम्ब किया जायेगा। मेरा तात्पर्य यह है कि इसकी स्वीकृति जल्द ही दी जायेगी। मैं समझता हूं कि अगले दो या तीन महीनों में इसको अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

श्री ए. के. बालन : यह तो संतोषजनक उत्तर नहीं हुआ। यह तो एक प्रकार से बिल्कुल उप रक्षा करते जाने का मामला है। केरल राज्य के लिए यह एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। दस वर्ष पूर्व केरल सरकार ने 86.5 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की और साथ ही पहुँच मार्ग भी बनवाया। इस पर राज्य सरकार ने 15 लाख रु० व्यय किया। मैं मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि वह साफ शब्दों में यह बताएं कि क्या वह इसी वर्ष इस हवाई अड्डे को मंजूरी दे देंगे ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैंने कहा है कि अगले दो या तीन महीनों में इसकी मंजूरी दे दी जायेगी। इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूँ।

श्री संजय गांधी : क्या मंत्री महोदय हमें यह बताएंगे कि जनता शासन के तीन वर्षों में··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तेजित क्यों होते हैं ? उनको अपनी बात कहने दीजिये।

श्री सजय गांधी : जनता शासन के तीन वर्षों में, जबकि उस सरकार भारतीय कम्युनिस्ट (मार्कसवादी) पार्टी से गठबंधन था उसको भारतीय कम्युनिस्ट (मार्कसवादी) पार्टी द्वारा सक्रिय समर्थन दिया गया था, क्या इस हवाई अड्डे के निर्माण की दिशा में कोई प्रगति की गई थी ? (व्यवधान)

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : महोदय, यह सच है कि यह काम 1976 के अन्त में ही शुरू किया जा सकता था और वस्तुत: सेवा महानिदेशक नागर विमानन ने कालीकट में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 110 लाख रु० का अनुमान प्रस्तुत किया था। किन्तु 1977 से इस साल तक इस बारे में शीघ्र निर्णय लिए जाने तथा इस दिशा में कार्यवाही करने की दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया कहीं 28 मार्च, 1980 को जाकर महानिदेशक नागर विमानन ने एच. एस-748 चलाने के उपयुक्त हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 12.5 करोड़ रु० का संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि अब यह सरकार अगले दो या तीन महीनों में इस प्रस्ताव को अन्तिम रुप दे देगी। (व्यवधान)

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : महोदय, कालीकट के लिए हम कोई धन अथवा कोई विशेष मेहरबानी नहीं चाहते हैं। मैं आपको यह बतला देना चाहता हूँ, चूँकि आप हाल ही में यहाँ चुन कर आये हैं, इसके बारे में श्री रफी अहमद किदवई ने वायदा किया था। (व्यवधान) उसी समय से हर सरकार ने इस हवाई अड्डे को बनाने का वायदा करती चली आ रही है।

इसका कारण यह है कि यह मलाबार क्षेत्र (रीजन) था, जिसकी आबादी 1 करोड़ से ऊपर है, यह महत्वपूर्ण केन्द्र है हवाई अड्डे की सुविधा के अभाव में सारे विकास कार्यक्रम ठप्प पड़े हैं।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर जी, डा० कर्णसिंह तथा हर मंत्री ने इसका वायदा किया और इस विभिन्न आबंटन भी किये। किन्तु हर साल वह व्यवमत हो गये। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि उनको इस बात की जानकारी है कि अकेले इसी शहर में, जिसको कि एक छोटा सा आफिस समझा जाता है, एयर इण्डिया 80 लाख रु० से ऊपर या 1 करोड़ रु० मूल्य के टिकट वेचता है और क्या वह इस हवाई अड्डे के आयकर के बारे में निर्णय लेते समय (यह कितना बड़ा हो) इस बात को ध्यान में रखेंगे।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : सभी बातों को ध्यान में रखा गया है और इस सबके बाद ही हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं।

श्री रतन सिंह राजदा : मंत्री महोदय ने कहा कि 71 से यह प्लान बना हुआ था एयर रिपोर्ट के बारे में तो उस तो वक्त काँग्रेस की सरकार थी 76 तक, तो क्या यह सच वात है कि काँग्रेस (आई०) और सी० पी० आई० के एलायेंस की वजह से यह काम नहीं हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : इस छोटे से प्रश्न में अब कोई और बात शेष नहीं रह गई है। अगला प्रश्न श्री मोहन लाल सैनी

श्री रतन सिंह राजदा : महोदय मैं माननीय मंत्री महोदय से एक उत्तर चाहता हूँ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : उनका प्रश्न बिलकुल असंगत है। उसका उत्तर दिया जाना आवश्यक नहीं है।

कच्चे लोहे का उत्पादन

* 184. **श्री मनोहर लाल सैनी :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष उत्पादित कच्चे लोहे की मात्रा कितनी है और उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें हरियाणा में बने कच्चे लोहे का निर्यात किया जा रहा है, और

(ख) क्या हरियाणा में निकट भविष्य में किसी कच्चे लोहे के संयंत्र के लगाये जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1979-80 में देश में विक्रेय कच्चे लोहे का उत्पादन लगभग 11 लाख टन हुआ। वर्ष 1980-81 में उत्पादन लगभग 15 लाख टन होने की सम्भावना है। सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि हरियाणा में कच्चे लोहे का उत्पादन हो रहा है। अतः अन्य देशों को इसका निर्यात करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) जी, नहीं।

श्री मनोहर लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने बताया कि सन् 1979-80 में 11 लाख टन पिग आयरन देश में पैदा हुआ और 1980-81 में 15 लाख टन पिग आयरन का उत्पादन होने की सम्भावना है। में जानना चाहता हूँ। पूरे देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए साल में कितना पिग आयरन देश को चाहिए और क्या देश इसमें आत्म-निर्भर है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : 1977-78 और 197879 में उत्पादन 14 से 15 लाख मीटरी टन के बीच था। 1978-79 में अचानक उत्पादन में गिरावट आ गई और हमारा उत्पादन स्तर 14 लाख मीटरी टन हो गया। सामान्य तौर पर हम लगभग 3 लाख मीटरी टन आयात करते थे और देश की कुल माँग 12 लाख मीटरी टन थी। माँग क्यों उसी स्तर पर बनी रही है।

श्री मनोहर लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पिग आयरन देश के औद्योगिक विकास लिये के बहुत आवश्यक है। मेरा मूल प्रश्न हरियाणा के मुताल्लिक था. हरियाणा के महेन्द्रगड़ जिले से पिछले कई सालों से जापान को आयरन और एक्सपोर्ट होता रहा और सरकार कई बार वायदा करती रही कि वहाँ पर पिग आयरन प्लान्ट लगेगा। देश की आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि महेन्द्रगढ़ जिले में पिग आयरन प्लान्ट सरकारी क्षेत्र में लगाया जाय ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मुझे किसी ऐसे वायदे की याद नहीं आती। यदि माननीय मंत्री कुछ जानकारी दें तो मैं उसकी जाँच कर सकता हूं। किन्तु हर जगह इस्पात संयंत्र नहीं लगाया जा सकता जहां लौह अयस्क का प्रभाव है जिसका कारण यह है कि हमारे देश में लौह अस्यक के निक्षेप (भन्डार) 1,50,000 लाख मीटरी टन से ऊपर है।

श्री ए० टी० पाटिल : इस देश की अगले पांच वर्षों के लिए कच्चे लोहे की संभावित माँग की कितनी होगी और अगले पाँच वर्षों में कच्चे लोहे का कितना उत्पादन होने की संभावना है ? क्या हम निर्यात करने की स्थिति में होंगे. अथवा नहीं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जहाँ तक निर्यात का सम्बन्ध है माननीय सदस्यों को यह पता होगा कि हमने उस पर प्रतिबन्ध लगा रखा है जो अब भी जारी है। जैसा कि आपके मुख्य प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं इस वर्ष का उत्पादन 15 लाख मीटरी टन रहा है। माँग की इससे ज्यादा होने की सम्भावना है। मोटे तौर पर हम 8 प्रतिशत की दर के हिसाब से संगणना करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 185 अनुपस्थित, प्रश्न 186. अनुपस्थित, प्रश्न 187. अनुपस्थित मैं इसको एकगम्भीर बात मानता हूँ। इस बारे में मुझे कुछ करना होगा। मैं इन सदस्यों को बता देना चाहता हूँ कि अगले सम्पूर्ण सत्र में इनको प्रश्न सूची से निकाल दिये जायेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। हम इस आशय ले पत्र लिखते रहे हैं कि लोक सभा में एक समन्वय कक्ष स्थापित किया जाये। सदस्यों को सभा की कार्यवाही का पता नहीं होता। प्रश्न केवल तीन दिन पहले ही परिचालित किये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें सिर्फ नोटिस देना चाहिए, यही काफी है।

श्री आर० के० महालगी : आठ दिन पूर्व उसका बैलट होता है।

प्रोफेसर मधु दण्डवते : भुलक्कड़ होने की बात तो समझ में आती है। अनुपस्थित रहने की नहीं।

अध्यक्ष महोदय : भुल्लकड़पन को स्वाभाविक कहा जा सकता है लेकिन अनुपस्थित को नहीं।

समाज के कमजोर वर्गो को ऋण

*188. **श्री के० प्रधानी :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की इस बात को जानकारी है कि जहाँ तक ऋणों के विशेष रूप से

गांवों में वितरण का प्रश्न है, 5,000 रुपये से कम धनराशि के ऋण के सम्बन्ध में गारन्टी और प्रतिभूति की मांग करने के कारण अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लोग,जो अभी तक उचित प्रकार से लाभान्वित नहीं हुए हैं, हतोत्साहित हुए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि छोटे ऋण लेने के लिए भी लोगों को फार्म भरने, फोटो चिपकाने के लिए कहा जाता है और उन्हें बैंकों का बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं जबकि यह स्पष्ट अनुदेश हैं कि पढ़े लिखे किसानों से फोटो चिपकाने का आग्रह नहीं किया जाना चाहिए; और

(ग) अनुसूचित जातियों को ऋण की और अधिक सुविधा देने के लिए तथा ऋण प्राप्त करने में उत्पन्न बाधाओं को दूर करने के लिए किये जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जा रहा है।

(क) सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों समेत समाज के कमजोर वर्गों को ऋणों की मात्रा में वृद्धि के लिए अनेक उपाय किये हैं। इसमें विशिष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि कृषि प्रयोजनों के लिए 5000/- रुपये तक के ऋण, उसी ऋण राशि से अर्जित फसलों/चल सम्पत्ति के दृष्टिबंधन पर ही दे दिये जाने चाहियें और इन ऋणों के लिए गारन्टी की शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए। वाणिज्यक बैंकों से यह भी सुनिश्चत करने के लिए कहा गया है कि मार्च, 1983 के अन्त तक उनके कुल कृषि ऋणों का कम से कम 50 प्रतिशत छोटे और सीमांतिक किसानों को दिया जाने लगे। हाल ही में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋणों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के ऋणकार्ताओं के भाग की समीक्षा की गई है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करने के उपाय करें कि समाज के इस वर्ग की ऋण आवश्यकताओं को अधिकाधिक मात्रा में पूरा किया जाये।

(ख) और (ग) रिजर्व बैंक ने मार्च, 1979 में निर्देश जारी किये थे कि जो ऋणकर्ता साक्षर हों और आवेदन पत्रों पर हस्ताक्षर कर सकते हों, उन्हें आवेदन-पत्रों पर अपने फोटो अनिवार्यतः लगाने के लिए बाध्य नही किया जाना चाहिए। चूकि निरक्षर ऋणकर्ताओं के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि उनके फोटो चिपकाये जाने चाहिये, इसलिए रिजर्व बैंक ने यह निर्देश जारी किये हैं कि छोटे और सीमांतिक किसानों मजदूरों को दिये जाने वाले 5000/- रुपये तक के ऋण के सम्बन्ध में बैंकों को केवल फोटो की लागत ही नहीं बर्दाश्त करनी है, बल्कि फोटो खिचवाने का प्रबन्ध उन्हें ही करना है। भारतीय स्टेट बैंक इस प्रक्रिया को साक्षर किसानों के वास्ते भी अपनाता है। यह भी निर्देश जारी किये गये हैं कि ऋण स्वीकार करने में लगने वाले विलम्ब के बारे में शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

अनुसूचित जातियों के किसानों सहित छोटे और सीमांतिक किसानों के लिए ऋण प्रसार में वृद्धि के वास्ते किये जाने वाले कुछ और उपाय निम्नलिखित हैं :

(1) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये जाने वाले कुल बैंक ऋणों का लक्ष्य 33.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करना।

(2) बैंकों द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के लाभान्वितों की आवश्यकतानुसार विशेष योजनायें बनाना।

(3) और अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापनना।

(4) बैंकों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में सरलीकृत आवेदन पत्रों तथा कृषि को उनके द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के लिए जमानत तथा मार्जिन विषयक रियायती मापदन्डों सहित सरलीकृत ऋण प्रक्रिया का भी अपनाया जाना।

श्री के. प्रधानी : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूँ कि बैंकों द्वारा अनुसूची जातियों और अनुसूचित जनजातियों, सीमाँत किसानों और कारीगरों के लिए अपने ऋणों का कितना प्रतिशत निर्धारित किया जाता है और क्या यह लक्ष्य अब तक पूरा हो गया है; यदि नहीं तो कितनी कमी रह गई है ?

श्री आर. वेंकटरामन : बैंकों से कहा गया है कि वे कुल कृषि ऋणों का 50 प्रतिशत छोटे और सीमाँत किसानों को दें इस लक्ष्य की लगभग 38 प्रतिशत पूर्ति हुई है। हम इसे और बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री के. प्रधानी : सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ऋण देने की स्थिति में सुधार के इतने उपाय किये जाने के बाद भी इतनी कमी रह गई है। इस कमी के मुख्य कारण क्या हैं ?

श्री आर. वेंकटरामन : सामान्यत: आवेदन पत्र ही पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होते। बैंक यथासम्भव आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हमने देखा है कि सामान्यत: उपयोगी योजनाएं प्रस्तुत नहीं की जाती हैं। ऋण कृषि विकास योजनाओं के लिए दिये जाने होते हैं। हम महसूस कर रहे हैं कि हम उन्हें योजनाएं भी बनाकर दें और साथ ही ऋण भी उपलब्ध करायें। हम इस दशा में उनकी सहायता का प्रयास करेंगे।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : इस तथ्य को देखते हुए कि अनेक मामलों में ये लोग पूरी या पर्याप्त जमानत नहीं दे पाते क्या सरकार ने बैंकों को यह सलाह देने की सम्भावना पर विचार किया है कि वे सामूहिक जमानत अर्थात तीन या चार या पाँच व्यक्तियों की सामूहिक जमानत स्वीकार कर लें ताकि ऋण दिये जा सकें।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार बैंकों को यह सलाह भी देगी कि वे सलाहकार कार्यालय स्थापित करें जहाँ पर छोटे किसान जाकर प्रपत्र आदि भरने में सलाह ले सकें और प्रारम्भिक कार्यवाही पूरी करवा सकें ताकि उनके लिए इन कार्यालयों के बार बार चक्कर लगाना और आवश्यक न हो और रिश्वत न देनी पड़े।

श्री आर. वेंकटरामन : जहाँ तक जमानत का सवाल है हमने पहले ही अनुदेश दे दिए हैं कि 1000 रुपये के ऋण तक इन लोगों से मात्र एक प्रौमिसरी नोट भरवा लिया जाये। उन्हें कोई और जमानत की जरूरत नहीं है। 5000 रुपये तक के ऋण के लिए अब यह व्यवस्था है कि स्वीकृत ऋण से ली जाने वाली वस्तु जैसे कि पंपिंग सैट या बिजली की मोटर या कुछ और वस्तुएं जमानत के रूप में रखी जा सकती है। अत: किसी अतिरिक्त जमानत या जमीन की आवश्यकता नहीं है। यह व्यवस्था पहले ही मौजूद है। अत: सामुदायिक जमानत की, जैसा कि प्रोफेसर रंगा ने सुझाव दिया है, कोई आवश्यकता नहीं है।

दूसरी बात प्रपत्र भरने के बारे में कही गई है। हम प्रत्येक क्षेत्र में सलाकार समिति की बैठकें करते हैं। उस क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की जाती है। दक्षिण क्षेत्र की पिछली बैठक में हमने कुछ प्रपत्रों को देखा था। हमने देखा है कि इन्हें अब तक काफी सरल बना दिया गया है। अधिकारियों से कहा गया है कि वे लोगों की, विशेषकर अनपढ़ और गरीब लोगों की प्रपत्र भरने में सहायता करें हमने इन औपचारिकताओं को कम करने की ओर कई कदम उठाये हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, हमारे देश के पशुपालक किसान जिनकी संख्या करोड़ों की है और गणना कमजोर वर्ग में होती है और सरकार के पास एक योजना है, जिसके अंतर्गत उनको भैंस खरीदने के लिए बैंकों से कर्ज दिए जाते हैं। लेकिन मेरा, अपने सूबे और इलाके का अनुभव है कि इस मामले में बड़ी गड़बड़ी होती है। किसान भैंस खरीदने के लिए और ऋण मांगने के लिए दौड़ते रहते हैं, लेकिन बैंक उन्हें टरकाते और दौड़ाते रहते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह भैंस खरीद करके दूध ज्यादा से ज्यादा उत्पादित कर सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए भैंस पालने वाले किसानों को ठीक से ऋण मिल सके इसकी कोई व्यवस्था की है या इस पर फिर विचार करने के लिए कुछ कार्यवाही करना चाहती है।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे प्राथमिकता क्षेत्र के बारे में, जो कि प्रश्न शामिल है, कुछ आंकड़े प्रस्तुत करने का मौका दिया।

अब कृषि के अलावा हमने यह व्यवस्था भी की है कि डेरी-उद्योग, मुर्गी-पालन, मछली-पालन, पशु-पालन आदि जैसे मदों के लिए भी ऋण दिये जाए। मैं केवल पिछले वर्ष के कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूँ।। डेरी उद्योग के मामले में सितम्बर तक-मेरे पास अद्‌तन आंकड़े हैं- 412,000 खाते खोले गए और 76.28 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये; मुर्गी पालन के लिए 74,000 खाते खोले गए और 25.11 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये, मछली पालन के लिए 73,000 खाते खोले गये और 26.84 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये। जहाँ तक पशु पालन जैसे अवगीकृत मदों का सम्बन्ध है उनके लिए 550,000 खाते खोले गये और 71.2 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये। किन्तु सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है; यदि और धन की आवश्यकता पड़ी तो बैंक उसे देने के लिए भी तैयार हैं।

श्री चतुर्भुज : अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि इस प्रकार की व्यवस्था कमजोर वर्गों को लाभ पहुँचाने के लिए हैं। लेकिन जो किसान दूर आँचल में बसते हैं उनके सामने सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंक 5-7 किलोमीटर की दूरी तक तो लोन दे देते हैं लेकिन जो 7 किलोमीटर से ज्यादा दूर आँचल में बसते हैं, उनको ऋण देने के लिए संस्था नहीं है। इसके बारे में क्या कभी आपने बैंकों का ध्यान दिलाया है या निर्देश दिया है या देने की कोशिश करेंगे ?

श्री आर. वेंकटरामन : देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सहायता करने की दृष्टि से हमने यह निश्चय किया है कि प्रत्येक खण्ड में एक बैंक हो और प्रत्येक खण्ड मुख्यालय में एक बैंक हो और चूंकि मुख्यालय और बैंक दस किलोमीटर के भीतर होते है, अतः लोगों के लिए ऋण लेना मुश्किल नहीं होगा।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोगों के लिए कितने लोन की माँग का अन्दाजा है और उसमें से कितना परसेन्ट लोन आप दे देते हैं ?

दूसरी बात-जो लोग इल्लीट्रेट हैं उनका फोटो लगाने का नियम बनाया हैं। फोटो पर कितना खर्चा होगा और लोन बांड को एक्जीक्यूट करने के लिए स्टाम्प डयूटी पर कितना खर्चा होगा ? मेरी जानकारी है कि 1 हजार के लोन पर 20 रुपये का खर्चा उनको एक्सट्रा करना पड़ेगा। स्टाम्प डयूटी पर 5 रुपये 25 पैसे खर्च करना पड़ेगा, कहीं-कहीं यह खर्चा और भी ज्यादा है। क्या खर्चा जरूरी है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले दिया जा चुका है।

श्री आर. वेंकटरामन : फोटो और खर्चे के बारे मैंने उत्तर नहीं दिया है। केवल एक उत्तर रहता है। जहाँ तक फोटो का सवाल है ऐसे बैंकों को अनुदेश दिये गये हैं कि वही फोटो का खर्चा भरें।

श्री ज्योतिमय बसु : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि ब्याज की भेदक दरों के अंतर्गत दिये जाने वाले ग्रामीण ऋणों की प्रतिशतता क्या है ?

श्री आर. वेंकटरामन : व्यवस्था यह है कि कुल ऋणों का एक प्रतिशत ब्याज की भेदक दरों पर दिया जाना चाहिए किन्तु स्थिति प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न है। कुछ क्षेत्रों में और कुछ बैंकों में एक प्रतिशत दिया जा चुका है किन्तु बंगाल जैसे कुछ क्षेत्रों में एक प्रतिशत तक ऋण नहीं दिया गया है। हमने कलकत्ता में एक बैठक की थी और स्थिति की पुनरीक्षा की थी। बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा और तीन या चार अन्य राज्यों में एक प्रतिशत तक ऋण नहीं दिया गया। हम अधिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं।

श्री ए. के. राय : बैंक की सेवाएं अलग-अलग लोगों के लिए और अलग-अलग क्षेत्र के अलग-अलग होती हैं। यदि हम विभिन्न जनजातीय और अनुसूचित जातीय क्षेत्रों और सामान्य क्षेत्रों के नाम-जमा राशियों के अनुपात को देखें तो हमें पता चलेगा कि उनमें एक बुनियादी अन्तर है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने प्रत्येक खण्ड मुख्यालय में एक बैंक-शाखा खोलने के लिए कहा है। इसके बावजूद हमने देखा है कि उस खण्ड की सभी पंचायतों को बैंक सेवाएं उपलब्ध नहीं करायी जाती है; सेवाएं दूरी पर निर्भर करती हैं क्या मैं यह निष्कर्ष निकालूं कि खण्ड मुख्यालय की किसी विशेष बैंक शाखा को यह अनुदेश दिये गए हैं कि वह स्थान की दूरी का ख्याल किये बिना खंड में रहने वाले सभी लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराये।

श्री आर. वेंकटरामन : हमने पहले ही यह अनुदेश दिये हैं कि प्रत्येक खंड में बैंक की एक शाखा होनी चाहिए। हमने यह भी अनुदेश दिये हैं कि प्रत्येक खंड मुख्यालय में भी एक बैंक-शाखा खोली जानी चाहिए। यदि कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बैंक की शाखा नहीं हैं तो मैं वहां बैंक की शाखा खुलवाने के लिए तुरन्तु कार्यवाही करूंगा। मैं वहाँ यह सुविधा उपलब्ध कराऊंगा।

श्री ए. के. राय : मैंने यह जानना चाहा था कि क्या बैंक की उस विशेष शाखा को यह अनुदेश दिये गये हैं कि वह स्थान की दूरी का ध्यान रखे बिना खंड-विशेष के अन्तर्गत आने वाली सभी पंचायतों को सेवा उपलब्ध करायें।

श्री आर. वेंकटरामन : सामान्यतः आशा की जाती है कि बैंकों की दो शाखाएं अर्थात् एक शाखा मुख्यालय की और दूसरी खंड की, यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी को सेवाएं उपलब्ध हों। आखिरकार उनके अन्तर्गत छोटा-सा क्षेत्र ही तो होता है। इसकी सम्भावना है कि पहाड़ी और कुछ अन्य क्षेत्रों में यह सुविधा उपलब्ध न हो। यदि ऐसे मामले मेरे ध्यान में लाये जाते हैं तो मैं निश्चय ही सहायता करूंगा और उस स्थान पर बैंक की एक शाखा खुलवाने का प्रयत्न करूंगा।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहती हूँ कि यह जो बैंकों का राष्ट्रीकरण किया गया था, यह इसलिए किया गया था कि छोटे किसानों और दूसरे कमजोर वर्गों के लोगों को आसानी से ऋण मिल सके लेकिन पिछले ढाई तीन सालों में इन बैंकों की व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि छोटे किसानों के लिए ऋण दिया जाता है, वह उनको नहीं मिल पाता है। इसके लिए मैंने आप को और प्रधान मंत्री जी को लिखित शिकायत कई जगहों की भेजी है कि जो छोटे-छोटे किसान ऋण लेने के लिए बैंकों में आते हैं, वे बिना ऋण लिए लौट जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कहीं पम्पों के लिए ऋण मंजूर हो जाता, है तो वहाँ पर कुओं के लिए पैसा मंजूर नहीं होता। पम्पों का जो ऋण होता है, उसकी किस्त बंध जाती है लेकिन कुए न खुदने कारण वे पम्प नहीं चला पाते हैं। कई-कई बार इनको बैंकों में जाना पड़ता है, तब कहीं ऋण मिलता है।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिये।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : मैं सवाल ही पूछ रही हूँ। उन छोटे-छोटे किसानों को ऋण लेने में कई तरह की परेशानियाँ होती हैं। तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि इस तरह की कठिनाइयाँ छोटे-छोटे किसानों और छोटे व्यापारियों की आपके सामने रखी गई हैं, उनको दूर करने के लिए क्या आप कोई तुरन्त कदम उठाएंगे ? जो बैंकों में अव्यवस्था आ गई है या जो वहाँ के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार की नीति बनती जा रही है, उसको दूर करने के लिए कोई ऐसे कदम उठायेंगे, जिस से स्थिति में सुधार आ जाए।

श्री वेंकटरामन : यह सच है कि पिछले ढाई वर्षों में कमजोर वर्गों के लिए कुछ बैंक सुविधाओं में कमी आई है (व्यवधान) सभा को स्मरण होगा कि हमने 20 सूत्री कार्यक्रम सामने रखा था और उस 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन सीमांत किसानों, छोटे किसानों, हथकरघा बुनकरों और बहुत कम आय वाले अन्य वर्गों को ऋण देने पर विशेष बल दिया गया था। जनता पार्टी के शासन में आने के बाद 20 सूत्री कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया—जिसका श्रेय मेरे मित्र डा० सुब्रामण्यम स्वामी ने लिया है—और जिस चीज की माननीय सदस्य शिकायत कर रही हैं वह 20 सूत्री कार्यक्रम को समाप्त करने के कारण सामने आई है इसीलिए लाभ कमजोर वर्गों को नहीं मिल सका। हमने इसे फिर से लागू कर दिया है और शीघ्र ही हम सुनिश्चित करेंगे कि कमजोर वर्गों को इसका लाभ मिले।

श्री जी. एस. निहालसिंह वाला : क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि क्या उन्हें ऐसी कोई शिकायतें मिली हैं कि बैंक मैनेजर और बैंकों के अन्य अधिकारी तब तक व्यक्तियों को धन नहीं देते जब तक कि उन्हें उनसे कुछ न मिल जाये।

श्री भागवत झा आजाद : यह बात तो हर जगह है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या बैंक मैनेजर ऋण लेने वालों से कोई रिश्वत लेते हैं।

श्री आर. वेंकटरामन : यदि मुझे अथवा मेरे विभाग को पता चल जाये कि वहाँ पर भ्रष्टाचार है, तो हम तत्काल कार्यवाही करेंगे। यदि ऐसा हमारी जानकारी के बिना होता है, तो मैं चाहूँगा कि सदस्य उसके बारे में हमें बतायें।

इन्जीनियरी सामान के निर्यात सम्बन्धी लक्ष्य

*189. **श्री नारायण चौबे :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी सामान के निर्यात के सम्बन्ध में चालू वर्ष के लिए 915 करोड़ रु० का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं;

(ख) क्या इंडियन इंजीनीयरिंग इण्डस्ट्री ऐसोसिएशन ने कहा है कि निर्धारित लक्ष्य अव्यवहारिक है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) इंजीनियरी निर्यात सवर्धन परिषद ने 1980-81 के लिए 915 करोड़ रु० के लक्ष्य की सिफारिश की है इस लक्ष्य के सम्बन्ध में ए. आई. ई. आई. द्वारा कतिपय शर्तें व्यक्त की गई थीं। लेकिन इन दो निकायों के बीच बाद में परामर्श हुआ और ऐसा समझा जाता है कि वे इस पर सहमत हो गए हैं कि अगर अवस्थापना सम्बन्धी पर्याप्त समर्थन मिल जाए तो यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। सरकार ने यह लक्ष्य स्वीकार कर लिया है और उसे प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री नारायण चौबे : इन दो निकायों के साथ क्या परामर्श हुआ और कब हुआ तथा उससे क्या सिफारिशें आईं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : माननीय सदस्य को यह मालूम ही है कि जब हम किसी क्षेत्र विशेष में निर्यात का कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो सामान्यतः हम निर्यात संवर्धन परिषद् तथा तत्संबंधी बहुत से दूसरे निकायों के साथ परामर्श करते हैं। आमतौर पर जब निर्यात संवर्धन परिषद् कोई लक्ष्य निर्धारित करता है तो वह विभिन्न माध्यमों, जिनमें विभिन्न उत्पादन क्षेत्र आते हैं, से उस पर विचार-विनर्श करता है। अतः यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि खास अवसर पर क्या विचार-विमर्श हुआ और क्या सिफारिशें की गई तो यह बताना मेरे लिए सम्भव नहीं है क्योंकि हम यह जानकारी कभी नहीं रखते। हम यह कार्य निर्यात संवर्धन परिषद को सौंप देते हैं और वह इस सम्बन्ध में विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माताओं से व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से विचार-विमर्श करती है तथा उसके बाद अपना निर्णय देती है। उसी के आधारपर हम विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालयों के साथ विचार-विमर्श करके यह मालूम करते हैं कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, वह यथार्थवादी है अथवा नहीं और फिर उसके आधार पर हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं।

श्री नारायण चौबे : भारतीय इंजीनियरी उद्योग ने बुनियादी सुविधाओं संबंधी और अन्य क्या क्या कठिनाइयाँ बतायी हैं जिन्हें आपने हल करने की कोशिश की है। आप उन्हें कैसे हल करेंगे ?

श्री प्रणाव मुखर्जी : बुनियादी सुविधाओं के बारे में जो कठिनाइयां उन्होंने बताई वे हैं कच्चे माल मुख्य रूप से इस्पात और कच्चे लोहे का न मिलना और कोकिंग कोल, बिजली तथा परिवहन संबंधी कठिनाइयां। ये ही मुख्य कठिनाइयां हैं जिनके कारण पिछले वर्ष के उत्पादन लक्ष्य भी पूरे नहीं किये जा सके। जब हमने संबंधित मंत्रालयों से इस संबंध में बात चीत की और 915 करोड़ रुपये के अपने लक्ष्य के लिए माँग रखी तो विभिन्न सबंधित मंत्रालय आवश्यक सामग्री देने के लिए सहमत हो गये। जहाँ तक इस्पात क्षेत्र का संबंध है, यह स्वीकार कर लिया गया है कि 3, 21,000 मीटरी टन इस्पात दिया जायेगा। जहां तक कच्चे लोहे का संबंध है, 1,30,000 मीटरी टन कच्चा लोहा दिया जायेगा। इसी प्रकार कोकिंग कोल, बिजली, हाई स्पीड डीजल के संबंध में हमने संबंधित मंत्रालयों से बात चीत की और उन्होंने आश्वसन दिया है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की जायेगी।

श्री नारायण चौबे : बिजली की समस्या को आप कैसे हल करेंगे ?

श्री प्रणव मुखर्जी विद्युत मंत्रालय इसके लिए सहमत हो गया है, आगे देखें क्या होता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जिन तरीकों से मंत्रालय निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, उनमें से एक तरीका राजसहायता देना भी है। इस समय निर्यात राज सहायता बढ़ कर 319 करोड़ रूपये हो गई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भारत की इस विषय से संबंधित पत्रिकाओं द्वारा किये गये इस अध्ययन की ओर मंत्रालय का ध्यान गया है कि भारतीय इंजीनियरी उद्योगों के साथ समस्या प्रतिस्पर्धात्मकता की नहीं है बल्कि हम निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और विक्रेतता के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके।

अतः मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय वित्त मंत्रालय से सिफारिश करेंगे कि निर्यात राज सहायता पर होने वाले व्यय को बचाया जाये क्योंकि राज सहायता से निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। प्रश्न इस बात का है कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में कैसे सुधार किया जाये।

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, मानक विशिष्टियों के अनुसार गुणवत्ता इसका एक कारण है दूसरा महत्वपूर्ण कारक सुपुर्दगी है। यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि केवल राज सहायता देने से ही हमारे उत्पादों की प्रतिस्पिर्धात्मकता कम हो जाती है।

किन्तु, महोदय यह एक जटिल प्रकिया है। माननीय सदस्य इस बात से भली भांति परिचित हैं। कभी-कभी ऐसा देखते हैं कि शुल्क के कारण हमारे उत्पाद अप्रतिस्पर्धी हो जाते हैं फिर भी हम शुल्क को हटा नहीं सकते। अतः उसकी पूर्ति करने के लिए कभी-कभी हमें ऐसी व्यवस्था भी करनी पड़ती है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ कि केवल राज सहायता देकर ही हम अपने निर्यात में वृद्धि नहीं कर सकते। हम इसी बात पर अधिकाधिक जोर दे रहें हैं। माननीय सदस्य को मालूम है कि श्री टण्डन की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति ने भी इस पहलु पर विचार किया है और कुछ सिफारिशें की है जिन पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

श्री संजय गाँधी : क्या यह सच है कि जनता शासन के दौरान, जिसका कि मार्क्सवादी पार्टी के साथ गाठजोड़ था (व्यवधान) इंजीनियरी की मात्रा में कमी आई है। यदि हाँ, तो कितनी कमी है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोयय . कृपया आप सभी बैठ जाइये । आप इसके बारे में उत्तेजित क्यों हो रहे हैं मैं आपको बोलने का अवसर दूँगा । आप अपनी बात कर चुके हैं । अन्य सदस्यों को अपनी बात कह लेने दीजिये । ऐसा व्यवहार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी । यह संसदीय परम्परा के अनुकूल नहीं है । आप कोई नौजवान नहीं है । (व्यवधान) यह मेरा काम है । आप क्यों इसे कर रहे हैं ? श्री गाँधी मैं आपको बोलने की पूरी आजादी दूँगा । बिना मेरी अनुमती के कुछ भी रिकार्ड न किया जाये । (व्यवधान) **

मैं नहीं सुन रहा हूँ । मैं आपको अनुमति नहीं देता । मैं आपको बोलने की पूरी आजादी दूँगा । यह संसद है आप अपने विचार रख सकते हैं और दूसरों को भी अपने विचार रखने दीजिये । आप इसमें आपत्ति क्यों करते हैं ? श्री चौबे यह खेद जनक है । उन्हें ऐसा कहने दीजिये यह उनका ढंग है । श्री गांधी ।

श्री संजय गांधी : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या यह सच है कि जनता शासन के तीन वर्षों में हमारे निर्यात में कमी आई है ? यदि हां, तो कितनी कमी आई और इसे पूरा करने में तथा 1976 की स्थिति तक पहुंचाने में इंजीनियरी उद्योगों को कितना समय लग जायेगा ?

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय पहला भाग··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये । आप अपने पूरक प्रश्न पूछें । इस तरह हस्तक्षेप कर रहे हैं ? यह संसदीय परम्परा के अनुरूप नहीं है । हम इस पर सहमत हुए हैं । मैं नेताओं से कहूंगा कि वे··· (व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, जहाँ तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है यह यह सच है कि 1976-77 तक निर्यात वृद्धि की दर 25 से 27 प्रतिशत तक थी जो कि 1979-80 में घटकर 6 प्रतिशत रह गई । यह एक सच्चाई है । इससे इन्कार नहीं किया जा सकता और माननीय सदस्य इसे जानते हैं । 1976-77 में हमारे व्यापार खाते में 69 करोड़े रुपये की बचत राशि थी और इस वर्ष उसमें 2000 करोड़ रुपये का घाटा है ।

जहां तक इंजीनियरी उद्योग का संबंध है, इस वर्ष भी 8 प्रतिशत की कमी हुई है । अर्थात ऋणात्मक वृद्धि हुई है । 1978-79 में निर्यात की मात्रा 700 रुपये मूल्य की थी जो कि इस वर्ष 650 करोड़ रुपये की रह गई । 1967-69 से 1976-77 तक इंजीनियरी निर्यात में विकास की दर 44.4 प्रतिशत रही थी ।

यही वास्तविक स्थिति है । महोदय, मुझे खेद है कि मैं यह आश्वासन नहीं दे सकता कि स्थिति को सुधारने में मुझे कितना समय लगेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूँ । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये । (व्यवधान) कृपया बैठ जाइये ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ समता हूँ···

प्रो मधु दण्डवते : हमें कोई अपत्ति नहीं । हर बार वह जनता पार्टी को बीच में ले आते है··· (व्यवधान)

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलत नही किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : हमें संसदीय परम्परा का पालन करना है। शांत रहिये इस तरह व्यवधान मत कीजिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि निर्यात के संबंध में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसमें लघु उद्योगों का सभावित अंश कितना होगा ? मुझे विश्वास है कि मन्त्री महोदय को लघु उद्योगों की कठिनाइयों, विशेषकर कच्चे लोहे और इस्पात की सप्लाई संबधी कठिनाइयों, की जानकरी है। क्या मन्त्री महोदय यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास करेंगे कि लघु उद्योगों को आवश्यक मात्रा में कच्चा माल मिले जिससे वे इन इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात में अपना योगदान कर सकें ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक कच्चे लोहे की सप्लाई का संबंध है, यह सच है कि लघु उद्योगो को इस संबंध में कुछ कठिनाइयां हुई। उन्होंने हमसे कुछ शिकायतें भी की। अत: राज्य सरकारों के परामर्श से हमने यह निश्चय किया है कि लघु उद्योग इकाइयों को राज्य सरकारों की निगरानी में लघु उद्योग विकास निगम के माध्यम से सम्पूर्ण कच्चा माल दिया जाये। जहाँ तक सप्लाई की स्थिति का संबंध है, मैं उसके बारे में अपने पहले के प्रश्नों के उत्तर में बता चुका हूँ। चालू वर्ष में हम 15 लाख मीटरीटन उत्पादन के स्तर तक पहुँच जायेंगे। हमारी कुल संभावित मांग इससे कुछ कम ही होगी। अत: इस प्रकार के कच्चे माल की सप्लाई के संबंध में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी.

श्री सोमनाथ चटर्जी : निर्यात में लघु उद्योग क्षेत्र का अंश···

श्री प्रणव मुखर्जी : इस बारे में मेरे पास आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं है। किन्तु सामान्यत: यह 35 से 40 प्रतिशत के बीच रहता है। कभी-कभी इससे अधिक भी हो जाता है। किन्तु मुझे प्रत्येक वर्ष के आंकड़े लाने होंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तो फिर उन्हें आपकी और भी मदद की जरूरत होगी···

श्री प्रणव मुखर्जी : जी हां, निश्चय ही।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच नहीं है कि इंजीनियरी वस्तुओं जैसे गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात के विरूध जो प्रमुख तत्व कार्य कर रहे हैं उनमें से एक यह है कि अमरीका सहित बहुत से विकसित देशों ने (जो कि पिछले वर्षों में हमारे माल को खरीद रहे थे) हाल ही में हमारे माल पर प्रतिशुल्क लगा दिया है जिसके लिए लिए उनका यह तर्क है कि भारत सरकार द्वारा दी जा रही राज सहायता से उद्योग को अनुचित सरक्षण या सहायता दी जा रही है और इसलिए अपनी वस्तुओं का बाजार बनाये रखने के लिए यह प्रतिशुल्क लगाना जरूरी हो गया है क्या यह सच है ? मेरे विचार से यह एक बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो रही है। क्या यह सच नहीं है कि गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में इससे एक अड़चन पैदा हो रही है ? सरकार ने हाल ही में उन सरकारों और उन देशों को मनाने के लिए एक दल भेजा है कि वे विकासशील देशों से होने वाले निर्यात के विरुद्ध इस तरह का भेदभाव न करें।

श्री प्रणव मुखर्जी : यह सच है कि कुछ विकसित देश अपने उत्पादों को प्रतिशुल्क रूप में या कोटा निर्धारित करके संरक्षण प्रदान कर रहे हैं जिससे कि इनमें से कुछ देशों में हमारे निर्यात के लिए कटिनाइयां पैदा हो रही हैं। जहाँ तक अमरीका द्वारा प्रतिशुल्क लगाये जाने का संबंध है

माननीय सदस्य को मालूम है कि उनका एक दल भारत आया था और उनके साथ हमने बात चीत की थी। हाल ही हमारा भी एक दल अमरीका गया। किन्तु अभी तक इस संबध में कोई समझौता नहीं हो पाया है। हमने उनसे अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है बात केवल यही नहीं है कि हम राज सहायता दे रहे हैं जिसका वे विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अन्य कठिनाइयाँ भी बताई है। अन्यथा भी इनमें से कुछ वस्तुयें वहां की वस्तुओं के प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ है किन्तु वे अपने उद्योगों को संरक्षण देने की दृष्टि से ये सब बातें करना चाहेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित करना होगा।

श्री प्रणव मुखर्जी : जहाँ तक इंजीनियरी वस्तुओं का संबंध है, स्थिति इस प्रकार है। वस्त्रों और कुछ अन्य वस्तुओं के मामले में तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है। किन्तु जहाँ तक इंजीनियरी वस्तुओं का संबंध है, जिन देशों में हम अपना बजार बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ इतना अधिक प्रतिरोध नहीं है। अतः संभवतः हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

श्री एम. एस. संजीवी राव : इस्पात और छड़ों की पर्याप्त सप्लाई के लिए मंत्रालय जो कारगार कदम उठा रहा है उससे हम भली भाँति अवगत हैं। किन्तु ये उद्योगपित इन रिआयती इस्पात छड़ों तथा अन्य वस्तुओं का ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं वे इनकी चोर बाजारी करते है। इसे रोकने के लिए माननीय मन्त्री महोदय क्या कारगर कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जहाँ तक लघु उद्योग क्षेत्र के लिए वितरण का प्रश्न है, मैं पहले ही वितरण के तरीकों के बारे में बता चुका हूँ। बड़े उपभोक्ताओं को हम स्टाकयार्डों से यह सामग्री देते हैं। किन्तु यदि ऐसी कोई शिकायत हमारे ध्यान में लाई जाये कि उसका उपयोग नहीं किया गया है या गलय उपयोग किया गया है तो हम निश्चित रूप से उसकी जाँच करेंगे।

खाड़ी के देशों में भारतीय निर्यातकों की व्यापारिक सद्भाव की स्थिति तथा साख

* 190. **श्री रान्जेद्र प्रसाद यादव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही महीनों में अनेक विख्यात फर्मों द्वारा अपनी डिलिवरी का कार्यक्रम पूरा न किए जाने के फलस्वरूप खाड़ी के देशों में देश की व्यापारिक सद्भाव की स्थिति बिगड़ गई है और भारतीय निर्यातकों की साख घट गई है; और

(ख) यदि हाँ तो आगामी महीनों में, निर्यात मण्डियों में व्यापारिक सद्भाव की स्थिति को सुधारने और फिर से अपनी साख बिठाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) यह सही है कि खाड़ी के देशों के साथ भारत का व्यापार शेष हाल ही में प्रतिकूल हो गया है। इसका कारण यह है कि पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पादों की ऊंची कीमतों की वजह से हमारे आयात बिल में अधिक वृद्धि हो गई। प्रतिष्ठित भारतीय निर्यातक फर्मो के विरुद्ध हाल ही में कोई गंभीर शिकायतें सरकार के ध्यान में नहीं आई है; और न ही यह इन देशों के साथ हमारे व्यापार शेष का एक कारण समझा जा सकता है।

(ख) सरकार खाड़ी क्षेत्र स्थित देशों को निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों का आदान प्रदान, गैर-सरकारी

व्यापार प्रतिनिधि मंडलों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना, इस क्षेत्र में लगने वाले अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना तथा इस क्षेत्र में परियोजना कार्यकलापों में सहयोग बढ़ाने के लिए सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। जबकि इस क्षेत्र से हाल ही में कोई गंभीर शिकायत नहीं मिली है, फिर भी प्राप्त होने वाली किसी भी शिकायत पर तत्काल कार्यवाही की जाती है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाते हैं कि भारतीय निर्यातकों की साख को नुकसान न पहुँचे।

श्री राजेन्द्रप्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, इधर गल्फ देशों के साथ हमारा व्यापार कम हुआ है और हमारे माल का निर्यात घटा है। बदकिस्मती से हमारी अच्छी से अच्छी फर्म्ज भी समय पर सामान नहीं दे पाती हैं इससे विदेश-व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसकी वजह से हमारे देश को कितना घाटा हुआ है और क्या इसका कारण हमारी फर्मों की लापरवाही है, या बिजली की कटौती है या मजदूरों की हड़ताल है।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पिछले दो ढाई साल में···

एक माननीय सदस्य : जनता पार्टी की वजह से।

श्री जियाउर्यहमान अन्सारी : मैं वह बात नहीं कहूँगा। अगर माननीय सदस्य कहना चाहते हैं, तो कह लें।

पिछले दो, ढाई साल में हमारा बैलेंस आफ ट्रेड कम हुआ है, नेगेटिव साइड में गया है। लेकिन उसके बहुत से रीजन्ज थे, जो एक्सपोर्टर्ज के कंट्रोल के बाहर थे। मसलान—मैं गल्फ कंट्रीज के सिलसिले में अर्ज कर रहा हूँ—बहुत सी चीजों में हमारा प्राडक्शन घटा है और उसकी वजह से हम एक्सपोर्ट नहीं कर सके। जो मेन कनस्ट्रेंट्स रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स में कमी आई है, खास तौर से इन कन्ट्रीज में, उनमें कुछ चीजों की डामेस्टिक स्केर्सिटी भी है। या डामेस्टिक मार्केट को देखते हुए कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन्ज लगाने पड़े हैं, जैसे ओनियन और पोटैटो पर, और आयरन एण्ड स्टील प्राडक्ट्स पर, क्योंकि इनका प्राडक्शन दो ढाई साल में गिरा था और उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में कुछ कमी आई। एक और वजह यह भी रही है कि शिपिंग का बाटलनैक रहा है। हमारे जहाजों की कमी, पोर्ट्स में कनजेस्चन या पोर्ट्स में स्ट्राइक्स भी ऐसे सबब रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स की कमिटमेंट वक्त पर पूरी नहीं हो सकी और इसलिए हमारा एक्सपोर्ट घटा है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मंत्री महोदय ने बताया कि हमारा सामान बाहर भेजने में कमी का कारण प्राडक्शन की कमी और पेट्रोलियम प्राडक्ट्स की अधिक कीमत रही है। उन्होंने यह भी बताया है कि वह इस बारे में स्टेप्स ले रहे हैं और कुछ डेलीगेशन्ज विदेशों में भेजना चाहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इन डेलीगेशन्ज के बाहर जाने से सामान का प्राडक्शन बढ़ेगा, या इनको पेट्रोलियम की कमी दूर होगी? इसलिए मैं इस सन्दर्भ में मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि यदि ये गल्फ-देश हमें समय पर सामान दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते और नहीं दे सकते तो उससे हमारी प्रतिष्ठा पर आँच आती है या नहीं? यदि प्रतिष्ठा पर आंच आती है तो उस दिशा में हम क्या कुछ करना चाहते हैं? जैसे आपने कहा कि उसका कारण है प्रोडक्शन की कमी या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कमी तो इसको आप डेलीगेशन से कैसे दूर करेंगे यह मेरी समझ में नहीं आया।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : जहां तक प्राडक्ट्स की कमी और इन्डिजिनस प्रोडक्शन की कमी का सवाल है और उसकी हर वजह से कमी आई है उसको दूर करके प्रोडक्शन बढ़ाया जाय, यही इसका एक रास्ता है, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जहाँ तक और दूसरे रीजन्स का सवाल है शिपिंग बाटलनेक्स या और स्ट्राइक्स वगैरह का उसमें भी एक ऐसी डिसिप्लिन कायम करनी चाहिए जिससे वह बाटलनेक्स दूर हों। और जो ऐसी मामूली चीजें हैं मामूली जो कम्प्लेंट्स आती हैं, जैसे यादव जी ने कहा—

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं—प्रतिनिधिमण्डल के बारे में।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : मैं प्रतिनिधिमण्डल के प्रश्न पर आ रहा हूँ।

जहाँ तक एक्सपोर्ट और विदेशों से तिजारत का सवाल है उसमें डेलीगेशंस का एक बहुत बड़ा महत्व है। उससे ऐसी एक फिजा पैदा होती है, मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट्स और एक्सपोर्टर्स हैं उनके और दूसरे देशों के इम्पोर्टर्स के बीच में ताल्लुकात पैदा होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट हमको मालूम होती है और हमारी रिक्वायरमेंट उनको मालूम होती है। जिस स्पेसिफिकेशन का सामान हम दे सकते हैं यह उनको मालूम होता है। तो इन डेलीगेशंस से एक फिजा पैदा होती है और एक अच्छा वातावरण पैदा होता है। यह एक नार्मल प्रैक्टिस है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : हमारे सवाल का जवाब नहीं आया। मूल सवाल के जवाब में मंत्री जी ने बताया कि प्रोडक्शन की कमी के कारण इन्डस्ट्री वाले नहीं भेज पाये हैं और इसके बाद इन्होंने कहा कि हम यह जानना चाहते हैं कि डेलीगेशन से प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे ? इसका जवाब तो इन्होंने दिया नहीं।

श्री प्रणव मुखर्जी : सदस्य महोदय पूरी तरह से अवगत हैं कि प्रतिनिधिमण्डल से प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता। कानून से उत्पादन में कोई वृद्धि होने वाली नहीं है। उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से हमने कई उपाय किये हैं।...(व्यवधान) प्रतिनिधि मन्डल इस बात का पता लगाने जा रहा है कि वहां किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है। हर बार हमें इन वस्तुओं के बारे में पता करने और निर्यात की मात्रा निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधिमण्डल भेजने पड़ते हैं। व्यापार की यही सामान्य प्रथा है। माननीय सदस्य यह समान्य प्रथा समझ लें। यह कोई नई बात नहीं है। हर वर्ष वस्तुओं का पता लगाने, निर्यात की मात्रा तथा सुपुर्दगी की अवधि निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि मण्डल भेजने पड़ते हैं। ये सब औपचारिकतायें पूरी करनी पड़ती हैं।

श्री हीरालाल आर. परमार : हमारे देश में हर साल 5 लाख टन का हड्डियों का उत्पादन है और उसके बाइ-प्रोडक्ट्स की 8 इंडस्ट्रीज हमारे यहां हैं जिनके लिए 80 हजार टन हड्डियों की जरूरत है। 4 लाख 20 हजार टन हड्डी इस तरह बच जाती है। इसका एक्सपोर्ट दो तीन साल पहले सरकार ने बन्द किया हुआ है। इसकी वजह से हमारे यहाँ की 130 इंडस्ट्रीज बन्द पड़ी हैं। तो इसका एक्सपोर्ट क्यों नहीं चालू किया जाता है ? इसके लिए सरकार ने क्या सोचा है ?

श्री प्रवण मुखर्जी : जहां तक इस वस्तु का सम्बन्ध है, प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात कृषि

मंत्रालय ने ही यह सोचा कि उन्हें इसका निर्यात नहीं करना चाहिए। परिणामतः हमने इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। किन्तु हम कृषि मंत्रालय के साथ मामला उठा रहे हैं तथा यह पता कर रहे हैं कि क्या वह उनकी सप्लाई करने की स्थिति में है। कई बार ऐसा होता है कि देश की अपनी माँग को पूरा करने के लिए हम निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा देते हैं।

समेकित पत्तन आधारित इस्पात संयंत्र की स्थापना

*. 191. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परादीप के अतिरिक्त कोई और पत्तन आधारित समेकित इस्पात संयंत्र की स्थापना सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मत्री (श्री प्रणव मुखर्जी : (क) और (ख) देश में इस्पात बनाने की क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से सरकार कुछ विकसित देशों के तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग से बन्दरगाहों पर नए इस्पात कारखाने लगाने की सम्भावनाओं का पता लगा रही है। इसके फलस्वरूप पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन आदि की कुछ पार्टियों से ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों का (स्थल के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय लेना तथा अन्य शर्तें भी शामिल हैं) विभिन्न स्तरों पर विस्तार से तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जा रहा है। अन्तिम रूप से निर्णय लेने से पहले सम्बन्धित पार्टियों से आगे बातचीत करनी होगी।

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी और ब्रिटेन की फर्मों ने 'टर्न की' आधार पर पाराद्वीप में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने की पेशकश की है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : यह करीब-करीब 'टर्न की' आधार पर है किन्तु हम इस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि सभी औपचारिताएं पूरी नहीं की जायेंगी फिर भी काफी हद तक यह 'टर्न की' आधार पर ही है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : जब हाल ही में मत्री महोदय ने उड़ीसा का दौरा किया था तो वहां के लोग बहुत प्रसन्न हुए। यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हो ही चुका था कि पश्चिम जर्मनी और अन्य देशों के जो लोग भारत आये थे वे पाराद्वीप भी गये और उन्होंने वह जगह चुन ली थी और यह कि वह जगह इस प्रयोजन के लिए नियत की जा चुकी है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस संबंध में सभी निर्णय कब तक ले लिये जायेंगे ? दो या तीन महीने के अन्दर ?

श्री प्रणव मुखर्जी : हम इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करने की कोशिश कर रहे हैं और माननीय सदस्य को यह पता है कि यह 1500 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना है। मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि इसके लिए विदेशी कम्पनियों, जिनमें 'आन शोर' पार्टियां भी शामिल हैं, द्वारा शतप्रतिशत धन दिया जायेगा। इस कारण इस पर कुछ समय लग रहा है किन्तु हम दोनों पक्षों से बातचीच कर रहे हैं। हम इस बात का जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लिये कौन अधिक उपयुक्त रहेगा और किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद हम अन्तिम निर्णय लेंगे।

विदेशी मुद्रा कोष

*193. **श्री पी. जे. कुरियन** :

श्री पी. के. कौडियन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत एक वर्ष से विदेशी मुद्रा कोष में धीरे-धीरे कमी आती जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबधी तथ्य और कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार नें निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष रूप से खाड़ी के देशों और अफ्रीकी देशों को क्या उपाय किए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) :(क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

विदेशी मुद्रा भण्डार में (सोने और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़ कर) 1978-79 में हुई 720.11 करोड़ रुपए की वृद्धि की तुलना में राजकोषीय वर्ष 1979-80 के दौरान 56.20 करोड़ रुपए की कमी हुई। विदेशी मुद्रा भण्डार में (सोने और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़ कर) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक 360.64 करोड़ रुपए की और कमी हुई है।

2. विदेशी मुद्रा भण्डार में होने वाले परिवर्तन दूसरे देशों के साथ भारत के लेनदेनों के निवल परिणामों के द्योतक होते हैं जिनका ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान शेष के आंकड़ों का संकलन कर लिए जाने के बाद ही मिल सकेगा।

3. फिर भी, स्थूल रूप से ऐसे संकेत मिले हैं कि 1979-80 से दौरान और उसके बाद विदेशी मुद्रा के भण्डार में (सोने और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़ कर) जो कमी हुई वह मुख्य रूप से बहुत बड़े व्यापारिक घाटे के कारण हुई है, जिसकी दो वजह थी, एक तो निर्यात की वृद्धि की गति मंद थी और दूसरे मध्यवर्ती वस्तुओं और कच्चे माल, खाद्य तेलों जैसी आम खपत की वस्तुओं के अधिक आयात तथा कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों, लौह और अलौह धातुओं आदि के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप आयात का बिल बहुत बढ़ गया।

4. सरकार, चालू वर्ष के दौरान निर्यात में वृद्धि करने के लिए और बातों के साथ साथ ये कदम उठा रही है :—

1. बिजली, बुनियादी कच्चे माल आदि की कमी जैसी उत्पादन के मार्ग में आने वाली विभिन्न रुकावटों का पता लगाना और उन्हें दूर करना ताकि औद्योगिक क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग सुनिश्चित हो सके।

2. निर्यात की सम्भावना वाली मदों के उत्पादन पर जोर देना ताकि निर्यात के लिए भारी मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध हो सकें।

3. देश में उपलब्ध प्रबंध संबंधी प्रतिभा और उन्नत प्रौद्योगिकी का पूरा लाभ उठाना।

4. निर्धारित कीमत (वेल्यू ऐडिड) की मदों और खासतौर से निर्मित और अर्ध निर्मित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देना।

5. नौवहन और पत्तनों पर भीड़-भाड़ की समस्याओं को हल करना।

6. विदेशो में विवरण संबंधी आसूचना का समन्वय करना और उसे सुदृढ़ करना।

तदनुसार चालू वित्तीय वर्ष 1980-81 की आयात नीति में उपर्युक्त निर्यात प्रयत्नों को उचित महत्व दिया गया है।

सरकार खाड़ी के और अफ्रीका के देशों की निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय कर रही है। इनमें व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों का आदान-प्रदान, अफ्रीका के विभिन्न देशों में होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेना, खाड़ी के देशों में केवल भारतीय व्यापार प्रदर्शनियों का आयोजन करना, सरकारी क्षेत्र की फर्मों के कार्यालय और भारतीय बैंकों की शाखाएं खोलना और व्यापार संबंधी आदान-प्रदान में सुविधा के लिए इन देशों के राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ एजेंसी प्रबन्ध करना शामिल हैं। इस दिशा में उठाए गए अन्य कदमों में विभिन्न अफ्रीकी देशों को समुद्री जहाजों की सुविधाओं में सुधार करना, खाड़ी के विभिन्न देशों को जाने वाली एयर इण्डिया की उड़ानों को बढ़ाना, इन क्षेत्रों को परियोजना निर्यात में वृद्धि करना, द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने की संभावनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए समय-समय पर इस क्षेत्र के विभिन्न देशों के साथ अधिकारी स्तर पर व्यापार संबंधी बातचीत करना सम्मिलित है।

श्री पी. जे. कुरियान : क्या यह सच नहीं है कि विदेशों में काम कर रहे भारतीय द्वारा धन भेजे जाने के कारण ही विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि होती है और विदेशों से आने वाले धन में कमी आने का कारण उन देशों के कड़े आपके कानूनों की वजह से वहां काम कर रहे भारतीयों को वहाँ से हटाया जाना है ? यदि ऐसा है तो विदेशों में काम कर रहे भारतीयों को प्रोत्साहन देने और संरक्षण देने के लिए मंत्री महोदय क्या कदम उठायेंगे ताकि उनके द्वारा भेजे जाने वाले धन में वृद्धि हो सके।

श्री आर. वेंकटरामन : वर्ष 1979-80 में विदेशों से भेजे जाने वाले धन में कमी नही आई है। किन्तु हम जानते हैं कि इनमें से कुछ देश भारतीय श्रमिकों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। सरकार ने जहां आवश्यक हुआ है इस मामले को उठाया है और हम ऐसा प्रयास करेंगे कि भारतीय श्रमिकों के हितों की रक्षा हो सके।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गैर-सरकारी परिचालकों द्वारा एयर-टैक्सी सेवा

*185. **श्री अहमद एम. पटेल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी विमान परिचालकों को उन क्षेत्रों में जहां इंडियन एयरलाइन्स की विमान सेवा नहीं है एयर-टैक्सी तथा हेलीकोपटर सेवा चलाने की अनुमति देने के प्रस्ताव में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) निजी परिचालकों को एयर टैक्सी और हेलिकॉपटर चलाने की अनुमति देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। जिन आवेदकों ने एयर-टैक्सी सेवाएं परिचालित करने की अनुमति मांगी है उन्हें

इस बारे में सरकार के निर्णय का इन्तजार करने की सलाह दे दी गयी है। इन आवेदकों में से किसी के पास अपना विमान नहीं है।

तथापि, सारिया एविएशन नाम के एक गैर-अनुसूचित परिचालक ने जिसके पास एक तीन सीटों वाला विमान है दिल्ली-आगरा और दिल्ली-जयपुर मार्गों पर "सिंगल पार्टी चार्टर" के लिए आवेदन दिया था और उसे फरवरी, 1980 से 6 महीनों के लिये परिचालन की अनुमति दे दी गयी थी।

टायरों का आयात

*186. **श्री के. टी. कौसलराम** : क्या वाणिज्य मन्त्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व जनता सरकार द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत टायरों के आयात की अनुमति का टायरों की स्वदेशी कम्पनियों पर कुप्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हाँ, तो स्वदेशी टायर कम्पनियों की सहायता के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्तमान आयात नीति से घरेलू टायर उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बीमार चाय बागानों का सरकारीकरण

*187. **श्री सुबोध सेन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार केन्द्र सरकार से राज्य में पांच बीमार चाय बागानों का सरकारीकरण करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पश्चिम बंगाल के वाणिज्य तथा उद्योग, सरकारी उपक्रमों तथा बन्द पड़े और संकटग्रस्त उद्योगों के विभागों के प्रभारी मन्त्री ने उस राज्य के कुछ चाय बागानों के अधिग्रहण करने पर विचार करने के बारे में अप्रैल, 1980 को केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था।

(ख) चाय (संशोधन) अधिनियम 1976 की धारा 16 ख से 16 ङ तक जो उपबन्ध हैं उनमें वे परिस्थितियां दी गई हैं जिनके अन्तर्गत सरकार जाँच कर सकती है प्रबन्ध हाथ में ले सकती है अथवा बिना किसी जाँच-पडताल के चाय उपक्रम पर नियन्त्रण कर सकती है अथवा अधिग्रहण कर सकती है। चाय बागान का प्रबन्ध हाथ में लेने का विनिश्चय प्रत्येक मामले के गुणावगुण पर निर्भर होता है।

सरकार ने पश्चिम बंगाल संकटग्रस्त चाय बागानों की समस्या को समझ लिया है और चाय अधिनियम 1953 के कार्यक्षेत्र में आने वाले बागानों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

बिक्री कर को समाप्त करने का प्रस्ताव

*192. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "एन्टी-सेल्स टैक्स मूव टू वी रिवाइज्ड" (बिक्री कर

विरोधी आन्दोलन पुनः आरम्भ किया जायेगा) के बारे में 23 मई, 1980 के इन्डियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय बिक्री कर समाप्ति समिति के अध्यक्ष ने समूचे देश में व्यापारियों से कहा है कि वे कार्यवाही करने की भावी योजना तैयार करें;

(ग) यदि हाँ तो क्या देश में बिक्री कर समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है और;

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) सरकार ने समाचार-पत्र में छपे इस समाचार को देखा है।

(ग) तथा (घ) : सरकार, राज्य सरकारों के सहयोग से, मौजूदा बिक्री कर के ढाँचे में सुधार करके उसे उपभोक्ताओं और व्यापारियों के हित में अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक तथा प्रभावी प्रणाली में बदलने की सम्भावनाओं का पता लगायेगी।

त्रिपुरा को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

*194. **श्री अजय विश्वास :**

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने त्रिपुरा को आवश्यक वस्तुओं जैसे सीमेंट, इस्पात की सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाये हैं जबकि रेल वेगन उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) संचलन संम्बन्धी बाधाओं के बावजूद उत्तर-पूर्वी राज्यों को, जिसमें त्रिपुरा भी शामिल है, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में सुधार लाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। रेल द्वारा ढुलाई की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर-पूर्वी राज्यों को, जिनमें त्रिपुरा भी शामिल है, सड़क द्वारा सीमेंट और इस्पात की ढुलाई बढाने के लिए कुछ कदम उठाये गये हैं। राज्य-सरकार सड़क द्वारा सीमेंट सीधे सीमेंट फैक्ट्री या अस्थायी गोदाम स्थल से ले सकती है, जिसके लिए भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाती है। बंटन आदेशों की वैधता की अवधि साढ़े तीन महीने से बढ़ाकर साढ़े चार महीने कर दी गयी है। साढ़े चार महीने के बाद भी अवधि बढ़ाने में उदारता बरती जा रही है। जहाँ तक इस्पात का सम्बन्ध है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (सेल) ने कलकत्ता तथा न्यू बोंगाइगाँव से गोहाटी/तिनसुकिया तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के कुछ अन्य स्थानों को, उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डाले बिना, सड़क से इस्पात की बहुत बड़ी मात्रा ले जाने की एक योजना बनाई है। यह योजना गोहटी से उत्तर-पूर्वी राज्यों की राजधानियों को सड़क द्वारा ढुलाई करने की उस योजना के अलावा है, जो जुलाई, 1979 से चलाई जा रही है।

कारीगरों तथा कृषकों को बैंक ऋण

*195. **श्री अमर सिंह वी. राठवा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कारीगरों, कमजोर वर्गों तथा कृषकों को ग्रामीण निवेश विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बैंक ऋणों का उचित अंश नहीं प्राप्त हो रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का विचार समाज के इन वर्गों को अधिकत लाभ देने के लिए योजना को उदार बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) और (ख) माननीय सदस्य, संभवत: एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध जाने का जिक्र कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए दी जा रही ऋण सहायता, सरकारी क्षेत्र के किये बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण दिये जाने की योजना का एक ही अंग है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के मुख्य वर्ग में, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले शिल्पी, छोटे तथा सीमांतिक किसान, छोटे उद्योग, स्वनियोजित व्यक्तियों आदि सहित, कमजोर वर्गों के सभी लाभान्वित आ जाते हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋणों में वृद्धि करने के लिए, सरकार ने, हाल ही में निम्नलिखित कदम उठाने का निर्णय किया है :

(1) बैंकों से कहा गया है कि वे अगले पांच वर्षों में, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋणों को बढ़ाकर अपने कुल ऋणों के 40 प्रतिशत तक पहुँचा दें।

(2) बैंकों से कहा गया है कि वे विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत अपने कुल ऋणों का कम से कम एक प्रतिशत कमजोर वर्गों के पात्र ऋणकर्ताओं को 4 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर दें। बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों का कम से कम 40 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/जनजातियों को दिया जाये।

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के कार्यक्रम में तेजी लाई जा रही है।

(4) बैंकों को से यह भी कहा गया है कि वे आवेदन पत्रों तथा ऋण प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा कृषि एवं समबद्ध गतिविधियों के लिए, छोटे ऋणकर्ताओं को ऋण सुलभ कराने के वास्ते, जमानत/प्रतिभूति मानदण्डों में उदारता बरतें।

भावनगर और अहमदाबाद में आयकर छापे

* 196 **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :**

श्री के. लकप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयकर आसूचना विभाग ने रि-प्रोसेसिंग करने वाले और नकली पेट्रोलियम उत्पादों को बेचने वाले अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह के सम्बन्ध में भावनगर और अहमदाबाद में लगभग 45 स्थानों पर छापा मारा था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में पहले ही क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) भरोसा करने योग्य इस सूचना पर कार्य करते हुए कि पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापारी डीजल तथा चिकनाने वाले तेल में मिलावट तथा कालाबाजारी के गैर कानूनी व्यापार में लगे हुए हैं, आयकर विभाग ने 2 अप्रैल 1980 को अहमदाबाद में 21 स्थानों पर तथा भावनगर में 11 स्थानों पर तलाशी लेने का प्राधिकार दिया। भारत में अन्य नगरों में भी इसके साथ ही तलाशियाँ लीं गई। अहमदाबाद तथा भावनगर में ली गई इन तलाशियों से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या 61 है।

(ख) तलाशी लेने की कार्यवाही के दौरान यह पता चला कि ये व्यापारी कालटैक्स, केस्ट्रोब, एच. पी., सर्वो आदि ब्राण्ड नामों के अन्तर्गत जाली पेट्रोलियम उत्पादों के सुनियोजित ढंग से निर्माण करते थे। विभाग को उस मशीनरी का भी पता चला जिसे मोम तथा अन्य रसायनों को मिलाकर लाइट आयल को इन्जन आयल में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विभाग को भूमिगत स्टोरेज टैंकों, पम्पिग उपकरण आदि का भी पता लगा, जिनसे पेट्रोलियम उत्पादों की बड़े पैमाने पर चोर बाजारी किये जाने का पता चला। विभाग ने सम्पूर्ण भारत में अर्थात दिल्ली, जालंधर, अहमदाबाद, अलीगढ़, कानपुर, लुधियाना, कलकत्ता और मद्रास में मारे गये छापों से प्रभावित पार्टियों से 99, 80, 288 रुपये मूल्य की लेखावाहयनकदी, जवाहिरात, एफ· डी. आर., प्रोमिसरी नोट और शेयर, चांदी तथा विदेशी मार्के का सोना आदि पकड़ा है।

(ग) इन मामलों में पकड़ी गई सामग्री की छानबीन और जांच-पड़ताल चल रही है।

कपड़ा मशीनरी की ग्यारह मदों को रोक लगी श्रेणी की वस्तुओं से हटाना

* 197 **श्री एन. ई. होरो** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा मशनरी निर्माता संघ ने बताया है कि नई आयात नीति के कारण, 1980-81 के लिए घोषित आयात नीति को ध्यान में रखते हुए, जिससे रोक लगी श्रेणी से कपड़ा मशीनरी की ग्यारह मदों को हटा दिया गया है, मशीनरी निर्माताओं को भारी हानि होगी; और

(ख) क्या इसने यह भी बताया है कि देश में पर्याप्त मात्रा में मशीनरी उपलब्ध है और इसे उचित अवधि में डिलीवर किया जा सकता है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वस्त्र मशीनरी विनिर्माता सघ ने 1980-81 हेतु आयात नीति में पूंजीगत माल की निषेध मदों की सूची में से कतिपय वस्त्र मशीनरी मदों के हटाये जाने के खिलाफ इस आधार पर अभ्यावेदन किया है कि इससे स्वदेशी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ख) संघ ने यह दावा किया है।

छुट्टी यात्रा सुविधा (एल. टी. सी:) का उपयोग करने वाले सरकारी कर्मचारियों को रियायती दरों पर आवास

* 198 **श्री भीरवा भाई** :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को पता है कि छुट्टी यात्रा सुविधा का उपयोग करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विभिन्न स्थानों पर आवास प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उन्हें प्राइवेट होटलों में बहुत अधिक किराया देना पड़ता है; और

(ख) क्या पर्यटन विभाग का विचार रियायती दरों पर आवास देकर सरकारी कर्मचारियों की मदद करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) पर्यटन विभाग के ध्यान में ऐसे कोई विशिष्ट मामले नहीं लाए गए हैं जिनमें सरकारी कर्मचारियों के लिए उपयुक्त आवास उपलब्ध नहीं था या प्राइवेट होटलों द्वारा उनसे बहुत अधिक किराया वसूल किया गया।

(ख) सरकारी कर्मचारियों को रियायती दरों पर आवास उपलब्ध कराने की केन्द्रीय पर्यटन विभाग की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, इसने विभिन्न पर्यटक केन्द्रों पर अनेक पर्यटक बंगलों का निर्माण किया है, जिनका प्रबन्ध राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। प्रभार 8/- रुपये से 45/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के बीच हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि उपयोग में लाया जाने वाला आवास शयन.कक्ष है अथवा वातानुकूलित कक्ष।

तथापि, संयुक्त सलाहकार तन्त्र की राष्ट्रीय परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में, सरकार ने मसूरी (उत्तर प्रदेश), डिघा (पश्चिम बंगाल) और महाबालेश्वर (महाराष्ट्र) में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अवकाश गृह स्थापित किए हैं। इन अवकाश-गृहों में प्रभार 2-/ रुपये से 12/- रुपये प्रतिदिन के बीच हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वेतन ढांचे का पुनरीक्षण

* 199 **श्री जयनारायण रोट** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वेतन ढाँचे के पुनरीक्षण का मामला सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय अनुमानतया कब तक लिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) (ख) सहकारी उपक्रम में मजूरी ढांचे का परिशोधन समझौते कों शर्तो और अवधि के अनुसार आवधिक रूप से किया जाता है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मजूरी ढांचे में सामान्य परिशोधन करने का न तो कोई ख्याल ही है और न यह सरकार के विचाराधीन है। मजूरी परिशोधन उद्यमों के प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से उद्यमवार किया जाता है और ऐसा परिशोधन सरकार की मंजूरी के बाद ही लागू किया जाता है।

मांड़ौ में पर्यटक केन्द्र

*200. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में धार जिले में मांड़ौ का "पर्यटन केन्द्र" के रूप में बनाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्राकृतिक सौंदर्य वाले प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल को स्थायी "पर्यटन केन्द्र" बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) माडु में पहले से ही भारत पर्यटन विकास निगम के अधीन एक यात्री लाँज और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित एक एल. आई. जी. रेस्ट हाउस है। जब कभी आवाम की माँग में वृद्धि होगी, तब राज्य सरकार और इसके पर्यटन संगठनों से परामर्श करते हुए अतिरिक्त आवास की व्यवस्था की जायेगी। अपने ऐतिहासिक ससर्गों पुरातात्विक स्मारकों को देखते हुए मांडु पहले से ही एक पर्यटक केन्द्र है जिसकी बड़ी संख्या में स्वदेशी पर्यटकों और साथ ही कुछ अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों द्वारा यात्रा की जाती है। किसी स्थान के बारे में एक पर्यटन केन्द्र के रूप में को औपचारिक

घोषणा नहीं की जाती। कोई स्थान अपनी पर्यटन संभावनाओं और आकर्षणों के कारण, जिन्हें वह पर्यटकों को अर्पित कर सकता है, एक पर्यटक केन्द्र के रुप में विकसित होने लगता है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सेक्टर में निर्मित तथा परिचालित किये जा रहे यात्री लांज के अतिरिक्त, माँडु में, इस समय अतिरिक्त पर्यटन सुविधाओं की व्यवस्था करने सम्बन्धी कोई खास प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भविष्य में पर्यटक सुविधाओं का विकास इस बात पर निर्भर करेगा कि मध्य प्रदेश में जिन यात्रा परिपथों (ट्रेवल सर्किटस) का पता लगाया जा रहा है, वे अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों में कितनी अधिक लोक-प्रियता प्राप्त करते हैं।

विश्व बैंक के ऋण पर ब्याज की वार्षिक दर

*201. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक के ऋणों पर ब्याज की वार्षिक दर बढ़ाई जा रही है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ कोई बातचीत की हैं; और

(ग) यदि हाँ तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) बैंक के कार्यकारी बोर्ड ने बैंक द्वारा दिये जाने वाले उधारों की दर 8.25 प्रतिशत निर्धारित कर दी है जो पहली जनवरी 1980 से लागू होगी कार्यकारी बोर्ड ने यह निर्णय लिया था कि उधार देने की दर समीक्षा की जाती रहनी चाहिए तथा यदि बैंक द्वारा लिए जाने वाले ऋणों की ब्याज की दरों या इन ऋणों की ढांचे में पुर्नानुमानों की अपेक्षा बहुत ज्यादा अन्तर हो तो उधार देने की दरों में समायोजन करने के लिए जून, 1980 के आस-पास एक प्रस्ताव रखा जाना चाहिए। बैंक ऐसे ही एक प्रस्ताव पर आजकल विचार कर रहा है। ऋण की लागत को ध्यान में रखते हुये बैंक द्वारा उधार देने कों दरों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। यदि बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार की दर में कोई परिवर्तन करना हो तो उसके लिये निदेशक बोर्ड का जिसमें भारत को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त है, अनुमोदन प्राप्त करना जरुरी होता है।

स्टैनलेस-स्टील की चादरों और प्लेटों के आयात के प्रभाव

*202. **श्री नीरेन घोष** : **क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टैनलेस-स्टील की चादरों और प्लेटों के आयात के परिणामस्वरूप मिश्र इस्पात सयंत्र का स्टाक बिना बेचा पड़ा हुआ है, और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा बेदाग इस्पात के आयात से है, तो इसका उत्तर "ना" हो सकता है।

(ख) प्रश्न नही उठता।

टंडन समिति के मनादण्ड का माल्टिंग्स पर लागू किया जाना

1411 **श्री मतिलाल हसदा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टंडन समिति के मानदण्ड मार्लिटग्स पर नहीं लागू किये जाते जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के लिकर, रम. वियर आदि को तैयार करने हेतु कच्चे माल का निर्माण किया जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ग) टंडन समिति ने केवल 15 प्रमुख उद्योगों की अनुसूचियाँ और प्राप्तव्यों के लिए मानदण्डों को सुझाव दिया है। विभिन्न प्रकार की शराब, रम, बीयर आदि के लिए कच्चे माल के निर्माण में लगे हुए उद्योग इस सूची में शामिल नहीं हैं।

कर वसूली की पद्धतियों में सुधार ररने के लिये ज्ञापन

1412. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर दाताओं से कर वसूली की पद्धतियों में सुधार के बारे में नवगठित संगठन, "काम न काज" से कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां तो सिफारिशें क्या क्या हैं और कौन सी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं; और

(ग) सरकार ने कौन कौन-सी सिफारिशें स्वीकार नहीं की हैं और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) सरकार को "मध्यम श्रेणी के लोगों का भार (वैयक्ति कराधान और प्रत्यक्ष कर कानून)" शीर्षक वाला एक ज्ञापन, डाइरेक्टर, 'कामन काज' से प्राप्त हुआ है।

(ख) तथा (ग) ज्ञापन में दिये गये सुझावों के सरांश का एक विवरण पत्र सदन पटल पर रखा गया है। इन सुझावों में से कुछ सुझाव तथा अन्य लोगों से प्राप्त हुए इसी तरह के सुझावों पर भी इस वर्ष का वजट तैयार करते समय विचार किया गया और उन पर सरकार द्वारा किये गये निर्णय प्रस्तावों में निहित हैं। अन्य सुझावों पर सरकार विचार कर रही है।

विवरण

प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में "कामन काज" द्वारा दिये गये सुझाव नीचे दिये अनेसार है :

आयकर

1- छूट सीमा 15,000 रुपये तक बढ़ा दी जानी चाहिए।

2. अधिकार को शामिल करके अधिकतम सीमान्त दर 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए और वह 3 लाख रुपये अधिक की आय पर लागू की जानी चाहिए।

3. आयकर पर लगने वाले अधिकार को समाप्त किया जाना चाहिए।

4. अनिवार्य जमा योजना वापस ली जानी चाहिए।

5. मानक कटौती 25 प्रतिशत से कम होनी चाहिए और वेतन के सभी स्तरों पर इसकी एक समान संगणना की जानी चाहिए।

6. मानक कटौती एक प्रेन्सर को भी मिलनी चाहिए।

7. जहां एक कर निर्धारिती यह सिद्ध कर सकता है कि उसके द्वारा किया गया वास्तविक खर्च मन्जूर की जाने योग्य मानक कटौती से अधिक है, वहां से इसका हकदार माना जाना चाहिए

8· आवास-सम्पत्ति से किराये के रूप में प्राप्त आय, वास्तविक आय के अनुरुप होनी चाहिए, उदाहरणार्थ जहां मरम्मत और अनुरक्षण पर हुआ खर्च किराया सूल्य का 1/6 भाग से अधिक होता है वहाँ उसे मंजूर किया जाना चाहिए ।

9. जोवन बीमा प्रीमियमों, भविष्य निधि और अधिवार्षिकी निधि तथा डाक घरों में सावधि संचयी जमा योजनाओं में किए गये अंशदानों जैसी लम्वी-अवधि बचत की मदों के संबंध में मंजूर की जाने योग्य कटौतियों को, मौजूदा वास्तविकताओं और बचत के लिए अधिक से प्रोत्साहन देने की आवश्यकता के अनुरुप निर्धारित किया जाना चाहिए ।

10. वैंक में जमा रकमों और अन्य विनिष्टि पूंजी निवेशों पर प्राप्त व्याज के लिए मंजूर की जाने योग्य 3,000/- रुपये की कटौती- सीमा को बढ़ाकर कम से कम 10,000/-रुपये किये जाना चाहिए ।

11. घरेलू बचतों के लिए और अधिक प्रोस्साहन दिया जाना चाहिए और इस सम्वन्ध में 10,000 रुपये से अधिक की लाभाँश आय के 50 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए ।

12. जिन उत्पादनक बचतों को वैंक जमाओं, औद्योगिक प्रतिभूतियों और सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया जाता है उन सभी पर आयकर से पूरी छूट होनी चाहिए । दस वर्ष की न्यूनतम अवधि तक किये गए पूंजी-निवेशों पर कर से 100 प्रतिशत तक छूट दी जानी चाहिए और अपेक्षाकृत कम अवधि के लिए तदनुरूपी समायोजन किया जाना चाहिए ।

धनकर

(1) अपने स्वयं के लिए कब्जे वाले मकान को अलग रखने के अलावा छूट सीमा कम से कम 3 लाख रुपये तक बढ़ाई जानी चाहिए ।

(2) यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि 1971-72 के बाद निर्मित मकान के मामले में मूल्यांकन को 1971-72 के मूल्य तथा कीमत के मापदण्ड के आधार पर आंका जाये ।

(3) किसी व्यष्टि के मामले में धन कर के निर्धारण के प्रयोजनार्थ शुद्ध धन में 1 अप्रैल 1956 के बाद उसकी पत्नी/उसके पति, विवाहित लड़की को छोड़कर छोटे बच्चे के नाम अन्तिरित की गई परिसम्पत्ति 31-12-1969 के बाद हिन्दू अविभाजित परिवारों की सम्पत्ति और 'जवाहिरात' में पिछली तारीख 1-4-1963 से बदली गई सम्पत्ति का मूल्य शामिल है । अधिनियम के इन उपबन्धों में व्यवहारिकताओं को ध्यान में रखते हुए और लोगों को कठिनाई नहीं होने देने और उनको मनमाने ढंग से लागू नहीं होने देने की दृष्टि से, संशोधन किया जाना चाहिए ।

(4) बैंक में जमा रकमों के संबंध में 1,50, 000/रुपए और यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों में 25,000/- रुपये की विद्यमान कुल सीमा रुपये के मूल्य का ह्रास होने का वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में बहुत ही कम है और इससे बचत की अनावश्यक सीमा बंध जाती है जबकि सरकार को चाहिए की वह इन सीमाओं को समाप्त करके बचत को वास्तव में बढ़ावा दे ।

(5) धनकर केवल अनुत्पादक परिसम्पत्तियों पर ही लगाया जाना चाहिए जिससे कि करदाता को वचत करने और उत्पादक -परिसम्पत्तियों में पूँजी- निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकें ।

(6) अधिकतम सीमान्त दरें 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए और यह दर केवल उसी सम्पत्ति मूल्य पर लागू की जानी चाहिए जो 50 लाख रुपये से कम नहीं हो।

(7) उत्पादक-परिसम्पत्तियों में किए गये पूँजि निवेशों पर, वे शेयरों, इक्विटी शेयरों, जमा रकमों अथवा कारोबार में हो, पूरी तरह से छूट मिलनी चाहिए।

(8) निर्धारिती आवास के लिए इस्तेमाल में आने वाले मकान सम्पत्ति को हर हालत में कर से छूट दी जानी चाहिए।

(9) यदि खुले बाजार में परिसम्पत्तियों की बिक्री मूल्यांकन की तारीख पर मान ली गई है तो यह भी मान लेना चाहिए कि कर निर्धारिती को परिसम्पत्ति की बिक्री अथवा अन्तरण पर पूँजीगत लाभ कर की अदायगी करनी होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि कर निर्धारिती के धन कर निर्धारण करते समय, अन्तर्निमित पूंजीगत लोगों की देनदारी को हिसाब में लिया जाना चाहिए।

दानकर

(1) अधिकतर दर बहुत ऊंची है और इसे उपयुक्त स्तर अर्थात 50 प्रतिशत तक कम करने की आवश्यकता है, जो 20 लाख रूपपे से अधिक की दान की रकमों पर लागू होती है।

(2) मूल छूट सीमा कम से कम 25,000/- रुपए तक बढ़ा दी जानी चाहिए।

(3) दान की रकमों के संकलन से सम्बधित समस्त उपबंधों पर सावधानी पूर्वक पुनार्विचर करने की आवश्यकता है।

(4) बहुत से देशों में दान कर की देनदारी, दान प्राप्तकर्त्ता पर नहीं बल्कि दानकर्ता पर होती है। इस परिवर्तन को लाने की वांछनीयता पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। विवाहित महिला सम्पत्ति अधिनियम के अधीन कर दाता द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए ली गई बीमा पोलिसियों के अन्तर्गत अदा किये गए प्रीमियम पर इस समय कर लगता है। क्योंकि ऐसी पोलिसियों के अन्तर्गत अदा किए गये प्रीमियम का उद्देश्य, बीमा करार के आधीन जीवन की जोखिम के लिए संरक्षण प्रदान करना है। या तो प्रीमियम पर या करदाता के हाथों में दान के रूप में किसी अन्य कल्पित रकम पर कर लगाना बेइनसाफी है।

पूंजी गत लाग कर

(1) प्रतिस्थापन की तारीख निर्धारित करने के लिए उपर्युक्त उपाय किसी स्थिर अधार पर नहीं बल्कि गतिमान आधार पर होना चाहिए अर्थात जो अन्तरण के पूर्ववती पाँच वर्षों की अवधि का हो।

(2) स्थानाँतरण के प्रतिफल को ऐसी अन्य परिसम्पत्तियों में निवेश करने की अनुमति प्रदान करना उहयुक्त होगा जो उत्पादन प्रयोजनो के लिए प्रत्यक्षता अथवा अप्रत्यक्षतः इस्तेमाल की जाती हैं जिसमें राष्ट्रीष्यकृत बैंकों और नई औद्ययोगिक कम्पनियों के शेयरों में जमा रकमें भी शामिल हैं।

(3) गृह सम्पत्ति की बिक्री से उत्पन्न पूंजीगत लाभों के सम्बंध में आर्थिक सीमाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है।

(4) जहां किसी पूंजीगत परिसम्पत्ति के हस्ताँतरण के सम्बंध में दान अथवा माने जाने वाले दान का साक्ष्य उपलब्ध है, वहां इस कर को लगाने का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए।

(5) हिन्दू अविभाजित परिवारों को धारा 54 के अन्तर्गत छूट सम्बन्धी उपबन्ध से वंचित करना अनुचित है।

(6) किसी रिहाइशी सम्पत्ति का अर्जन करने के सम्बन्ध में छूट उस स्थिति में भी उपलब्ध होनी चाहिए जब कोई निर्धारिती रिहाइशी सम्पत्ति का अर्जन करने के पयोजन के लिए अपनी पूंजीगत परिसम्पत्ति को परिवर्तित करता है, चाहे वह पहले से ही रिहाइशी सम्पत्ति का मालिक हो।

सम्पदा शुल्क

(1) किसी व्यक्ति के लिए एक घर आधारभूत आवश्यकता है और इसलिए इसे मृतक शुल्क लगाने योग्य सम्पदा में बिल्कुल शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

(2) रिहाइशी सम्पत्ति के सम्बन्ध में छूट की सीमा 3 लाख रुपये से कम नही होना चाहिए।

(3) सम्पदा शुल्क की दों की भी पुनः जाँच की जानी चाहिए।

(4) छूट की वर्तमान वित्तीय सीमाओं में चल अचल सम्पत्ति के वर्तमान वित्तीय सम्पत्ति के वर्तमान बढ़े हुए मूल्यों के अनुरूप बनाने के लिए परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

(5) अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में यह सुझाव दिया जाता है कि जहां सम्पत्ति में एक ऐसा घर अथवा उसका एक भाग शामिल होता हो जो मृतक द्वारा अनन्य रूप से अपनी रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया गया था वहाँ सम्पदा शुल्क निर्धारण के प्रयोजनों के लिए वह मूल्य स्वीकार किया जाना चाहिये जो मृत्यु के वर्ष से पहले की धनकर विवरणी में दिखाया गया हो और जहाँ कोई धनकर विवरणी दाखिल नहीं की गयी हो अथवा जहां कोई धनकर विवरण दाखिल नहीं की जानी हो वहाँ इसमें वह मूल्य शामिल किया जाना चाहिए जो वित्तीय वर्ष 1970-71 के दौरान इस पर निर्धारित किया जाता।

प्रशासनिक कार्यविधि

(1) सरकार द्वार यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि जहाँ कोई भी नोटिस अन्ततः अनुचित रुप से जारी किया गया पाया जाता है, तो उसके सम्बन्ध में पेश होने अथवा अभ्यावेदन देने के लिए किए गये व्यय को निर्धारित को वापस करने के लिये विभाग को उत्तर दायी ठहराया जाना चाहिए और अन्ततः इसके सम्बन्ध से चूक के लिये सम्बन्धित अधिकारी को विभाग को जवाब देह होना चाहिए।

(2) सम्पदा शुल्क निधारण शीघ्रता में करने और कानूनों तथा उनकी कार्यविधि में निर्धारित राहतों को शीघ्रता से देने पर बल दिया जाना चाहिये।

सम्मत्ति का (गृहकर)

(दिल्ली और नई दिल्ली)

(1) मैसर्स दीवान दौलत राम कपूर बनाम नई दिल्ली नगर पालिका और अन्य के मामले में अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये एक महत्त्वपूर्ण न्यायसम्मत निर्णय का विषय सम्पत्ति कर के परिकलन के लिए गृहों के करयोग्य मूल्य का निर्धारण करने के

मामले से था । सम्पत्ति करके प्रशासन से सम्बन्धित समस्याओं पर भी उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पृष्ठभूमि के अनुसार विचार करने की आवश्यकता है ।

(2) जहाँ किराये सम्बन्धी विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं की जाती है, वहाँ सकल उचित किराये के निर्धारण के लिए किराया सम्बन्धी आँकड़ों का इस्तेमाल करने में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से, यह आवश्यक है कि विभाग द्वारा तैयार किये गये किराये सम्बन्धी आँकड़े ऐसे होने चाहिए कि वे मकान मालिकों द्वारा सामान्यत: स्वीकार किए जाते हों । किराये सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने में यह आवश्यक है कि मकान मालिकों के संघों अथवा समितियों को अवसर प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे जानकारी दे सकें । किराये सम्बन्धी आँकड़ों को अन्तिम रूप देने से पहले मकान मालिकों के संघों अथवा समितियों को अपने विचार व्यक्त करने और विभाग के अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों के विरुद्ध अपनी आपत्तियां उठाने का अवसर दिया जाना चाहिए । यह मुख्यत: महत्वपूर्ण है कि इन आँकड़ों को खुले आम एकत्र किया जाए और अन्तिम रूप दिया जाए। यह भी आवश्यक है कि किराए सम्बन्धी आंकड़े तीन वर्ष में एक बार एकत्र किए जाए । वर्तमान नियमों में गेराज, नौकरों के क्वाटरों और खुले बरामदों जैसी मदों का कोई उल्लेख नहीं है, और ये सम्पत्ति कर निर्धारण में बचाव के रास्ते और अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने की गुंजाइश छोड़ते हैं ।

(3) जहां मकान मालिक अपनी ही पहल पर मानक किराये का विनिश्चय करने के के लिए किराया नियन्त्रक का आश्रय लेते हैं, वहां इस प्रयोजन के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए । संदिग्ध मामलों में और जहाँ मानक किराया उपलब्ध नहीं है, वहाँ किराया सम्बन्धी आंकड़ों' को अन्तिम रूप देने में मानक किराया निश्चित करने का ढंग और तरीका अपनाया जाना चाहिए ।

(4) जहां सम्पत्ति आरम्भ से ही स्वयं के कब्जे में हो वहां, कर योग्य मूल्य निर्माण की लागत और निर्माण शुरू होने की तारीख को भूमि के पूँजीगत मूल्य के संदर्भ में निश्चित किया जाता है । यह एक अपरिवर्तनीय तथ्य है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान भूमि के मूल्यों में बहुत वृद्धि होती रही है । यह सुझाव दिया जाता है कि जहां भवन वित्तीय वर्ष 1970-71 के बाद के वर्ष में निर्मित हुआ हो वहाँ धन-कर निर्धारण के सम्बन्ध में लिए गए ऐसे ही निर्णय के आधार पर भूमि का पूँजीगत मूल्य वहीं लिया जाना चाहिए जो वित्तीय वर्ष 1970-71 (आयकर निर्धारण 1971-72) में था ।

(5) जहां मकान का एक भाग मूल निर्माण के बाद निर्मित किया जाता है वहाँ, भूमि का पूंजीगत मूल्य वह समझा जाना चाहिए, जो उस समय लागू था जब मूल निर्माण शुरू हुआ था अथवा जो वित्तीय वर्ष 1970-71 में था इनमें से जो भी पहले हो वह समझा जाना चाहिए ।

(6) जहां सम्पत्ति वित्तीय वर्ष, 1970-71 के बाद निर्मित की जाती है, वहाँ निर्माण की लागत उस लागत के आधार पर संगणित की जानी चाहिए जो विभिन्न श्रेणियों के निर्माण के संबंध में वित्तीय वर्ष 1970-71 में चालू थी । इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1970-71 में निर्माण की लागत की अनुसूची तैयार की जानी चाहिए और आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद ही इसको अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए ।

(7) स्वत: कब्जे के संबंध में केवल 20% की छूट (जो पहले 15 से 25 प्रतिशत तक

थी) तक अर्थहीन और नगण्य हो जाती है जब किराये में हाल ही के वर्षों में हुई वृद्धि के साथ इसकी तुलना की जाती है। जो सम्पत्ति आरम्भ से ही स्वयम् के कब्जे में हो और जो किराये पर रहने के बाद स्वयम् कब्जे में आई हो, उसमें कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। दोनों ही मामलों में कर योग्य मूल्य, निर्माण की लागत और निर्माण शुरू होने की तारीख को भूमि के पूंजीगत मूल्य के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए।

नई दिल्ली नगर निगम सम्पत्ति कर

(1) यह बहुत असंगत बात है कि दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर निगम के निकटस्थ क्षेत्रों में सम्पत्ति कर की दर मे बहुत भिन्नता है, यह बाद के मामले में कर योग्य मूल्य का साढ़े बारह प्रतिशत तथा दिल्ली नगर निगम के मामले में कर योग्य मूल्य के उच्चतर स्लैब का 30 प्रतिशत तक है।

(2) यह आवश्यक है कि दिल्ली और नई दिल्ली के निवासियों के लिए कर के ढांचे को कुछ युक्तिसंगत बनाया जाए। वर्तमान असमानता कालदोष विषयक और असंगत है। दिल्ली प्रशासन और भारत सरकार की नागरिकों के प्रति यह जिम्मेदारी है कि वे इन दोनों प्राधिकरणों के कर ढाँचे में तालमेल बैठाये।

बांडुंग में आयोजित चाय निर्यातक देशों का सम्मेलन

1413. **श्री एस, एम. कृष्ण : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में बांडुंग में चाय निर्यातक देशों का एक सम्मेलन हुआ था; यदि हां, तो क्या इसमें भारत का प्रतिनिधित्व था;

(ख) क्या इस सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था कि चाय के अन्तर्राष्ट्रीय विपणन में कोटा व्यवस्था आरम्भ की जाये; और

(ग) यदि हाँ, तो भारत के चाय निर्यात में इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हाँ। चाय निर्यातक देशों का एक सम्मेलन 5 से 9 मई, 1980 तक बांडुंग में हुआ और भारत इसमें भाग लेने वालों में से एक था।

(ख) तथा (ग) सम्मेलन में मुख्यत: निर्यात कोटाओं पर आधारित पूर्ति प्रबन्ध की प्रणाली लागू करने की प्रस्थापनाओं पर विचार किया गया। यह सहमति व्यक्त की गई कि इस प्रश्न के कुछ पहलुओं पर विश्वव्यापी कोटे के आबंटन को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व विचार करने की जरूरत होगी।

गैर-बैंकिंग कम्पनियों में जमा की गई राशियां

1414. **श्री जी. वाई. कृष्णन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग कम्पनियों में जमा की जाने वाली राशियों में अत्यधिक वृद्धि की ओर ध्यान दिया था तथा समस्याओं का समाधान करने के लिए एक समिति गठित की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो उस समिति की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है तथा जमा की गई राशियों को दुरुपयोग से बचाने के सम्बन्ध में समिति ने सरकार को क्या सिफारिशें प्रस्तुत की हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोत) : (क) और (ख) जून, 1974 में;

भारतीय रिजर्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, गैर बैंकिंग कम्पनियों द्वारा जमाएं स्वीकार करने की गतिविधियों पर नियंत्रण कराने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न अनुदेशों के उपबन्धों की जाँच करने तथा इन उपबन्धों को और अधिक कसने के लिए उपाए सुझाने के वास्ते श्री जेम्स एस० राज की अध्यक्षता में गैर-बैंकिंग कम्पनियों विषयक एक अध्ययन दल की नियुक्ति की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी कम्पनियों की गतिविधियाँ, जमा-कर्ताओं की राशियों की एक सीमा तक सुरक्षा प्रदान करने के अलावा, देश की मौद्रिक तथा ऋण नीतियों को नियंत्रित करने के लिए सहायक के रूप में, राष्ट्रीय हित में उपयोगी सिद्ध हों। इस अध्ययन दल ने जून, 1975 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस दल द्वारा की गई बहुत सी सिफारिशें जिनमें जमाएं स्वीकार करने के लिए अधिकतम अवधि का निर्धारण, कुछ मामलों में अधिकतम सीमाओं का पुनर्निर्धारण, नकद परिसम्पत्तियों को रखना तथा जन साधारण से जमा राशियों स्वीकार करने वाली वित्तीय तथा गैर-वित्तीय कम्पनियों द्वारा जारी विज्ञापनों में कुछ और विवरण देने जैसी सिफारिशें हैं। वर्ष 1978 में कम्पनियाँ (जमाएं स्वीकार करना) नियम, 19775 को संशोधित करके तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1977 में सशोधित निर्देश जारी करके पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी है।

इस दल द्वारा चिट फंड करोबार पर प्रतिबंध लगाने संबंधी की गई सिफारिश को भी इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) विधेयक, 1978 के अधिनियमन द्वारा कार्यान्वित किया जा चुका है तथा 12 दिसम्बर, 1978 से इसे लागू कर दिया गया है। यह अधिनियम, राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किया जाता है जिन्हें, रिजर्व बैंक के परामर्श से, इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं।

आयातित तांबा

1415. **श्री जनार्दन पुजारी : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ महीनों में आयातित तांबा उठाये जाने की गति बहुत असन्तोषजनक रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

पिछले कुछ महीनों के दौरान आयातित तांबे के उठाये जाने की गति, कुल मिलाकर, सामान्य रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम के पास आयातित खाद्य तेलों का स्टाक

1416. **श्री नवीन खाणी : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम के पास इस समय आयातित खाद्य तेलों का कितना स्टाक है और निगम ने गैर-सरकारी व्यापारियों को बिक्री के लिए उनकी सप्लाई कब से बन्द कर रखी है;

(ख) क्या यह सब है कि राज्य व्यापार निगम इन व्यापारियों से पुन: तेल की सप्लाई करने जा रहा है, यदि हाँ, तो कब से तथा किन शर्तों पर; और

(ग) राज्य व्यापार निगम ने अपनी नीति में उक्त परिवर्तन किन कारणों से किया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) 7-6-80 को आयातित खाद्य तेलों का भंडार, 2·91 लाख मि० टन है। 9 जनवरी, 1980 से निजी व्यापारियों को खाद्य तेलों की बिक्री बन्द कर दी गई है।

(ख) इस समय राज्य व्यापार निगम द्वारा निजी व्यापारियों को आयातित खाद्य तेल की बिक्री पुन: शुरू किए जाने का कोई विचार नहीं है। किन्तु देश में खाद्य तेलों की स्थिति पर सरकार निरन्तर निगरानी रखे हुए है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सेना लेखा विभाग के सेवा निवृत्त अधिकारियों द्वारा अभ्यावेदन

1417. **श्री आर. के महालगी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्री एम० ए० कुलकर्णी और अन्य सेवा निवृत्त अधिकारी रक्षा सेवा लेखा विभाग, पुणे (महाराष्ट्र) की ओर से प्रधान मन्त्री को सम्बोधित एक अभ्यावेदन मई, 1980 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ है जिसमें उनकी मांगें और समस्याओं का उल्लेख है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी क्या मांग है; और

(ग) सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्रधान मन्त्री के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उस पर कार्यवाही की जाएगी।

(ख) और (ग) : अभी प्रश्न नहीं ऊठता।

इंडियन ओवरसीज बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या

श्री चन्द्रपाल शैलानी : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डियन ओवरसीज बैंक में परिवार तथा क्षेत्र-वार काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा सभी वर्गों के पदों के सम्बन्ध में पूरा है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और पीछे से खाली चले आ रहे पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) और (ख) : 31 दिसम्बर; 1979 की स्थिति के अनुसार, प्रत्येक राज्य में इन्डियन ओवरसीज बैंक में अधिकारी, लिपिक और अधीनस्थ कर्मचारी की श्रेणी में कर्मचारियों की कुल संख्या दर्शाने वाला एक विवरण दिया गया है। उसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों की संख्या भी दी गई है।

(ग) और (घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए सुरक्षित कोटा पूरा नहीं है और सभी श्रेणियों, अर्थात् अधिकारियों, लिपिकों और अधीनस्थ कर्मचारियों के पद खाली

चले आ रहे हैं । हालांकि बैंक ने लिपिक वर्गीय संवर्ग (काडर) के खाली पदों को भरने के लिए अनुसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को पर्याप्त संख्या में आवंटित करने के लिए बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड़ों के पास मांग पत्र (इंडेंट) भेजे हैं और वह खाली चले आ रहे थोड़े से अधीनस्थ कर्मचारियों के पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती भी करेगा, फिर भी, जहां तक अधिकारियों का सम्बन्ध है खाली चले आ रहे पदों को भरना आसान नहीं है क्योंकि पदोन्नति कोटा को पूरा करने लिए पर्याप्त वरीयता वाले अधिकारियों की कमी है ।

विवरण

31 दिसम्बर, 1979 की स्थिति के अनुसार, प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में इन्डियन ओवरसीज़ बैंक की सेवा में अधिकारियों, लिपिकों और अधीनस्थ कर्मचारियों की श्रेणी में कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उसमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण ।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अधिकारी			लिपिक			अधीनस्थ कर्मचारी		
	कुल	जिसमें से		कुल	जिसमें से		कुल	जिसमें से	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	219	10	3	543	79	15	157	67	1
असम	12	2	1	33	12	8	10	4	—
बिहार	23	2	1	68	6	22	22	6	3
गुजरात	147	9	—	422	89	10	120	67	16
हरियाणा	24	1	—	85	25	—	20	13	—
हिमाचल प्रदेश	7	1	1	21	6	2	5	3	—
कर्नाटक	181	5	—	372	63	12	95	56	6
केरल	210	5	1	576	105	13	150	62	—
मध्य प्रदेश	15	1	1	65	14	8	14	4	2
महाराष्ट्र	268	9	1	688	141	13	190	79	9
मनीपुर	2	—	—	3	1	—	3	—	—
मेघालय	4	—	—	7	—	2	3	1	1
उड़ीसा	87	12	5	185	43	21	54	20	6
पजाब	95	14	2	360	96	1	83	44	1
राजस्थान	23	1	—	94	13	1	24	11	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तर प्रदेश	155	12	3	469	141	2	134	66	1
पश्चिम बंगाल	196	7	1	569	176	16	174	62	11
चण्डीगढ़	30	2	—	43	19	3	8	3	—
गोवा	26	1	—	58	7	—	19	5	—
नई दिल्ली	186	11	2	515	81	2	126	62	—
पाँडिचेरी	18	1	—	58	11	—	13	3	—
तमिलनाडु	1343	30	1	3911	871	43	856	293	3
जोड़	3271	136	23	9145	1999	194	2280	931	60

निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत नजर बन्द रखे गये व्यक्ति

1419 **श्री आचार्य भगवान देव** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निवारक निरोध अधिनियम के लागू होने के बाद उसके अन्तर्गत कितने जमाखोरों और चोर-बाजारी करने वालों तथा मुनाफाखोरों को नजर बन्द रखा गया है ।

नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

तीसरी विमान सेवा के अन्तर्गत आने वाले मध्य प्रदेश के नगर

1420. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बैरागढ़, बुढनी, दुर्ग, भिलाई, सतना, बस्तर नगरों सहित भोपाल, रीवा, ग्वालियर, जगदलपुर, रायपुर के औद्योगिकीकरण को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इन स्थानों को तीसरी विमान सेवा के अन्तर्गत लाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) तीसरी वायु सेवा के परिचालन तथा परिचालन किए जाने वाले स्टेशनों का सामान्य प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । तथापि, भोपाल, ग्वालियर तथा रायपुर पहले से ही इन्डियन एयरलाइन्स के मार्ग-तन्त्र में सम्मिलित हैं ।

हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम की मद्रास शाखा के लेखों की लेखा-परीक्षा

1421. **श्री निहाल सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हस्त शिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड की मद्रास शाखा ने अपने बैंक खातों तथा लेखों की नियमित रूप में लेख परीक्षा नहीं कराई है और न ही उसने माल खरीदने के लिए खुले टेंडर आमंत्रित किये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो कम्पनी कानूनों का उल्लंघन करने के लिये इस निगम के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) भारतीय

हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि० की मद्रास शाखा के लेखाओं की लेखा परीक्षा कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत आन्तरिक लेखापरीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा सरकारी लेखा-परीक्षकों (भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग) द्वारा की जाती है। लेखा-परीक्षकों द्वारा खुली निविदाएं आमन्त्रित किये बिना माल की खरीद के बारे में किसी गम्भीर अनियमितता की की सूचना नहीं दी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोककर कोयले का आयाय

1422. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने 5 लाख टन कोककर कोयले के तत्काल आयात किए जाने का अनुरोध किया है, और

(ख) : यदि हाँ तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है और उसमें कुल कितनी राशि व्यय होगी ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हाँ।

(ख) सरकार इस प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

एग्जीक्यूटिव उपयोग के लिए फर्मों द्वारा विमान का अर्जन

1423. **श्री के० मल्लाना** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने एग्जीक्यूटिव उपयोग के लिए विमान के अर्जन करने हेतु सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) जी हाँ।

(ख) आवेदकों के नाम और अन्य ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1977-78, 1978-79, 1979-80 और 1980-81 **के दौरान एग्जीक्यूटिव विमानों के आयात के लिये प्राप्त आवेदनों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण**

क्रमांक	आवेदक का नाम	प्राप्ति की तारीख	मामले की वर्तमान स्थित
1	2	3	4
1.	मैं० मानडेला एक्सपोर्टस प्रा. लि., बम्बई।	15-6-77	आवेदन अधूरा होने के कारण अस्वीकृति।
2.	मै. हैपी ट्रेवल्स प्रा, लि. बम्बई।	1-4-78	वही
3.	मै. टाटा सर्विसिज लि. बम्बई।	1-4-78	वही

1	2	3	4
4.	मै. किर्लोस्कर इलैक्ट्रिक कं. लि॰ बंगलौर ।	22-6-78	आवेदन वापिस ले लिया
5.	मै. सुसीन टैक्सटाइल्स, बियरिंग्स, बम्बई ।	11-4-79	निर्धारित समय के बाद प्राप्त होने के कारण स्वीकृत
6.	मै. ग्वालियर रेयन्स एण्ड सिल्क मैंयु. कं. लि., नई दिल्ली ।	1-4-78	वर्तमान आयात नीति में कोई प्रावधान न होने के कारण अस्वीकृत ।
7.	मै. बालारपुर इन्डसट्रीज, बालारपुर ।	1-5-78	वही
8.	मै. आर. के. मशीन टूल्स, लि. लुधियाना ।	20-2-78	वही
9.	मै. गरवारे नाइलोन्स, लि. बम्बई ।	18-5-79	वही
10.	मै. किर्लोस्कर आयल इन्जन्स लि., नई दिल्ली ।	5-4-79	वही
11.	मै. इन्डियन मेटल्स एण्ड फैरो-अलायस उड़ीसा	20-6-78	वही
12.	मै, मेकनल एण्ड मागौर लि. कलकत्ता ।	22-6-78	वही
13.	मै. अलेम्बिक केमिकल्स वर्क्स कं. लि., नई दिल्ली ।	1-4-78	वर्तमान आयात नीति में कोई प्रावधान न होने के कारण अस्वीकृत ।
14.	मै. टाटा आयरन एण्ड स्टील कं. लि., बम्बई ।	24-7-78	वही
15.	मै. ज्योति लि., बड़ौदा ।	1-4-78	वही
16.	मै. लखशाय मिल्स कं. कोयबम्टुर	6-7-78	वही
17.	मै. टाटा सर्विसिज लि.	28-2-79	वही
18.	मै. तत्काल आटोमोबाइल्स लि. कलकत्ता ।	1-4-78	वही
19.	मै. रेमण्ड वूलन मिल्स लि. थाना ।	28-8-79	वही
20.	मै. विन्टेयर, नई दिल्ली ।	20-9-79	वही
21.	श्री आर. जे. जी. ली. ब्रिटेन मार्फत वर्ल्ड बैंक, नई दिल्ली ।	4-8-79	वही
22.	गोल्डन सन प्रविएशन, बम्बई ।	25-9-79	निर्धारित समय के बाद प्राप्त होने के कारण अस्वीकृत

रबड़ उत्पादकों में लगी हुई बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

1424. **श्री डी. पी. जवेजा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रबड़ और रबड़ उत्पादों में लगी हुई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम क्या क्या हैं;

(ख) क्या देश में रबड़ उद्योग के राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) ऊन कम्पनियों के नाम जिन पर 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी स्वामित्व है और जो रबड़ और अथवा रबड़ उत्पादों का कारोबार कर रही हैं, नीचे दिये जाते हैं :

(1) डनलप इंडिया लि०, कलकत्ता।

(2) बम्बई टायर्स इन्टरनेशनल लि०, बम्बई।

(3) सीएट टायर्स आफ इंडिया लि०, बम्बई।

(4) गुड ईयर इंडिया लि०, कलकत्ता।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी-मुद्रा के भंडार और भारतीय रिजर्व बैंक के पास सोने का स्टाक

1425. **डा. सुब्रमणियम स्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1977 में और जुलाई, 1979 में किसी भी तारीख को विदेशी-मुद्रा का भंडार कितना था तथा इस समय कितना है; और

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पास मार्च, 1977 में और जुलाई, 1979 में किसी भी तारीख को सोने का स्टाक कितना था और इस समय कितना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) 31 मार्च 1977 को विदेशी मुद्रा भण्डार में (सोने और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़ कर) 2862.99 करोड़ रुपए की और 31 जुलाई, 1979 को 5333.89 करोड़ रुपए की और 6 जून, 1980 को 4857.90 करोड़ रुपए की राशि थी।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम विभाग के पास 31 मार्च 1977 को 2225 टन, 31 जुलाई, 1979 को 2601 टन और 6 जून, 1980 को 2663 टन सोने का स्टाक था।

सस्ते कपड़े के उत्पादन एवं वितरण की योजना

1426. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की सस्ते कपड़े के उत्पादन एवं वितरण की योजना संकट में है;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र ने केवल 330 लाख हैक्टेयर सस्ते कपड़े का उत्पादन किया जब कि समझौते के अनुसार कम से कम 420 लाख हैक्टेयर का उत्पादन किया जाना था;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय कपड़ा निगम का कार्यकरण भी असन्तोषजनक है;

(घ) क्या समझौते के अनुसार 25 प्रतिशत के व्यापार सीमान्त का उत्पादकों द्वारा अधिकतर उल्लंघन किया जा रहा है चूंकि उम्दा कपड़े का बाजार चढ़ रहा है; और

(ङ) क्या सस्ते कपड़े सम्बन्धी समझौते को कार्यान्वित करने के लिसे सांविधिक व्यवस्था का होना आवश्यक है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) : सस्ते कपड़े की योजना निजी क्षेत्र की मिलों तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों दोनों द्वारा स्वेच्छित आधार पर चलाई जाती है । सितम्बर, 1979 से अप्रैल, 1980 तक के अतन्तिम आँकड़ों के अनुसार प्रति माह 42 मिलियन मीटर के लक्ष्य की तुलना में निजी क्षेत्र से औसत उत्पादन लगभग 31 मिलियन मीटर और राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों का औसत उत्पादन लगभग 25.5 मिलियम मीटर रहा है ।

(घ) वस्त्र आयुक्त द्वारा किये गये सर्वेक्षण में वताया गया है कि कुल मिला कर मिलें 25 प्रतिशत के व्यापार मार्जिन का कड़ाई से पालन कर रही हैं । ऐसे उदाहरण जहाँ मिलों ने कुछ किस्मों के लिये 25 प्रतिशत से अधिक वसूल किया है, नोटिस में आये हैं ।

(ङ) ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है

भारतीय पटसन निगम के कार्यकरण में सुधार

1427. **श्री चित्त वसु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) उत्पादकों से अपरिष्कृत पटसन की खरीद, पटसन उद्योग को सप्लाई तथा निर्यात के सम्बन्ध में भारतीय पटसन निगम का पिछले दस वर्षों का कार्यरण क्या है ; और

(ख) भारतीय पटसन निगम के कार्यकरण में और सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) 1971 में, निगम की स्थापना से लेकर अब तक पटसन की वसूली, विक्री और निर्यात के वर्षवार आँकड़े दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) निगम ने सहकारी समितियों को अधिक संख्या में शामिल करके तथा प्राथमिकता बाजारों से खरीद को बढ़ाकर अपेक्षित कीमत समर्थन कार्य करने की योजना बनाई है । निगम घरेलू तथा विदेशी दोनों बाजारों में बिक्री के लिये एक उचित विवणन नीति का भी अनुसरण करेगा ।

विवरण

1971-72 से पटसन की वसूली, विक्री और निर्यात के वर्षवार आँकड़े दर्शाने वाला विवरण ।

वर्ष	वसूली	आन्तरिक विक्री (180 किग्रा० की हजार गाँठों में)	निर्यात
1971-72	3.9	0.7	68.2
1972-74	89.3	186.4	27.9
1973-74	724.8	825.0	196.8
1974-75	560.9	523.0	398.6
1975-76	580.7	967.0	121.1

1976-77	813.4	939.5	16.8
1977-78	67.7	123.4	18.2
1978-79	830.8	1.9	27.7
1979-80	868.5	210.0	कुछ नहीं

(अनुमानित)

कच्चे पटसन के थोक व्यापार का सरकारीकरण

1428. **श्री ज्योतिमय बसु : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलवाने के लिए यदि सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

(ग) क्या सरकार कच्चे पटसन के सारे थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने के बारे में विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सरकार पटसन तथा मेस्टा की विभिन्न किस्मों तथा ग्रेडों के लिए कानूनी न्यूनतम कीमत निर्धारित करती है। भारतीय पटसन निगम सहकारी समितियों को अपेक्षाकृत अधिक संख्या में शामिल करके प्राथमिक बाजारों आदि से लगातार तेजी से खरीदारी करके अपेक्षित कीमत समर्थन कार्य करने में अपनी भूमिका निभायेगा ।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस अवस्था में ऐसा करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

नकली नोटों का मुद्रण

1429. **श्री मूल चन्द डागा : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) अब तक वर्ष 1979-80 के दौरान देश में नकली नोटों के मुद्रण सम्बन्धी कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) कितने मामलों में सजा दी गई है; और

(ग) देश में नकली नोटों के मुद्रण की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या उपाय किए है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) केन्द्रीय जांच कार्यालय (सेंट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन) से मिली जानकारी के अनुसार पहली अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 के बीच की अवधि में देश भर में, जाली नोटों के जो मामले दर्ज हुए उनकी कुल संख्या 295 थी।

(ख) जिन मामलों में दण्ड दिया जा चुका है, उन माममों की संख्या उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी देश भर की समूची अदालतों से इकट्ठी करनी पड़ेगी। इस कार्य में अत्यधिक समय तथा परिश्रम लगेगा किन्तु प्रयोजन बहुत ही कम सिद्ध होगा।

(ग) जाली करेंसी नोट बनाने से सम्बन्धित अपराधों के लिए कानून में कड़ी सजा की व्यवस्था की गई है। राज्य पुलिस के अधिकारी इस संबन्ध में बराबर जागरूक रहते हैं और किसी भी व्यक्ति के द्वारा जाली नोट तैयार किए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस छापे मारती

है। केन्द्रीय जांच कार्यालय भी, जाली नोट बनाए जाने के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न तकनीकों का रेकार्ड रखकर और जाली भारतीय करेंसी के जाहिर होने स्थिति की सावधनिक समीक्षा करके, जाली करेंसी बनाए जाने की समस्या का बराबर अध्ययन करता रहता है। कार्यालय के आर्थिक अपराध प्रभाग में, जाली करेंसी बनाए जाने के गम्भीर अपराधों की जांच पड़ताल करने तथा राज्यों में जांच-पड़ताल की कार्यवाहियों का समन्वय करने के लिए एक 'कक्ष' भी स्थापित किया गया है।

आयकर निरीक्षकों की 'ड्यूटी लिस्ट'

1430. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग में आयकर निरीक्षकों की 'ड्यूटी लिस्ट' अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो आयकर निरीक्षकों की ड्यूटी सूची तैयार न किये जाने के क्या कारण और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सामने यह सूची कब से विचाराधीन है;

(ग) क्या निरीक्षकों के लिए कार्य अध्ययन शुरू कर दिया गया है; और

(घ) इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) और (ख) आयकर निरीक्षकों की ड्यूटी सूची अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई है और इसे शीघ्र जारी किए जाने की सम्भावना है।

(ख) निरीक्षकों की ड्यूटी सूची जारी करने के पश्चात् निरीक्षकों से सम्बन्धित कार्य-अध्ययन शुरू किया जाएगा।

(घ) कार्य-अध्ययन का फायदा तभी होगा, जब नई ड्यूटी सूची के आधार पर कार्य आना निश्चित हो जायगा। इस अध्ययन में बहुत समय लगने की सम्भावना है क्योंकि इस कार्य में कम से कम 6 महीने लगेंगे। इसके पूरा होने के बारे में, अभी कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया जा सकता।

मिश्र इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर

1431 **श्री नीरेन घोष** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिश्र इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर की कोल्ड स्टेनलैस स्टील का उत्पादन करने की कोई प्रारम्भिक योजना थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इतने समय से उत्पादन न करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) दुर्गापुर के मिश्र-इस्पात कारखाने में पहले से कोल्ड रोल्ड स्टेनलैस स्टील का उत्पादन हो रहा है। इसके लिए वर्ष 1968-69 में एक मिल लगाई गई थी

मुद्रा स्फीति की दर

1432 **डा० फारूक अब्दुल्ला** :

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या वित्त मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुद्रास्फीति की दर गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत से भी आगे बढ़ गई है;

(ख) क्या 17 मई, 1980 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पिछले सप्ताह के 237.1 की तुलना में 239.00 हो गया था;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस स्तर पर सूचकांक पिछले सप्ताह की तुलना में 0.8 प्रतिशत अधिक था जोकि एक रिकार्ड है;

(घ) यदि हां, तो इस अभूतपूर्व वृद्धि के मुख्य कारण है; और

(ङ) यह वृद्धि किन मदों में हुई और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये ?

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई वारोत) : (क) 17 मई, 1980 को, थोक कीमतों के सूचक अंक (1970-71=100) के अनुसार आँकी गई मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 20.3 प्रतिशत थी। 31 मई, 1980 को समाप्त हुए सप्ताह के सम्बन्ध में उपलब्ध सबसे हाल के सूचक अंक के आधार पर, मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 19.4 प्रतिशत बैठती है।

(ख) तथा (ग) : थोक कीमतों के अ अंक में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, अर्थात् 10.5 1980 को समाप्त हुये सप्ताह में यह सूचक अंक 237.1 था। किन्तु 17.5.1980 को समाप्त हुए सप्ताह में यह अंक बढ़कर 239.0 हो गया। 0.8 प्रतिशत की यह वृद्धि सर्वोच्च स्तरीय नहीं थी पिछले वर्ष एक सप्ताह में जो सर्वोच्च स्तरीय वृद्धि हुई वह 7.7.1979 को समाप्त हुए सप्ताह में उससे पूर्ववर्ती सप्ताह की तुलना में 2.5 प्रतिशत की थी।

(घ) मौसमी दबावों के अलावा, 17 मई 1980 को समाप्त हुए सप्ताह में कीमतों में होने वाली वृद्धि के मुख्य कारणों में से, पेट्रोलियम, कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस समूह की कीमतों में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि का होना भी एक कारण है।

(ङ) उन वस्तुओं का एक विवरण संलग्न है जिनके कारण 17 मई 1980 को समाप्त हुए सप्ताह में ज्यादातर कीमतों में वृद्धि हुई सरकार ने मुद्रा स्फीति की रोकथाम के लिए जो विभिन्न उपाय किए हैं उनकी चर्चा आर्थिक समीक्षा 1979-80 में दी गई है, जिसे 13 जून 1980 को सभा-पटल पर रख दिया गया है। अग्रेतर उपाय, समुपस्थित प्रवृत्तियों को दृष्टि में रखते हुए आवश्यकतानुसार किए जाएगे।

विवरण

उन वस्तुओं की सूची जिनके आधार पर 17-5-1980 को समाप्त हुए सप्ताह में थोक कीमतों के सूचक अंक (1970-71=100) में ज्यादातर वृद्धि हुई :

वस्तु	प्रतिशत वृद्धि
खाद्यान्न	1.4
फल और सब्जियां	1.5
तेलहन	0.6
पेट्रोलियम, कच्चा तेल तथा प्राकृतिक गैस	11.1
चीनी, खांडसारी तथा गुड़	1.6
खाद्य तेल	0.4
चमड़ा और चमड़े के उत्पाद	3.1
रसायन तथा रासायनिक उत्पाद	0.8
बिजली की मशीनरी	0.8

प्रोड्यूसर्स कमेटी फार हाऊस बिल्डर्स

1433 **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण के माध्यम से नई दिल्ली में प्रोड्यूसर्स कमेटी फार हाऊस बिल्डर्स कार्य कर रही हैं,

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं,

(ग) इस समिति के कृत्य क्या हैं, और

(घ) क्या इस समिति के लिए कार्य करने के लिये नियुक्त कर्मचारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण के वेतन रजिस्टर में (पे रोल) हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी ,हां। भवन निर्माताओं के लिए उत्पादकों की एक समिति है जिसकी बैठकें बारी-बारी से उत्पादकों के कार्यालयों में होती है।

(ख) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि०, टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य हैं।

(ग) समिति की बैठक तीन मुख्य उत्पादकों में से एक के कार्यालय में सप्ताह में एक बार होती है। समिति का कार्य, संयुक्त संयत्र समिति द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार भवनों और मकानों, निजी मकान निर्माताओं, सहकारी समति के सदस्यों की ओर से सहकारी भवन निर्माण समितियों, जन उपयोगी भवनों के निर्माण के लिए इस्पात के आवंटन हेतु प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार करना है।

(घ) इस कार्य के लिए समिति ने अलग से कर्मचारी नियुक्त नहीं किए हैं। मुख्य उत्पादक अपने क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों में उपलब्ध कर्मचारियों से ही यह काम लेते हैं।

आयकर आयुक्तों का सम्मेलन

1434 **प्रो. अजीत कुमार मेहता** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में आयकर आयुक्तों का तीन दिवसीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त सम्मेलन में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें यह निर्णय किया गया कि बड़े मामलों पर अधिक ध्यान दिया जाये न कि अपेक्षाकृत कमराशि के कर निर्धारण अथवा वेतनभोगी लोगों पर शक्ति बरबाद की जायें;

(घ) उद्योगवार बड़े मामलों का चयन करने का क्या मानदण्ड होगा; और

(ङ) उन कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकार का क्या करने का विचार है जिनके विरुद्ध 1 करोड़ रुपये से अधिक राशि वाले करापवंचन के मामलों की पहले ही जांच की जा रही है। आयकर अधिकारियों ने उनका कर निर्धारण किया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोत) : (क) जी, हाँ। आयकर आयुक्तों का वर्ष 1980 का वार्षिक सम्मेलन 12 से 14 मई, 1980 के दौरान तीन दिन के लिए नई दिल्ली में हुआ।

(ख) सम्मेलन में और उसके परिणामत: लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का सारांश संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) चाहे उद्योग अथवा कारोबार किसी भी तरह का चलाया अथवा किया जा रहा हो इस तरह के सभी बड़े मामलों की विस्तृत रूप से छानबीन प्रारम्भ की जायेगी।

(ङ) इस प्रकार के सभी मामलों में जहाँ कहीं आवश्यक होगा कानून के अंतर्गत उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी, जिसमें दण्ड लगाने/ इस्तगासे की कार्यवाही भी शामिल है।

विवरण

आयकर आयुक्तों के वर्ष 1980 के सम्मेलन में और उसके परिणामत लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का सारांश

1. आयकर विभाग की वर्ष 1980-81 की कार्य योजना को अन्तिम रूप दिया गया। विभिन्न प्रकार के कार्य को पूरा करने के लिए त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित किए गए। कार्य योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, महत्वपूर्ण कम्पनी मामलों, तलाशियों और अभिग्रहण कार्यवाहियों, अन्य बड़े मामलों और अपेक्षाकृत छोटे मामलों में से यादच्छिक आधार पर छानबीन के लिए चुने गए मामलों की सम्यक् जांच करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कर-निर्धारण अधिकारियों के लिए वास्तविक कार्य मानक निर्धारित किए गए हैं।

2. विभागीय अधिकारी चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही का एक बड़ा भाग गृह-व्यवस्था कार्य में लगायेंगे।

3. आयकर की वकाया को कम करने के लिए बकाया करों की माँग और साथ ही चालू माँग में से वसूली/घटौती के लक्ष्यों को अन्तिम रूप दिया गया। जनवरी 1981 के दूसरे पखवाड़े में एक 'कर की बकाया और वापसी वेबाकी पखवाड़ा' मनाया जाएगा। जहाँ कहीं व्यवहार्य होगा, वसूली से सम्बन्धित जटिल मामलों में प्रथक आयकर अधिकारी नियुक्ति करने की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाएगा। जहाँ कहीं अदा नहीं किए गए कर की बड़ी मांगें अन्तर्ग्रस्त हों, वहाँ अपीलों/भेजे गए मामलों के बिना बारी आये ही सुनवायी कराने के प्रयास किए जायेंगे।

4. अग्रिम अदायगियों और स्रोत पर की गई कर की कटौतियों पर नियंत्रण व्यवस्था को कड़ा किया जाएगा।

5. ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है, जिनमें आसूचना एककों को और प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए सक्षम बनाने की दृष्टि से आधुनिक उपकरण देने की व्यवस्था है, उच्चतर गुप्त सूचना एकत्र करने के लिए एक संगठन स्थापित किया जाएगा, इस संगठन का उपयोग ऐसे मामलों की फाइलें (डोसियर्स) तैयार करने के लिए भी किया जाएगा जिनमें बड़े पैमाने पर कर अपवंचन अन्तर्ग्रस्त हो।

6. तलाशी लेने और छापे मारने की कार्यवाही में तेजी लाने के लिए आयुक्त, कानून के अन्तर्गत अनुमत्य सशक्त उपाय करेंगे। वे अपने अधिकार-क्षेत्र में कार्य कर रहे अधिकारियों में से ऐसे व्यक्तियों को चुनेंगे, जो उद्योग के विशेष क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले मामलों को निपटाने के मामले में विशेषज्ञ समझे जाते हों। जिन मामलों में बड़े पैमाने पर कर अपवंचन का संदेह हो, उनकी पूर्ण रूप से जाँच की जाएगी। विशेष रूप से उन मामलों में जिनमें राजस्व

की भारी रकम अन्तर्ग्रस्त हो अथवा जानबूझकर कर अपवंचन का प्रयास किया गया हो, अधिक से अधिक संख्या में इस्तगासे की कार्यवाही करने का भरसक प्रयत्न किया जाएगा। ऐसे मामलों का प्रचार के विभिन्न माध्यमों से उपयुक्त प्रचार किया जाएगा, जिनमें किसी व्यक्ति का, किसी कर-सम्बन्धी अपराध के लिए, उस पर मुकदमा चलाये जाने पर दोषी ठहराये जाने के तुरन्त बाद, कर अपवंचन प्रमाणित हो गया हो।

7. कर लगने योग्य आय का उपयोग करने वाले अधिक से अधिक व्यक्तियों को कर-व्यवस्था के अन्तर्गत लाने के लिए, पिछले वर्ष आरम्भ किये गए सर्वेक्षण-कार्य को जारी रखा जाएगा, ताकि सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को 31 मार्च, 1982 तक उसमें शामिल किया जा सके।

8. कर-निर्धारितियों को, अपनी आय की स्वेच्छा से, पूर्ण और सही घोषणा करने के लिए तथा ऐसे मामलों में अर्थदण्ड/ब्याज को माफ करने/घटाने से संबंधित कानूनी उपबन्धों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

9. मुकदमेबाजी को कम करने के उपाय किये जाएंगे। बढ़ा-चढ़ा कर किये गए कर-निर्धारणों तथा उसके परिणामत: जमा हो गई कर की निरर्थक बकाया का निवारण करने की दृष्टि से आयकर अधिकारी को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144 क के अधीन किसी निश्चित आय सीमा, से अधिक एकतरफा कर-निर्धारन पूरा करने से पहले अपने निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त से मार्ग दर्शन प्राप्त करना होगा। आयकर अपीलीय न्यायधिकरणों के समक्ष विभाग का प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था भी सुदृढ़ की जाएगी।

10. वित्त (सं० 2) विधेयक, 1980 पारित हो जाने के बाद एक करदाता सूचना कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। साथ ही समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार किया जाएगा, जिसमें कर-निर्धारितियों से अनुरोध किया जाएगा कि वे विचाराधीन पड़े भूल-सुधार दावों आदि के विवरण प्रस्तुत करें। इस सूचना का शीघ्र उपयोग करने की व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जाएगा। कर दाताओं द्वारा पहले ही जा चुकी अदायगियों का समायोजन करने के लिए एक अभियान भी चलाया जाएगा।

11. आयकर अधिकारियों के लिए, विशेष रूप से जाँच के क्षेत्र में अनेक प्रशिक्षण कार्य-क्रमों का आयोजन किया जाएगा।

12. इस समय अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सीधे निरीक्षण में कार्य कर रहे शिकायत कक्ष के समान ही आयकर आयुक्तों के सभी अधिकार-क्षेत्रों में शिकायत कक्ष स्थापित किये जाएंगे।

श्रीनगर हवाई अड्डे पर 'धातु-खोजक' यंत्र (मेंटल डिटेक्टर) का कार्यकरण

1436. **श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीनगर हवाई अड्डे की नई चुंगी बिल्डिंग में लगा 'धातु खोजक' यंत्र काम नहीं कर रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि पुरानी बिल्डिंग में लगे धातु खोजक यंत्र को अभी तक नई बिल्डिंग में स्थानान्तरित नहीं किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) श्रीनगर हवाई अड्डे पर इसकी सीमावर्ती स्थिति होने की दृष्टि से, सुरक्षा प्रबन्धों में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) श्रीनगर में नये टर्मीनल भवन का 'मेटल डिटेक्टर', जिसे पुराने टर्मीनल भवन से शिफ्ट किया गया था, पुराना है और इसकी उपयोगिता कम हो गई है। इसे नया काम्प्लेक्स चालू होने के समय वहाँ शिफ्ट नहीं किया गया था, और उसे बाद में 11-6-1980 को वहां लगाया गया था। एक नया 'डोर फ्रेम मैंटल डिटेक्टर' मंगाने के लिए पक्के आदेश पहले ही दिये जा चुके हैं, और इसके श्रीनगर स्थित नये टर्मीनल भवन में जुलाई, 1980 के मध्य तक स्थापित कर दिए जाने की आशा है। इसके आलावा, तीन हाथ में लेने वाले 'मैंटल डिटेक्टरों' की भी अगस्त, 1980 तक व्यवस्था कर दी जाएगी।

(घ) सुरक्षा प्रबन्धों का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है। मई, 1980 में, नागर विमानन सुरक्षा के निदेशक ने श्रीनगर की यात्रा की और जम्मू व काश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया तथा विमान क्षेत्र सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए और अधिक उपाय लागू करने का निर्णय किया।

रेल वैगनों की कमी से चाय का निर्यात प्रभावित होना

1437. **श्री आनन्द पाठक : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि रेल वैगनों की कमी से चाय का निर्यात प्रभावित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) रेलवे वैगनों की कमी की वजह से चाय के निर्यातों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क विभाग में फील्ड अफसरों के स्थानान्तरण सम्बन्धी मार्गदर्शी नियम

1438. **कुमारी कमला कुमारी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क विभाग में फील्ड अफसरों के स्थानान्तरण के बारे में कोई मार्गदर्शी नियम बनाये हैं और यदि हाँ, तो उक्त आदेशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी;

(ख) क्या यह सत्य है कि ऐसे आम आदेशों के बावजूद कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें अधिकारी किसी न किसी रूप में 10 वर्ष से भी अधिक समय से एक ही रेंक पर कार्यरत है;

(ग) क्या उन अधिकारियों को तैनात रखे रहने के लिए उनके पदनामों को बदला जा रहा है तथा उन्हें नये नाम दिये जा रहे हैं और पदों को सीनियर टेक्निकल आफिसर, इंस्पेक्टिंग आफिसर, अवर सचिव, नाम दिये जा रहे हैं और उक्त आदेशों को प्रभावहीन करने के लिए तथा उक्त अफसरो को एक ही रेंक पर बनाये रखने के लिए पद प्रति पद पर बारी-बारी लगाया जा रहा है;

(घ) स्थानान्तरण सम्बन्धी उक्त आम आदेशों के अधिलंघन को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत :) (क) ऐसे कोई औपचारिक आदेश/अनुदेश नहीं हैं जिनमें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क विभाग के ग्रुप 'क' के अधिकारियों के एक स्थान पर टिके रहने की अवधि निर्धारित की गई हो। फिर भी, सहायक समाहर्ता, उप समाहर्ता और समाहर्ता के स्तर के अधिकारियों का भारत में कहीं भी स्थानान्तरण किया जा सकता है और आमतौर पर उन्हें लगभग 4 वर्ष की अवधि के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है। किन्तु, कभी-कभी, प्रशासनिक कारणों से और वास्तविक कठिनाई वाले मामलों में यह अवधि घट-बढ़ भी सकती है।

(ख) कुछेक ऐसे मामले हैं जिनमें अधिकारी सामान्य कार्यकाल के बाद भी उसी स्थान पर काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मामलों के पीछे अधिकारियों का भिन्न-भिन्न हैसियतों में काम करना और कार्य-हित जैसे ही कारण होते हैं।

(ग) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, निरीक्षी अधिकारी और अवर सचिव के पद, उस संगठन को, जिसमें ये पद विद्यमान हैं, और किए जाने वाले काम के स्वरूप को देखते हुए पदनोनित किये गग हैं। निरीक्षी अधिकारी ग्रुप 'क' और वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के पद भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादनशुल्क सेवा ग्रुप 'क' के संवर्ग का ही एक अंग है जबकि सभी मंत्रालयों/विभागों के संबंध में अवर सचिव के पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए नाम-सूची (पैनल) कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा तैयार की जाती है। इसलिए, जो अधिकारी निरीक्षी अधिकारी अथवा वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के पद पर तैनात हो, उसका अवर सचिव के पद पर चयन हो जाने पर, उसकी तैनाती दिल्ली में ही बनी रह सकती है।

(घ) उपर्युक्त (क), से (ग) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

मिश्र-इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर के पास स्टेनलैस स्टील के बिना बिके स्टाक की मात्रा का बढ़ जाना

1439. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :**

श्री नीरेन घोष : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मिश्र-इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर के पास स्टेनलैस स्टील के बिना बिके स्टाक में वृद्धि हो रही है;

(ख) 1977-78,1978-79 और 1979-80 के दौरान कुल कितना बिना बिका स्टाक था और उसी अवधि में, वर्षवार उस पर कितनी हानि हुई;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस स्थिति के लिए सयंत्र के प्रबन्धकों उत्तरदायी हैं; और

(घ) उत्पाद के लिए बाजार बढाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) वेदाग इस्पात की चादरों और प्लेटों के स्टाक की स्थिति नीचे दी गई है :—

अवधि	कुल स्टाक
	(टन)
1·4·78	925
1·4·79	1587
1.4.80	2850

इस स्टाक पर हानि होने की सम्भावना नहीं है क्योंकि यह स्टाक कुछ समय में बिक जाएगा और इस सामग्री के मूल्य में कमी होने की भी कोई सम्भावना नहीं है।

(ग) स्टाक इकट्ठा हो जाने का मुख्य कारण यह है कि वेदान इस्पात की मांग घट गई है।

(घ) आयात शुल्क तथा आयात नीति के सम्मिलित प्रयासों से बेदाग इस्पात के देशीय उत्पादकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

हरिजन और आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

1440. **श्री छोटू भाई गामित :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा हरिजनों और आदिवासियों के प्रभावी क्षेत्रों में ब्याज की कम दर पर दिए गए ऋणों की राशि से सम्बन्धित सूचना एकत्र कर ली है; और

(ख) यदि हाँ, तो गुजरात राज्य को दिए गए ऐसे ऋण की राशि का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) संभवतः माननीय सदस्य, 'विभेदी ब्याज दर योजना' के अन्तर्गत दिये जाने वाले अग्रिमों का जिक्र कर रहे हैं। इस योजना के अतर्गत बैंकों को यह परामर्श दिया गया है कि वे अपने अग्रिमों का कम से कम 40 प्रतिशत अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को प्रदान करें।

(ख) सितम्बर, 1979 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिए गए अग्रिमों की बकाया राशि 856·98 लाख रुपये थी जबकि राज्य में इस योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋणों की कुल बकाया राशि 1332·38 लाख रुपए थी। इस प्रकार, गुजरात राज्य में इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियाँ अनुसूचित जनजातियों को दिये गये अग्रिमों की राशि कुल अग्रिमों के 64·3 प्रतिशत के बराबर थी।

20-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टेट बैंक आफ इण्डिया की योजनायें

1441. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री पी. एम. सईद : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं पर चालू कैलेण्डर वर्ष के दौरान 200 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक योजना के अन्तर्गत कितनी राशि खर्च की जायेगी; और

(ग) इन योजनाओं को कब लागू किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) (ख) और (ग) भारतीय स्टेट बैंक ने वर्ष 1980 में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अस्थाई तौर पर लगभग 247 करोड़ रुपए के ऋण का विस्तार करने की योजना बनाई है। योजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए है :—

	करोड़ रुपए
1. बिजली बोर्डों/ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के बाँडों/ऋणपत्रों में अभिदान	35
2. उचित दर की दुकानों, उपभोक्ता सहकारी समितियों, सुपर बाजारों और अत्यावश्यक वस्तुओं के खुदरा व्यापारियों का वित्तपोषण।	20
3. जिन खेतिहर मजदूरों को अधिशेष भूमि आवंटित की गई है उनका, जिन लोगों को मकान बनाने के लिए जमीन आवंटित की गई है उनका, मुक्त बंधुआ मजदूरों का और ग्रामीण कर्ज चुकाने के लिए छोटे और सीमांतिक किसानों का वित्तपोषण।	106
4. लघु सिंचाई	45
5. बिलजी कार्यक्रम की गति तेज करने के लिए सहायता	15
6. हथकरघा क्षेत्र में बुनकरों को सहायता	10
7. छात्रावासों में छात्रों को मानक कपड़े अत्यावश्यक वस्तुएं, किताबें, लेखन सामग्री आदि सप्लाई करने वाले संभरकों को सहायता	4
8. राष्ट्रीय परमिट प्राप्त करने वाले परिवहन चालकों को सहायता	12
जोड़	247

जिन खेतिहर मजदूरों को अधिशेष भूमि और मकान बनाने के लिए जमीन आवंटित की गई है उनको और मुक्त बंधुआ मजदूरों को सहायता देने की योजनाएं, इनके लाभान्वितों का पता लगाने के बाद तैयार की जाएगी और उन्हें कार्यान्वित किया जायेगा। अन्य योजनाएं पहले से चल रही हैं।

मध्य प्रदेश हमीदपुर रोड तथा जावरा में स्थित चीनी मिलों को उत्पादन शुल्क में छूट

1443. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में हमीदपुर रोड तथा जावरा स्थित चीनी मिलों को उत्पादन शुल्क में कोई छूट दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत चीनी उत्पादन प्रोत्साहन छूटों की ओर है, जिनकी सरकार द्वारा समय-समय पर घोषणा की जाती है। यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में चीनी के सम्बन्ध में कोई भी प्रोत्साहन छूट योजना लागू नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में महीदपुर रोड और जावारा स्थित चीनी मिलों को वर्ष 1975 के बाद इस प्रकार की कोई प्रोत्सासन छूट नहीं दी गई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों से अनुसूचित जातियों को ऋण

1444. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वित्त मन्त्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्षों को अनुसूचित जातियों को जल्दी ऋण देने और यह ऋण प्राप्त करने की बाधाओं को दूर करने के लिए की जा रही कार्यवाही के बारे में सूचना देने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो समाज के कमजोर वर्गों को गाँवों में विशेष रूप से उड़ीसा राज्य में ऋण देने के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य-निष्पादन का ब्यौरे क्या है ?

वित्त मन्त्राय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) (क) : सरकार और रिजर्व बैंक ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को उत्तरोत्तर अधिक ऋण देने के संबंध में प्रयास करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं। अभी हाल में सरकारी क्षेत्र के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को यह बताने के लिए कहा गया है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है।

(ख) जून, 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में स्थित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण और अर्ध नगरीय शाखाओं द्वारा दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि 95.03 करोड़ रुपये थी। आंकड़े सूचित करने की प्रणाली के अन्तर्गत, "कमजोर वर्ग के लोगों" को दिये जाने वाले अग्रिमों के आँकड़े एक अलग वर्ग के रूप में नहीं दिखाये जाते। परन्तु विभेदी ब्याज की दर योजना के अन्तर्गत, जो कमजोर वर्ग के लिए सबसे अधिक कमजोर लोगों के लिए है, जून, 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा में स्थित सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गए अग्रिमों की बकाया राशि 2.75 करोड़ रुपये थी।

भारतीय पटसन निगम का कार्य

1445. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम की गतिविधियों को न्यूनतम मूल्य बनाये रखने के कार्य तक सीमित रखने का निर्णय किया गया है;

(ख) क्या वर्ष 1979-80 में भारतीय पटसन निगम की 60 प्रतिशत से अधिक खरीद सांमविधिक न्यूनतम मूल्य स्तर पर की गई और घटिया पटसन नहीं खरीदा गया; और

(ग) क्या भारतीय पटसन निगम के खरीद कार्यों को सुदृढ़ बनाकर तथा उनका प्रचार करने के उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ग) सरकार द्वारा, भारतीय पटसन निगम के कार्यों की समीक्षा निरन्तर की जाती है। निगम द्वारा पुवर्गत 2 वर्षों में खरीदे गये कच्चे पटसन के अत्याधिक भण्डार एकत्र हो जाने के कारण निगम की गतिविधियां चालू वर्ष के दौरान बारीकी से संवीक्षा करते समय ध्यान में आई। भारतीय पटसन निगम को अपनी वाणिज्यिक खरीद नीतियाँ घरेलू तथा विदेशी बाजार दोनों में स्टाक बेचने की इसकी

क्षमता के अनुसार तैयार करनी पड़ेगी। किन्तु भारतीय पटसन निगम अपेक्षित मूल्य समर्थन कार्य करने में अपनी भूमिका निभाता रहेगा।

(ख) भारतीय पटसन निगम ने बताया है कि वर्ष 1979-80 में की गई इसकी खरीदारियों में 61 प्रतिशत खरीदारियाँ कानूनी न्यूनतम कीमत पर की थी जिसमें से 45 प्रतिशत निचले ग्रेड के पटसन तथा मेस्टा की थीं।

सार्वजनिक जमा योजना के अन्तर्गत औद्योगिक उपक्रमों द्वारा कदाधारों में सलंग्न होना

1446. **श्री गुलाम रसूल कोचक :**

श्री चित्त बसु :

श्री पी० एम० सईद : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने कुछ औद्योगिक उपक्रमों द्वारा सार्वजनिक जमा योजना के अन्तर्गत कुछ कदाचारों में सलंग्न होने के बारे में जांच करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में काफी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) वे शिकायतें क्या हैं ?

(घ) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि औद्योगिक उपक्रम ब्याज का भुगतान करने और जमाकर्ताओं के मूलधन के मामले में धोखाधड़ी करते हैं;

(ङ) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने शिकायतों का सर्वेक्षण किया है और इस बारे में जांच की है; और

(च) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) गैर बैंकिंग गैर वित्तीय कम्पनियों के मामले में कम्पनियों द्वारा जमा के लिये रकमें स्वीकार करने की व्यवस्था का विनियमन. कम्पनी कार्य विभाग द्वारा प्रकाशित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 58 क और कम्पनी (जमा के लिए रकमें स्वीकार करना) नियम 1975 के उपगन्धों द्वारा और गैर बैंकिंग विविध तथा वित्तीय कम्पनियों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये जाने वाले निर्देशों द्वारा किया जाता है। परिपक्वता की अवधि पूरी होने पर जमा राशियों को वापस न किए जाने का/अथवा उनपर ब्याज की अदायगी न किए जाने के बारे में समय-समय पर सरकार को तथा रिजर्व बैंक को कुछ गैर बैंकिंग गैर वित्तीय कम्पनियों के खिलाफ जमाकर्ताओं से शिकायतें मिली हैं। परन्तु न तो सरकार को और न ही रिजर्व बैंक को कोई ऐसा कानूनी अधिकार प्राप्त है जिससे वे अलग अलग जमाकर्ताओं को उनकी जमा रकमों को वापस करने और/अथवा उन रकमों पर ब्याज की अदायगी करने के लिए व्यतिक्रम करने वाली कम्पनियों को बाध्य कर सकें। जमा के लिए रकमें स्वीकार करना, जमाकर्ता और सम्बन्धित कम्पनी के बीच एक करार है और करार के भंग होने के मामले में न्याय की शरण ली जा सकती है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कालीकट हवाई अड्डे के निर्माण के लिए धनराशियों का उपबंध

1447. **श्री ई. के. इम्बीची बाबा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि कालीकट हवाई अड्डे के निर्माण हेतु 2.5 करोड़ रुपये की लागत की एक परियोजना रिपोर्ट मंत्रालय को पेश की गई थी परन्तु कार्य आरम्भ करने के लिये चालू वर्ष में कोई धनराशि नहीं रखी गई;

(ख) क्या यह सच है कि इस परियोजना पर व्यय की जाने वाली धनराशि को कर्नाटक में मंगलौर हवाई अड्डे के लिये दे दिया गया है; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार इस बात को देखने के लिये शीघ्र कदम उठाने का है कि कालीकट हवाई अड्डे के निर्माण को गति दी जाये जिसमें पहिले ही बहुत विलम्ब हो चुका है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) कालीकट के निकट एक ऐसे विमान क्षेत्र के निर्माण के लिए जो एच. एस. 748 अथवा उस प्रकार के किसी अन्य विमान से परिचालन के लिए उपयुक्त हो 2.52 करोड़ रुपये की राशि के व्यय के प्राक्कलन पर, सरकार स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्रिय रुप से विचार कर रही है। निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए चालू वर्ष (1980-81) में एक प्रतीक स्वरुप व्यवस्था की गयी है। कालीकट विमान क्षेत्र की परियोजना के लिए आवंटित किन्हीं भी निधियों को मंगलौर विमानक्षेत्र के विकास की परियोजना के लिए परिवर्तित नहीं किया गया है।

इंजीनियरी समान के निर्यात में कमी

1448. **श्री पी. एस. सईद :**

श्री पी. के. कोडियन :

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि गत वर्ष नवम्बर-दिसम्बर में, जब निर्यात क्रमश: 2 से 4 प्रतिशत बढ़ा था, थोड़ा सा सुधार दर्शाने के बाद इंजीनियर्स समान के निर्यात में पुन: कमी आई है;

(ख) यदि हाँ तो क्या इस वर्ष जनवरी में इसमें 15 प्रतिशत की भारी कमी हुई है;

(ग) क्या 1979-80 के गत दस महीनों के अन्तिम समस्त आँकड़े अप्रैल, 1978-79 की तुलना में 19 प्रतिशत की कमी दर्शाते हैं;

(घ) यदि हाँ, तो इस कमी के मुख्य कारण क्या है;

(च) जनवरी-अप्रैल, 1979 के दौरान किन मुख्य चीजों के निर्यात में यह कमी आई; और

(ङ) इंजीनियरी समान के निर्यात में सुधार लाने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) : जी हाँ।

(घ) 1979-80 के दौरान इंजीनियरी माल के निर्यात में गिरावट के मुख्य कारण ये हैं : इस्पात, कच्चा लोहा, एल्यूमिनियम, कोक, कोयला, हाई स्पीड डीजल आयल, भट्टी के तेल आदि जैसे अनिवार्य अन्तर्निविष्ट साधनों की कमी, बिजली की सप्लाई में रूकावट, पतनों पर भीड़भाड़

जहाजरानी सम्बन्धी सुविधाओं आदि की कमी जैसी अवस्थापना सम्बन्धी कठिनाइयों, श्रमिक समस्याओं तथा देश में इंजीनियरी उद्योग में सामान्य गिरावट।

(ङ) इस अवधि के दौरान जिन मुख्य मदों में गिरावट आई वे ये हैं : औद्योगिक संयंत्र तथा मशीनें, इस्पात के ढांचे, बिजली के तार तथा केबल, इस्पात के पाइप तथा ट्यूबे, ब्राइट बार्स फैरस होलो वायर, सैनेटरी कास्टिंग्स तथा एल्यूनियम उत्पाद।

(च) वाणिज्य विभाग ने इंजीनियरी माल के निर्यात उत्पादन में लगे एककों के लिये इस्पात कच्चा लोहा, लोहा, एल्यूमिनियम, कोक, कोयला, हाई स्पीड डीजल आयल, बिजली आदि जैसे अनिवार्य कच्चे माल तथा अन्तर्निविष्ट साधनों की सप्लाई के लिये इस मामले को सम्बन्धित मन्त्रालयों के समाने उठाया है। पतनों पर भीड़ भाड़, जहाजरानी जैसी सुविधाओं आदि की कमी जैसी अवस्थापना सम्बन्धी कठिनाइयाँ को सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके दूर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य विभाग, इंजीनियरी माल का निर्यात बढ़ाने के लिये विदेशों में व्यापार मेंले लगाने तथा उनमें भाग लेने, चुनिन्दा देशों को व्यापार प्रतिनिधिमंडल तथा बाजार सर्वेक्षण दल भेजने, इजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से निर्यातकों को बाजार जानकारी वितरित करने जैसे बहुत से निर्यात सवर्धन उपाय कर रहा है।

आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई के लिए ईरान सरकार का अनुरोध

1449. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं और इंजीनियरी की वस्तुओं की शीघ्र सप्लाई करने के लिए ईरान सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखजी) :(क) तथा (ख) हाल के महीनों में सरकार को ऐसे संकेत मिले हैं कि ईरान को कई मदों की तत्काल आवश्यकता है, इनमें ये शामिल हैं : कृषितथा खाद्य उत्पाद, औषधियाँ तथा भैषजीय पदार्थ तथा इंजीनियरी समान। सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों के संबंधित संगठनों से कहा गया है कि वे अपेक्षित अनुवर्ती कार्यवाही करने के लए सप्लाईयाँ करने की संभावनाओं का पता लगाएं।

जयपुर में स्टील यार्ड

1450. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयपुर का वर्तमान स्टील यार्ड व्यापारियों तथा जनता, दोनों के लिए असुविधाजनक है, अधिकांश समय यह बन्द पड़ा रहता है और भारी वाहनों के लिए अनुपायुक्त है,

(ख) क्या केन्द्र का जयपुर में रेलवे ट्रैक के साथ एक स्टील-यार्ड की स्थापना करने का विचार है, और

(ग) यदि हाँ, तो, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) स्टाकयार्ड कार्यालय के समय खुला रहता है। यह स्टाकयार्ड सभी सम्बन्धित पहलुओं जिसमें ग्राहकों की सुविधा, रेलवे साइडिंग की उपलब्धि आदि को ध्यान में रखकर सबसे अच्छे स्थान पर खोला गया है।

(ख) और (ग) स्टाकयार्ड आदि खोलने के मामले वाणिज्यिक किस्म के हैं जिनका निर्णय उत्पादक विभिन्न सम्बन्धित पहलुओं को ध्यान में रखकर स्वयं करते हैं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सेल के विचाराधीन नहीं है।

चित्तूर जिले में सोने की खानें

1451. **श्री पी. राजगोपाल नायडू :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चित्तूर जिले में विसनट्म खानों में सोना मिला है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इन खानों का विकास करने पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) चित्तूर जिले की विसनट्म स्वर्ण खान में 1893 से 1956 तक रुक-रुक कर खुदाई होती थी। लेकिन गत 24 सालों से यह खान बन्द है और उसे पुन: चालू करने या विकसित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के मुख्यालय में काम कर रहे तदर्थ कर्मचारी

1452. **टी. एस. नेगी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के मुख्यालय में कितने तदर्थ कर्मचारी काम कर रहे हैं,

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी 240 दिन अथवा इनसे अधिक दिनों से निरन्तर सेवा कर रहे हैं,

(ग) उनमें से कितने कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है, और

(घ) 240 दिन की निरन्तर सेवा पूरी कर चुकने वाले शेष कर्मचारियों को नियमित न करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का संकेत दैनिक मजदूरी पर कार्य रहे कर्मचारियों की ओर है। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में 22 व्यक्ति दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे हैं।

(ख) सेल के मुख्यालय में दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे 22 कर्मचारियों में से 9 कर्मचारियों की नियमित सेवा अवधि 240 दिन अथवा अधिक हो गई है। इनमें से 2 कर्मचारी तृतीय श्रेणी के तथा 7 कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के हैं।

(ग) उपरिलिखित 9 कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी को भी नियमित नहीं किया गया है।

(घ) तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को इसलिए नियमित नहीं किया गया क्योंकि भूत में इस श्रेणी के लिए कर्मचारी भर्ती करते समय इनके नाम बेरोजगार कार्यालय से नहीं आए थे। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को इसलिए नियमित नहीं किया गया क्योंकि इस श्रेणी में कोई पद खाली नहीं था।

कर सम्बन्धी विशेष छानबीन के लिए कतिपय व्यापार और उद्योग का चयन

1453. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कर सम्बन्धी विशेष छानबीन के लिए कतिपय ऐसे व्यापार और उद्योगों का चयन करने का विचार है, जिनमें कालाबाजारी जोरों पर है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से व्यापार हैं, जिनमें कालाबाजारी का पता लगाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हां।

(ख) जिन व्यापारों और उद्योगों में कर अपवंचन और कालाबाजारी बड़े पैमाने पर होती है, उनका पता लगाया जा रहा है तथा चयन किया जा रहा है। उसके बाद उनकी विस्तृत रूप से छानबीन और जांच पड़ताल की जायेगी। ऐसे व्यापारों और उद्योगों के नाम बताना लोकहित में नहीं है।

सीमाशुल्क के भुगतान के बिना वस्तुओं का आयात और निर्यात

1454. **श्री तारिक अनवर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ व्यापारी सीमाशुल्क अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके सीमाशुल्क का भुगतान किये बिना वस्तुओं का आयात और निर्यात करते हैं तथा बिना "नोट" करवाये देश में विदेशी मुद्रा लाते हैं तथा इसे देश से बाहर ले जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में सही स्थिति को जानने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) सीमाशुल्क आधिकारियों के साथ सांठ-गांठ, सीमाशुल्क की चोरी, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के मामलों का समय-समय पर पता लगता ही है और इन पर संगत कानूनों के अधीन कार्यवाही भी की जाती है। परन्तु हाल ही में सरकार की जानकारी में ऐसे कोई मामले नहीं आए हैं जिनमें किसी पारी ने सीमाशुल्क अधिकारियों के साथ सांठ-गाँठ करके माल का, उस पर लगने योग्यगय सीमाशुल्क अदायगी किये बिना, आयात अथवा निर्यात किया हो तथा बिना नोट करवाये विदेशी मुद्रा देश में लाया हो और देश से बाहर भी ले गया हो।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) सीमाशुल्क हवाई अड्डों और सीमाशुल्क समुद्रपत्तनों दोनों पर ही कड़ी निगरानी रखी जाती है जिससे सीमाशुल्क अधिकारियों के साथ साँठ-गाँठ करके अथवा उसके बिना आयात और निर्यात के घोखाधड़ी पूर्ण मामलों का पता लगाया जा सके। प्रश्न के भाग (क) के संदर्भ में, यदि ऐसे कोई विशिष्ट मामले हुए हों, तो कानून सम्मत उचित कार्यवाही हेतु ऐसे मामले सरकार के ध्यान में लाए जाने पर, उनकी और आगे जांच की जा सकती है।

बस्तर में खनिज पदार्थ

1455. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बस्तर जिले में भारी मात्रा में खनिज पदार्थ हैं और वेलाडिला

लोहा अयस्क खानों को छोड़कर, रावघाट के निकट भिलाई के दक्षिण में लगभग 7200 लाख टन का एक अन्य भारी निक्षेप है जिसकी किस्म उतनी अच्छी है जितनी वेलाडिला की; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार पर उसकी प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हाँ रौघाट लोह अयस्क निक्षेप में 8300 लाख टन अयस्क होने का अनुमान है। इन निक्षेपों में लौह अंश सामान्यत: वेलाडिला निक्षेपों के लौह अंश के समान है । रौघाट निक्षेप भिलाई इस्पात कारखाने के समीप होने के कारण उसे भिलाई इस्पात कारखाने की लौह अयस्क की दीर्घकालीन जरूरतों की पूर्ति का भावी स्रोत माना जा सकता है।

हल्दी पर निर्यात शुल्क

1456. **श्री जी. नरसिन्हा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दी पर निर्यात-शुल्क किस तारीख से लगाया गया था और उससे कुल कितनी आय हुई;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि निर्यात शुल्क लगाये जाने के बाद इसके बाजार के भाव बहुत घट गए, जिसके परिणामस्वरूप कृषकों पर प्रत्यक्षत: प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

(ग) क्या इस बात की भी जानकारी है कि हल्दी के वर्तमान बाजार भाव कृषकों के लिए लाभकारी नहीं हैं और इसलिए वे हल्दी नहीं उगा रहे हैं और इसकी कमी होती जा रही है; और

(घ) क्या उनका निर्यात शुल्क हटाने का विचार है, ताकि इस देश के हल्दी उत्पादक इस वर्ष हल्दी की फसल उगा सकें ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) हल्दी पर निर्यात शुल्क 20 जनवरी, 1979 से लगाया गया था इस लेवी से निम्नलिखित राजस्व प्राप्त हुआ :

अवधि	लाख रुपये
1978-79 (मार्च, 1979 तक)	62
1979-80 (अनन्तिम)	532
1980-81 (बजट अनुमान)	700

(ख) और (ग) यह सही है कि हल्दी के मूल्यों में गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण उत्पादन में बढ़ोतरी होना है जो कि वर्ष 1977-78 में 126.3 हजार मीट्रिक टन से बढ़ कर 1978-79 में 146.8 हजार मीट्रिक टन हो गया। निर्यात शुल्क के बावजूद दिसम्बर, 1979 तक 18,800 मीट्रिक टन से भी अधिक हल्दी का निर्यात किया किया गया जबकि पूरे 1979-80 वर्ष के लिए 11,000 मीट्रिक के निर्यात का लक्ष्य था। उत्पादकों को मिलने वाली कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी अथवा सहकारी ऐजेन्सियों द्वारा अच्छी कीमतों पर खरीद किए जाने जैसे अन्य तरीके अपनाने पड़ सकते हैं।

(घ) हल्दी पर पड़ने वाले निर्यात शुल्क के प्रभावों की निरन्तर समीक्षा की जाती है ।

मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का सौंदर्यीकरण

1457. एन. के. शेजवलकर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को और अधिक सुन्दर और आकर्षक बनाने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जो अभी तक उपेक्षित हैं;

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को अधिक सुन्दर और आकर्षक बनाने के लिए कोई उपाय नहीं किये गये। तथापि राज्य सरकार ने खजुराहो के सम्बन्ध में, इस पर्यटक केन्द्र पर सुविधाओं के विकास को विनियमित करने की दृष्टि से एक महा योजना (भूमिप्रयोग योजना) तैयार की है। इस महा योजना भूमि प्रयोग योजना में पर्यावरण सम्बन्धी सुधार हेतु किए जाने वाले उपाय भी शामिल हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कपास और रेशे के सूत (स्टेपल यार्न) के मूल्य में वृद्धि

1458. **श्री जैनुल बसर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कपास और रेशे के सूत (स्टेपल यार्न) के मूल्यों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में अनेक बुनकर बेरोजगार हो गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो मूल्यों की रोकथाम तथा उन्हें 1977 के स्तर पर वापिस लाने के लिए क्या उपाय किए गये हैं; और

(ग) बुनकरों को सूत (यार्न) का उचित वितरण करने के लिए सरकार और क्या उपाय करने के बारे में विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) रुई तथा स्टेपल यार्न की कीमतों में मुख्य रूप से कताई मिलों पर भारी बिजली की कटौतियाँ लागू किये जाने से उत्पादन में गिरावट के कारण कुछ सीमा तक वृद्धि हुई है।

(ख) तथा (ग) : कीमतों पर निगरानी रखने तथा बुनकरों को यार्न का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण उपाय किये गये हैं, वे ये हैं :

(1) स्वेच्छिक व्यवस्थाओं की मार्फत आई. सी. एम. एफ. से सम्बद्ध निजी मिलें इस बात के लिए सहमत हो गई हैं कि राज्यों में स्थित सरकारी वितरण अभिकरणों को मिल से निकलते समय की कीमतों पर प्रति माह 23,000 गाँठे दी जायें;

(2) राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा राज्य के नियंत्रणाधीन कताई मिलों ने मिलों के गेटों तथा महत्वपूर्ण केन्द्रों पर डिपु बिक्री केन्द्र खोल दिये हैं ताकि बुनकरों को मिल कीमतों पर यार्न की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(3) राज्यों में स्थित शीर्ष हथकरघा सहकारी समितियों तथा हथकरघा विकास निगमों को शेयर पूंजी अंशदान के रूप में सहायता दी जा रही है ताकि निजी तथा सरकारी क्षेत्र की मिलों से सीधी खरीद करके बुनकरों को यार्न का वितरण किया जा सके।

(4) उद्योगक को बेकार तकुओं का उपयोग करने की अनुमति दी गई है और 40 काउन्टों तक भी कताई के लिए वेस्ट कताई यूनिटों को छूट दी गई है।

सोवियत संघ के सहयोग वाले इस्पात संयंत्रों में उत्पादन में व्यवधान

1459 डा. बसन्त कुमार पंडित : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के उप प्रधान मन्त्री, श्री आई. बी. आरवीपोय के साथ मार्च, 1980 में हुई बातचीत के दौरान सोवियत रूस के सहयोग से बनाये इस्पात संयंत्रों में उत्पादन में व्यवधान के प्रश्न पर बातचीत की गई थी, और

(ख) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सोवियत रूस के सहयोग से भारत में लगाये गये किसी भी इस्पात कारखाने के उत्पादन में व्यवधान नहीं आया है। निस्सन्देह, कुछ आवश्यक आदानों जैसे कोयला और बिजली की अपर्याप्त उपलब्धि के कारण सभी इस्पात कारखानों में उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अत. मार्च, 1980 में सोवियत रूस के उप प्रधान मंत्री माननीय आई. वी. आर्खीपोव के साथ "व्यवधान" के बारे में बातचीत करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल के मल्लापुरम जिले के किंजाट्टुर में बैंकिंग सुविधायें

1460. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य के मल्लापुरम जिले के किजाट्टुर और दोहाथुर नामक क्षेत्रों में कोई बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या इन क्षेत्रों के कृषकों, व्यापारियों और दूसरे लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तथा साथ ही इन क्षेत्रों के लोगों लोगों को आने वाले विदेशी धन में वृद्धि के कारण इन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की माँग बढ़ती जा रही है; और

(ग) बैंकिंग आवश्यकतायें पूरी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : भारतीय रिजर्व बैंक बैंककारी सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में जिलावार सूचना रखता है। परन्तु उसने यह सूचित किया है कि साउथ मालावार ग्रामीण बैंक की एक शाखा बट्टातूर में 22 फरवरी, 1978 से कार्य कर रही है। आशा है कि यह बैंक किजाट्टुर में भी एक शाखा खोलेगा।

(ख) और (ग) रिजर्व बैंक ने यह बताया है कि हालांकि ग्रामीण और अर्ध-नगरीय जनसंख्या के आधार पर बैंक कारी व्याप्ति के अनुसार मल्लापुरम कमी वाला जिला नहीं है फिर

भी उसने राज्य सरकार द्वारा इस जिले में सुझाये गय 23 केन्द्रों में शखायें खोलने के लिए बैंकों को अनुमति दी है।

उड़ीसा में "चार्जड क्रोम प्लांट" स्थापित करना

1461 **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में "चार्जड क्रोम प्लांट्स" स्थापित करने के लिए किन फर्मों को आशय-पत्र जारी किये गये हैं, और

(ख) क्या पार्टियों ने अपने व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं और इन एककों द्वारा क्या उत्पादन आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) उड़ीसा में चार्ज क्रोम संयंत्र स्थापित करने के लिए दो इकाइयों अर्थात् मेसर्स उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लि० भुवनेश्वर और मेसर्स फैरो एलाय कारपोरेशन लिमिटेड को आशय-पत्र जारी किए गए हैं।

(ख) पार्टियों ने अपनी-अपनी शक्यता रिर्पोट प्रस्तुत कर दी है। दोनों पार्टियों ने बताया है कि इन संयत्रों में आशय-पत्र जारी करने की तारीख से तीन वर्षों में उत्पाद आरम्भ हो जायेगा। अतः उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड और फैरो एलाय कारपोरेशन लिमिटेड के दोनों संयंत्रों में उत्पादन क्रमशः 26.4.1982 और 12.11.1982 को आरम्भ होने की सम्भावना है।

कोको के बीजों का आयात

1462. **श्री ए. ए. रहीम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की क्या कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने भारत सरकार को तार भेजकर अनुरोध किया है कि केरल के बड़ी संख्या में कोको उत्पादकों को बचाने के लिए कोको के बीजों का और आयात न करने दिया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस गम्भीर समस्या से निपटने के लिए तत्काल क्या कार्यवाही की गई है जिससे लघु तथा सीमान्त कोको उत्पादकों की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) आंकड़े एकत्र करने के बाद मामले की जाँच की जाएगी।

कनाडा से कृषि ऋण

1463. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाडा ने कृषि ऋण के लिए भारत को कर्ज देना मंजूर कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो कर्ज की राशि क्या होगी; और

(ग) उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोत) : (क) से (ग) भारत सरकार और

कनाडा की सरकार के बीच 15 मार्च, 1980 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए जिसके अंतर्गत कनाडा ने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के कृषि और सम्बन्ध क्षेत्रों के कार्यक्रमों के अधीन पुनर्वित्त संबधी क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए 2.5 करोड़ कनाडी डालर (17.45 करोड़ रुपए) का ऋण दिया है। इन कार्यक्रमों में लघु सिंचाई, कृषि सेवा केन्द्र, पशु पालन, वन-पालन, अन्तर्देशीय मीन उद्योग, छोटे मछुओं के लाभ के लिए समुद्री मीन उद्योग, गोबर गैस संयंत्र आदि शामिल है।

यह ऋण ब्याज, वचनबद्धता और सेवा प्रभार से मुक्त है और इसकी वापसी अदायगी की अवधि 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित 50 वर्ष की है।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण

श्री वी. एस. विजयराघवन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार निर्धन लोग कुछ कारोबार चालू करने हेतु बैंकों से ऋण ले सकते हैं; और

(ख) क्या कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक इन ऋणों को नहीं दे रहे हैं, यदि हाँ, तो सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से निर्धन लोगों के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु क्या कार्यवाही की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मगन भाई बरोत) : (क) और (ख) बैंक, स्वनियोजन और अन्य उत्पादक कार्यकलापों के लिए कमजोर वर्गों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऋणकर्ताओं का उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में वित्तपोषण करते रहे हैं। सरकार ने यह निर्णय किया है कि बैंकों को 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए तथा, अगले पांच वर्षों में, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए अपने ऋण के अंश को कुल ऋण के 33.3 प्रतिशत से बड़ा कर 40 प्रतिशत कर देना चाहिए। 20 सूत्री कार्यक्रम को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से कार्य प्रणालियां तैयार की जा रही हैं और उसके बाद बैंककारी संस्थाओं को उपयुक्त परामर्श दिया जाएगा।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

1465 **श्री ए. नीलोहिथादसन :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** निम्न जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों से (1) खाद्य समुद्री उत्पादों (2) अखाद्य समुद्री उत्पादों यथा समुद्री वनस्पति का 1987-78 में 1979-80 के दौरान कुल कितने मूल्य का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) विवरण संलग्न है।

विवरण

विभिन्न राज्यों के अलग-अलग बन्दरगाहों द्वारा हुए खाद्य तथा अखाद्य समुद्री उत्पादों के निर्यात निम्न प्रकार हैं :

मूल्य लाख रु० मात्रा मे० टन में

बन्दरगाह	वर्ष		खाद्य	अखाद्य	सभी उत्पाद
केरल	1977-78	मात्रा	29509	310	29819
		मूल्य	7733.39	11.25	7744.64
	1978-79	मात्रा	31591	710	32301
		मूल्य	9365.48	34.73	9399.51
	1979-80	मात्रा	29932	602	3054
		मूल्य	10350.18	42.88	10393.06
महाराष्ट्र	1977-78	मात्रा	13367	1474	4841
		मूल्य	3006.26	33.35	3039.61
	1978-79	मात्रा	14849	1397	16245
		मूल्य	3228.45	51.29	3279.74
	1979-80	मात्रा	1223	449	12772
		मूल्य	3843.12	10.43	3853.55
तमिलनाडु	1977-78	मात्रा	7930	79	8009
		मूल्य	2394.84	5.26	2400.10
	1978-79	मात्रा	10869	58	10927
		मूल्य	3188.44	4.87	3193.31
	1979-80	मात्रा	8517	88	8605
		मूल्य	2956.51	9.54	2966.05
प० बंगाल	1977-78	मात्रा	2842	10	2852
		मूल्य	1474.88	0.69	1475.57
	1978-79	मात्रा	2857	34	2891
		मूल्य	1716.24	2.77	1719.01
	1979-80	मात्रा	1250	—	1250
		मूल्य	910.00	—	910.0
कर्नाटक	1977-78	मात्रा	4160	399	4559
		मूल्य	1176.33	9.36	1185.69
	1978-79	मात्रा	3720	359	4079
		मूल्य	1218.59	16·85	1235.44
	1979-80	4650	मात्रा	125	4775
		मूल्य	1647.18	4.57	1651.75
आंध्र प्रदेश	1977-78	मात्रा	2722	25	2747
		मूल्य	1189.98	0.78	1190.76

	1978-79	मात्रा 3192	25	3213
		मूल्य 1843.02	1.68	1844.70
	1979-80	मात्रा 3764	5	3769
		मूल्य 2335.48	0.16	2335.64
गुजरात	1977-78	मात्रा 2403	98	2501
		मूल्य 773.06	2.72	775.78
	1978-79	मात्रा 4064	100	416
		मूल्य 1134.16	2.20	1136.36
	1979-80	मात्रा 4623	100	4723
		मूल्य 977.85	3.01	980.86
उड़ीसा	1977-78	मात्रा 638	—	638
		मूल्य 282.89	—	282.89
	1978-79	मात्रा 2221	—	2221
		मूल्य 1241.48	—	1241.48
	1979-80	मात्रा 2346	—	2346
		मूल्य 1238.92	—	1238.92
अण्डमान	1977-78	मात्रा —	—	—
		मूल्य —	—	—
	1978-79	मात्रा 10852	—	10852
		मूल्य 412.72	—	412.72
	1979-80	मात्रा 17627	—	176.27
		मूल्य 552.57	—	552.57
योग	1977-78	मात्रा 63571	2396	65967
		मूल्य 18031.64	63.41	18095.05
	1978-79	मात्रा 84215	2679	86894
		मूल्य 23348.58	113.69	23462.27
	1979-80	मात्रा 85032	1369	86401
		मूल्य 24811.81	70.59	24882.40

इस्पात संयंत्रों को कोक कोयले की असन्तोषजनक आपूर्ति

1466. **श्री के. प्रधानी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या सरकार को पता है कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में कोक कोयले की उपलब्धता सन्तोषजक न होने से अब वह गम्भीर हो गई है जिसके कारण कोक भट्टियों को क्षति पहुँचने की सम्भावना है; और

(ख) : यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) : जी, हाँ ।

(ख) कोक भट्टियों को हानि होने से बचाने के लिए सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में ओवन पुशिंग को कारखाने में प्राप्त हुए कोककर कोयले की मात्रा के अनुसार विनियमित किया जाता है । इसके अलावा कोककर कोयले की देशीय आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं । देशीय आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए कोककर कोयला आयात करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

भारत में वनस्पति का उत्पादन

1467. श्री के. ए. राजन : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 के दौरान भारत में वनस्पति का कुल कितना उत्पादन किया गया;

(ख) वर्ष 1979-80 में भारत में वनस्पति का अनुमानतः कितना उत्पादन किया गया;

(ग) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर और टाटा का वनस्पति उत्पादन में कितना-कितना भाग था; और

(घ) क्या सरकार के पास 1975-76 से 1979-80 तक के प्रत्येक वर्ष के बारे में वनस्पति उद्योग के लाभ अथवा हानि के संबंध में ब्यौरा है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौर क्या है ।

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 1974-75 के दौरान भारत में कुल 352,589 मीटरी टन वनस्पति का उत्पादन हुआ ।

(ख) 1979-80 के दौरान भारत में लगभग 6.18 लाख मीटरी टन वनस्पति का उत्पादन होने का अनुमान है ।

(ग) वनस्पति के कुल उत्पादन में मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर और टाटा का भाग नीचे दिया गया है :

	1974-75	1979-80
हिन्दुस्तान लीवर	5.3%	5.2%
टाटा	0.8%	0.3%

(घ) जी नहीं ।

केन्द्रीय सरकार की राज्यों पर उधार राशि

1468. श्री नरायण चन्द्र पराशर : क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय संघ के उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन पर केन्द्र सरकार का कर्ज है तथा प्रत्येक मामले में कर्ज की वाकी राशि कितनी है;

(ख) कर्ज की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या ऐसे भी कोई उदाहरण है जहाँ कर्जे की अदायगी संतोषपूर्ण न रही हो ; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोत) : (क) : 31 मार्च, 1979 तक की सूचना देने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) से (घ) : राज्य सरकारों द्वारा कर्ज की वापसी विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार की जाती है। केन्द्र सरकार के, राज्य सरकरों की तरफ 31 मार्च, 1979 तक वकाया कर्ज सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समेकित किऐ जा रहे हैं । बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर तथा त्रिपुरा के मामले को छोड़कर समेकन की स्कीम कार्यान्वित कर दी गई है तथा समेकित कर्ज की शर्तों के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा वापसी की व्यवस्था की जा रही है । उपर्युक्त चार राज्य के मामले में, केन्द्रीय कर्जों के समेकन के प्रयोजन के लिए आंकड़ों का आवश्यक मिलान उपलब्ध नहीं हो सका है तथा इस मामले में उनके साथ पत्र व्यवहार हो रहा है । इस दौरान ये राज्य सरकारें भी (जम्मू और कश्मीर सरकार को छोड़कर) तदर्थ भुगतान की व्यवस्था कर रही हैं ।

विवरण

केन्द्र सरकार के राज्य सरकारों की तरफ 31 मार्च 1979 तक * वकाया कर्ज ।

राज्य	(करोड़ रुपए)
I. आन्ध्र प्रदेश	1074.75
2. आसाम	601.89
3. बिहार	1243.26
4. गुजरात	530.59
5. हरियाणा	318.19
6. हिमाचल प्रदेश	153.21
7. उम्मू और कश्मीर	602.98
8. कर्नाटक	673.18
9. केरल	547.52
10. मध्य प्रदेश	741.46
11. महाराष्ट्र	1007.16
12. मणिपुर	57.16
13. मेघालय	25.03
14. नागालैण्ड	46.93
15. उड़ीसा	717.25
16. पंजाब	398.81
17. राजस्थान	964.85
18. सिक्किम	6.63

19.	तमिलनाडु	778.26
20.	त्रिपुरा	40.84
21.	उत्तर प्रदेश	1951.86
22.	पश्चिम बंगाल	1394.54
	जोड़ सभी राज्य	13876.35

* अनन्यिम आँड़े

रक्षा लेखा विभाग में अनुभाग अधिकारियों के लिए स्थानान्तरण नीति

1469. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा लेखा विभाग में अनुभाग अधिकारियों के लिए कोई स्थानान्तर नीति है;

(ख) यदि हां, तो रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना के अधीन अन्य कमानों के कितने अनुभाग अधिकारी नियुक्त किये गये हैं;

(ग) पटना कमान के कितने अनुभाग अधिकारी अपने राज्य के बाहर की अन्य कमानों में कार्य कर रहे हैं; और

(घ) क्या स्थानान्तरण तथा यात्रा भत्ते के खर्च से बचने के लिए उनके वहां ठहरने की चिन्ता किये बिना सरकार उन्हें अपने विभिन्न कमानों में वापस भेज देगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी हाँ। रक्षा लेखा विभाग के ग्रुप 'ग' श्रेणी के अधिकारियों के लिए, जिसमें अनुभाग अधिकारी (लेखा) शामिल हैं, स्थानान्तरण की एक नीति निर्धारित है। रक्षा लेखा विभाग के कर्मचारियों पर क्षेत्रीय सेवा के बंधन सहित अखिल भारतीय स्थानान्तरण का बंधन लागू होता है। रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के फील्ड क्षेत्रों सहित विभिन्न भागों में स्थित विभिन्न उप कार्यालयों में सभी उपलब्ध खाली पदों को भरने के प्राथमिक महत्व के साथ-साथ स्थानान्तरण नीति में निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाता है :—

(ख) 1. सावधिक केन्द्रों के रूप में वर्गीकृत विभिन्न केन्द्रों पर निर्धारित अवधि पूरी करने वाले व्यक्तियों को बदलने की आवश्यकता।

2. सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को बदलने की आवश्यकता।

3. सहानुभूति के आधार।

4. प्रशासनिक आधार।

(ख) से (घ) अनुभाग अधिकारी (लेखा) को किसी विशिष्ट कमांड का सदस्य होना निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा उनके संवर्ग का नियंत्रण अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है। तथापि, अपनी इच्छा के केन्द्र पर जो प्रायः उसी क्षेत्र में होते हैं जहां का संबंधित व्यक्ति निवासी होता है, स्थानान्तरण के लिए किए गए अनुरोध उस सीमा तक स्वीकार किए जाते हैं जहाँ तक वे प्रशासनिक दृष्टि से संभव होते हैं।

संगठन तथा पद्धति (आयकर) निदेशालय

1470. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संगठन तथा पद्धति (आयकर) निदेशालय में बहुत से अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना किसी औचित्य के नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि व्यय विभाग के कर्मचारी निरीक्षण एकक ने संगठन तथा पद्धति (आयकर) निदेशालय में कोई कार्य अध्ययन नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) संगठन तथा प्रबन्ध सेवा (आयकर) निदेशालय, विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहा है। इसके महत्वपूर्ण कार्यों में, मनुष्य शक्ति का अध्ययन, पद्धति का अध्ययन, प्रशासकीय योजना और फार्म नियंत्रण तथा डिजाइन तैयार करने सहित संगठनात्मक विकास शामिल हैं। संगठन तथा प्रबन्ध सेवा (आयकर) निदेशालय का कार्य प्राप्ति प्रधान नहीं है। संगठन तथा प्रबन्ध सेवा निदेशालय द्वारा हाथ में लिए जाने वाले अध्ययनों तथा परियोजनाओं में बहुत अधिक समय लगता है और उनमें बहुत अधिक अध्ययन तथा छानबीन की आवश्यकता होती है। निदेशालय को समय-समय पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सौंपे गये कार्य भी करने पड़ रहे हैं। अत: यह कहना उपयुक्त नहीं है कि संगठन तथा प्रबन्ध सेवा (आयकर) निदेशालय में बहुत-सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना किसी औचित्य के तैनात किया हुआ है।

(ख) तथा (ग) एक अध्ययन दल ने, संगठन तथा प्रबन्ध सेवा (आयकर) निदेशालय के कार्य निष्पादन-मूल्यांकन के अध्ययन का कार्य अपने हाथ में लिखा हुआ है। इसलिए इस संबध में और कोई कार्रवाई करना आवश्यक नहीं समझा गया।

माल्टिंग और शराब के निर्माताओं को दिए गए अग्रिम ऋण

1471. **श्री मतिलाल हसदा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूरे भारत में राज्यवार, माल्टिंग और शराब के निर्माताओं को कितनी राशि के अग्रिम ऋण दिए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : माल्टिंग और शराब निर्माताओं को दिए गए ऋणों के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु दिसम्बर, 1977 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा डिस्टिलरियों, ब्रूअरिओ आदि को दिए गए ऋणों की बकाया राशि का राज्यवार वितरण विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बकाया राशि (हजार रुपयों में)
1. उत्तरी क्षेत्र	987,19
हरयाणा	286,06
हिमाचल प्रदेश	16,24

जम्मू व कश्मीर	15,05
पंजाब	308,12
राजस्थान	24,66
चंडीगढ़	31,10
दिल्ली	305,96
2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	43,87
असम	43,64
मणिपुर	—
मेघालय	—
नागालैंड	—
सिक्किम	23
त्रिपुरा	—
अरुणाचल प्रदेश	—
मिजोरम	—
3. पूर्वी क्षेत्र	507,54
बिहार	94,96
उड़ीसा	241,34
पश्चिम बंगाल	271,24
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	—
4. केन्द्रीय क्षेत्र	829,40
मध्य प्रदेश	75,38
उत्तर प्रदेश	754,02
5. पश्चिमी क्षेत्र	960,11
गुजरात	73,99
महाराष्ट्र	788,59
दादर और नागर हवेली	788,59
गोआ, दमन और द्यू	—
6. दक्षिणी क्षेत्र	2111,89
आंध्र प्रदेश	261,43
कर्नाटक	928,36
केरल	91,08
तमिलनाडु	727,67
लक्षद्वीप	—
पांडिचेरी	103,35
अखिल भारत	5440,00

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

कोरापुट उड़ीसा में एल्यूमीना तथा एल्यूमिनियम के संयंत्र स्थापित करने के लिए फ्रांस से करार

1472. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कोरापुट, उड़ीसा में 1000 करोड़ रुपए की लागत का एक एल्यूमिना तथा एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करने के लिए फ्रांस के साथ एक करार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या फ्रांस सरकार इसका शतप्रतिशत वित्त पोषण करेगी अथवा कुछ वित्त फ्रांस सरकार लगाएगी और कुछ भारत सरकार खर्च करेंगी; और

(ग) फ्रांस सरकार से लिए जाने वाले ऋण की पुन: अदायगी की शर्तें क्या होंगी; क्या इसका भुगतान नकद राशि द्वारा होगा अथवा किस्त के रूप में यानी एल्यूमिना तथा एल्यूमिनियम से तैयार उत्पादों के रूप में ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) उड़ीसा में पूर्वी घाट वाक्साइट निक्षेपों पर आधारित एल्यूमिना/एल्यूमिनियम कारखाने की स्थापना हेतु भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच 28-1-1980 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे।

(ख) समझौता ज्ञापन के अनुसार फ्रांस सरकार परियोजना के लिए व्यापक वित्तीय व्यवस्था हेतु एक-मुश्त सौदे का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी, जिसमें परियोजना हेतु विदेशी लागत-खर्च और अवस्थापना सुविधाओं सहित देशी लागत-खर्च, दोनों का उल्लेख होग।

(ग) शर्तों का निर्धारण फ्रांस सरकार से वित्तीय सौदे के ब्यौरे मिलने के बाद किया जाएगा।

परादीप, उड़ीसा में तट पर इस्पात संयत्र स्थापित करना

1473. **श्री बालासाहब विखे पाटिल :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में परादीप में 30 लाख टन का तट पर इस्पात संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रस्तावित इस्पात संयंत्र शत-प्रति-शत विदेशी ऋण से वित्तपोषित होगा; और

(ग) यदि हां, तो उस देश/उन देशों का नाम/नाम क्या हैं जिनसे ऋण सुविधाएं प्राप्त की जा रही हैं तथा ऋण का भुगतान करने करने की शर्तें क्या हैं। और क्या ऋण का भुगतान वस्तुओं अर्थात तैयार उत्पादों के रूप में होगा अथवा नकदी में ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) देश में इस्पात बनाने की क्षमता में वृद्धि करने के समग्र विकास कार्यक्रम के अंग के रूप में सरकार बन्दरगाह पर इस्पात का एक नया इस्पात कारखाना लगाने की संभावनाओं पर विचार कर रही है, जिसकी क्षमता 30 लाख टन प्रतिवर्ष होगी। संभाव्य स्थलों में पारादीप भी शामिल है।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन आदि की पार्टियों से तकनीकी तथा आर्थिक सहायता के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिन पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है। ये प्रस्ताव धन की समूची व्यवस्था जिसमें भिन्न-भिन्न धन राशि के रूप में एक्सपोर्ट क्रेडिट, थोरो-लोन, आसान शर्तों पर ऋण, सहायता आदि पर आधारित हैं, जिनसे सयंत्र की पूरी लागत की पूर्ति की जाएगी। इसमें से कुछ प्रस्तावों में इस बात की भी व्यवस्था है कि सबंधित पार्टियां कुछ तैयार माल खरीद लेगी जिससे ऋण चुकाया जा सके।

निर्यात संवर्धन योजना

1474. **श्री एस. एम. कृष्ण :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई निर्यात सवर्धन योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके अन्तर्गत कौन-कौन से निर्यात प्रधान उद्योगों के आने की सम्भावना है;

(ग) क्या इसमें एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं वाली, कम्पनियों के लिए कोई भूमिका रखी गई है और यदि हां, तो उसकी मूल्य रूपरेखा क्या है; और

(घ) निर्यात प्रधान उद्योगों के लिए क्या-क्या प्रोत्साहन दिए जाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) सरकार निर्यात अभिमुख औद्योगिक एककों और उद्योगों को प्रोत्साहन देने और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव फिलहाल प्राथमिक अवस्था में हैं और इनका विवरण देना उचित नहीं है।

कैन्टीनों में काम कर रहे चाय बोर्ड तथा काफी बोर्ड के कर्मचारियों का तबादला

1475. **श्री जी. वाई. कृष्णन्** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक कैन्टीनों में कार्य कर रहे चाय बोर्ड तथा काफी बोर्ड के कर्मचारियों को हर तीसरे वर्ष के बाद स्थानान्तरित करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) चाय बोर्ड की कैन्टीनों का स्टाफ जिसकी संख्या बहुत कम होती है कतिपय निर्धारित अंतरालों पर रुटीन मामले के रूप में आमतौर पर स्थानांतरित नहीं किया जाता है। काफी बोर्ड के सभी प्रोपेगेन्डा यूनिटों में ग्रुप 'सी' तथा 'डी' कर्मचारी, जहां एक से अधिक यूनिट हैं, सतर्कता विभाग द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार काफी बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार उसी यूनिट में 3 वर्ष की लगातार सेवा के बाद और उसी स्थान पर 5 वर्ष की लगातार सेवा के बाद स्थानांतरित किया जाना होता है।

विभिन्न राज्यों द्वारा खाद्य तेलों का उठाया जाना

1476. **श्री नवीन जाफी :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों द्वारा जनवरी, 1980 से मई, 1980 की अवधि के दौरान उठाई गई खाद्य तेलों की मात्रा कितनी है;

(ख) राज्यों को राज्य व्यापार निगम से खाद्य तेलों को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) इस वर्ष की शेष अवधि में राज्यों को कितनी मात्रा दी जायेगी ?

नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जनवरी से मई, 1980 के दौरान राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा कुल मिलाकर 1.33 लाख मीटरी टन के लगभग खाद्य तेल उठाये गये हैं।

(ख) (1) आयातित खाद्यय तेलों का वितरण राज्य व्यापार निगम द्वारा इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि महत्वपूर्ण उपभोक्ता केन्द्रों पर उनकी पर्याप्त मात्रा स्टाक में रहे। राज्य व्यापार निगम ने वर्तमान डिपुओं के अलावा, कुछ राज्यों में नये डिपू खोले हैं, ताकि खाद्य तेलों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। रेलवे बेगन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने कारण राज्य व्यापार निगम कुछ राज्यों के लिए खाद्य तेलों की ढुलाई सड़क द्वारा भी कर रहा है, ताकि ढुलाई में होने वाले विलम्ब से बचा जा सके।

(2) सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे समय-समय पर आवंटित मात्रा के अनुरूप आयातित खाद्य तेल उठाएं।

(3) राज्य सरकारों को उसी किस्म के आयातित खाद्य तेल आबंटित किए जा रहे हैं, जो उनके द्वारा आमतौर पर मांगे जाते हैं।

(4) राज्य सरकारों से यह अनुरोध भी किया गया है कि वे अपने-अपने राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को फिर से सक्रिय तथा गतिशील बनायें ताकि उपभोक्ताओं के लिए खाद्यय तेलों की उपलभ्यता में सुधार किया जा सके।

(5) विभिन्न राज्यों की राजधानियों में राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर परामर्श किया जाता है और दिल्ली में बैठकें आयोजित की गई हैं, जिनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यय तेलों के वितरण की समीक्षा की गई है।

(6) राज्य व्यापार निगम द्वारा राज्य सरकारों को आयातित खाद्यय तेल नियत मूल्य पर निर्मुक्त किए जाते हैं। राज्य सरकारों को, वास्तविक वितरण खर्च को ध्यान में रखते हुए, इन तेलों के अन्तिम खुदरा मूल्यों में मामूली समायोजन करने दिया जाता है।

(ग) यह सम्बन्धित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की खाद्य तेलों की मांग और उनके द्वारा वास्तविक रूप में उठायी गई मात्रा पर निर्भर करेगा।

इंडिया मीट्रोलाजिकल वर्कशाप यूनियन की मांगें

1477. **श्री आर. के. महालगी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** इन्डिया मीट्रोलाजिकल वर्कशाप यूनियन, पूना की मांगों के बारे में दिनांक 14 मार्च, 1980 के अतिरिक्त प्रश्न संख्या 530 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर के साथ संलग्न विवरण में क्रमांक 1, 2, 3, 4 और 6 पर उल्लिखित बातों के बारे में निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के निर्णय क्या हैं और वे कब किए गए हैं तथा उनको कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) यदि अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है तो विलम्ब के क्या कारण हैं और वे कब तक किये जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) 14.3.1980 को दिए गए लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 530 के उत्तर के साथ संलग्न विवरण में केवल क्रम सं० 3 के प्वायेंट पर निर्णय लिया गया है। कार्पेंटर ग्रेड I तथा कार्पेंटर ग्रेड II के पदों में क्रमश: 1.4.78 तथा 21.4.80 से सिलेक्शन ग्रेड के पदों का सृजन किया गया है और उन्हें इन्हीं तारीखों से भर दिया गया है।

(ग) लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 530 के साथ संलग्न विवरण में निर्दिष्ट क्रम सं० 1,2,4 तथा 6 से संम्बन्ति स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	यूनियन द्वारा उठाया गया मुद्दा	14.3.80 को उत्तर दिए गए लोक सभा लिखित प्रश्न सं० 530 द्वारा दिया गया उत्तर	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	वर्गीकरण समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जाये।	भारत मौसम विज्ञान विभाग तथा नागर विमानन विभाग के वर्कशाप के कर्मचारियों से संबंधित सिफारिशों पर वित्त मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ कार्यवाही की गयी। मामला अब अन्तिम चरण पहुँच गया है और बहुत शीघ्र आदेश जारी किये जाने की आशा है।	मामले पर वित्त मन्त्रालय के परामर्श से कार्यवाही की जा रही है।
2.	भारत मौसम विज्ञान विभाग की वर्कशाप को उद्योगों तथा निर्माणकर्त्ता यूनिटों की सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे कि वर्क-	वर्कशाप वस्तुतः भारत मौसम विज्ञान विभाग के लिए अपेक्षित मौसम उपकरणों का निर्माण करने के लिए ही है वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए नहीं। वर्कशाप को एक औद्योगिक तथा निर्माण-	कर्मचारियों को बोनस देने सम्बन्धी प्रश्न पर इस विषय पर सरकार की बोनस नीति के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा जिसकी अभी घोषणा नहीं की गयी है।

1	2	3	4
	शाप कर्मचारी बोनस के लिए पात्र हो सकें ।	कर्त्ता यूनिट घोषित करने का प्रश्न ही नहीं उठाता । तथापि, कर्मचारियों को बोनस स्वीकृत करने के प्रश्न पर उक्त विषय पर सरकार की व्यापक नीति के संदर्भ में विचार किया जा सकता है।	
4.	वर्कशाप में कार्य कर रहे व्यावसायिक सहायकों (फोरमैनों) की पदोन्नति का पृथक् कोटा निर्धारित किया जाना चाहिए अथवा उनके वेतनमानों में वृद्धि की जाए क्योंकि वे फैक्ट्री नियम के अन्तर्गत 8 घण्टे तक कार्य करते हैं ।	व्यावसायिक सहायकों (फोरमैनों) की सहायक मौसम विज्ञान विद् के पद पर पदोन्नति करने के लिए कोटा निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।	मामले को भारत मौसम विज्ञान विभाग की वर्कशाप यूनियन के पास इस अनुरोध के साथ भेजा गया था कि वह व्यावसायिक सहायक (फोरमैन) की पदोन्नति के लिए कोटा निर्धारित करने के बारे में अपने विचार भेजे। इस विषय में उनके विचार अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।
5.	कार्पेंटर ग्रेड I के लिए पर्यवेक्षी पद का शीघ्र सृजन किया जाना चाहिए ।	मामला विचाराधीन है ।	भारत सरकार के वर्तमान आदेशों के अनुसार, नये पदों का सृजन तभी किया जा सकता है जब उसके समान ही बचत भी हो । स्टाफ यूनियन से ऐसे पदों का पता लगाने के लिए परामर्श किया जा रहा है जिन्हें समर्पित किया जा सके जिससे कि नये पद का सृजन करने के लिए उतनी ही बचत की जा सके। स्टाफ के साथ कोई समझौता होते ही मामले पर निर्णय ले लिया जाएगा ।

ओवरसीज बैंक में विभागीय परीक्षा

1478. **श्री चन्द्रपाल शैलानी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ओवरसीज बैंक ने दिसम्बर, 1979 में लिपिक कैडर से अधिकारी ग्रेड कैडर में पदोन्नति के लिए कोई विभागीय परीक्षा आयोजित की थी;

(ख) यदि हाँ, तो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में कितने प्रत्याशी बैठे थे और उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी थे तथा उनमें से प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग अधिकारी ग्रेड कैडर में कितेने कर्मचारी पदोन्नति किए गए;

(ग) क्या अधिकारी ग्रेड कैडर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व पूरा है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या लिखित परीक्षा में योग्य पाये गये प्रत्याशियों में से नियुक्ति करके पिछली कमी को पूरा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हाँ। इन्डियन ओवरसीज बैंक ने दिसम्बर 1979 और जनवरी 1980 में अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति के लिए परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन किया था।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों समेत कुल उम्मीदवारों की संख्या जो इस परीक्षा और साक्षात्तकार में शामिल हुए थे और अलग-अलग क्षेत्र में अधिकारी ग्रेड में पदोन्नत हुए थे, अनुबन्ध में दी जा रही है ।

(ग) और (घ) बैंक ने सूचना दी है कि परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों में पिछली कोई रिक्तियाँ बाकी नहीं हैं। परन्तु वरिष्ठता और साक्षात्कार के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले आरक्षित पदों में पिछली रिक्तियाँ अवश्य हैं क्योंकि अनुसूचित जाति/जनजाति के वरिष्ठ कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) बैंक ने सूचना दी है कि वरिष्ठता और साक्षात्कार के आधार पर भरे जाने वाले आरक्षित पदों की पिछली कमी (बैंक लाभ) को उन उम्मीदवारों द्वारा नहीं भरा जा सकता जो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में पास होते हैं क्योंकि इन दोनों किस्म की पदोन्नतियों के लिये पात्रता मापदण्ड और चयन की प्रक्रिया अलग-अलग हैं ।

विवरण

इन्डियन ओवरसीज बैंक में दिसम्बर, 1979/जनवरी, 1980 के दौरान आयोजित परीक्षा /साक्षात्कार में अधिकारी ग्रेड में पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों एवं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या दिखाने वाला विवरण ।

क्षेत्र	शामिल हुए				पदोन्नत हुए			
	कुल	सामान्य कर्मचारी	अनु० जाति के कर्मचारी	अनु० जनजाति के कर्मचारी	कुल	सामान्य कर्मचारी	अनु० जाति के कर्मचारी	अनु० जनजाति के कर्मचारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. वरिष्ठ-अहमदाबाद	13	13	—	—	11	11	—	—
ता और बंगलौर	10	10	—	—	9	9	—	—

1		2	3	4	5	6	7	8	9
साक्षा-	बम्बई	18	17	1	—	16	15	1	—
त्कार	कलकत्ता	16	16	—	—	13	13	—	—
द्वारा	चण्डीगढ़	11	11	—	—	10	10	—	—
पदो-	कोयम्बटूर	10	10	—	—	8	8	—	—
न्नति	दिल्ली	17	17	—	—	16	16	—	—
	हैदराबाद	2	2	—	—	1	1	—	—
	मद्रास	35	35	—	—	31	31	—	—
	मदुरै	8	8	—	—	8	8	—	—
	तीरुचि	18	18	—	—	17	17	—	—
	त्रिवेन्द्रम	20	20	—	—	19	19	—	—
	जोड़	178	177	1	—	159	158	1	—
परीक्षा	अहमदाबाद	68	55	10	3	5	2	—	3
और	बंगलौर	55	51	3	1	15	14	—	1
साक्षा-	बम्बई	112	79	31	2	16	13	1	2
त्कार	कलकत्ता	99	77	17	5	17	12	1	4
द्वारा	चण्डीगढ	73	32	41	—	19	6	13	—
पदो-	कोयम्बटूर	45	41	3	1	11	10	—	1
न्नति	दिल्ली	122	69	52	1	18	9	8	1
	हैदराबाद	51	33	15	3	13	8	3	2
	मद्रास	275	249	26	—	61	55	6	—
	मदुरै	103	90	11	2	23	18	3	2
	तीरुचि	92	81	10	1	23	21	1	1
	त्रिवेन्द्रम	77	71	5	1	18	17	—	1
	जोड़	1172	928	224	20	239	185	36	18

तीर्थ यात्रियों के लिये चुने गये तीर्थ स्थल

1479. **श्री नारायण चन्द पराशर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की भारत में तीर्थ-यात्रियों के लिए पर्यटक-महत्व के स्थानों में पर्यटन का विकास करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्य के लिए राज्य-वार कौन-कौन से तीर्थस्थलों को चुना गया है;

(ग) उनमें मे किन-किन स्थानों को विमान सेवा से जोड़ा गया है; और

(घ) शेष स्थानों को विमान सेवा के साथ कब तक जोड़ा जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) : जी हाँ। तीर्थ-यातायात के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय यात्री आवास विकास समिति नामक एक समिति रजिस्टर करायी गयी है जो राष्ट्रीय महत्व के तीर्थ केन्द्रों पर धर्मशालाओं/मुसाफिरखानों/सरायों के निर्माण/प्रबंध रख-रखाव के लिए धार्मिक/खैराती न्यासों, संस्थाओं/व्यक्तियों आदि को वित्तिय सहायता देगी। जहाँ कहीं व्यवहार्य/आवश्यक समझा जाएगा, वहाँ यह समिति इस प्रकार की स्थापनाओं का निर्माण भी करेगी। सरकार ने समिति को 5 लाख रुपए का तदर्थ सहायता अनुदान दिया है। यह समिति संस्थाओं, व्यक्तियों से दान और राज्य सरकारों से अनुदान के रूप में भी धन-राशि प्राप्त करेगी। धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए, समिति ऐसे तीर्थ केन्द्रों पर आवास सुविधाएं जुटाने के प्रश्न पर विचार करेगी, जिनका चयन तीर्थ-यातायात की मात्रा और इन केन्द्रों पर इस प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

तीसरी विमान सेवा के अन्तर्गत लिये जाने वाले राजस्थान के नगर

1480. **श्री भगवान देव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी विमान सेवा चालू किये जाने की दिशा में आज तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) ये विमान सेवा कब तक आरम्भ की जायेगी; और

(ग) इस विमान सेवा के चालू होने पर राजस्थान के कौन-कौन से नगर इसके अन्तर्गत आयेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रात्रय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर): (क) और (ख) तीसरी वायु सेवा के परिचालन का सामान्य प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, और इस पर शीघ्र ही कोई निर्णय ले लिये जाने की संभावना है।

(ग) इस विषय पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

जीवन बीमा निगम द्वारा राजस्थान को दिये गये ऋण

1481. **श्री भगवान देव :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977-78 से 1979-80 तक मध्य और निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा राजस्थान को प्रति वर्ष कितना ऋण दिया गया है;

(ख) इस दिए गए ऋण में से राजस्थान सरकार द्वारा कितने ऋण का उपयोग किया गया था;

(ग) उपरोक्त उल्लिखित वर्गों के लिए राजस्तान में कितने मकानों का निर्माण किया गया था;

(घ) इस वर्ष राजस्थान को कितना ऋण दिया गया है; और

(ङ) राजस्थान सरकार द्वारा कितने मकान बनाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) जीवन बीमा निगम द्वारा राजस्थान सरकार को मकान बनाने के प्रयोजन से वर्ष 1977-78 से 1979-80 तक दिए गए ऋण का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	राशि (लाख रुपए)
1977-78	120
1978-79	120
1979-80	132

(ख) और (ग) : इस संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा जीवन बीमा निगम से प्राप्त कितने ऋणों का उपयोग किया गया और राज्य सरकार द्वारा हर साल कितना निर्माण कार्य पूरा किया गया। लेकिन राजस्थान सरकार से निर्माण और आवास मंत्रालय को प्राप्त हाल की सूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जीवन बीमा निगम से प्राप्त राशि से 31 मार्च, 1980 तक बनाए गए मकानों की संख्या इस प्रकार है :-

योजना	मकानों की संख्या
मध्यम आय वर्ग आवास योजना	2666
निम्न आय वर्ग आवास योजना	7,052

(घ) जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सरकारों को मकान बनाने के लिए वर्ष 1980-81 में उपलब्ध की जाने वाली राशि के बारे में फैसला कर लिया गया है और आशा है कि राशि के राज्यवार निर्धारण का काम जुलाई 1980 के अन्त तक पूरा हो जाएगा।

(ङ) वर्ष 1980-81 के दौरान राजस्थान सरकार का मध्यम आय वर्ष के लिए 108 और निम्न आय वर्ग के लिए 481 मकानों के निर्माण का कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है।

नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं का खोला जाना

148. **श्री भगवान देव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न बैंकों की वर्षवार कितनी शाखायें खोली गई;

(ख) चालू वर्ष के दौरान उक्त क्षेत्रों में विभिन्न बैंकों की कितनी शाखायें खोली जानी हैं;

(ग) राजस्थान के अजमेर जिले में कितनी शाखायें खोली जानी हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर बैंक की शाखा खोली जाती है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) वर्ष 1977, 1978 और 1979 में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जनसंख्य समूहवार खोली गई शाखाओं की संख्या के बारे में उपलब्ध आँकड़े अनुबन्ध में दिये गये हैं।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान लाईसेंसिंग नीति वर्ष 1979-81 तक की

तीन वर्षों की अवधि के लिए है जिसके अनुसार यह आवश्यक है कि इस अवधि में वाणिज्यिक बैंक, बैंकिंग सुविधाओं की दृष्टि से कमी वाले जिलों के बैंक रहित ऐसे ग्रामीण और अर्ध नगरीय केन्द्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में अपनी शाखाओं का विस्तार करने का प्रयास करें जिससे इन जिलों में व्याप्ति, प्रति 20,000 ग्रामीण/अर्ध नगरीय लोगों के लिए एक बैंक कार्यालय के स्तर तक पहुँच जाय। इस नीति के अनुपालन में 1979-81 में देश के कमी वाले जिलों में 6500 शाखाओं के खोले जाने की आवश्यकता है। यह कार्यक्रम राज्य सरकारों के परामर्श से कार्यन्वित किया जा रहा है।

जहाँ तक अजमेर जिले का सम्बन्ध है, उपयुक्त अवधि में वह अतिरिक्त शखाएं खोली जानी थीं। इनमें से तीन शाखएं खोली जा चुकी हैं और शेष तीन केन्द्रों से सम्बन्ध में लाइसेंस वाणिज्यिक बैंकों के पास विचाराधीन हैं।

विवरण

	1977	1978	1979
1. ग्रामीण केन्द्र	2265	1721	1653
2. अर्ध-नगरिय केन्द्र	466	288	180
3. नगरीय केन्द्र	309	218	127
4. महानगरीय केन्द्र/पत्तन वाले शहर	308	289	98
जोड़	3348	2516	2058

राजस्थान में वितरण प्रणाली के बारे में केन्द्रीय अध्यन दल की रिपोर्ट

1483. **श्री भगवान देव** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवश्यक पदार्थों की वितरण प्रणाली की जाँच करने के लिए अप्रैल मई, 1980 में राजस्थान की यात्रा पर गये केन्द्रीय अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय अध्ययन दल राजस्थान में वितरण प्रणाली की स्थिति से सन्तुष्ट है;

(ग) यदि नहीं, तो उस दल द्वारा सरकार को क्या सुझाव दिए गये हैं; और

(घ) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) केन्द्रीय अध्ययन दल, जिसने राजस्थान का दौरा किया था, ने राजस्थान की वितरण प्रणाली के बारे में आम संतोष व्यक्त किया। तथापि, दल ने यह महसूस किया कि इस प्रणाली का इतना विस्तार नहीं है कि इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण आबादी आ सके। राजस्थान सरकार को सलाह दी गई है कि वे सार्वजनिक वितरण के कार्यकरण की तत्काल पुनरीक्षा करें और इसे मजबूत बनाने तथा इसके अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाने के लिए आवश्यक कदम उठायें।

पर्यटन स्थलों की रक्षा करने के लिए वृहत योजना

1484. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में पर्यटन स्थलों की रक्षा करने के लिए वृहत योजना तैयार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजना के लिए किन किन स्थलों का चयन किया गया है?

पर्यटन नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थलों और प्राकृतिक सौन्दर्य के स्थानों, जैसे पर्यटक अभिरूचि के चुने हुए केन्द्रों की महा योजना (भूमि प्रयोग योजना) 1972 में गुल मर्ग के बारे में तैयार की गई थी। इसके पश्चात मनाली, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कोणार्क, राजगीर, नालंदा, बोधगया बदामी, पट्टादकल, एहोली, हम्पी, मारवाड़ अर्वतीपुर और पंडरेथन के बारे में महा योजनायें) तैयार की गई हैं फतहपुर सीकरी और बृज भूमि क्षेत्र, पिपरहवा और मेवाड़ काम्पलैक्स की महा योजनायें (भूमि-प्रयोग योजनाएँ) तैयार की जा रही हैं।

महा योजनाएं (भूमि-प्रयोग योजनाएं तैयार करने का उद्देश्य यह है कि परिस्थिति सम्बन्धी सन्तुलन को बनाए रखा जाए और साथ ही केन्द्र की पर्यावरण सम्बन्धी विशिष्टताओं के संरक्षण को सुनिश्चित किया जाए और केन्द्र में तथा इसके आस-पास विकास सम्बन्धी कार्य-कलापों को वृद्धि को विनियमित किया जाए। इन महा योजनाओं में विभिन्न कार्यकलापों के लिए भूमि प्रयोग का मोटे तौर पर और ऐसे क्षेत्रों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है जहां पर्यटन के विकास से संबंधित सुविधाएं जुटाई जानी चाहिए।

इन महा योजनाओं के आधार पर पर्यटक सुविधाओं के विकास हेतु सुरक्षित क्षेत्रों की माइको-प्लानिंग का कार्य प्रारम्भ करना होगा। शुरुआत के तौर पर, कुशीनगर और श्रावस्ती के सम्बन्ध में माइको प्लानिंग की जा रही है। माइको-प्लानिंग के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का आकार-गत खाका (फिजिकल ले-आउट) भवनों के पुरातात्विक डिजाइन, ग्राफिक्स और पर्यावरण सम्बन्धी आयोजना शामिल होंगे।

बिक्री कर समाप्त करने के बारे में राज्य सरकार से परामर्श

1485. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में बिक्री कर समाप्त करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने हाल में ही इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) किसी राज्य के अन्दर होने वाली माल की खरीद अथवा बिक्री पर कर लगाना, संविधान के अन्तर्गत राज्य के कराधान

का विषय है ।.पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य सरकारों को इस बात के लिए मनाने की कोशिश की थी कि बिक्री कर को समाप्त करके उसके स्थान पर उचित तरीके से उपर्युक्त उत्पादन शुल्क लगा दिए जायं, लेकिन राज्य सरकारों ने ऐसी व्यवस्था के प्रति अस्वीकृत का रुख दिखाया। अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसरण में, बिक्री कर को हटाकर उसके स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने की योजना को सीमेंट, औषध, वनपत्ति तथा पेट्रोलियम उत्पादों जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में भी लागू करने के प्रश्न पर राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के साथ आखिरी चर्चा 19 और 20 मई 1979 को हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में की गई थी । इस प्रस्ताव का भी बहुत सारे राज्यों ने विरोध किया था। उपभोक्ताओं तथा व्यापारियों के हित को दृष्टि में रखकर, सरकार, राज्य सरकारों के सहयोग से मौजूदा बिक्री-कर के ढांचे में सुधार करने की सम्भावनाओं का पता लगायेगी।

घटिया किस्म के कोककर कोयले का आयात

1486. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1977 में इस्पात बनाने के लिए बड़ी मात्रा में कोककर कोयले का आयात किया गया था, और

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच नहीं है कि कोककर कोयला घटिया किस्म का था ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1977 में कोककर कोयले का आयात नहीं किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अभ्रक व्यापार निगम के अधीन पटना, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लाइसेंस धारी अभ्रक व्यापारी

1487. **श्री रोतिलाल प्रसाद वर्मा :** क्या वाणिज्य मन्त्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभ्रक व्यापार निगम के अधीन पटना (बिहार). राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश में कितने लाइसेन्स धारी अभ्रक व्यापारी हैं, उनके नाम एवं पते क्या हैं;

(ख) अभ्रक व्यापार निगम द्वारा उनमें से कमजोर वर्ग के प्रत्येक व्यापारी से 1972 से 1980 के दौरान लक्ष्यों की पूर्ति हेतु निर्यात प्रयोजन के लिए कितना तैयार अभ्रक खरीदा गया।

(ग) अभ्रक व्यापार निगम द्वारा अभ्रक निर्यातकर्ताओं से 1972-80 के दौरान निर्यात योग्य कितना अभ्रक व्यापार निगम की फैक्टरियों द्वारा किया जाता है जैसा कि इसके नियमों में लिखा है ?

(घ) क्या 40 प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन अभ्रक व्यापार निगम की फैक्टरियों द्वारा किया जाता है जैसा कि इसके नियमों में लिखा हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) : बिहार, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश के व्यापार के कमजोर वर्ग के व्यवसाय सहयोगी जो मिटको में पंजीकृत हैं उनकी फिलहाल संख्या 519 है। कुछ व्यापारियों के नामों और पतों तथा उनसे खरीदे गए साधित अभ्रक की मात्रा के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) वर्ष 1972 से मई 1974 तक की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है । जून 1974 से मार्च 1980 तक अभ्रक निर्यातकों से खरीदे गये अभ्रक की कुल मात्रा निम्नोंकित प्रकार है :

1974-75		1975-76		1976-77		1977-78		1978-79		1979-80	
1-6-74 से 31-3-75 मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
368	89	315	82	130	111	660	113	385	130	186	80

(घ) ऐसा कोई नियम नहीं है ।

मनोरंजन की वस्तुओं का निर्यात

1488. **श्री के. मालन्ना :**

श्री पी. एम. सईद : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिनेमाजोग्राफिक फिल्में, केसेटस, रेडियो टैप्स और ग्रामोफोन रिकार्ड जैसी मनोरंजन की वस्तुओं, जिनकी निर्यात की अधिक क्षमता है और जो काफी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकती हैं, के निर्यात की वर्तमान प्रवृति की समीक्षा करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए एक कार्यकारी दल का भी गठन किया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी हां। वाणिज्य मंत्रालय ने सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में मनोरंजन संबंधी सामग्री के निर्यातों के संबंध में एक कार्यकारी दल स्थापित किया है ।

(ग) कार्यकारी दल के विचारार्थ विषय संलग्न हैं ।

मनोरजन सामग्री के निर्यात से संबंधित कार्यकारी दल के विचारार्थ विषय

(1) वर्तमान विश्व व्यापार प्रवृतियों तथा भारत के मनोरंजन सामग्री के निर्यातों की समीक्षा करना ।

(2) प्रमुख उत्पाद-वार निर्यात संभाव्यता का पता लगाना तथा निर्यात लक्ष्य निर्धारित करना और बाजार वार निर्यात नीति का पता लगाना ।

(3) उत्पादन तथा क्षमता संबंधी रुकावटों को दूर करने के लिए प्राथामिकता वार अपेक्षित उपायों का पता लगाना ।

(4) इन निर्यातों को बढ़ाने की दृष्टि से विद्यमान क्रिया विधियों, विनियमों आदि से संबंधित मामलों पर सिफारिशें करना ।

(5) उन संस्थागत व्यवस्थाओं की सिफारिशें करना जो मनोरंजन सामग्री के विपणन को सुधारने के लिए आवश्यक समझी जाए ।

यह कार्यकारी दल अगर आवश्यक हो तो उपर्युक्त विचारार्थ विषयों से संबंधित किसी भी अन्य पहलू पर विचार कर सकता है।

पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों का राष्ट्रीयकरण

1489. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े पटसन मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है और सरकार उन्हें अपने अधिकार से ले रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) : नेशनल कम्पनी लि0, कलकत्ता का राष्ट्रीयकरण 27 अप्रैल 1980 को प्रख्यापित एक अध्यादेश द्वारा किया गया था। इस कम्पनी के अधिकार, अभिधान और हित अब बनाये गये नये निगम अर्थात नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कारपोरेशन में निहित हैं, जो अब इस कम्पनी को चलाने के लिए उत्तरदायी होगा।

गैर-सरकारी मिल मालिकों द्वारा धागे के मूल्यों में वृद्धि

1490. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि धागे के मूल्य पर सरकार का नियंत्रण न होने के कारण गैर -सरकारी मिल मालिक विभिन्न बहानों से अथवा बिना किसी बहाने के हमेशा धागे की कीमत बढ़ाते रहते हैं और यदा-कदा धागे की की सप्लाई कम कर देते हैं और इस प्रकार की स्थिति के कारण हथकरघा बुनकरों की हालत शोचनीय हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो धागे की कीमतों पर नियंत्रण करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) : धागे की कीमतें, माँग तथा पूर्ति की बजार स्थिति द्वारा निर्धारित की जाती है जिसमें निविष्ट लगात तथा प्रभावी माँग शामिल है। धागे की कीमतों पर काबू पाने तथा बुनकरों को उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए उठाये गये कदम इस प्रकार हैं :

(1) स्वैच्छिक प्रबन्धों के माध्यम से आई सी एम एफ के साथ संबद्ध निजी मिलें सरकारी वितरण अभिकरणों को मिल से निकलते समय की कीमतों पर प्रति माह धागे की 23,000 गाँठें उपलब्ध कराने को सहमत हो गई;

(2) राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा सरकारी स्वामित्व वाली कताई मिलों ने मिल के द्वारों तथा महत्वपूर्ण केन्द्रों पर डिपो। बिक्री केन्द्र खोले हैं ताकि बुनकरों को मिल की कीमतों पर धागे की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

(3) राज्यों में शर्खस्था हथकरघा सहकारी समितियों तथा हथकरघा विकास निगमों की शेयर पूँजी अंशवान से सहायता की जा रही है ताकि वे निजी एवं सरकारी क्षेत्रीय मिलों से सीधे धागा खरीद कर बुनकरों को धागा वितरण करने का कार्य कर सकें;

(4) धागे की पूर्ति को बढ़ाने की दृष्टि से, जिस पर बिजली की कटौती से प्रतिकूल प्रभाव

पड़ा था, उद्योग को निकृष्ट तकुओं का उपयोग करने की अनुमति दी गई है तथा 40 काउंट तक कताई करने हेतु वेस्ट कताई मिलों को छूट दी गई है।

भारतीय रुई निगम की असफलता

1491. श्री **अमर सिंह राठवा** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रुई निगम चालू वर्ष के लिये कपास का वसूली लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो गया है ;

(ख) क्या यह सच हैं कि खुले बाजार में रुई के कम मूल्यों के कारण गुजरात के रुई उत्पादकों पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उत्पादन मूल्य पर भारतीय रुई निगम द्वारा एकाधिकार वसूल लागू करने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारतीय रुई निगम ने 31-8-80 को समाप्त होने वाले वर्तमान रुई मौसम 1979-80 के दौरान अभी तक (9 जून, 1980 तक) 10.55 लाख गाँठों की वसूली की है। लक्ष्य 15 लाख गाँठों का है।

(ख) जी नहीं। कीमतें न्यूनतम समर्थन कीमतों से काफी ऊपर चल रही हैं।

(ग) भारतीय रुई निगम द्वारा कपास की एकाधिकार वसूली लागू करने कोई का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं।

संकटग्रस्त कपड़ा कारखानों का अधिग्रहण न करने का निर्णय

1492 **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संकटग्रस्त कपड़ा कारखानों का अधिग्रहण न करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश की अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं। प्रत्येक मामला उसके गुणों के आधार पर तय किया जाएगा।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जहाज को खोलने सम्बन्धी (शिपब्रेकिंग) उद्योग के विस्तार हेतु द्रुत योजना

1493 **श्री एम. राम गोपाल रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाज खोलने के (ब्रेकिंग) उद्योग के विस्तार सम्बन्धी द्रुत योजना विफल हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जहाज तोड़ने के उद्योग

के विस्तार के लिए कोई द्रुत विस्तार कार्यक्रम आरम्भ नही किया गया था, अत: इसके विफल होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस उद्योग के विस्तार के बारे में वर्ष 1978 में लिए गए नीति विषयक मूल्य निर्णयों को कार्यान्वित किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप विदेशी पताका वाले पुराने छोटे जहाजों के, जिन्हें भारत में तोड़ा जा सकता है, मूल्यों में असामान्य वृद्धि हो जाने के बावजूद वर्ष 1977-78 में 31,000 लाइट डिस्प्लेस्मेंट टनेज के, 31 वर्ष 1978-79 में 81,000 डिस्प्लेस्मेंट टनेज के तथा वर्ष 1979-80 में 90,000 डिस्प्लेस्मेंट से अधिक टनेज के जहाज तोड़ने के लिए बेचे गए।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उद्योगपतियों तथा बड़ी कम्पनियों से भू-राजस्व की तरह आयकर की वसूली

1494 **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उद्योग-पत्तियों तथा बड़ी कम्पनियों से भू-राजस्व की तरह आयकर की बकाया राशि वसूल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोत) : (क) तथा (ख) भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 46 (2) में, करों की बकाया की वसूली क्लक्टर द्वारा किये जाने की परिकल्पना इस तरह से की गई थी कि मानों बकाया की वे रकमें भू-राजस्व से संबंधित हों। इस अधिनियम को . अप्रैल 1962 से आयकर अधिनियम, 1961 के जरिये निरस्त कर दिया गया आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन देय बकाया रकमों को वसूली के मामले में अब आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII-घ और उसकी दूसरी अनुसूची में इस बारे में निहित उपबंध लागू होते हैं जिनके अन्तर्गत आयकर अधिकारियों/कर वसूली अधिकारियों को बकाया रकमों की वसूली करने के लिये काफी अधिकारी दिये गए हैं। इसलिए अब आयकर की बकाया रकमों की भू-राजस्व के रूप में वसूली करने का प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी पर्यटकों के लिए "पैकेज ट्रायंगल ट्रर्स"

1495 **श्री के. टी कोसलराम** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्याप्त संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु "पैकेज ट्रायंगल ट्रर्स" का ब्यौरा क्या है, और

(ख) देशी और विदेशी पर्यटक यातायात बढ़ाने हेतु अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है जैसा कि 17 फरवरी को भुवनेश्वर में भारत पर्यटन विकास निगम के होटल का उद्घाटन करते हुए पर्यटन मंत्री द्वारा कहा गया बताया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चंद्राकर) (क) और (ख) 1990 तक 35 लाख पर्यटकों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पर्यटक सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के साथ क्षेत्रीय आधार पर बातचीत

की गई है। यात्रा परिपथों के साथ-साथ केन्द्रों पर पर्यटन आधारिक संरचना सम्बन्धी सुविधाओं के गहन विकास के उद्देश्य से राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मुख्य तथा गौण यात्रा परिपथों (सर्किटों) का पता लगाएं। राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों से प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के बाद ही अंतिम रूप से तस्वीर उभर कर सामने आएगी।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा बारमाल्ट (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव पर दंड लगाया जाना

1496 **श्री विजय कुमार यादव : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने बारमाल्ट (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गाँव पर 20,000 रु० का दंड लगाया है;

(ख) यदि हाँ तो किस आधार पर तथा उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सारी मशीनरी और संयंत्र की पूरी तरह से जाँच की गई है;

(घ) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसका मूल्य क्या है; और

(ङ) क्या राज्य अधिकारियों से बिक्री कर के रिकार्ड की जाँच करने को कहा गया है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोत) : (क) और (ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क आधिकारियों द्वारा बरमाल्ट (इण्डिया) प्रा० लि०, गुड़गाँव पर 20,000/- रु० का अर्थ दण्ड नहीं लगाया गया है। लेकिन यह पाया गया है कि बारमाल्ट (इंडिया) प्रा० लि०, गुड़गाँव ने, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लाइसेंस प्राप्त किए बिना वायुमण्डलीय किस्म के दो अमोनिया कंडेंसर सेटों का निर्माण किया था और उन पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अदा नहीं किया था। उपसमाहर्ता केन्द्रीय उत्पादनशुल्क, फरीदाबाद ने इसके लिए 500/- रु० का अर्थदण्ड लगाया। उप समाहर्ता ने उपयुक्त कन्डेंसरों को जब्त कर लिया है लेकिन पार्टी को यह विकल्प दिया है कि वह जब्ती के बदले 1600/- रु० का जुर्माना अदा करके उन्हें छुड़वा सकती है। उप समहर्ता ने इन कड़ेंसरों पर देय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की भी माँग की है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) यह पाया गया था कि मैसर्स बारमाल्ट (इण्डिया) प्रा० लि० द्वारा, 1967 में अपने प्रारम्भ से ही, गुड़गांव स्थित अपने कारखाने में 22, 38, 543,23 रु मूल्य के संयत्र और मशीनें लगायी गयी थीं। उक्त संयंत्र और मशीनों का ब्यौर संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

विवरण

क्र० स०	मशीनों/संयंत्र का विवरण	क्र० सं०	मशीनों/संयंत्रों का विवरण
1	2	1	2
1.	विद्युत मोटर	19.	भार तौलन ब्रिज और स्केल
2.	स्टार्टर और स्विच	20.	बिजली के पंखे

1	2	1	2
3.	पम्प	21.	जैनरेटिंग सेट
4.	स्क्रीनर	22.	ब्लोअर
5.	लैथ मशीन	23.	इवेपोरेटर
6.	फैज ग्राइण्डर	24.	पैन और इम्पैल्लर
7.	हैक्स मशीन	25.	टैंक
8.	ड्रिलिंग मशीन	26.	बायलर
9.	कन्डेंसर	27.	माशटन
10.	कम्प्रेसर	28.	आयल सरकट ब्रेकर
11.	चिल्लर	29.	माल्ट क्रशिंग मशीन
12.	कूलिंग कायल	30.	प्रिवेंटर और किट कैट
13.	सक्शन और डिस्चार्ज सर्विस लाइन आदि	31.	सिलिण्डर ग्रेडर
		32.	माल्ट विन्स
14.	हारीजोंटल रिसीवर	33.	वार्ली वाशिंग मशीन
15.	आयल सेपरेटर	34.	कोकल सिलीण्डर
16.	एअर बाशर	35.	जर्मिनेशन बाक्स
17.	कूलिंग टावर	36.	अन्य मशीनें जिसमें इलेवेटर शामिल हैं।
18.	सेफ्टी रिलीफ, पर्ज वाल्व और ड्रेन काक आदि जैसे साज सामान		

बैंक आफ बड़ौदा द्वारा बारमाल्ट (आई) प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव को रुपया भेजने की सुविधा

1497. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ बड़ौदा के मुख्यालय ने अपनी संसद मार्ग शाखा को बारमाल्ट (आई) प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गाँव के पक्ष में डाक हस्तान्तरण द्वारा निःशुल्क रुपया भेजने की सुविधा प्रदान करने के लिए निदेश दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि डाक हस्तांतरण कागजात बैंक के नियमों और दस्तूरों का ललंचन करते हुए पार्टी को सौंपे जा रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोत) : (क) जी, हाँ।

(ग) आपरणकर्ता बैंक के लिए भेजे जाने वाले डाक अन्तरण प्रलेख पार्टी को सुपर्द नहीं किये जा रहे हैं। लेकिन पार्टी के लिए डाक अन्तरण सूचना की प्रति उसे सुपर्द की जाती हैं। इससे, अथवा किसी ग्राहक को मुफ्त डाक अन्तरण सुविधा दिये जाने से बैंकों के नियमों अथवा प्रणालियों का कोई उल्लंघन नहीं होता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

"सोफ्ट लोन" योजना

1498. **श्री नारायण चौबे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोफ्ट लोन स्कीम क्या है और उसके लिए पात्र उद्योगों के बारे में निर्णय लेने के मानदण्ड क्या है;

(क) क्या सरकार का कागज उद्योग के लिए सोफ्ट लोन बिन्डो खोलने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और कारण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोत) : (क) भारत सरकार की प्रेरणा पर पांच चुने हुए उद्योगों अर्थात सूती कपड़ा, पटसन, सीमेंट, चीनी तथा कुछ विशिष्ट इन्जिनियरिंग उद्योगों में आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान करने के वास्ते अखिल भारतीय सावधिक ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा नवम्बर 1976 में आसान शर्तों पर ऋण योजना' (सोफ्ट लोन स्कीम) के नाम से एक योजना लागू की गई थीं। इन पांच उद्योगों को इस योजना के अन्तर्गत इस आधार पर लाया गया कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं तथा इनमें आधुनिकीकरण का कार्य काफी पिछड़ा हुआ था। आसान शर्तों पर ऋण देने की योजना के अन्तर्गत, वित्तीय संस्थाएं उपर्युक्त चुने हुए उद्योगों के औद्योगिक एककों को रियायती दरों पर ऋण प्रदान करती हैं ताकि वे प्लांट और मशीनरी के आधुनिकीकरण, प्रतिस्थापन और नवीकरण की कमियाँ दूर कर सकें तथा उत्पादकता और मितव्ययिता का अधिक ऊंचा स्तर प्राप्त कर सकें तथा इस प्रकार देश के भीतर तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार ला सकें। इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए आधारभूत माप दण्ड हैं तकनीकी रूप से अप्रचालित मशीनरी के कारण औद्योगिक एककों में रूग्णता का आना तथा आधुनिकीकरण योजना के कार्यान्वयन के बाद, अल्पावधि में उनके अर्थक्षम हो जाने की आशा। वित्तीय सहायता स्वीकृत करने में प्राथमिकता उन रूग्ण एककों को प्रदान की जाती है जिनकी चुकता पूंजी तथा आरक्षित निधियों में 50 प्रतिशत या इससे अधिक की कमी आ चुकी है। आसान शर्तों पर दी जाने वाली ऋण सहायता की मात्रा, सम्बन्धित एकक की रूग्णता की मात्रा पर निर्भर होती है। इस समय, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम इस योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान करते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन को मजबूत बनाने का प्रस्ताव

1499. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन को मजबूत बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन का विकास करने और उसे मजबूत बनाने के लिए 1971-72 से केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें चला रही है जिनके अन्तर्गत राज्य सरकारों को इनके लिए वित्तीय सहायता दी जाती है :

1. विभिन्न प्रकार के भंडार खोलने;
2. उपभोक्ता उद्योग स्थापित करने;
3. विद्यार्थियों के लिए कामन किचन केन्द्र खोलने;
4. कमजोर थोक/केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भन्डारों की पुन: स्थापना करने और;
5. राज्य स्तरीय उपभोक्ता और विपणन-एवं-उपभोक्ता सहकारी संघों को मजबूत बनाने ।

2. केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ तथा सुपर बाजार, नई दिल्ली और साथ ही ग्रामीण इलाकों में उपभोज्य वस्तुओं के वितरण हेतु सहायता देने के लिए भी केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं चला रही है ।

इंडियन एयरलाइंस के उड़ान रूटों से भिन्न अनुसूचित रूटों पर राज्य सरकारों को विमान सेवायें आरम्भ करने की अनुमति दिया जाना

1500 . श्री लक्ष्मण मलिक : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक राज्य सरकारों ने उन रूटों के लिए अनुसूचित विमान सेवायें आरम्भ करने की अनुमति मांगी है जिन पर इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा उड़ाने नहीं की जाती ।

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) किन-किन राज्यों ने विमान सेवायें आरम्भ करने की अनुमति मांगी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) कुछ राज्य सरकारों, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु ने अपने अपने राज्यों के अन्तर्गत ऐसे शहरों को, जो फिलहाल इण्डियन एयरलाइन्स के मार्ग-तन्त्र में सम्मिलित नहीं हैं, विमान सेवा से जोड़ने के लिए अनुसूचित सेवायें परिचालित करने का आवेदन किया है । ऐसी सेवाओं के परिचालन के लिए 16 से 20 सीटों वाले छोटे किस्म के विमानों की आवश्यकता है । फीडर सेवाओं के परिचालन प्रयोग किए जाने वाले विमान के प्रकार, एजेन्सी जिसे कि ऐसी सेवाओं के परिचालन का कार्यभार सौंपा जाये, आदि का सामान्य प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई नीति विषयक निर्णय ले लेने के बाद ही राज्य सरकारों से प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही की जायेगी ।

चोर बजारी और जमा खोरी के लिये गिरफ्तार किए गये व्यक्ति

1501. पीयूष तिरकी : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य वार गत छः महीनों के दौरान चोर बाजारी और जमाखोरी के लिए कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये;

(ख) उनमें से प्रत्येक के विरूद्ध क्या कर्न्यवाही की गई है; और

(ग) गिरफ्तार व्यक्तियों से कितने मूल्य की आवश्यक वस्तुएं बरामद की गई।

नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

चालू वर्ष के दौरान विमान सेवा के नये मार्ग

1502. **श्री पीयूष तिरकी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में विमान सेवा के कोई नये मार्ग चालू किये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान विमान सेवा के कोई नये मार्ग शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी हाँ।

(ख) अप्रैल, 1977 से प्रारम्भ हुए पिछले तीन वर्षों में इंडियन एयरलाइन्स ने 4 नये मार्गों पर सेवायें प्रारम्भ की हैं।

(1) मई 1977 से एच.एस.-748 विमान द्वारा भोपाल/जबलपुर/रायपुर सेवा।

(2) मई, 1978 से इलाहाबाद को दिल्ली/कानपुर/वाराणसी/कलकत्ता की एफ-27 सेवा पर जोड़ दिया गया है।

(3) जनवरी, 1979 से श्रीनगर/लेह के लिये बोइंग-737 सेवा।

(4) फरवरी, 1980 से दिल्ली/वाराणसी/भुवनेश्वर/कलकत्ता के लिये एफ-27 सेवा। मई, 1980 से यह उड़ान दिल्ली/लखनऊ/वाराणसी/भुवनेश्वर/कलकत्ता मार्ग पर परिचालित की जा रही है :

(ग) इंडियन एयरलाइन्स का नवम्बर, 1980 से प्रारम्भ होने वाली सर्दियों की अपनी समयावलि में मद्रास/पोर्ट ब्लेयर/मद्रास सैक्टर पर एक बोइंग-737 सेवा परिचालित करने का प्रस्ताव है।

कुद्रेमुख लौह-अयस्क कंसट्रेट को सरणीकृत सूची में शामिल करना

1503. **श्री पीयूष तिरकी : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख लौह-अयस्क कसट्रेट को सरणीकृत सूची में शामिल कर लिया गया है,

(ख) क्या निर्यात नियंत्रण आदेश को भी तदनुसार संशोधित कर लिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो लौह-अयस्क का निर्यात किन देशों को किया जायेगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) : जी, हाँ। अब लौह-अयस्क का निर्यात कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड की मार्फत किया जा रहा है। तदनुसार निर्यात नियत्रण आदेश में सशोधन किया गया है।

(ग) यह बात मांग तथा अन्य वाणिज्यिक आधारों पर निर्भर करेगी कि लौह-अयस्क का निर्यात किन-किन देशों को किया जाएगा।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से खाद्य तेलों, सीमेंट और अखबारी कागज का आयात

1504. **श्री अमर सिंह वी. राठवा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात किये गये खाद्य तेलों, सीमेंट और अखबारी कागज का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों के बीच इन वस्तुओं के वित्तरण के लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(ग) क्या सरकार इन वस्तुओं के आयात के संबंध में अपनी नीति में परिवर्तन करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान राज्य व्यापार निगम के माध्यम से खाद्य तेलों, सीमेंट तथा अखबारी कागज के आयात के ब्यौरे निम्नलिखित है :-

(मात्रा लाख मि० टन)

वस्तु	1978-79	1979-80
खाद्य तेल	5.71	10.85
सीमेन्ट	16.55	15.47
अखबारी कागज	2.33	3.13

(ख) विभिन्न राज्यों के बीच खाद्य तेलों के वितरण के लिए अपनाए गए मानदण्ड नागरिक पूर्ति मंत्रालय को संबंधित राज्य नागरिक पूर्ति विभाग द्वारा विधिवत आकलित तथा अनुशंसित जरूरत खपत पद्धति। इस प्रकार की सिफारिशों के आधार पर और खाद्य तेलों के लिए आयात योजना के अन्तर्गत नागरिक पूर्ति मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों को खाद्य तेलों का आवंटन राज्यों से प्राप्त मांगों के आधार पर सीमेंट नियंत्रण द्वारा राज्यों को त्रैमासिक आधार पर स्वदेशी सीमेन्ट के साथ साथ किया जाता है। अखबारी कागज के लिए कोई राज्य-वार वितरण मानदण्ड नहीं है। समाचार पत्रों के पंजीकार समाचार पत्र-वार आवंटन करते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मंत्रियों तथा अधिकारियों द्वारा विदेशों का दौरा

1505. **श्री एन.ई. होरो :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों में विदेशों का दौरा करने वाले मंत्रियों तथा अधिकारियों के नामों के बारे में ब्यौरा क्या है तथा उनका उद्देश्य क्या था; और

(ख) प्रत्येक मंत्री और अधिकारी पर जो विदेशी मुद्रा खर्च हुई, उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू यात्रा-भत्ते तथा दैनिक भत्ते संबंधी नियम

1506. **श्री एन.ई. होरो :**

श्री एन.के. शेजवलकर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू यात्रा नियम तथा दैनिक भत्तों संबंधी बहुत पुराने हैं;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी को दिये जाने वाला दैनिक भत्ता इतना कम होता है कि तीसरे दर्जे के होटल में भी उसे मुश्किल से जगह मिलती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेल कर्मचारियों को निःशुल्क यात्रा तथा आवास, आदि की और अब बोनस जैसी सुविधाएं उपलब्ध है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को बोनस देने पर विचार करने का है क्योंकि सरकारी कार्यालयों में दोनों का काम एक जैसा होता है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता नियम पूरक नियमावली में दिए गए हैं। हालांकि ये पूरक नियम पुराने हैं, तो भी यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते की दरों को समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है। दैनिक भत्ते की विद्यमान दरें तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं। नियमों के सरलीकरण/युक्तिकरण के लिए स्थापित किये गए कार्य-दल की सिफारिशों पर इन दरों में 1 2.1978 से आगे और सुधार किया गया जिनके द्वारा बंबई/कलकत्ता में लागू दैनिक भत्ते की उच्चतर दरें सभी 'क' श्रेणी के शहरों और दिल्ली/शिमला में लागू दरें सभी 'ख-I' श्रेणी के शहरों में स्वीकार्य की गई थी। सड़क मील दूरी की दरें पिछली बार 29.6.79 से संशोधित की गई थी। जिन मामलों में सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे होटल अथवा ऐसे अन्य प्रतिष्ठान में ठहरता है जहाँ निर्धारित शुल्कों पर भोजन और ठहरने की व्यवस्था हो, वहाँ कर्मचारी की श्रेणी के अनुसार साधारण स्थानों के लिए दरों का रेंज 6 रुपये से लेकर 35 रुपये प्रतिदिन 'ख-I' श्रेणी के नगरों के लिए 8 रुपये से लेकर 40 रुपये और 'क' श्रेणी के नगरों के लिए 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक होता है।

(ग) सरकारी ड्यूटी पर दौरा करने वाले रेलवे के कर्मचारियों को मुफ्त पास दिये जाते जाते हैं। रेलवे के कार्य-चालन कर्मचारियों को छोड़कर जिनके लिए कार्य-चालन रुम की सुविधाएँ

उपलब्ध होती हैं, दौरा करने वाले रेलवे कर्मचारियों के लिए इस प्रकार का कोई आवास उपलब्ध नहीं होता है । कुछ स्थानों पर अधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए विश्राम-गृह उपलब्ध हैं, लेकिन आवास की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है । रेलवे के कर्मचारियों को उत्पादकता-संबद्ध बोनस का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नियमों से कोई संबंध नहीं है, परन्तु यह रेलवे की उत्पादकता से संबद्ध है ।

(घ) उत्पादकता-संबद्ध बोनस योजना केवल उत्पादन संबंधी कार्य-कलापों में लगे संगठनों और विभागीय उद्यमों में स्वीकार की गई है ।

काला बाजारी के विरुद्ध अभियान और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाये रखना

1507. **श्री एन.ई. होरो** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान कालाबाजारी को रोकने और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाए रखने के लिए कोई अभियान चलाया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो कार्य निष्पादन के बारे में ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) व (ख) जी नहीं ।

राज्यों की राजधानियों पर्यटकों को सस्ता आवास

1508 **श्री भीखाभाई** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पर्यटन विभाग द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ख) क्या भारत के राज्यों की राजधानियों में पर्यटकों को सस्ता आवास उपलब्ध कराने संबंधी कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) :(क) (से) (ग) पर्यटन सवर्धन और आधारिक संरचना के विकास के चालू कार्यक्रम के अतिरिक्त, स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए पर्यटक सुविधाओं का विस्तार करने और इसके साथ-साथ विदेशों में पर्यटन की मार्केटिंग को अनुकूलतम बनाने हेतु कई उपाय सक्रिय रुप से सरकार के विचाराधीन हैं । इन सुविधाओं में अन्य बातों के साथ साथ नए यात्रा परिपथों (ट्रेवल सर्किटस का विकास, छोटे और मध्यम स्तर के पर्यटक केन्द्रों को वायु सेवा द्वारा जोड़ना, स्वदेशी और मितव्ययी विदेशी पर्यटकों के लिए समान्य कीमतों पर साफ सुथरा और आरामदायक आवास तथा भोजन की व्यवस्था, आदि शामिल होंगे । अगले 10 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धर्मिक और अन्य अभिरुचि के पर्यटक केन्द्रों पर विविध प्रकार के होटल आवास उपलब्ध कराने संबध कार्यक्रम के अंग के रुप में सस्ते भोजन और निवास संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाएगी ।

स्वदेशी पर्यकों और साथ ही मितव्ययी विदेशी पर्यटकों को सस्ता आवास उपलब्ध कराने हेतु दिल्ली में 1250 बैड वाला एक यात्री निवास पहले ही निर्माणाधीन है । जनवरी 1981 तक पूरा

हो जाने पर, यात्री निवास संलग्न स्नान-गृहों सहित दो बैड वाले और चार बैड वाले कमरों के रूप में साज सज्जा युक्त आवास सामान्य दरों पर प्रदान करेगा।

दिल्ली परियोजना के परिचालन के पहले 2-3 वर्षों के परिणामों से सरकार के संतुष्ट होने के पश्चात ही अन्य स्थानों पर इसी प्रकार की परियोजना शुरू करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

आय-कर न देने वालों के विरुद्ध विचाराधीन मामले

1509. **श्री जयनाराण रोट**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1978 के अन्त में देश भर में आय-कर न देने वालों के नाम पर कुल कितने मामले निलम्बित पड़े थे;

(ख) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें राशि 25,000 रुपये और उससे कम 25,000 रुपये से एक लाख रुपये तक एक लाख रुपये से 5 लाख तक और पांच लाख रुपये से अधिक है ; और

(ग) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोत) : (क) तथा (ख) बकाया पड़ी कर की मांगों के मामलों की संख्या के बारे में सूचना वार्षिक आधार पर एकत्र की जाती है। एक लाख रुपये तक की कर की माँगों के संबंध में जो सूचना उपलब्ध है वह कर दाताओं की संख्या के बारे में नहीं अपितु मांग तथा वसूली रजिस्टर में की गई बकाया संबंधी प्रविष्टियों की संख्या के बारे में ही है। ऐसी प्रविष्टियों का वर्गीकरण 25,000/-रुपये तक और इससे अधिक की रकमों में करने का रिकार्ड भी नहीं रखा जाता।

31 मार्च 1980* की स्थिति के अनुसार एक लाख रुपये तक की कर की बकाया माँगों के मामलों से संबंधित रजिस्टरों में 27, 60, 459 प्रविष्टियाँ थीं। एक लाख रुपये और इससे अधिक की कर की बकाया माँगों के 8291 मामले थे। इन मामलों में से बकाया पड़ी माँग से संबंधित 5250 मामले ऐसे थे जिनमें प्रत्येक मामले में एक लाख और 5 लाख रुपये के बीच के कर की माँगे बकाया पड़ी थीं।

* ये आँकड़े अनन्तिम हैं।

(ग) आयकर अधिनियम: 1961 में, कर की बकाया रकमों की वसूली और उगाही करने के लिये अर्थ दण्ड लगाना, चूक कर्त्ता को देय रकमों की कुर्की चल सम्पति का अभिग्रहण और बिक्री, अचल सम्पति की कुर्की और विक्री आदि जैसे कुछ उपायों की व्यवस्था है। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, कर की बकाया रकमोंकी वसूली के लिए संबंधित आयकर प्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त उपाय किये जाते हैं। कर की बकाया रकमों की वसूली के लिए हाल ही में जो प्रशसानिक उपाय किये गए हैं उनमें से कुछ उपाय विवरण में दिये गए है।

विवरण

कर-बकाया को कम करने और काफी लम्बे समय से देय बने इन करों की वसूली के लिए हाल में उठाये कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :—

(1) गत वर्ष की तरह ही, आयकार विभाग के चालू वित्तीय वर्ष की कार्य योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कर बकाया की वसूली को दी गयी है।

(2) मई 1980 में हुए आयुक्तों के सम्मेलन में, कर की बकाया की समस्या पर व्यापक रुप से विचार किया गया। सम्मेलन के परिणामत: लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं :—

(क) बकाया मांग में 55 प्रतिशत तथा चालू मांग में 85 प्रतिशत की कमी करना;

(ख) 1979-80 में जारी की गयी मांग की बकाया प्रविष्टयों में 85 प्रतिशत की कम करना ;

(ग) प्रत्येक मामले में, अनन्य रुप से 25,000 रुपए से अधिक के कर बकाया की वसूली करने के लिए यथापेक्षित, पृथक-पृथक आयकर अधिकारियों की तैनाती करना;

(3) कर-बकाया वसूली प्रगति की मासिक निगरानी रखी जा रही है। इस संबंध में आँकड़े, आयुक्तों से तार द्वारा मंगवाए जाते हैं और बोर्ड इस संबंध में उपयुक्त उपचारी कार्रवाई करता है।

(4) उच्च मांग वाली अपीलों अर्थात एक लाख या उससे अधिक की कर बकाया वाली अपीलों के निपटान की प्रगति पर बोर्ड कड़ी निगरानी रखता है। एतदर्थ सदस्य (राजस्व तथा लेखा परीक्षा), आयकर (अपील) आयुक्तों को व्यक्तिगत रुप से लिखते हैं और निपटान की प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है।

(5) आयकर अपीलीय न्यायधिकरण में विचाराधीन पड़ी ऐसी अपीलों की एक सूची, प्राथमिकता के आधार पर निपटान के लिए वर्ष 1979-80 में विधिमंत्रालय के माध्यम से न्यायधिकरण के अध्यक्ष को भेजी गयी थी जिनमें बकाया की बड़ी रकमें अन्तर्ग्रस्त थीं। आयकार आयुक्तों से स्थानीय पीठों के उपाध्यक्षों/सदस्यों के साथ सम्पर्क बनाए रखने का निवेदन किया गया था। उनसे यह भी निवेदन किया गया था कि वे अपने अपने क्षेत्र के उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश से मिलें तथा उच्च मांग वाले अनिर्णीत मामलों के निपटान के लिए शीघ्र तिथि निर्धारित करने का निवेदन करें। चालू वित्तीय वर्ष में भी इसी तरह की कार्रवाई करने का निश्चय किया गया है।

(6) आयकर आयुक्त के ओहदे का एक वसूली निदेशक कि, कर की बकाया वसूली विशेषत: 10 लाख रुपये और उससे अधिक के बकाया के मामलों में वसूली प्रगति पर कड़ी निगरानी रख रहा है। उसके कार्य की प्रगति पर बोर्ड द्वारा निगरानी रखी जाती है।

(7) परिसभापनाधीन कम्पनियों की ओर बकाया पड़ी कर की रकमों की वसूली में तेजी लाने के लिए कम्पनी कार्य विभाग ने बोर्ड के निवेदन पर 1979 में सभी सरकारी परिसमापकों के नाम अनुदेश जारी किया था जिसमें उनसे आयकर प्राधिकारियों से निकट सम्पर्क स्थापित करने और आयकर अधिकारियों को अपेक्षित सूचना भेजने के लिए कहा गया था। इस संबंध में आयकर अधिकारियों को भी उपयुक्त अनुदेश जारी किए जा चुके हैं।

(8) जनवरी, 1981 के दूसरे पखवाड़े में एक "कर की बकाया और वापसी निपटान पखवाड़ा" मनाया जाएगा जिसमें कर की बकाया को कम करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में तकनीकी कैडर के अधिकारियों की भर्ती

1510. **श्री जयनारायण रौत :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिकता क्षेत्र के कृषि, लघु उद्योग और अन्य स्वयं-नियोजित व्यक्तियों के ऋण संबंधी मामलों पर आगे कार्यवाही करने के लिए तकनीकी कैडर अधिकारियों की भर्ती करने वाले कौन-कौन से राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और उन अधिकारियों के लिए कौन-कौन से वेतनमान निर्धारित किए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : चूंकि सभी राष्ट्रीयकृत बैंक अब कृषि, छोटे पैमाने के उद्योगों तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के स्वनियोजित उद्यमकर्ताओं को उत्तरोत्तर अधिक ऋण दे रहे हैं, इसलिए वे इस प्रकार के ऋण के मामलों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कृषि स्नातकों तथा इंजिनियरिंग स्नातकों जैसे तकनीकी अधिकारी भर्ती करते हैं। इन अधिकारियों की मुख्यत: दो श्रेणियां हैं, अर्थात (I) कृषि क्षेत्रीय अधिकारी अथवा ग्रामीण विकास अधिकारी; और (II) छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए तकनीकी अधिकारी। ये इन अधिकारियों को सामान्यत: कनिष्ठ प्रबंधकीय वेतनमान, अर्थात् 700-40-900-50-1100-दक्षतारोध-1200-60-1800 रुपए तथा मंहगाई भत्ता और अन्य भत्ते दिए जाते हैं/दिये जा रहे हैं।

राज्यों द्वारा चुकाए गए ओवर ड्राफट

1511. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 दिसम्बर, 1979 को सभी राज्यों ने अपने ओवर ड्राफट चुका दिए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों ने ओवर ड्राफट चुकता नहीं किये थे और उन्होंने इस तारीख को जमाराशि से कितनी अधिक राशि निकाली थी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) 29 दिसम्बर, 1979 को पश्चिम बंगाल की सरकार को छोड़कर कोई भी राज्य भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफट में नहीं था। 15.12.1979 की स्थिति के अनुसार सूचना दी जा रही है क्योंकि अर्ध-वार्षिक लेखों को बन्द करने के कारण 31 दिसम्बर, 1979 बैंक अवकाश था और 30 दिसम्बर, 1979 रविवार था।

(ख) 29 दिसम्बर, 1979 को पश्चिम बंगाल की सरकार पर 14·38 करोड़ रुपए का ओवर ड्राफट था।

मिश्र इस्पात संयंत्र का विस्तार

1513. **श्री नीरेन घोष :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिश्र इस्पात संयंत्र की निहित विस्तार के लिए अतिरिक्त क्षमता का उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) क्या मोटी चादर को पतली चादर में बदलने की सुविधा देने के बजाय पतली चादर का आयत किया जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) दुर्गापुर के मिश्र-इस्पात कारखाने की इस्पात पिण्ड की क्षमता को 100,000 टन से बढ़ाकर 160,000 टन करने की विस्तार योजना (प्रथम चरण) कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) और (ग) पतली अर्थात वेदान इस्पात की ठंडी वेलित चादरों का आयात देशीय मांग और उपलब्धि के अन्तर को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। सेलम इस्पात परियोजना में भिन्न-भिन्न मोटाई की वेदाग इस्पात की ठंडी वेलित चादरों के उत्पादन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। इससे वेदाग इस्पात की ठंडी वेलित चादरों का आयात करने की आवश्यकता कम हो जाएगी।

पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों में उचित दर की दुकानें

1514. **श्री नारायणचन्द पराशर** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में 31 मार्च, 1980 को उचित दर की कितनी दुकानें थीं;

(ख) क्या भिन्न-भिन्न भौगोलिक स्थितियों वाले भू-प्रदेश को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों के मामले में इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी;

(ग) यदि हाँ, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उचित दर की दुकानों की संख्या में कितनी वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर अप्रैल, 1980 के प्रारम्भ में उचित दर की दुकानों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने की सलाह दी है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 2000 की आबादी वाले प्रत्येक गाँव अथवा गाँव समूह में एक उचित दर की दुकान हो। ग्राम पंचायत के मुख्यालय में, आबादी का का ख्याल किये बिना, एक उचित दर की दुकान हो सकती है। दूरस्थ तथा दुर्गम इलाकों, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, 1000 की जनसंख्या वाले गांव या गाँवसमूह के लिए भी एक उचित दर की दुकान हो सकती है। राज्य सरकारों को तदनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या बढ़ानी है।

विवरण

2-5-4-1980 को उचित दर/राशन की दुकानों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य	उचित दर की दुकानों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	22183
2.	असम	14290

3.	बिहार	27109
4.	गुजरात	8658
5.	हरियाणा	4469
6.	हिमाचल प्रदेश	2603
7.	जम्मू तथा काश्मीर	1500
8.	कर्नाटक	14000
9.	केरल	11648
10.	मध्य प्रदेश	18362
11.	महाराष्ट्र	26799
12.	मणिपुर	525
13.	मेघालय	1476
14.	नागालैंड	111
15.	उड़ीसा	10345
16.	पंजाब	7443
17.	राजस्थान	7973
18.	सिक्किम	13
19.	तमिलनाडु	17002
20.	त्रिपुरा	705
21.	उत्तर प्रदेश	26419
22.	पश्चिम बंगाल	17862
	योग (राज्य)	2,41,495

क्र० सं०	राज्य	उचित दर की दुकानों की संख्या
	केन्द्र शासित क्षेत्र	
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	189
24.	अरुणाचल प्रदेश	110
25.	चंडीगढ़	186
26.	दादरा तथा नगर हवेली	40
27.	दिल्ली	2151
28.	गोवा, दमन व द्वीप	373
29.	लक्षद्वीप	22
30.	मिजोरम	306
31.	पांडिचेरी	178
	योग : केन्द्र शासित क्षेत्र	3555
	योग संपूर्ण भारत	2,45,050

आयातित अशोधित तेल के बढ़ते बिल का भुगतान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

1515 **श्री जी. वाई कृष्णन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने आयातित अशोधित तेल के बढ़ते बिल का भुगतान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के न्यास से कुछ धन ऋण के रूप में लेने का निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : भुगतान शेष विषयक सहायता के संबंध में न्यास निधि से ऋण लेने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बातचीत चल रही है।

वित्त मंत्री द्वारा विदेश यात्रा

1516 **श्री जी. वाई कृष्णन् :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हमवर्ग में विश्व बैंक की अन्तरिम विकास समितियों की बैठक तथा मनीला के एशियायी विकास बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लेने के बाद हाल में वित्त मन्त्री द्वारा की गई यात्रा का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : वित्त मंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के गवर्नरोंके बोर्ड में भारत की ओर से गवर्नर के रूप में हमवर्ग में अन्तरिम समिति और विकास समिति की बैठकों में भाग लिया। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था पर 25 अप्रैल 1980 को हमवर्ग में हुई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के गवर्नरों में बोर्ड की अन्तरिम समिति की बैठक में भाग लिया। वित्त मंत्री ने विकासशील देशों को वास्तविक साधनों के अन्तरण (विकास समिति) के विषय में 24 अप्रैल को हमवर्ग में हुई बैंक और कोष के गवर्नरों के बोर्ड की सयुक्त मंत्री-स्तरीय समिति की बैठकों में भी भाग लिया। वे हमवर्ग में 23 अप्रैल, 1980 को "24 के समूह" के मंत्रियों की बैठक में भी शामिल हुए। अन्तरिम समिति की बैठक में मुख्यत: विश्व की आर्थिक सम्भावनाओं प्रतिस्थापन लेखे (सब्स्टिट्यूशन एकाउन्ट) न्यास कोष (ट्रस्ट फड) के भविष्य, अदायगियों के असन्तुलन के वित्तपोषण करने के संबंध में कोष की नीतियों, पूरक वित्तपोषण सुविधाओं के उपयोग की लागत, कोष के खर्च और कोष की आय की स्थिति आदि के सम्बन्ध में विचार विमर्श हुआ। विकास समिति की बैठक में मुख्य रूप से संरचनात्मक समायोजन के लिए उधार कार्यक्रम, सह-वित्तपोषण, गैर-रियायती ऋण गैर-सरकारी विदेशी पूंजी निवेश, ब्रान्ट आयोग की रिपोर्ट, अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सुधार विषयक तत्काल कार्यवाही का ग्रुप-24 कार्यक्रम, पूरक वित्तपोषण सुविधा के उपयोग की लागत में कमी और कोष को विस्तारित सुविधाओं को पुन: खरीद की अवधि में वृद्धि के संबंध में विचार विमर्श हुआ।

2. उपर्युक्त बैठकों में भाग लेने के बाद, वित्त मंत्री, भारत की ओर से गवर्नर की हैसियत से 30 अप्रेल से 3 मई 1980 तक मनीला में एशियाई विकास बैंक की 13वीं वार्षिक बैठक में मुख्य रूप से इन महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दिया गया।

(I) खास तौर से बढ़ती हुई मुद्रास्फीति तेल के आयात की लागत में भारी वृद्धि, उत्पादन और निवेश के गिरते हुए स्तरों, विश्व व्यापार की वृद्धि के दर में गिरावट संरक्षणात्मक प्रवृत्तियों और सदस्य विकासशील देशों की विदेशी अदायगियों को स्थिति में भारी असन्तुलन को देखते हुए, विकास शील देशों को साधनों के अन्तरण में भारी वृद्धि की वांछनीयता;

(2) बैंक के लिए भारी वित्तीय साधन प्राप्त करने की आवश्यकता ताकि वह ऋण देने के अपने स्तर में तेजी से वृद्धि कर सके; और

(3) एशियाई विकास फण्ड के साधनों में वद्धि करके बैंक के रियायती ऋण कार्यक्रम में भारी वद्धि सुनिश्चित करने की आवश्यकता और कार्यक्रम और क्षेत्रीय ऋणों तथा स्थानिय लागत के वित्तपोषण के संबन्ध में बैंक द्वारा अधिक लचीला दृष्टिकोण अपनाया जाना ।

हवाई अड्डा परामर्श और निर्माण परियोजनाएं प्राप्त करने हेतु भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का अभियान

1517 **श्री जो. वाई. कृष्णन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने हवाई अड्डा परामर्श तथा निर्माण परियोजनाएं प्राप्त करने के लिए विदेशों में कोई अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे नागर विमानन प्राधिकारियों को सहायता करने हेतु पेशकश की गई है; और

(ग) भारतीय प्राधिकारियों द्वारा वित्त पोषित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी प्रगति क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण विदेशों में विमानक्षेत्र परामर्शदात्री सेवाओं तथा निर्माण परियोजनाओं के ठेके प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगा रहा है । इस समय प्राधिकरण लीबिया, दक्षिण यमन, मालदीव और तजानिया में कार्य कर रहा है प्राधिकरण ने मलेशिया सरकार को अपनी परामर्शदात्री सेवाएं प्रस्तुत करने का प्रस्ताव भी दियां है जोकि उनके विचाराधीन है ।

(ग) इस समय भारतीय प्राधिकरणों द्वारा किसी भी परियोजना के लिये वित्त 'व्यवस्था नहीं की जा रही है ।

सोने की तस्करी

1518 **श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोने की तस्करी में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) जनवरी, फरवरी, मार्च, तथा अप्रैल 1980 के दौरान जब्त किए गये तस्करी के सोने का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 30 अप्रैल, 1980 के दिन सरकार के कब्जे में तस्करी के सोने का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सीमाशुल्क प्राधिकरियों द्वारा वर्ष 1980 के जनवरी माह में लगभग 2.5 किलो ग्राम, फरवरी में 15.4 किलोग्राम, मार्च में 1.1 किलोग्राम और अप्रैल में 2.2 किलोग्राम सोना पकड़ा गया था ।

(ग) बम्बई स्थित भारत सरकार टकसाल के कब्जे में जब्तशुदा सोने की मात्रा, 30 अप्रैल, 1980 की स्थिति के अनुसार, लगभग 26,104 किलोग्राम थी।

राज्य व्यापार निगम का निर्यात के लिये लक्ष्य बढ़ाने का निर्णय

1519 **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के निर्यात के लक्ष्य को बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं के लिए अच्छा बाजार है;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात की जा रही कुछ वस्तुओं के बारे में निगम सफलता प्राप्त नहीं कर सका है;

(घ) यदि हाँ, तो ये वस्तुए क्या हैं; और

(ङ) राज्य व्यापार निगम की असफलता के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हाँ। भारतीय राज्य व्यापार निगम ने वर्ष 1979-80 में 628 करोड़ रु० के अनुमानित निर्यातों की तुलना में वर्ष 1980-81 के दौरान 672 करोड़ रु० के निर्यातों का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(ख) चावल, तैयार चमड़ा, इंजीनियरी उत्पाद, काफी, जूते, जूते संघटक तथा सिले सिलाये परिधानों के अधिक निर्यात होने की संभावना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) तथा (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

1980 के दौरान इस्पात का अन्धाधुन्ध वितरण

1520 **श्रीमति प्रमिला दण्डवते** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि 1980 की प्रथम तिमाही के दौरान इस्पात के अन्धाधुन्ध वितरण के कारण अनेक उपभोक्ताओं ने अपने मकान बनाने बन्द कर दिये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि चुनाव वाले राज्यों का इस्पात का कोटा दुगना/अतिरिक्त सप्लाई किया गया; और

(ग) यदि हां, तो जनवरी, फरवरी, मार्च अप्रैल, 1980 के दौरान वितरण के विभिन्न क्षेत्रों को कितना इस्पात सप्लाई किया गया ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) जी नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भरतपुर (राजस्थान) में नावदई के निकट हुई विमान दुर्घटना की जांच

1521. **श्री निहाल सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में भरतपुर में नावदई के निकट 31 मार्च, 1980 को

विमान दुर्घटना के कारणों की कोई जांच की है और यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और उसके परिणामस्वरूप जान और माल की कितनी हानि हुई; और

(ख) इससे प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति और उनके परिवारों को कितनी सहायता दी गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) फाल्कन एयर का टिन्न बीच विमान वी. टी-सी जैड एक्स उदयपुर से जयपुर के लिए एक निजी (गैर-अनुसूचित) उड़ान के दौरान 31 मार्च, 1980 को जिला भरतपुर में बादबाई के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप इसमें सवार सभी व्यक्ति (विमान चालक सहित पाँच व्यक्ति) मारे गये। आघात तथा उसके परिणामस्वरूप लगी आग के कारण विमान पूर्णत: ध्वस्त हो गया। दुर्घटना की जांच विमान नियम, 1937 के नियम 74 के अधीन नियुक्त जांच समिति द्वारा की जा रही है।

(ख) विमान का यात्री-सीटों सहित, बीमा हुआ-हुआ था। बीमा कम्पनी द्वारा औपचारिकताएं पूरी कर लेने के पश्चात्, दुर्घटनाग्रस्त हर व्यक्ति बीमे की शर्तों के अनुसार क्षतिपूर्ति का हकदार होगा। क्षतिपूर्ति की राशि प्रति-व्यक्ति लगभग 1 लाख रुपये होने की सम्भावना है।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड खेतड़ी में लेखे जोखे का रखरखाव

1522. **श्री निहाल सिंह : क्या इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, खेतड़ी (राजस्थान) में रद्द की गई वस्तुओं के लेखे जोखे का तथा स्टाक रजिस्टरों का भली-भाँति रख-रखाव नहीं किया जा रहा है और बकाया ऋण अग्रिम मार्गस्थ माल तथा वसूली योग्य दावों के बारे में समायोजन नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन मामलों में प्रत्येक में असावधानी से परिणामस्वरूप कितनी हानि होने की संभावना है और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नही।

(ख) सवाल नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार द्वारा मोहनी मिल्स का अधिग्रहण

1523. **श्री पी. के. कोडियन :**

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा मोहिनी मिल्स का अधिग्रहण कर लेने और राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चलाए जाने की इच्छा प्रगट की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा और इस सम्बन्ध में सरकार का निर्णय क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हाँ।

(ख) मामला विचाराधीन है।

चेम्सफोर्ड क्लब, नई दिल्ली में एयर इण्डिया के विज्ञापन

1524. **श्री पी. के. कोडियन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इन्डिया द्वारा चेम्सफोर्ड क्लब नई दिल्ली के प्रबन्धकों के साथ क्लब के परिसर में एयर लाइन्स के विज्ञापन लगाये जाने के सम्बन्ध में कोइ सौदा किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सौदे की एक शर्त यह है कि एयर इंडिया प्रति लन्दन का एक वापसी टिकट देगा; और

(घ) क्या अब तक कोई टिकट दिया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) एयर इन्डिया ने चेम्सफोर्ड क्लब, दिल्ली के साथ, एयर इन्डिया की सेवाओं पर परिवहन के बदले में क्लब के परिसर में अपने भित्ति-चित्रों के प्रदर्शन के लिए 1973 में एक परिवहन/सेवा अनुबन्ध किया था।

(ख) अनुबन्ध का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :

अवधि	टी. एस. सी. कोड	राशि
1973-74	52291	7036 रुपये
1974-75	53296	7036 रुपये
1975-76	54291	7036 रुपये
1976-77	58197	000 रुपये
1977-78	55280	5000 रुपये
1978-79	56321	5000 रुपये

(ग) जी, नहीं। परिवहन/सेवा अनुबन्ध में यह निर्दिष्ट नहीं था कि प्रतिवर्ष दिल्ली/लन्दन/दिल्ली के लिए टिकट दी जायेगी। कुछ ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर, जहां पर कि परिवहन सेवा समझौते की व्यवस्था लागू नहीं थी, सम्बन्धित पार्टी को एयर इन्डिया द्वारा परिचालित सभी अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर समझौते के मूल्य के बराबर परिवहन सुविधा उपलब्ध थी।

(घ) जी, जहाँ। सम्बन्धित पार्टी को निम्नलिखित सैक्टरों पर चार टिकट जारी किए गए :

1. दिल्ली/लन्दन/दिल्ली-दो टिकटें
2. दिल्ली/बम्बई/सिडनी/-एक टिकट बम्बई/दिल्ली
3. दिल्ली/फ्रैंकफर्ट/लन्दन/-एक टिकट दिल्ली

चमड़ा उद्योग में प्रयुक्त ट्टटर निस्सारण (वैटल एक्सट्रैक्ट्स) की आयात लाइसेंस नीति में परिवर्तन

1525. **श्री के. लकप्पा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चमड़ा उद्योग में प्रयुक्त ट्टटर निस्सारण का आयात खुले सामान्य लाइसेंस से प्रतिबन्धित सूची में बदल दिया है;

(ख) इस परिवर्तन के क्या कारण है;

(ग) क्या यह सच है कि इस परिवर्तन से देश में चमड़ा उद्योग और छोटे चर्मकारों के कार्य में बाधा पहुँची है;

(घ) क्या सरकार को पूरे देश के चमड़ा एसोशिसिशनों से पुरानी नीति को पुनः बहाल करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हाँ तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हाँ।

(ख) स्वदेशी उत्पादन को देखते हुए आयात पर रोक लगा दी गयी है।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(घ) जी हाँ।

(ङ) सरकार ने इस समय आयत सम्बन्धी पहले दी जाने वाली खुले सामान्य लाइसेंस की सुविधा को फिर से उपलब्ध कराना आवश्यक नहीं समझा है।

अखिल भारतीय रक्षा लेखा कर्मचारी संघ द्वारा दिया गया अभ्यावेदन

1526. **श्री ए. नीलालोहिथादसन** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ से कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) उनकी माँग क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोत) : (क) अखिल भारतीय रक्षा लेखा कर्मचारी संघ के मुख्य कार्यालय के संगठन और देश भर में फैली उसकी शाखाओं, दोनों से आमतौर पर कई अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। उनका सम्बन्ध विभिन्न आम समस्याओं अथवा व्यक्ति विशेष मामलों से है। और विभाग में, उन पर सामान्य रूप से कार्यवाही की जाती है। सम्भवतः 8 मार्च, 1980 के संयुक्त संघर्ष परिषद साउथ जोन, त्रिवेन्द्रम के उस अभ्यावेदन का उल्लेख किया गया है जिसे माननीय सदस्य ने 24 मार्च, 1980 को भेजा था।

(ख) दक्षिण में नये कार्यालय खोलने/रक्षा लेखा विभाग के वर्तमान कार्यालयों का दर्जा बढ़ाने की उसमें माँग की गई है, ताकि दक्षिण के कर्मचारियों को अधिक संख्या में अपने राज्य में तैनात किया जा सके।

(ग) मामले की जाँच की जा रही है।

केरल में रक्षा नियन्त्रक की शाखा का खोला जाना

1527. **श्री नीलालोहिथादसन** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को केरल में रक्षा लेखा नियन्त्रक (पेंशन) कार्यालय की एक शाखा खोलने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस मामले की जाँच की जा रही है।

वरिष्ठ लेखा परीक्षक संघ द्वारा की गई मांगें

1528. **श्री ए. नीलालोहिथादसन** :क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वरिष्ठ लेखा परीक्षक संघ से कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) उन की माँगें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हाँ।

(ख) संघ जो मान्यता प्राप्त नहीं है की माँगें निम्नलिखित हैं :

1. एस. ए. एस. परीक्षा को समाप्त कर दिया जाए।

2. सभी अनुभाग अधिकारियों तथा लेखा परीक्षकों को प्राप्ति लेखा परीक्षा इम्तहान के पास करने पर अग्रिम वेतन-वृद्धि की मंजूरी देने की पद्धति के स्थान पर वास्तव में स्थानीय लेखा परीक्षा में लगे कार्मिकों को विशेष भत्ते की मंजूरी सम्बन्धी पद्धति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

3. सेलेक्शन ग्रेड में लेखा परीक्षकों की पदोन्नति होने पर मूल नियम 22-ग के अन्तर्गत वेतन के नियतन का लाभ, सेलेक्शन ग्रेड को गैर-क्रियात्मक में परिवर्तित करके हाल के आदेशों द्वारा वापिस ले लिया गया है, उसे पुनः दिया जाए।

(ग) 1. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में, लेखा परीक्षकों तथा सेलेक्शन ग्रेड के लेखा परीक्षकों की अनुभाग अधिकारियों के ओहदे पर पदोन्नति, जिसे समस्त अनुभाग के काम की देखभाल करनी होती है, अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा के पास करने के आधार पर होती है। यह पद्धति काफी लम्बे समय से लागू रही है तथा भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के काम की तकनीकी प्रकृति को देखते हुए, परीक्षा की योजना को समाप्त नहीं किया जा सकता।

2. सभी अनुभाग अधिकारियों और लेखा परीक्षकों को उनके प्राप्ति लेखा परीक्षा इम्तहान के पास करने पर अग्रिम वेतन वृद्धियाँ मंजूर की जाती हैं। यह लाभ अयोग्य व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता, जबकि अर्हता प्राप्त व्यक्तियों के अभाव में स्थानीय लेखा परीक्षा पर लगाए जाते हैं, चूँकि प्राधिकृत योजना के अनुसार अर्हताप्राप्त व्यक्ति ही अग्रिम वेतन-वृद्धियों को प्राप्त करते हैं।

3. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की विभागीय परिषद (संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र) के कर्मचारी पक्ष की माँग करने पर सरकार ने सेलेक्शन ग्रेड के लेखा परीक्षकों के वेतन-मान को 425-640 रुपए से बढ़ाकर 425-700 रुपए कर दिया। जबकि पहले वाला क्रियात्मक ग्रेड था, बाद वाला सेलेक्शन ग्रेड के पदों की मंजूरी के सम्बन्ध में निर्धारित किए गए सामान्य

मापदण्ड के आधार पर गैर-क्रियात्मक ग्रेड के रूप में मंजूर किए गए थे, जो कि तीसरे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित हैं। वेतन नियतन की विधि भी इन सामान्य मापदण्डों के अनुरूप की जानी है। तथापि, ऐसे व्यक्तियों को संरक्षण दे दिया गया है जो कि संशोधित आदेशों के भूतलक्षी रूप में लागू होने से प्रभावित हुए हैं।

गैर बैंकिंग कम्पनियों द्वारा धन जमा करने के सम्बन्ध में किये जा रहे कदाचार

1529. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री नवीन रवाणी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा जनता से आमन्त्रित किए जाने वाली जमा राशियों के सम्बन्ध में किए जा रहे कदाचारों की जाँच कराने के लिए आदेश देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या जाँच का आदेश दे दिया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त (ख) भाग का उत्तर न में हो तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, नहीं।

(ख और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

चालू वित्तीय वर्ष के लिये अधिक निर्यात का लक्ष्य

1530. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए अधिक निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित लक्ष्य किस तरह पूरा किया जायेगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां। राज्य व्यापार निगम ने 1980-81 के दौरान निर्यातों के लिए 672 करोड़ रु. का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि 1979-80 के दौरान 428 करोड़ रु. के अनुमानित निर्यात किये गये।

(ख) जिन मदों के सम्बन्ध में अधिक निर्यात किए जाने की सम्भावना है, उनमें ये शामिल हैं : चावल, तैयार चमड़ा इन्जीनियरी उत्पाद, काफी, जूते आदि जूते आदि के संघटक तथा सिले-सिलाये परिधान। गैर सरणीबद्ध मदों के निर्यातों पर अधिक बल दिये जाने का विचार है जिसके लिए 280 करोड़ रु. का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि पिछले वर्ष ऐसी वस्तुओं के 206 करोड़ रु. मूल्य के वास्तविक निर्यात किये गये। राज्य व्यापार निगम गैर-मार्गीकृत मदों का निर्यात बढ़ाने के लिए ये कार्य कर रहा है : उद्योगों सहायता देना, अवस्थापना का विकास करना, अन्य विकासात्मक परियोजनाएं आरम्भ करना, नई मदें आरम्भ करना तथा विद्यमान मदों के लिए नये बाजारों का उपयोग करना।

कुद्रेमुख परियोजना से अयस्क खरीदने के लिए ईरान के साथ समझौता

1531. श्री एस. एम. कृष्ण : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1974 के समझौते के अन्तर्गत ईरान 20 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष कुद्रेमुख से 75 लाख टन अयस्यक खरीदने के लिए प्रतिबद्ध था और ईरान ने परियोजना के लिए 65 करोड़ डालरों के स्थान पर केवल 22.50 करोड़ डालर धनराशि उपलब्ध की है और परियोजना को गत 2 वर्षों में भारतीय पूजी के साथ पूरा किया गया है;

(ख) : क्या समझौते का नवीनकरण न किये जाने के बारे में कोई दन्डात्मक शर्त है; यदि हाँ, तो क्या ;

(ग) सरकार का कुद्रेमुख अस्यक को किस प्रकार से उपयोग में लाने का विचार है;

(घ) मंगलौर में पैलेट सन्यन्त्र की स्थापना करने का प्रश्न किस अवस्था पर हैं; और

(ङ) इस प्रयोजना को गतिप्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे कुद्रेमुख अतिरिक्त अयस्क को पूरी तरह से उपयोग में लाया जा सके ?

वाणिज्य तथा इस्पात खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) नवम्बर, 1975 में हुए समझौतों के अनुसार ईरान को कुद्रेमुख से 15 करोड टन लौह-अयस्यक सांद्रण खरीदना था। यह सप्लाई सितम्बर, 1980 से आरम्भ करके 21 वर्षो में की जानी थी। ईरान के कुद्रेमुख परियोजनाओं के निर्माण कार्य के लिए अधिकाधिक 63 करोड़ डालर का ऋण देना था। अब तक इस ऋण में से ईरान ने मात्र 25.5175 करोड़ डालर का भुगतान किया है। भारत सरकार लगभग डेढ़ वर्ष से इस परियोजना के लिए सम्पूर्ण धन की व्यवस्था कर रही है।

(ख) संविदा की अवधि समाप्त होने से पूर्व इसके नवीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड लौह-अयस्क सांद्रण की फालतू मात्रा के लिए दूसरे बाजार ढूढ़ने का प्रयत्न कर कर रही है। इस सांद्रण से भारत में पैलेट बनाने की सम्भावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।

(ङ) कुद्रेमुख लौह- अयस्यक परियोजना का कार्य समय-सूची के अनुसार चल रहा है।

खाद्य तेल आयात लाइसेन्सों को पुनः मान्य करना

1532. श्री एस, एम. कृष्ण : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिसम्बर, 1978 से, जब खाद्य तेल का आयात राज्य व्यापार के माध्य से आरम्भ किया गया था स्थगित सभी खाद्य तेल आयात लाइसेन्सों को पुनः मान्य करने का निर्णय किया है;

(ख) गैर-सरकारी लाइसेंस धारियों के नाम क्या हैं, कितनी मात्रा में तेल का आयात किया जायेगा और किन देशों से आयात किया जायेगा;

(ग) किन कारणों से सरकार ने गैर-सरकारी माध्यम से तेल का आयात करने की अनुमति दी हैं;

(घ) यह तेल किस तरह से बेचा जायेगा/वितरित किया जायेगा और क्या गैर-सरकारी व्यापार में इसको कोई लाभ पूर्व निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस आयात में गैर-सरकारी लाइसेंसधारियों द्वारा कदाचार अथवा अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सरकार ने 2 दिसम्बर, 1978 से पूर्व, जब खाद्य तेलों का आयात राज्य वार निगम के माध्यम से सरणीबद्ध किया गया था, की गई पुख्ता संविदाओं के अनुसरण में इन तेलों के लिए जारी किए गये आयात लाइसेन्सों को को पुन: वैध करने पर विचार करने का निर्णय किया है। इस निर्णय के अन्तर्गत निर्णय लाइसेन्सों को पुन: वैध किया जा रहा है।

(ख) इस प्रकार पुन: वैध किए गये लाइसेंसों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ग) ये लाइसेंस 2 दिसम्बर, 1978 से पूर्व, जब इन खाद्य तेलों का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सरणीबद्ध किया गया था, खुले सामान्य लाइसेंसों के अन्तर्गत की गई पुख्ता बचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए जारी किये गए थे।

(घ) प्रवृत्त खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत तेलों के आयात के लिये संविदायें करने के समय ठीक समय पर इन लाइसेंसों के आधार पर आयातित तेलों के विक्रय, वितरण तथा मूल्य निर्धारण से सम्बन्धित कोई शर्तें नहीं रखी गई थीं।

(ङ) आयात लाइसेंस शर्तों के किसी भी प्रकार के उल्लघंन की दशा में आयात नियंत्रण विनियमों के अधीन उपर्युक्त कार्यवाही करने के लिए प्रशासनिक प्रबन्ध पहले ही विद्यमान हैं।

विवरण

उन पार्टियों के नाम जिनके लाइसेंस 17-6-1980 को पुन: बैध बनाये गए तथा आयात किए जाने वाले तेल की मात्रा और जिन देशों में आयात किया गया उनके नामों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	पार्टी का नाम	खाद्य तेल की मात्रा जिसके लिए पुन: वैधता दी गई	उन देशों के नाम जहाँ से आयात किया गया	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स वी. सुरेश एन्ड कम्पनी, बम्बई	125 मे. टन	सिंगापुर	
2.	मैसर्स वही	125 मे. टन	मलयेशिया	
3.	मैसर्स दि वेजीटेबलज विटामिन फूड्स क. (प्रा.) लि., बम्बई।	300 मे. टन	मलयेशिया/	
4.	मैसर्स स्वाइका आयल मिल्स, कलकत्ता	1000 मे. टन	मलेशिया/ब्रिटेन स्विटजरलैंड	
5.	मैसर्स स्वाइकां वनस्पति प्रोक्डट्स लि. कलकत्ता	500 मे. टन	मलयेशिया	
6.	मैसर्स रामदेव महादेव प्रसाद कलकत्ता	1000 मे. टन	वही	

1	2	3	4	5
7.	मैसर्स स्वाइका स्टैड आयल एन्ड वारनिश क. लि. कलकत्ता	500 मे. टन	वही	
8.	मैसर्स प्रकाश ट्रेडिंग कं., बम्बई	250 मे. टन	मलयेशिया/सिंगापुर	
9.	मैसर्स रामनलाल एन्ड कं., मद्रास	450 मे. टन	वही	
10.	मैसर्स आमीन मनीलाल एन्ड कं., प्रा. लि. बम्बई	500 मे. टन	वही	
11.	मैसर्स कामनी आयल मिल्स, बम्बई	250 ने. टन	नींदरलैंड/पीनाग /मलयेशिया	
12	मैसर्स बपना ब्रदर्स, विजियनग्राम	750 मे. टन	मलेशिया/सिंगापुर	
13.	मैसर्स कृष्णा आयल केक. उपलेटा	238 मे. ठन	वही	
14.	मैसर्स हाईडर एन्टरप्रईसिज मद्रास	100 मे. टन	मलयेशिया/सिंगापुर	
15.	मैसर्स वही	250 मे. टन	वही	
16.	मैसर्स अशोक आयल मिल्स, बम्बई	129 मे. टन	मलयेशिया	
17.	मैसर्स दीपक सालवैंट एक्स्ट्रैक्शन इन्डस्ट्रीज मेनेवादार	1850 मे. टन	मलेशिया/सिंगापुर	
18.	मैसर्स जय भारत आयल मिल्स, बम्वई,	1000 मे. टन	मलेयेशिया	
19.	मैसर्स जैन शुद्ध वनस्पति लि., नई दिल्ली	13000 मे. टन	मलयेशिया/सिंगापुर	
20.	मैसर्स हनुमान काटनसीडस, बम्बई	200 मे. टन	वही	
21.	मैसर्स एम. जमाल एण्ड कं., विजयानाग्राम	850 मे. टन	वही	
22.	मैसर्स आलिमचन्द टोपनदास बम्वई	125 मे. टन	वही	
23.	मैसर्स वही	125 मे. टन	वही	
24.	मैसर्स अलान संस प्रा. लि. बम्बई	1550 मे. टन	वही	
25.	मैसर्स बांम्बे एक्स्ट्रेक्शनज, बम्बई	160 मे. टन	वही	
26.	मैसर्स जय हिन्द आयल मिल्स, बम्बई	1150 मे. टन	जंजीवार/तंजानिया	
27.	मैसर्स हनीफ शब्बीर ब्रदर्स, विशाखापतनम	250 मे. टन	मलयेशिया/सिंगापुर मोजाम्बिक/जंजीवार	
28.	मैसर्स हाजी जकारिया हाजी इब्राहिम, काकीनाडा	50 मे. टन 50 मे. टन	मलयेशिया/सिंगापुर	
29.	मैसर्स वही		वही	
30.	मैसर्स एम. जमाल कम्पनी, विजिआनाग्राम	750 मे. टन	वही	
31.	मैसर्स कोठारी आयल प्रोडक्टस कं. राजकोट	250 मे. टन	वही	
32.	मैसर्स संजीव कुमार घानजी, बम्बई	250 मे. टन	कनाडा/सिंगापुर	

1	2	3	4	5
33.	मैसर्स मद्रास कमर्शियल कं, मद्रास	75 मे. टन	मलयेशिया/सिंगापुर	
34.	मैसर्स पीयूस ट्रेडिंग क. बम्बई	500 मे. टन	मलयेशिया/सिंगापुर संयुक्त राज्य अमरीका	
35.	मैसर्स नरायण एण्ड कं., मद्रास	520 मे. टन	मलयेशिया/सिंगापुर	
36.	मैसस लकी इन्डस्ट्रीज, अहमदाबाद	125 मे. टन	वही	
37.	मैसर्स जयन्त आयल मिल्स, जामनगर	100 मे. टन	वही	
38.	मैसर्स नारायन एन्ड क., मद्रास	200 मे. टन	वही	
39.	मैसर्स वही	500 मे. टन	वही	
40.	मैसर्स वही	200 मे. टन	वही	
41.	मैसर्स वही	1000 मे. टन	वही	
42.	मैसर्स वही	200 मे. टन	वही	
43	मैसस केडिआ आयल प्रोसेसिंग इन्डिस्ट्रीज हैदराबाद	100 मे. टन	मलयेशिया	
44.	मैसर्स मदुरा ट्रेडर्स, मद्रास	75 मे. टन	मलयेशिया/सिंगापुर	
45.	मैसर्स. एस. एम. दुरेस्वामी नाडर, मद्रास	100 मे. टन	वही	
46.	मैसर्स हनीफ शब्बीर ब्रदर्स, विशाखापतनम	100 मे. टन	वही	
47.	मैसर्स हिन्दुस्तान ब्रिज्रीज एण्ड वाटलिंग लि. नई दिल्ली ।	950 मे. टन	मलयेशिया/सिंगापुर	
48.	मैसर्स उड़ीसा आयल इण्डिस्ट्रीज लि. उड़ीसा	250 मे. टन	बेलजियम	
49.	मैसर्स विनोद साल्वएक्स्ट्रैक्स लि., मद्रास	900 मे. टन	मलयेशिया/सिंगापुर	
50.	मैसर्स विनोद ट्रेडिंग कं., मद्रास	1000 मे. टन	वही	
51.	मैसर्स प्रभात सालवेंट एक्सट्रैक्शनज इन्ड, प्रा. लि., राजकोट	2000 मे. टन	कनाडा/सिंगापुर मलयेशिया	
52.	मैसर्स नवराष्ट्र आयल मिल्स प्रा. लि., कलकत्ता	150 मे. टन	मलयेशिया	
53.	मैसर्स रिलाइबंल एक्सट्रैक्सन इण्ड प्रा. लि., बम्बई	1500 मे. टन	मलयेशिया/सिंगापुर स्विटजरलैंड/सं. रा. अ.	
54.	मैसर्स यादलम एन्ड कं, मद्रास	3500 मे. टन	सिंगापुर/मलयेशिया	
55.	मैसर्स रमेश कुमार एन्ड कं. प्रा. लि. कलकत्ता	300 मे. टन	मलयेशिया/सिंगापुर	
56.	मैसर्स नारायन दास, ब्रदर्स, बम्बई,	56 मे. टन	वही	

1	2	3	4	5
57.	मैसर्स सतीश एण्ड कं, हैदराबाद	2500 मे. टन	कोई यूरोपीय/ पत्तत सं रा. आ. मलयेशिया	
58.	मैसर्स उत्तर भारत वनस्पति प्रा. लि., जयपुर	2000 मे. टन	मलयेशिया/सिंगापुर	
59.	मैसर्स प्रीमियर वेजीटेबल प्रोडक्टस लि. जयपुर	1500 मे. टन	वही	
60.	मैसर्स जाजु एक्सपोर्टस लि. जयपुर	2500 मे. टन	वही	
61.	मैसर्स लाल चन्द सोहनलाल, कलकत्ता	150 मे. टन	मलयेशिया	
62.	मैसर्स लिवर्टी आयल मिल्स, बम्बई	231 मे. टन	सिंगापुर/मलयेशिया फ्रांस/जंजीवार	
63.	मैसर्स खालिक ब्रदर्स मद्रास	500 मे. टन	मलयेशिया/सिंगापुर	
64.	मैसर्स जयपुर आयल प्रोडक्ट्स प्रा., लि., जयपुर	1000 मे. टन	वही	
65.	मैसर्स सावुरा ट्रेडर्ज, मद्रास	153 मे. टन	वही	
	सम्मिलित कुल मात्रा	53, 012 मे. टन खाद्य तेल		

रबड़ आयात सरकारी माध्यम से न किया जाना

1534. **श्री के. ए. राजन** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रबड़ उद्योग के संगठन ने रबड़ के आयात को सरकारी माध्यम से न किये जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हाँ।

(ख) सभी पहलुओं पर समुचित रूप से विचार करने के बाद, यह विनिश्चय किया गया कि भारतीय राज्य व्यापार निगम की मार्फत रबड़ के आयातों के सरणीकरण के संबंध में स्थिति यथापूर्व बनाई रखी जाए।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में सेवा निवृत्ति आयु के मानदंड

1535. **श्री के.ए. राजन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में 1969 से पूर्व और इसके बाद सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों के लिए सेवा-निवृत्ति की आयु के अलग-अलग मानदंड अपनाये जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न असंगत स्थिति को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) बैंकिंग उद्योग में लिपिक वर्गीय और अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु समान रूप से 60 वर्ष है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व और उसके बाद इन राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती किये गए अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु नीचे की सारणी में दी गई है :-

(I) वर्ष 1969 में राष्ट्रीयकृत किये गये बैंकों में अधिकारियों की सेवनिवृत्ति की आयु

क्रम संख्या	बैंक का नाम	1969 से पूर्व भर्ती किये गए अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु	1969 के बाद भर्ती किये गए अधिकारियों की सेवानिवृति की आयु
1.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	60 वर्ष	58 वर्ष
2.	बैंक आफ इंडिया	60 वर्ष	58 वर्ष
3.	पंजाब नेशनल बैंक	60 वर्ष	58 वर्ष
4.	बैंक आफ बडौदा	60 वर्ष	58 वर्ष
5.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	60 वर्ष	58 वर्ष
6.	केनारा बैंक	60 वर्ष	58 वर्ष
7.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	60 वर्ष	58 वर्ष
8.	देना बैंक	60 वर्ष	58 वर्ष
9.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	58 वर्ष	58 वर्ष
10.	इंडियन बैंक	60 वर्ष	58 वर्ष
11.	बैंक आफ महाराष्ट्र	60 वर्ष	58 वर्ष
12.	इंडियन ओवरसीज बैंक	60 वर्ष	58 वर्ष
13.	इलाहाबाद बैंक	58 वर्ष	58 वर्ष
14.	सिंडीकेट बैंक	58 वर्ष	58 वर्ष

(II) राष्ट्रीयकृत किये गए छह बैंकों में अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु

क्रम संख्या	बैंक का नाम	सेवा निवृत्ति की आयु	टिप्पणी
1.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	55 वर्ष	
2.	आंध्र बैंक	58 वर्ष	(पहली जनवरी 1973 से पहले भर्ती किये गए अधिकारियों के लिए 60 वर्ष)
3.	कारपोरेशन बैंक	58 वर्ष	

4. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	60 वर्ष
5. विजया बैंक	60 वर्ष
6. न्यू बैंक आफ इंडिया	60 वर्ष

(ग) यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

सरकारी क्षेत्र की सरणीबद्ध एजेंसियों की कमियां

1536. **श्री के. प्रधानी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र की सरणीबद्ध एजेंसियों की कमियों की जानकारी है और क्या उसने इन एजेंसियों के बेहतर कार्य को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि नए योजना आयोग से समस्याओं की जांच करने लिए कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो समस्याओं का ब्यौरा क्या है और आयोग के जांच परिणाम क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) सरकारी क्षेत्र की सरणीबद्ध एजेंसियों के संविधान के उपबन्धों तथा अथवा अन्तर्नियमावली के अनुसार सरकार द्वारा समय पर समीक्षाएं की जाती हैं, जो समय-समय पर कमियों को प्रकट करती हैं जिन्हें समुचित उपाय करके दूर किया जाता है। सरणीबद्ध एजेंसियों के कार्य की संसद की विभिन्न समितियों, यथा प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धित समिति तथा संसदीय परामर्शदात्री समिति द्वारा समीक्षा भी की जाती है। सरणीबद्ध एजेंसियां संसद को वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करती है जिससे बाद विवाद का विषय तैयार होता है। इस प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण तन्त्र की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, सरकार कभी कभी सरकारी क्षेत्र की सरणीबद्ध एजेंसियों के ब्यौरेवार कार्यचलन की जांच करने के लिए विशेष अध्ययन दल तथा समितियाँ नियुक्य करती है और उनकी सिफारिशों के आधार पर, सरकाकी क्षेत्र के व्यापारिक निगमों में संरचनात्मक समायोजन किये जाते हैं, जिससे उनके ग्राहकों को मिलाने वाली सेवाओं में सुधार जा सके।

(ख) तथा (ग) सरकारी क्षेत्र की सरणीबद्ध एजेंसियों की समस्याओं की जांच करने के लिये सरकार द्वारा योजना आयोग से कोई विशेष अनुरोध नहीं किया है।

अमरीकी पूंजी निवेशकों द्वारा भारतीय कम्पनियों में पूंजी निवेश

1537 **जर्नादन पुजारी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीकी पूंजी निवेशकों ने भारतीय कम्पनियों का प्रबन्धक नियन्त्रण कम से कम 10 वर्षों के लिए उनको दिये जाने की अनुमित के आधार पर उनमें पूंजी निवेश के लिए रजामन्दी दिखाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) इस प्रकार का कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु सरकार की पूंजी निवेश और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम सम्बन्धी नीतियों के अनुसार जहाँ किसी सहायक कम्पनी के लिए आधुनिकतम

प्रौद्योगिकी या निर्यातोमुखता के आधार पर अनुमति दी जाती है वहाँ विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय कम्पनी के क्रियाकलाप के संबंध में अधिकांश शेयरों पर नियंत्रण रखना संभव होगा। अन्य सभी के मामलों में, विदेशी निवेशकों को किसी भारतीय कम्पनी में केवल 40 प्रतिशत तक शेयरों की अनुमति दी जाती है बशर्ते कि प्रस्तावित पूंजीनिवेश ऐसे क्षेत्र में हों जहां विदेश निवेश अनुमत है'

कुद्रेमुख परिजना से फालतू लौह अयस्क का निपटाना

1538. **श्री जानर्दन पुजारी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या कर्नाटक में कुद्रेमुख परियोजना से फालतू संकेन्द्रित लौह अयस्क के लिए विदेशों में वैकल्पिक बाजार का पता लगाने के प्रयास निष्फल सिद्ध हुए हैं ; और

(ख) : यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और फालतू अयस्क का निपटान करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) और (ख) : जी, नहीं। कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि0 साँद्रण के लिए दूसरे बजार ढूढने के बारे में भरसक प्रयत्न कर रही है।

केन्द्रीय उत्पादन तथा सीमाशुल्क विभाग में विशेष वेतन वाते पदों पर नियुक्तियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

1539. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क विभाग में विशेष वेतन वाले पदों पर नियुक्तियां विनियमित करने हेतु कोई मार्ग दर्शी सिद्धांत निर्धारित किये हैं और यदि हां, तो क्या आदेशों की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ;

(ख) क्या विशेष वेतन बाले पद चयन पद समझे जाते हैं या गैर चयन पद;

(ग) क्या विशेष वेतन वाले पदों पर नियुक्तियों विनियमित करनेके लिये विशेष ग्रेड में इस बीच कोई न्यूनतम अर्हना निर्धारित की गई है ;

(घ) क्या ऐसे अनेक मामले हैं जहां अधिकारियों को पदोन्नति पर तुरन्त उच्च पदों पर विशेष वेतन पदों पर नियुक्त किया जाता है, उदाहरणार्थ, एसिस्टैंट कलक्टरसे डिप्टी कलेक्टर के पद पर, सुपरिटेंडेंट ग्रुप बी से एसिस्टैंट कलेक्टर आदि के पद पर ; और

(ङ) क्या विशेष वेतन वाले पदों का कुछ ऐसे अधिकारियों जो वार्धक्य के कारण सेवा निवृत होगे वाले होने हैं को अतिरिक्त पेंशन तथा उपदान दिलाने की दृष्टि से उन्हें इन पदों पर नियुक्त करने हेतु उपयोग किया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोत) (क) किसी पद के साथ विशेष वेतन, संगत मूल नियमों के अनुशार और उस पद से संबंधित ड्यूटियों के स्वरुप को देखते हुए जोड़ा जाता है। अधिकारियों की तैनाती, विशेष वेतन वाले पदों पर भी उसी तरह से और उन्हीं तथ्यों के आधार पर की जाती है जिस तरह से अन्य पदों पर । विशेष वेतन वाले पदों पर नियुक्तियों का विनियम करने के कोई औपचारिक आदेश/मार्गदर्शीसिद्धांत नहीं है।

(ख) ये प्रवरण पद नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) किसी व्यक्ति की पदोन्नति के फौरन बाद उसे किसी विशेष वेतन वाले पद पर नियुक्ति के संबंध में कोई रोक नहीं है।

(ङ) तैनातियां, इस किस्म के कारणों के आधार पर नहीं की जाती हैं।

अधिवर्षता के बाद दूसरे विभागों के अधिकारियों की भर्ती

1540. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग अधिवर्षता के बाद दूसरे विभागों के अधिकारियों की भर्ती करता रहा है और यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम में ऐसे कितने सेवानिवृत्त अधिकारियों को भर्ती किया गया है ;

(ख) दूसरे विभागों से भारत पर्यटन विकास निगम में ऐसे सेवा निवृत्त अधिकारियों को भर्ती करने के विशेष कारण क्या हैं और क्या निम्न पदों से पदोन्निति के लिए अर्हताप्राप्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे सेवा निवृत्त अधिकारियों को तुरन्त बदलने और पदों को भारत पर्यटन विकास निगम के भीतर से ही योग्य अधिकारियों द्वारा भरने के लिए रिक्त करने की व्यवहार्यता पर विचार करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. एल. चन्द्राकर) : (क) से (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान, पर्यटन विभाग ने केवल एक अधिवर्षता प्राप्त अधिकारी की भर्ती की, जिसे दो वर्ष की अवधि के लिए 1.00 रुपये प्रति माह के टोकन वेतन पर अवैतनिक रूप से नियुक्त किया गया था। इस अधिकारी का कार्यकाल 15 अगस्त, 1980 को समाप्त होगा। इस अधिकारी को उसके विशिष्ट अनुभव के कारण नियुक्त किया गया था।

पिछले दो वर्षों के दौरान, भारत पर्यटन विकास निगम ने स्वयं तीन सेवा निवृत्त अधिकारियों को पुनः नियुक्त किया है जो अन्य सरकारी विभागों से संबंधित थे। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि निगम के भीतर ऐसे अधिकारी उपलब्ध नहीं थे जो कुछ विशेष नियतकार्यों के निष्पादन के उपयुक्त हों।

सरकार सेवा निवृत्त अधिकारियों के स्थान पर उपयुक्त कार्मिकों को नियुक्त करने की आवश्यकता से सदा अवगत रही है और सर्वदा तदनुसार कार्रवाई की जाती है।

कम मूल्यों की सिगरेटों पर उत्पादन शुल्क

1541. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 मई, 1980 के "फाइनेन्शियल एक्सप्रेस" में "सिगरेट यूनिसट् सीक टैक्स रिलीफ" (सिगरेट इकाइयों की कर में छूट की मांग) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलवाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उपरोक्त अभ्यावेदन के उन आशेयों की जानकारी है जो सरकार द्वारा माँग स्वीकार हो जाने से सिगरेट उद्योग की इकाइयों को जड़ से समाप्त कर देने सम्बन्धी है;

(ग) सरकार का उद्योग की छोटी इकाइयों के हित को रक्षा के लिए क्या उपाय करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार इस बात को समझती है कि कम मूल्य की निगरेटों पर उत्पादन शुल्क के रुप में लगाए अतिरिक्त प्रभार के परिणामस्वरूप उन सिगरेटों के मूल्य बढ़ जायेंगे, जिनका उपभोग समाज का निचला वर्ग करता है; और

(ङ) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि सस्ते मूल्यों की सिगरेटों की कीमत बढ़ने से ऐसे पदार्थ के मूल्यों में आम वृद्धि हो जाएगी, जिसका अधिकतर जनता उपयोग करती है ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) उक्त समाचार में उल्लिखित दरख्वास्त में दिये गये प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार नहीं किये हैं।

(ग) से (ङ) सिगरेटों पर उत्पादन शुल्क का ढांचा इस तरह से तैयार किया गया है कि सस्ते सिगरेटों पर शुल्क निचली दर पर लगता है और मंहगे सिगरेटों पर काफी ऊंची दरों पर। लघु एककों द्वारा निर्मित सस्ते मूल्य के सिगरेटों पर लागू शुल्क को वर्तमान दर में राहत देने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

आयकर विभाग के कर्मचारियों द्वारा बोनस की मांग

1542 **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के आय कर विभाग में कितने कर्मचारी काम करते हैं;

(ख) क्या इस विभाग के कर्मचारियों ने बोनस संबंधी अपनी माँग को लेकर आन्दोलन शुरू किया है;

(ग) क्या यह सच है कि बंगाल आयकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ऐसोसिएशन ने दिनांक 14 मार्च को अपनाए गए संकल्प में बोनस की अदायगी की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) आयकर विभाग में, जनवरी, 1980 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न ग्रेडों में (राजपत्रित तथा अराजपत्रित) कर्मचारियों के स्वीकृत पदो की संख्या 48,257 थी। इसमें विभागीय लेखा संगठन के कर्मचारी और समक्ष प्राधिकारी भी शामिल हैं।

(ख) आयकर कर्मचारियों के कुछ स्थानीय संघों और उनमें सम्मिलित कुछ यूनिटों ने आयकर विभाग के कर्मचारियों को बोनस देने का निवेदन किया है। पटियाला, आगरा आदि जैसे कुछ स्थानों पर बोनस की मंजूरी के लिए आयकर कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किये जाने की भी रिपोर्टें मिली हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) आयकर विभाग के कर्मचारियों को बोनस मंजूर करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

एल्यूमिनियम संयंत्र तथा उनकी अधिष्ठापति क्षमता

1543. **श्री ज्योतिमर्य बसु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने एल्यूमिनियम संयंत्र हैं और उनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) सरकार तथा निजी क्षेत्र के संयंत्रों की संख्या कितनी है और प्रत्येक क्षेत्र में उनकी मूल स्थापित क्षमता कितनी है;

(ग) वर्ष 1970-71 से 1979-80 तक प्रत्येक वर्ष कुल कितने मूल्य का तथा कुल कितनी मात्रा में एल्यूमिनियम का आयात किया गया;

(घ) वर्ष 1980-81 के दौरान कितनी मात्रा में इसका आयात करने की योजना है; और

(ङ) क्या 1979-1980 तक भारत एल्यूमिनियम के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था तथा क्या वह कुछ मात्रा में इसका निर्यात भी कर रहा था ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) देश में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों के एल्यूमिनियम संयंत्रों की संख्या तथा उनकी कुल स्थापित क्षमता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

कपनी का नाम	स्थापित क्षमता (टन/वार्षिक)	
सरकारी क्षेत्र :		
भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० (मध्य प्रदेश में कोरबा स्मेल्टर)	100,000	
गैर-सरकारी क्षेत्र :—		
1. इण्डियन एल्यूमिनियम कंपनी लि. (कर्नाटक के वेलगाम, केरल में तथा उड़ीसा में हीरा कुड स्मेल्टर)	96,170	
2. हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन (उत्तर प्रदेश–रेनुकूट स्मेल्टर)	100,000	221,170
3. मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लि० (तमिलनाडु-मैट्टूर ड़ेम/स्मेल्टर)	23,000	
कुल : 321,170		

(ग) 1970-71 से 1979-80 तक वर्ष-वार आयातित एल्यमिनियम की मात्रा तथा मूल्य नीचे दिखाया गया है :

वर्ष	आयातित मात्रा (टन)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1970-71	5660	265.71
1971-72	19117	744.25

1972-73	462	22.19
1973-74	136	4.69
1974-75	209	20.29
1975.76	5063	384.18
1976-77	336	27.93
1977-78	5536	539.61
1978-79	32974	4215.00
1979-80	76028	10956.00

स्रोत : 1. वर्ष 1970-71 से 1977-78 के आँकड़े एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम की अपरिष्कृत मिश्र धातुओं के हैं और ये आंकड़े वाणिज्य आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित 'मंथली स्टेटिस्टिक्स आफ दि फोरेन ट्रेड आफ इण्डिया' से लिए गए हैं।

2. वर्ष 1978-79 और 1979-80 के आँकड़े आयात एजेंट अर्थात् भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम तथा भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० से लिए गए हैं और ये एल्यूमिनियम पिण्डों तथा ई० सी० ग्रेड तार-छड़ों के आयात के हैं।

(घ) एल्यूमिनियम धातु के आयात की मात्रा का निर्धारण समय-समय पर धातु की मांग और अनुमानित देशी उत्पादन को ध्यान में रखकर किया जाता है। भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम ने चालू वित्त वर्ष में अब तक लगभग 60,000 टन के आयात आर्डर दिए हैं।

(ङ) देश में 1975-76 के दौरान मांग कम और उत्पादन अधिक होने के कारण प्राथमिक उत्पादकों को वर्ष 1976-77 में लगभग 34,000 टन धातु के निर्यात की अनुमति दे दी गई थी। सितम्बर, 1977 से भारत बड़ी मात्रा में एल्यूमिनियम का आयात कर रहा है।

'हिन्दालको' और 'ईडल' एल्यूमिनियम संयंत्रों का राष्ट्रीयकरण

1544. **श्री ज्योतिमर्य बसु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में स्थित बिड़लाओं की 'हिन्दालको' और महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा द्वारा नियंत्रित 'इन्दल' एल्यूमिनियम संयंत्रों का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में विचार कर रही है;

(क) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) इस समय 'हिन्दालको और 'इन्डाल' के एल्यूमिनियम कारखानों के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) परिस्थितियों-वश जरूरत होने पर ही राष्ट्रीयकरण के सवाल पर विचार किया जाएगा।

औद्योगिक क्षेत्र को बैंकों द्वारा ऋण

1545. **श्री ज्योतिमर्य बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979 के अन्त में औद्योगिक क्षेत्र से बैंक द्वारा कुल कितना ऋण दिया गया;

(ख) (1) बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों (2) बड़े पैमाने तथा मध्यम पैमाने के उद्योगों (3) 75 बड़े औद्योगिक गृहों के नियत्रणाधीन कम्पनियों और (4) 20 सबसे बड़े गृहों के नियंत्रणाधीन कम्पनियों को कुल कितना ऋण दिया गया; और

(ग) बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने से औद्योगिक विकास में असन्तुलन को कम करने में कितनी सहायता मिली है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई वारोत) : (क) दिसम्बर, 1979 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों की कुल बकाय राशि 10,264 करोड़ रुपए थी ।

(ख) दिसम्बर, 1979 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा बड़े और दरमियाने तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को दिए गए अग्रिमों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपए)
(1) छोटे पैमाने के उद्योग	2556
(2) बड़े और दरमियाने उद्योग	7708
	10264

दिसम्बर, 1976 के अन्त की स्थिति (बिल्कुल हाल की उपलब्ध सूचना), के अनुसार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत 80 बड़े औद्योगिक समूहों की कम्पनियों को दिए गए बैंक अग्रिमों की कुल बकाया राशि 1713.56 करोड़ रुपए थी । इसमें से सबसे बड़े-20 औद्योगिक घरानों (1978 में उनकी परिसम्पत्ति के आकार के अनुसार श्रेणीकृत) को दिए गए अग्रिमों की बकाया राशि 915,10 करोड़ रुपए थी । 2. जुलाई, 1969 में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक अग्रिमों के ढांचे में छोटे पैमाने के उद्योगों के पक्ष में निश्चित परिवर्तन हुआ है और औद्योगिक क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों में से उनका हिस्सा जो मार्च 1968 में लगभग 10 प्रतिशत था दिसम्बर, 1979 में बढ़कर लगभग 25 प्रतिशत हो गया ।

दैनिक उपयोग की वस्तुओं के खुदरा मूल्य

1546 **श्री ज्योतिमर्य बसु** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1979 में और 20 मई, 1980 को दैनिक उपभोग की निम्नलिखित वस्तुओं के खुदरा मूल्य क्या-क्या थे-प्रत्येक खाद्य तेल, मांस, मछली, चीनी, डेटर्जेन्टस, अण्डे, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, दियासलाई, सिगरेट और दालें; और

(ख) प्रत्येक मामले में वृद्धि अथवा कमी के लिये क्या-क्या कारण उत्तरदायी हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिसम्बर, 1979 के अन्तिम सप्ताह और 23-5-1980 को समाप्त होने वाले सप्ताह की सूचना विवरण में दी गई है।

(ख) पिछले पाँच महीनों के दौरान दियासलाइयों के खुदरा मूल्य स्थिर रहे हैं, जबकि दालों के खुदर मूल्यों का रुख मिश्रित रहा है। सामान्यत: प्रश्न के (कं) भाग में उल्लिखित अन्य वस्तुओं के खुदरा मूल्यों में वृद्धि पिछले पाँच महीनों के दौरान हुई वृद्धि स्फीतिकारी स्थिति, उत्पादन में आई गिरावट, निवेशों की लागत बढ़ने और मौसमजन्य कारणों से हुई कही जा सकती है।

विवरण

दैनिक उपयोग की चुनी वस्तुओं के खुदरा मूल्य

वस्तु/केन्द्र	किस्म	मात्रक	निम्नलिखित तारीख को खुदरा मूल्य	
			28-12-79	23-5-80
1	2	3	4	5
1. मसूर की दाल		रु० कि० ग्रा०		
ग्रेटर बम्बई		,,	5.00	4.40
कोयम्बतूर		,,	5.25	3.70
जलपाईगुड़ी		,,	5.00	3.60
दिल्ली		,,	4.80	4.20
2. अरहर की दाल		रु०/कि० ग्रा०		
ग्रेटर बम्बई		,,	5.00	4.50
कोयम्बतूर		,,	5.00	4.80
जलपाईगुड़ी		,,	5.00	5.00
दिल्ली		,,	4.60	4.20
3. मूंग की दाल		रु०/कि० ग्रा०		
ग्रेटर बम्बई		,,	5.00	5.80
कोयम्बतूर		,,	5.25	5.25
जलपाईगुड़ी		,,	5.00	5.80
दिल्ली		,,	4.80	5.80
4. उड़द की दाल		रु०/कि० ग्रा०		
ग्रेटर बम्बई		,,	5.00	4.80
कोय्म्बतूर		,,	4.00	3.80
जलपाईगुड़ी		,,	4.50	4.50
दिल्ली		,,	4.80	4.60

1	2	3	4	5
5. चना		रु०/कि० ग्रा०		
ग्रेटर बम्बई		,,	2.80	3.00
कोयम्बतूर		,,	3.00	3.30
जलपाईगुड़ी		,,	उपलब्ध नहीं	3.40
दिल्ली		,,	2.50	3.00
6. चीनी		रु०/कि० ग्रा०		
ग्रेटर बम्बई		,,	4.00	5.20
सेलम		,,	4.55	5.70
जलपाईगुड़ी		,,	5.00	6.00
दिल्ली		,,	5.00	5.80
7. मूंगफली का तेल		रु०/कि० ग्रा०		
ग्रेटर बम्बई		,,	10.20	10.60
सेलम		,,	9.20	9.90
ग्रेटर कलकत्ता		,,	17.00	16.00
दिल्ली		,,	11.50	12.00
8. जिंजली का तेल		रु०/कि० ग्रा०		
ग्रेटर बम्बई		,,	12.00	13.50
सेलम		,,	12.25	15·25
ग्रेटर कलकत्ता		,,	17.00	22.00
दिल्ली		,,	12.00	18.00
9. सरसों का तेल		रु०/कि० ग्रा०		
ग्रेटर बम्बई		,,	12.50	13.50
अमृतसर		,,	10.95	11.50
ग्रेटर कलकत्ता		,,	13.00	13.50
दिल्ली		,,	11.40	12.00
10. नारियल का तेल		रु०/कि० ग्रा०		
ग्रेटर बम्बई		,,	16.00	17.00
कोयम्बतूर		,,	14-47	15.34
ग्रेटर कलकत्ता		,,	20.00	21.00
दिल्ली		,,	16.50	18.00
11. मछली		रु०/कि० ग्रा०		
पूर्णो	पाम्फरेट	,,	15.00	15.00
ऊटाकमंड	—	,,	5.00	4.25

1	2	3	4	5
जलपाईगुड़ी	रोहू	रु./कि. ग्राम	18,00	20.00
अमृतसर	रोहू	,,	7.00	8.00
12. भेड़ व बकरे का मांस		रु०/कि० ग्रा०		
ग्रेटर बम्बई		,,	15.00	16.00
सेलम		,,	17.00	19.00
अमृतसर		,,	14.00	16.00
दिल्ली		,,	15.00	15.00
13. कपड़े धोने का साबुन	टाटा 501	1/2 बार		
श्रीनगर	,,	,,	1.60	1.65
अमृतसर	,,	,,	1.45	1.50
जयपुर	,,	,,	1.55	1.65
लखनऊ	,,	,,	1.65	1.80
14. नहाने का साबुन	लाईफबाय	रु० टिकिया		
ग्रेटर बम्बई	,,	,,	1.55	1.80
जयपुर	,,	,,	1.60	1.84
जलपाईगुड़ी	,,	,,	1.65	1.65
दिल्ली	,,	,,	1.60	1.75
15. दियासलाइयाँ		रु०/बाक्स		
श्रीनगर		,,	0.15	0.15
ग्रेटर बम्बई		,,	0.20	0.20
कोयम्बतूर		,,	0.12	0.12
दिल्ली		,,	0.20	0.20

टिप्पणी : अपमार्जकों, अण्डों तथा सिगरेटों के बारे में इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है।

स्रोत : आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों का साप्ताहिक बुलेटिन।

टंडन समिति का प्रतिवेदन

1547. **श्री के. मालन्ना** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने टंडन समिति के प्रतिवेदन की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां तो निर्यात नीति सिफारिशों और सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यात प्रधान औद्योगिक परियोजनाओं के लिए नई क्षमता बनाने हेतु समिति ने उस योजना को बहाल करने की सिफारिश की है जो 31 मार्च, 1970 से पहले चल रही थी जिसके अन्तर्गत निर्धारित क्षेत्र में निर्यात आय में वृद्धि की सीमा तक कर में छूट "टैक्स क्रैडिट" दे दी जाती थी; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने निर्यात नीति के बारे में कौन-कौन से सुझाव स्वीकार किये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) यह एक अन्तरिम प्रतिवेदन है और सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) तथा (ग) सरकार को प्रस्तुत टंडन समिति के प्रतिवेदन के अनुसार 1990-91 तक 17,968 करोड़ रु. की राशि के निर्यात का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुल निर्यातों की 10% पर वृद्धि की वास्तविक दर आवश्यक समझी जाती है । समिति की अन्तरिम सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात अभिमुख उद्योगों के लिए विशेष सुविधाएं जैसे कि आदानों, वित्त, नई क्षमता का सृजन जिसमें उस योजना का पुन: शुरू किया जाना शामिल है जो 31 मार्च, 1970 से पूर्व चल रही थी और जिसके अन्तर्गत निगमित क्षेत्र में निर्यात आय में वृद्धि की सीमा तक टैक्स क्रैडिट की अनुमति दी जाती थी, एक स्थिर आधार पर नकद क्षतिपूर्ति सहायता की प्रणाली का जारी रखा जाना तथा शुल्क वापसी की प्रणाली तथा उससे सम्बन्धित प्रक्रियाओं का युक्तिकरण, 100% निर्यातक एककों के लिए पूंजीगत माल तथा अन्य आदानों के शुल्क-मुक्त आयात, निर्यातक एककों के मामले में सभी लाइसैंसिंग औपचारिकताओं का सरलीकरण आदि की सुविधाएं शामिला हैं।

(घ) सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

देशीय पर्यटकों के लिए खान-पान तथा आवास की सुविधायें

1548. **श्री के. मालन्ना** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देशीय पर्यटक विशेषतया दिल्ली में तथा अन्य नगरों में खान-पान तथा आवास सम्बन्धी सुविधाओं के मामले में भारी कठिनाइयां अनुभव कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यटन विभाग ने देशीय पर्यटकों को उक्त सुविधायें प्रदान करने के लिये कुछ कदम उठाये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) स्वदेशी पर्यटकों और साथ-साथ मित्तव्ययी विदेशी पर्यटकों को सस्ती दरों पर बोर्डिंग और लार्जिंग सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से राजधानी में एक केन्द्रीय स्थल पर एक 1250 बैड वाला यात्री निवास इस समय निर्माणाधीन है। यात्री-निवास का निर्माण कार्य जनवरी, 1981 तक पूरा हो जाने पर, संलग्न स्नान गृहों सहित दो बैड वाले और 4 बैड वाले कमरों के रूप में साज-सज्जा युक्त (फर्निश्ड) आवास उपलब्ध हो जाएगा। बोर्डिंग और लार्जिंग की प्रस्तावित दरें फिलहाल निम्नलिखित होंगी :

लार्जिंग

2 बैड वाले कमरे में प्रतिदिन प्रतित बैड 15/-रुपए;

2 बैड वाले कमरे के लिए प्रतिदिन 30/-रुपये;

4 बैड वाले कमरे में प्रतिदिन प्रति बैड 10/-रुपये ।

बोर्डिंग

लन्च/डिनर	शाकाहारी	थाली = 4.50 रुपये
	माँसाहारी	= 6.00 रुपये
नाश्ता		= 2.00 रुपये
चाय		= 0.50 पैसे

यदि दिल्ली परियोजना के परिचालन के पहले 2-3 वर्षों के बाद सरकार इसके नतीजों से सन्तुष्ट हुई तो उसके बाद ही अन्य स्थानों पर ऐसी परियोजनाएं शुरू करने पर विचार किया जाएगा ।

विशेषत: युवा और स्वदेशी पर्यटकों के लिए सस्ता आवास प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग ने चुने हुए पर्यटक केन्द्रों पर यूथ होस्टलों और पर्यटक बंगलों का भी निर्माण किया है ।

राष्ट्रीय महत्व के चुने हुए तीर्थ केन्द्रों पर आयात सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने के लिए और इन केन्द्रों पर बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रा के लिए आने वाले निम्न आय वर्ग के पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने लिए 1860 के । सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अधीन एक "भारतीय आवास विकास समिति" नामक सोसाइटी की भी स्थापना की गई है ।

प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए बैंकों को ऋण देने में वृद्धि

1549. **श्री के. मालन्ना** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अनुदेश देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को निदेश देने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि अनुसूचित जाति के छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए निर्धारित बढ़ी हुई प्रतिशतता में से उन्हें ऋण प्राप्त होना सुनिश्चित हो सके; और

(ख) क्या प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए बैंकों के कुल ऋण देने की प्रतिशतता में भी वृद्धि की गई है और यदि हाँ, तो कितनी ।

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) सरकार ने यह निर्णय किया है कि बैंकों को अपने कुल ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का हिस्सा 33.3 प्रतिशत से बढ़ा कर 40 प्रतिशत करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

बैंकों को अलग से यह परामर्श दिया गया है कि वे अपने कुल कृषि अग्रिमों का 50 प्रतिशत छोटे और सीमान्तिक किसानों को दें और ऋण का आयोजन इस प्रकार करें कि उसका अधिकांश अनुसूचित जातियों और जनजातियों को मिले, जिनके लिए विशेष बैंक ऋण योग्य योजनाएं तैयार की जानी चाहिए जिससे उन्हें ऋण देने की गति में तेजी सुनिश्चित हो सके । विभेदी ब्याज दर योजना अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंक पात्र ऋणकर्त्ता को 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण देते हैं । यह शर्त रखी गयी है कि विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत दिये जाने

वाले अग्रिमों का कम से कम 40 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिया जाय।

घटिया किस्म के अपरिष्कृत रबड़ का कथित आयात

1550. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री पी. एम. सईद :क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने लघु रबड़ निर्माताओं को धमकी दी है कि यदि उन्होंने अपरिष्कृत रबड़ नहीं उठाया तो बयाना जब्त कर लिया जायेगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि रबड़ निर्माताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य व्यापार निगम ने घटिया किस्म का अपरिष्कृत रबड़ आयात किया है इसलिए घटिया किस्म के ऐसे अपरिष्कृत रबड़ को उठाने के लिए उन्हें विवश नहीं किया जा सकता; और

(ग) यदि हाँ, तो कोई समझौता हुआ था और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) राज्य व्यापार निगम ने उनके पास पंजीकृत वास्तविक प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं के आधार पर प्राकृतिक रबड़ का आयात किया था। संविदा के अनुसार उन प्रयोक्ताओं की बयाने की राशि जब्त की गई है, जिन्होंने आयातित रबड़ नहीं उठाया, चाहे वे किसी भी प्रकार के विनिर्माता हों।

(ख) तथा (ग) शिकायतें मिली हैं किन्तु इनका कोई आधार नहीं है। राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीद की गई प्राकृतिक रबड़ का सर्वेक्षण जनरल सुपरिन्टेडेंट ग्रुप (इन्डिया लि०) के सर्वेक्षणकर्त्ताओं द्वारा किया गया है और उन्होंने यह प्रमाणित किया है कि यह माल अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। आबंटियों के लिए इस बात की स्वतन्त्रता भी है कि है रबड़ की डिलीवरी लेने से पहले उसकी जांच कर लें। तथापि, खरीदारों के मस्तिष्क में बैठे हुए भ्रम को दूर करने के लिए राज्य व्यापार निगम एक बार फिर इस माल का सर्वेक्षण करवा रहा है।

आर्थिक और वैज्ञानिक अनुसंधान फाउन्डेशन की रिपोर्ट

1551. **श्री एम. वी चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक और वैज्ञानिक अनुसंधान फाउन्डेशन ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है। कि गैर सरकारी निगमित क्षेत्र की आयात सम्बन्धी मौलिक उत्सुकता कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के बक्तव्य के लिए कोई कारण दिया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने फाउन्डेशन द्वारा दिए गए सुझावों का अध्ययन किया है और उन्हें कहां तक स्वीकार किया है

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा एच. एस. 748 एवरो विमानों के स्थान पर दूसरे विमान खरीदना

1552. **श्री चन्द्रजीत यादव :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का एच. एस. एवरो-विमानों का उत्पादन बन्द करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इण्डियन एयरलाइन्स का विचार इनके स्थान पर किसी अन्य प्रकार के विमान खरीदने का है; उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) एच. एस.-748 विमानों की वर्तमान माँग के 1982-83 के अन्त पूरा हो जाने की सम्भावना है। उसके बाद हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा एच. एस.-748 विमानों का उत्पादन बन्द कर दिया जाएगा क्योंकि इन विमानों की और कोई माँग नहीं है।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स अपने विमान-बेड़े से एच. एस.-748 विमानों को समाप्त करने पर विचार कर रही है। इसके सम्बन्ध में इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा शीघ्र ही अध्ययन आरम्भ किया जाएगा।

ऋण दिये जाने पर नियन्त्रण के बारे में मार्गदर्नी सिद्धान्तों का उल्लंघन

1553. **श्री के. राममूर्ति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे बैंकों के नाम क्या हैं जिनसे ऋण दिये जाने पर सख्ती से नियन्त्रण करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पुन: उल्लंघन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1979-80 में स्पष्टीकरण मांगा गया है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण और अनुमोदन कक्ष से स्वीकृति के मिलने में असाधारण विलम्ब से इस प्रकार की देरी हुई है, और

(ग) यदि हाँ, तो इस स्थिति को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) रिजर्व बैंक को, वर्ष 1979 80 में, ऋण के सम्बन्ध में जारी, अपने मार्गदर्शी सिद्धान्तों की जानबूझ कर और/या निरन्तर अवहेलना करने के लिए किसी बैंक की प्रताड़ना करने का कोई अवसर नहीं आया। अलबत्ता, इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुपालन में बैंकों के निष्पादन की जाँच की प्रक्रिया और समीक्षा एवं विचार विमर्श के दौरान भी, अलग-अलग बैंकों का ध्यान उनके द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुपालन में पाई जाने वाली कमियों की ओर दिलया जाता है तथा सुधारात्मक उपायों के लिये निर्देश दिये जाते हैं। उन मामलों में जहाँ स्पष्टीकरण या मार्गदर्शन की अपेक्षा होती है, बैंकों के मार्ग दर्शन के लिए, सामान्य परिपत्र भी जारी किये जाते हैं।

(ख) तथा (ग) : ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत अनुमोदन के लिये बैंकों से प्राप्त होने वाले विभिन्न मामले, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिना अनपेक्षित विलम्ब के निपटा दिये जाते हैं। अलबत्ता, ऋण प्राधिकरण योजना के लिए, प्राप्त आवेदन पत्रों को निपटाने की प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब को और कम करने के लिए, जो कि बैंकों से पूरी सूचना प्राप्त न होने के कारण काफी बढ़ जाया करता है, भारतीय रिजर्व बैंक ने, ऐसे प्रस्तावों में देखी जाने वाली सामान्य कमियों की एक सूची सभी बैंकों को भेज दी है।

खाड़ी के देशों को माचिसों के निर्यात की सम्भावनाए

1554. **श्री के. राममूर्ति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने खाड़ी के देशों को माचिसों के निर्यात की सम्भावनाओं का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो खाड़ी के देशों को माचिसों के निर्यात के बारे में संस्थान के सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने भारत में माचिस उद्योग तथा खाड़ी क्षेत्र को उनकी निर्यात संभाव्यताओं और समस्याओं का अध्ययन किया है। यह अध्ययन संगत स्रोतों से एकत्र की गई जानकारी तथा डेस्क अनुसंधान पर आधारित है ।

(ख) माचिसों के निर्यात विकास के लिए संस्थान के सुझावों का रासायनिक तथ सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता के साथ परामर्श करके अध्ययन किया जा रहा है, जोकि माचिसों के निर्यात विकास की देखभाल करती है ।

विदेशों में जाने वाले भारतीय शिष्टमण्डल

1555. **श्री के. राममूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1977 दिसम्बर, 1977 के बीच विदेशों का दौरा करने वाले 741 भारतीय शिष्टमण्डलों पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ख) वर्ष 1978 तथा 1979 में कितने भारतीय शिष्टमण्डल विदेश गये;

(ग) उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई, और

(घ) इन शिष्टमण्डलों के दौरों के फलस्वरूप क्या परिणाम निकले ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) (क) 60, 83, 173 रुपये ।

(ख) से (घ) सूचनाए कत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा आयातित गंधक के स्टाक रोके जाना

1556. **श्री के. राममूर्ति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निमम के आयातित गन्धक के भारी स्टाक रोक रखे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त गन्धक को बेचने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं । घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने करने के लिए भंडार मुश्किल से पर्याप्त हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

इस्पात संयंत्रों में उपकरण को खतरा उत्पन्न होना

1556. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोककारी कोयला और विद्युत जैसे आदानों की नाजुक हालत से न केवल उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है अपितु सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में उपकरणों के नष्ट हो जाने का भी खतरा उत्पन्न हो गया है,

(ख) क्या यह भी सच है कि यह संकट 1980-81 में भी बना रह सकता है, और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) कोककर कोयले और बिजली की अत्यधिक कमी से न केवल इस्पात के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है बल्कि इस्पात कारखानों के महत्वपूर्ण उपस्करों को भी क्षति होने की आशंका हो गई है ।

(ख) और (ग) स्थिति में अभी कोई सुधार नहीं हुआ है । फिर भी, वर्षा ऋतु के आरंभ हो जाने से पन-बिजली के उत्पादन में सुधार होगा तथा वर्ष 1980-81 के उत्तरार्द्ध में बिजली की सप्लाई की स्थिति में सुधार होने की आशा है । इस्पात कारखानों को देशीय कोजकर कोयले की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं । इसके अलावा, देशीय आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए विदेशों से राख की कम मात्रा वाला उच्च कोटि का कोककर कोयला आयात करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

भारत से आयात पर अमरीकी सरकार द्वारा अधिक कर लगाया जाना

1558. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने भारत से आयात पर अधिक कर लगाने के बारे में नये व्यापारिक नियम लागू किये हैं;

(ख) क्या इससे भारत से वस्त्रों, लोहे की ढ़ली वस्तुओं तथा नट बोल्ट और स्क्रयू जैसे मशीनों को जोड़ने वाले पुर्जों के निर्यात पर गम्भीर प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस मामले को अमरीकी वाणिज्य विभाग के समाने उठाया है और उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अमरीकी सरकार ने व्यापार करार अधिनियम 1979 के अन्तर्गत जांच पड़ताल करने के बाद भारत से आयात होने वाली लोहे की ढली हुई वस्तुओं की कतिपय श्रेणियों पर तथा औद्योगिक फास्टनरों पर प्रतिकरात्मक शुल्क लगा दिया है । इसी प्रकार वस्त्रों के सम्बन्ध में भी जाँच पड़ताल आरम्भ की गई है ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह मामला अमरीकी सरकार के सामने उठाया गया है और इसका परिणाम अभी आना है ।

संश्लिष्ट वस्त्रों के निर्यात के बदले पोलिएस्टर वस्त्रों के शुल्क-मुक्त आयात की योजना

1559. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संश्लिष्ट वस्त्रों के निर्यात के बदले पोलिएस्टर वस्त्रों के शुल्क मुक्त आयात की योजना पर स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मिश्रित वस्त्रों का निर्यात किस सीमा तक अस्वीकृत किया जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि निर्यातकर्ताओं द्वारा तुरन्त मुनाफा कमाने के लिए इस योजना का दुरुपयोग किये जाने का पूरा-पूरा मौका है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस कदाचार को रोकने के लिए क्या उपाय किये जाते हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) : आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के आधार पर शुल्क-मुक्त आयातों की अनुमति देने वाली 15 अप्रैल, 1980 को घोषित नई योजना में पोलिएस्टर रेशा शामिल नहीं है। तथापि सीमाशुल्क की आदायगी किये बिना निर्यात उत्पादन के लिए इस मद का आयात करने वाले निर्यातक शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत अग्रिम आयात लाइसेंसों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अग्रिम लाइसेंसों के आधार पर आयातों की अनुमति निर्यात किये जाने वाले माल के विनिर्माण के लिए वस्तुत: अपेक्षित कच्चे माल की मात्राओं तक दी जाती है और एक सुनियोजित निर्यात दायित्व की शर्त के अधीन होते हैं। इस संबंध के विस्तृत नीति आयात नीति 1980-81 के परिशिष्ट 19 में निहित है।

सोवियत संघ द्वारा विशाखापत्तन इस्पात संयंत्र के लिए पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन

1560. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के संबंध में पुनरीक्षित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस बारे में सरकार का फैसला क्या है, और

(ग) क्या संयंत्र के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हाँ। हाल ही में सेल को रुसियों को सौंपी गई इकाइयों के बारे में संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) आरम्भ में विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के लिए विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने यह प्रतिवेदन अक्तूबर, 1977 में प्रस्तुत किया था। सोवियत उस के साथ किए गए सलेख (प्रोटोकोल) की शर्तों के अनुसार यह मान लिया गया था कि मुख्य उत्पादन इकाइयों अर्थात कोक-ओवन, उपोत्पाद संयंत्र, सिन्टर संयंत्र, धमन भट्टी संयंत्र, स्टील मेटिंग शाप तथा रोलिंग मिलों के लिए संशोधित

विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन रुस द्वारा तैयार किया जाएगा।। रुस के कार्य-क्षेत्र से बाहर के कार्य के लिए संशोधित विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी द्वारा तैयार किया जा रहा है। पूरे कारखाने के लिए विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन लगभग दो महीनों में तैयार हो जाएगा। सेल द्वारा इसकी जाँच कर लेने पर इसे मुख्य सलाहकार की नियुक्ति के प्रस्ताव के साथ निर्णय हेतु सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुसूचित जातियों के किसानों और सीमान्त किसानों को बैंक ऋण

1561. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग विभाग ने अनुसूचित जातियों के किसानों तथा सीमांत किसानों को ऋण देने के लिए बैंकों को आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंकों ने ऐसी कोई योजना बनाई है जिसके द्वारा अनुसूचित जातियों के किसानों अधिक ऋण दिए जा सकें; और

(ग) यदि हाँ, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इस योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को लाभ पहुँचेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) से (ग) सरकार ने, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋणों के एक भाग के रूप में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऋणकर्ताओं को दिये गए अग्रिमों की समीक्षा की थी। 2 अप्रैल, 1980 को बैंकों से अनुरोध किया गया था कि इस बात का सुनिश्चय करने के लिए उपाय करें कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऋणकर्ताओं की ऋण आवश्यकताओं की उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में पूर्ति की जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने इससे पहले जनवरी, 1979 में सभी वाणिज्यिक बैंकों को यह परामर्श दिया था कि बैंकों द्वारा कृषि को दिये जाने वाले अग्रिमों का कम से कम 50 प्रतिशत छोटे और सीमान्तिक किसानों को दिया जाना चाहिए। इन उद्देश्यों के अनुपालन में बैंक, अनुसूचित जाति और सीमान्तिक किसानों को ऋण देने की रफ्तार तेज करने के लिए उपजुक्त उपाय करते हैं।

अनुसूचित जाति के किसानों से संबंधित अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु जून, 1979 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों को दिये गए अग्रिमों की स्थिति इस प्रकार है :—

	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिये गए अग्रिमों की कुल राशि	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति का हिस्सा	प्रतिशतता
खातों की संख्या (हजार में)	9785	1178	12.0
ऋण राशि (लाख रुपयों में)	524158	17053	3·3

कृषि उत्पादन के लिये अल्पावधि और मध्यम अवधि के ऋणों की आवश्यकता के संबंध में किया गया सर्वेक्षण

1562. **श्री चित्त बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1980-81 से 1984-85 के दौरान कृषि उत्पादन के लिए अल्पावधि एवं मध्यम अवधि के ऋणों की आवश्यकता के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो सर्वेक्षण के क्या विशिष्ट परिणाम निकले हैं; और

(ग) आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जाने हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) कृषि ऋणों की आवश्यकताओं के बारे में 1980-81 से 1984-85 तक की अवधि के लिये कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। अलबत्ता भारत सरकार ने 1978-83 की अवधि के दौरान, कृषि ऋणों की आवश्यकताओं, बैंकों के पास साधनों की उपलब्धता और कृषि को दिये जाने वाले ऋणों में उनके सम्भावित अंश का मूल्यांकन किया है। लगाये गये अनुमान यह प्रकट करते हैं कि कृषि ऋणों के लिये बैंक आग्रिमों का स्तर मार्च 1983 के अन्त तक 6000 करोड़ रुपये तक पहुँच जायेगा जिसमें 1500 करोड़ रुपये अल्प कालिक ऋण और 2900 करोड़ रुपये मध्य कालिक एवं दीर्घ कालिक ऋण के रूप में होंगे। शेष ऋण अर्थात 1600 करोड़ रुपये कृषि प्रयोजनों के लिये अप्रत्यक्ष ऋणों के रूप में होंगे।

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भी कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों के लिये मार्च 1985 तक कुल संस्थागत ऋणों की मात्रा 9400 करोड़ रुपये आँकी थी। इसमें से 4000 करोड़ रुपये का अनुमान अल्पावधिक ऋण आवश्यकताओं के लिये और 5400 करोड़ रुपये का मध्यम और दीर्घ कालिक ऋण आवश्यकताओं के लिये था।

विदेशी बैंकों की शाखाओं का खोला जाना

1563. **श्री चित्त बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने विदेशी बैंकों को भारत में अपनी शाखाएँ तथा प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति देने के बारे में अपनी नीति को उदार बना दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत पाँच वर्षों में कितने विदेशी बैंकों की भारत में अपनी शखायें खोलने तथा अपने प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई है और तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान, निम्नलिखित विदेशी बैंकों को भारत में अपनी शखायें तथा प्रतिनिधि कार्यालय (जो कि बैंकिंग का कारोबार नहीं करते हैं) खोलने की अनुमति दी गई थी।

(क)—शाखायें

(1) बैंक आफ अमेरिका- शुरू में, जून, 1969 में इस बैंक को नई दिल्ली में एक शाखा खोलने की अनुमति दी गयी थी। अलवत्ता, जुलाई, 1969 में प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप, इस बैंक ने फरवरी, 1970 में एक शाखा के स्थान पर नई दिल्ली में अपना एक प्रतिनिधि कार्यालय खोला था। जून, 1977 में, बैंक को अपने प्रतिनिधि कार्यालय को शाखा में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई तथा बैंक ने सितम्बर, 1977 में इसके अनुसार कार्य किया।

(2) एमीरेट्स कमर्शियल बैंक लिमिटेड, अबु धाबी — इस बैंक को, 10 अगस्त, 1979 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बम्बई में अपनी एक शाखा खोलने की अनुमति दी गई थी। लेकिन अभी शाखा का खुलना बाकी है।

(3) यूरोपियन एशियन बैंक, हैमबर्ग — इस बैंक को, 10 अगस्त, 1979 को, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बम्बई में एक शाखा खोलने की अनुमति दी गई थी। लेकिन शाखा का खोला जाना अभी बाकी है।

(ख) प्रतिनिधि कार्यालय

बैंक का नाम	स्थान का नाम	वह तारीख जिस दिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी गई	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.
(1) बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इंटरनेशनल लिमिटेड	बम्बई	20-7-77	7-12-77 को एक कार्यालय खोला गया।
(2) बैंक आफ फारेन ट्रेड आफ यू.एस.एस.आर.	बम्बई	18-1-77	18 जनवरी, 1977 को सैद्धान्तिक तौर पर, इस बैंक को, बम्बई में अपना एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की इजाजत इस शर्त पर दी गई थी कि यह कार्यालय उसी तारीख को खोला जाना चाहिये जिस दिन कि भारतीय स्टेट बैंक का एक प्रतिनिधि कार्यालय मास्को में

1	2	3	4
			खोला जाए। औपचारिक रूप से यह कार्यालय अभी खुलना है।
(3) सोसाइटे जनरेल, पेरिस	नई दिल्ली	20-6-77	जुलाई, 1979 में इस, कार्यालय ने अपना कार्य शुरू कर दिया है।
(4) मैन्यूफैक्चर्स हैनोवर ट्रस्ट कम्पनी, न्यूयार्क	बम्बई	25-7-78	10-11-1978 को एक कार्यालय खोला गया।
(5) बरक्लेस बैंक इंटरनेशनल लिमिटेड लंदन (यू.के.)	बम्बई	28-4-79	अभी तक यह कार्यालय नहीं खोला गया है।
(6) केमिकल बैंक, न्यूयार्क (यू.एस.ए.)	बम्बई	28-4-79	25-7-79 को कार्यालय खोला गया।
(7) बैंकर्स ट्रस्ट कम्पनी, न्यूयार्क	बम्बई	28-4-79	12-7-79 को एक कार्यालय खोला गया।

कलकत्ता में "इण्डिया वंडरलैंड का निर्माण

1564. **श्री चित्त बसु :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कलकत्ता को पर्यटन की दृष्टि से एक आकर्षक स्थल बनाने के उद्देश्य से कलकत्ता में 'इंडिया वंडर लैंड" का निर्माण करने की एक परियोजना हाथ में लेने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या कदम पहले ही उठाये जा चुके हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मालदीव में पर्यटन और नागर विमानन के ढाचे के विकास के लिए सहकारी सहायता

1565. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मालदीव में पर्यटन और नागर विमानन के ढाचे का विकास करने की पेशकश की; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं।

चाँदी का पुन: निर्यात शुरु करने का प्रस्ताव

1566. **श्री एम. राम गोपाल रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चांदी का पुन: निर्यात शुरू करने का प्रस्ताव ठप्प कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) चाँदी का निर्यात पुन: शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधी नहीं था ।

मिश्र इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर की विस्तार योजना में विलम्ब

1567 **श्री सोमनाथ चटर्जी** :

श्री सुशील भट्टा चार्य : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि दुर्गापुर स्थित मिश्र इस्पात संयंत्र का घाटा तब ही दूर हो सकता है जब केन्द्र संयंत्र को तकनीकी और वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए काफी समय से विलन्बित विस्तार योजना को स्वीकृति दे देता है;

(ख) यदि हाँ, तो संयंत्र सक्षम बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इसके विस्तार योजना में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) मिश्र इस्पात कारखाने को वर्ष 1977-78 और 1978-79 में लाभ हुआ था । फिर भी, कारखाने की इस्पात पिण्ड समता 100,000 टन वार्षिक से बढ़ाकर 160,000 टन वार्षिक करने की योजना कार्यन्वित की जा रही और इसके जनवरी, 1981 में पूर्ण हो जाने की संभावना है कारखाने को मिलने वाली बिजली की उपलब्धि में वृद्धि करने के लिए दुर्गापुर इस्पात कारखाने तथा मिश्र इस्पात कारखाने दोनों के लिए एक रक्षिय विद्युत संयंत्र भी लगाया जा रहा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

व्यापार प्रतिनिधिमंडल

1568. **श्री डी. पी. जदेजा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान विदेशों से भारत आने वाले व्यापार प्रतिनिधि मंडलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से प्रत्येक के साथ हस्ताक्षर किये गये करारों की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) क्या उपरोक्त अविध के दौरान भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडलों ने भी विदेशों का दौरा किया है और किन किन देशों का दौरा किया और इन दौरों का क्या परिणाम रहा;

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) निम्न-लिखित व्यापार प्रतिनिधि मन्डलों ने चालू वर्ष के दौरान भारत की यात्रा की :—

(1) **जापान से आयात सर्वेक्षण शिष्ट मंडल**

जापान से एक सात सदस्यीय आयात संवर्धन शिष्ट मंडल ने 13 से 25 मार्च, 1980

तक भारत की यात्रा की। इस शिष्ट मडल का उद्देश्य उन मदों का पता लगाना था जिनका भारत से जापान को निर्यात किया जा सकता है। इस शिष्ट मंडल की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गए हैं।

(2) मलयेशिया के उप प्रधान मंत्री और व्यापार तथा उद्योग मंत्री की यात्रा

मलयेशिया के उप प्रधान मंत्री और व्यापार तथा उद्योग मन्त्री ने जनवरी, 1980 में वाणिज्य मन्त्री के निमन्त्रण पर भारत की यात्रा की। वाणिज्य मन्त्री ने यात्रा पर आये हुए उप प्रधान मन्त्री के साथ सामान्य स्वरूप की बातचीत की।

(3) ट्यूनिशियाई प्रतिनिधि मंडल

ट्यूनिशियाई सरकार के वाणिज्य मन्त्री के चैक दि कैवनिट श्री बौजिद हेसेइन की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीया ट्यूनिशियाई प्रतिनिधिमंडल ने 10-17 फरवरी, 1980 तक भारत की यात्रा की। भारत तथा ट्यूनिशिया के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय निकालने की दृष्टि से और उन औद्योगि क्षेत्रों के क्षेत्रों में जिनमें भारत तथा ट्यूनेशिया परस्पर लाभ के लिए सहयोग कर सकते हैं विस्तृत विचार विमर्श किया गया। ट्यूनिशियाई पक्ष ने भारत से चावल, चाय, काफी आदि की खरीद करने में विशेष रूचि जाहिर की। भारतीय पक्ष ने ट्यूनिशिया से अधिक मात्रा में लगातार फास्फोरिक एसिड खरीदने में अपनी रुचि जाहिर की। संयुक्त आयोग की बैठक के अन्त में दोनों पक्षों ने सम्मत व्यापक निष्कर्शों को शामिल करके सम्मत कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए।

(4) ईराक प्रतिनिधिमंडल

ईराक से एक मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 16-21 अप्रैल, 1980 तक नई दिल्ली में, भारत-ईराक संयुक्त आयोग की छठी बैठक के लिए भारत की यात्रा की इसने दोनों देशों के बीच व्यापार से सम्बन्धित मामलों पर बातचीत की और वर्ष 1980 के निर्देशात्मक भारत-ईराक व्यापार योजना को अन्तिम रूप दिया गया। इस व्यापार योजना में 1980 के दौरान ईराक को 160 मिनियन अमरीकी डालर के भारतीय माल का निर्यात किये जाने की सम्भावना है। व्यापार योजना में यह भी व्यवस्था है कि ईराक से भारत को सल्फर, यूरिया, खजूर तथा अन्य मदों (कच्चा तेल छोड़कर) की सप्लाई की जायेगी।

(5) सोवियत संघ तथा बुल्गारिया से व्यापार प्रतिनिधिमंडल

सोवियत संघ तथा बुल्गारिया से एक-एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया और भारत के साथ परस्परिक हित के व्यापार मामलों पर विचार विमर्श किया।

(6) जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य से प्रतिनिधिमंडल

जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के विदेश व्यापार के महा निदेशक ने भारत का दौरा किया और अन्य बातों के साथ साथ, वर्ष 1981-85 की अवधि के लिए सम्पन्न किये जाने वाले व्यापार तथा भुगतान करार सम्बन्धी मामलों पर विचार विमर्श किया।

(7) मारीशस से प्रतिनिधिमडल

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री बसन्त राय की अध्यक्षता में चार सदस्य वाले मारीशस प्रतिनिधि मंडल ने विचार विमर्श करने के लिए तथा भारत से चावल खरीदने और निवेश

संवर्धनात्तक गतिविधियों के सम्बन्ध में 9 से 13 मार्च, 1980 तक भारत का दौरा किया। दौरे के दौरान हुए विचार विमर्शों के परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम तथा मारीशस सरकार के बीच 16-4-80 को एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे जिनके अन्तर्गत भारत आई. आर.-80 को एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे जिसके अन्तर्गत भारत आई. आर.-8 क्वालिटी के 12000 मे. टन कच्चे चावल सप्लाई करेगा। (जो लम्बे, मोटे तथा अच्छी प्रकार से कूटे हुए होगे जिसमें 35 प्रतिशत तक टूटे हुए चावल शामिल हैं।

(8) मोजाम्बिक से प्रतिनिधिमंडल

मोजाम्बिक के विदेश मंत्री, श्री सालोमाओ मुगांवे की अध्यक्षता में छः सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल ने उसे 10 अप्रैल, 1980 तक भारत का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्तावित व्यापार करार, भारत से वाणिज्यिक ऋण और भारत से निर्यात करने हेतु विभिन्न संगठनों से विचार विमर्श किया। दौरे के दौरान किसी भी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये।

(9) यूगांडा से प्रतिनिधिमंडल

यूगांडा के वाणिज्य मंत्री श्री बी. आर. कामंतु की अध्यक्षता में एक 11 सदस्यीय खरीद प्रतिनिधि मंडल ने 21 अप्रैल, 1980 से करीब 2 सप्ताह के लिए भारत का दौरा किया और राज्य व्यापार निगम यिर्यात संवर्धन परिषदों तथा निजी निर्यातकों के साथ भी विचार विमर्श किया। किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये।

(10) फ्रांस का प्रतिनिधिमंडल

फ्रांस के विदेश व्यापार मंत्री श्री जीन फ्रांसिस डेनिऊ की अध्यक्षता में फ्रांस के एक प्रतिनिधिमंडल ने जनवरी, 1980 में भारत का दौरा किया और द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धों के बारे में विचार विमर्श किया। 28 जनवरी, 1980 को भारत-फ्रांस औद्योगिक तथा वाणिज्यक सहयोग के अन्तर्गत एक संलेख पर हस्ताक्षर किये गये।

(11) फिनलैंड का प्रतिनिधिमंडल

फिनलैंड के विदेश व्यापार मंत्री महामहिप श्री इस्को रकाला की अध्यक्षता में फिनलैंड के एक प्रतिनिधि मंडल ने 12 से 15 फरवर, 1980 तक हुए भारत-फिनलैंड संयुक्त आयोग के के तृतीय अधिवेशन के सम्बन्ध में भारत का दौरा किया। विचार विमर्शों के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार की समीक्षा की गई और उसमें वृद्धि करने के लिए उपाय सुझाये गये। आर्थिक औद्योगिक तथा तकनीकी सहयोग बटाने के लिए भी विचार विमर्श किया गया।

(12) ई. ई सी. चमड़ा प्रतिनिधि मंडल

ई. ई. सी देशों में क्वालिटी चमड़े के उत्पादों के विपणन तथा उन्हें तैयार करने वाले विनिर्माताओं के साथ सहयोग की संभाव्यताओं का पता लगाने और चमड़ा परिधानों, यात्रा और अन्य हल्के सामान आदि के बारे में विपणन, डिजाइन, उत्पाद प्रबन्ध वित्तीय सम्बन्धों आदि के क्षेत्र में तकनीकी परामर्श देने के लिए 9 संस्दयीय ई. ई. सी. चमड़ा प्रतिमंडल ने 10 से 17 अप्रैल, 1980 तक भारत का दौरा किया।

(13) पाकिस्तान से प्रतिनिधि मंडल

पाकिस्तान के एक प्रतिनिधि मंडल ने मार्च 1980 में भारत का दौरा किया। किसी भी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये।

(14) ईरान से प्रतिनिधि मंडल

जून, 1980 में ईरान के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया ईरान के साथ हस्ताक्षर किये गऐ कार्यवृत्त में दोनों ओर से यह सहमति प्रकट की गई कि खाद्य, कृषि, औषध तथा भेषज, इन्जीनियरी माल की सप्लाई, और परामर्शदयी सेवाओं की व्यवस्था के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाये।

(ग) चालू वर्ष के दौरान भारत से सरकारी व्यापार प्रतिनिधि मंडलों से सोवियत संघ फ्रांस, श्रीलंका तथा भूटान का दौरा किया। उनके दौरे का परिणाम इस प्रकार है :—

सोवियत संघ : कच्चे तेल तथा हाई स्पीड डीजल की सप्लाई तथा व्यापार और भुगतान करार के नवीकरण और वर्ष 1981-85 के लिए व्यापार योजना सम्बन्धी मामलों पर विचार विमर्श किया गया।

फ्रांस : भारत-फ्रांस व्यापार तथा आर्थिक मामलों पर विचार विमर्श किया गया। दोनों सरकारों के बीच तेल तथा गैस क्षेत्र में सहयोग करार पर हस्ताक्षर किये गये। दोनों देशों के बीच आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की गई।

श्रीलंका एवं भूटान : द्विपक्षीय मामलों पर विचार विमर्श किया गया।

पर्यटन उद्योग के विकास के लिये परिवर्तन

1569. **श्री डी. पी. जदेजा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में पर्यटन उद्योग के विकास के लिए कुछ परिवर्तन लाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) 1990 तक 35 लाख पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुविधाओं के विकास की गति को तेज करने हेतु पर्यटन योजना पर पुनर्विचार किया जा रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुझाए गये उपायों में से एक उपाय यह है कि चुने हुए यात्रा परिपथों पर आने वाले पर्यटक केन्द्रों का गहन रूप से विकास और संवर्धन किया जाए। यात्रा परिपथों का पता लगाने और इन यात्रा परिपथों पर आने वाले पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटक संबंधी आधारिक संरचना संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए राज्य पर्यटक अधिकारियों से विचार-विमर्श किया जा रहा है। अत: इस कार्य के पूरा हो जाने पर ही ब्यौरों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित व्यक्तियों के लिए ऋण की स्वीकृति

1570. **श्री नारायण चन्द परशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्व-नियोजन प्रयोजनों अथवा लघु उद्योगों की स्थापना के लिए अलपसंख्यकों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों से सबंधित व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण की स्वीकृति के लिए कोई प्राथमिकमा दी जाती जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार की प्राथामिकता दी जाती है और प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक ने यह प्राथामकता पहली बार कब देनी शुरू की थी;

(ग) इन श्रेणीयों को कुल स्वीकृत ऋण की तुलना में कितने प्रतिशत ऋण दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोत) : (क) से (घ) जुलाई 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकारण के समय, प्रधान मंत्री ने बताया था कि/सरकारी क्षेत्र के बैंक किसानों कारीगरों और शिल्पकारों तथा अन्य छोटे उद्यमियों के स्व-नियोजन प्रयासों सम्बन्धी ऋण आवश्यकताओं को प्रायमिकता प्रदान करेंगे । तदनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंक, कृषि, सड़क और जल परिवहन, छोटे पैमाने के उद्योग, खुदरा व्यापार, छोटे व्यापारी, शिक्षा और व्यवसायिक एवं स्वानियोजन उद्यमों जैसे क्षेत्रों को प्रथामिकता प्राप्त क्षेत्र के रुप में मानते आ रहे है जिनमें अधिकाँशत: समाज के कमजोर वर्ग लगे हुए हैं,, चाहे वे अल्पसख्यक समुदाय के हों अथवा बहुसख्यक के ।

इन क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने में दी प्राथमिकता के अनुसार, सभीसर कारी क्षेत्र के बैंकों ने प्रायमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अधिकधिक ऋण प्रसार किया है । जुलाई 1969 में उनके ऋणों की जो बकाया राशि 446 करोड़ रुपये थी और उनके ऋणों का 14.6 प्रतिशत बैठती है, वह दिसम्बर 1979 में बढ़कर लगभग 6007 करोड़ रुपये (अनन्तिम अनुमान) हो गई जो उनके कुल ऋणों का 34.1 प्रतिशत बैठती है । सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अब यह कहा गया है कि 1985 तक इन क्षेत्रों को अपने ऋणों की मात्रा को बढ़ाकर उसे अपने कुल ऋणों के 40 प्रतिशत तक पहुंचा दें । बैंकों से कहा गया है कि वे कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में से भी छोटे ऋणकर्त्ताओं की आवश्यकताओ पर विशेष ध्यान दें । बैंकों से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि 1983 तक, कृषि क्षेत्र में छोटे और सीमांतिक किसानों को उनके प्रत्यक्ष ऋणों का कम से कम 50 प्रतिशत भाग अवश्य मिलने लगे ।

बैंकों से यह भी कहा गया है कि जिला/खंड ऋण योजनायें विशेषत: अनुसूति जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के अनुकूल बनाई जानी चाहिए और इन समुदायों के लोगों के लिए बैंक ऋण योग्य विशेष योजनायें बनाई जायें ताकि इन योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाये और स्वनियोजना के लिए उन्हें अधिकाधिक ऋण प्रदान किये जा सकें ।

विभेदी ब्याज दर योजना भी जो 1972 से लागू है पूर्णरुपेण समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए बनाई गई है । इस योजना के अतर्गत बैंकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि इन ऋणों का कम से कम 40 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को दिया जाय । सितम्बर 1979 के अत की स्थिति के अनुसार इस योजना के अतर्गत 19 लाख से अधिक ऋण खातों को व्याप्त करने वाली 124.54 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी । इस राशि

में से, लगभग 8 लाख ऋण दो खातों व्याप्त करने वाली 52.54 करोड़ रुपये की बकाया राशि अनुसूति जातियों/अनुसूति जनजातियों के लोगों के नामें थी इस योजना के अंतर्गत यह राशि कुल ऋणों का 42.2 प्रतिशत बैठती है जब कि इस विषय में निर्धारित लक्ष्य 40 प्रतिशत का था।

आर्थिक अपराधों के लिए मुकदमें चलाना

1571. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आर्थिक अपराधों के लिए कुछ व्यक्तियों अथवा संस्थाओं पर मुकदमें चलाए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उनके नाम क्या हैं तथा प्रत्येक मामले में अपराध का सक्षिप्त विवरण क्या हैं;

(ग) उनके विरूद्ध दायर किए गए मुकदमों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने का विचार है कि आर्थिक अपराधों के लिए जिम्मेदारी व्यक्तियों/संस्थाओं को उचित दण्ड दिया जाये; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस अयोजन के लिए किस प्रकार की मशीनरी का गठन किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोत) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत माने गये अपराधों के सम्बन्ध में 30-4-80 की स्थिति के अनुसार विभिन्न स्तरों पर अनिर्णीत अभियोगों की संख्या 2104 है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत माने गये अपराधों के सम्बन्ध में 1-4-80 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न स्तरों पर अनिर्णीत अभियोगों की संख्या 521 है।

वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान, विभिन्न तरीकों से आय छिपाने, छिपाने के प्रयास करने और आय छिपाने को प्रोत्साहन देने के लिए, भारतीय दंड संहिता के साथ पठित प्रत्यक्ष कर कानूनों के अन्तर्गत 228 व्यक्तियों/संस्थानों पर अभियोग चालाया गया।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 में में अदालतों 242 अभियोग चलाये गये।

अन्तर्ग्रस्त मामलों की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए, अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों/संस्थानों के नामों का राज्यवार ब्यौरा और प्रत्येक मामले में अपराध के ठीक ठीक स्वरुप का ब्यौरा नहीं दिया गया है। लेकिन, यदि माननीय सदस्य किसी (किन्हीं) विशेष मामले के (मामलों) का उल्लेख करेंगे, तो ऐसे मामले (मामलों) के ब्यौरे एकत्र करके पेश करके पेश कर दिये जायेंगे।

(घ) और (ङ) सरकार आर्थिक अपराधों को समाप्त करने के लिए वचनवद्ध है और सभी वित्तीय कानूनों में सख्त दांडिक उपबंध शामिल कर दिये गये हैं जिससे सरकार आर्थिक अपराधियों से सख्ती से निपट सके। राजस्व विभाग के कानूनों का कार्यान्वयन, प्रवर्तन निदेशालय

और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जाता है ।

चांदी का निर्यात

1572. **श्री छोटूभाई गामित :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुसार भारत के लोगों के पास चाँदी का कितना भण्डार है;

(ख) विशेषकर नवम्बर, 1979 से अब तक मूल्य में भारी अन्तर होने के कारण प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में चाँदी की तस्करी होती है; और

(ग) क्या सरकार विकास संबंधी कार्यों के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन जुटाने हेतु निर्यात रोक को हटाने और चाँदी का निर्यात सरकारी माध्यम से करने के बारे में विचार कर रही ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) तथा (ख) भारत में लोगों के पास चाँदी के निजी भंडार और देश से चोरी छिपे बाहर ले जाई गई चाँदी की मात्रा के बारे में कोई अधिकारिक अनुमान नहीं है । परन्तु नवम्बर 1979 तथा मई, 1980 की अवधि के दौरान सीमाशुल्क अधिकारियों ने लगभग 197,71 लाख रुपये मूल्य की कुल 25.542 मी० टन चाँदी पकड़ी जिसका भारत से तस्कर-निर्यात किये जाने की कोशिश की जा रही थी ।

(ग) चाँदी के भारत से निर्यात पर लगी वर्तमान रोक को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

मोदी फायरस्टोन सौदे के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय

1573. **श्री नवीन रवाणी :** क्या **वित्त मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने मोदी फायरस्टोन सौदे के बारे में कोई स्पष्टीकरण मांगा है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे प्रश्न तथा मोदी फायरस्टोन के उत्तर का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में कोई निर्णय किया है; और

(घ) क्या सरकार इसे एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग को सौंपने पर विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) से (घ) मोदी रबड़ लिमिटेड मोदीनगर मुद्रा विनियम अधिनियम की धारा 19 (5) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को एक आवेदन-पत्र दिया है जिसमें बम्बई टायर्स इन्टरनेशनल लिमिटेड बम्बई में फायर-स्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी संयुक्त राज्य अमेरिका के दस-दस रुपये वाले सभी 33,30,000 शेयर सम-मूल्य पर खरीदने की अनुमति माँगी गई है । रिजर्व बैंक भारत सरकार के परामर्श से इस बारे में विचार कर रहा है । विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अन्तर्गत एकाधिकार निर्बंधनकार व्यापार प्रथा आयोग के पास इस मामले को भेजने और कुछ पूछने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

निर्यात व्यापार करने वाले कम्पनियों के लिए विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के विनियमों को उदार बनाना

1574. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यात व्यापार करने वाली कम्पनियों के लिए विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के विनियमों को उदार बनाना चाहती है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त नए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त उदारता का लाभ किन कम्पनियों को मिलने वाला है ?

वित्त मत्रालय में उपमन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कानूनों का उल्लंघन करने के लिए मैसर्स मोहन मेकिन ब्रेवरीज पर लगाया गया दण्ड

1575. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कानूनों का उल्लंघन करने के लिए मैसर्स मोहन मेकिन ब्रेवरीज पर लगाए गए दण्ड एवं शुल्क की मांग के लिए कलैक्टर के आदेश के विरुद्ध अपील पर निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो निर्णय क्या है और भारी देय राशियों को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

रुई निर्यात कोटा जारी किया जाना

1576. **छीतूभाई गामित** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष रुई निर्यात कोटा वस्तुत: कब जारी किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि इसे जारी करने में विलम्ब हुआ था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और सामान्यत: इसे कब जारी किया जाता है और इस वर्ष कब जारी किया जाना था;

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि गुजरात, आंध्रप्रदेश, पजाब, हरियाणा तथा कर्नाटक में किसानों को उक्त विलम्ब के कारण अपनी रुई की विवशतापूर्ण बिक्री करनी पड़ी;

(ङ) क्या यह सच है कि उन्होंने 23 मार्च को, मद्रास में रुई की दो लाख गाँठों का निर्यात कोटा घोषित किया था और उसी दिन राज्यपाल के सलाहकार ने लगभग एक लाख गाँठों का कोटा गुजरात को आबंटित करने की घोषणा की थी परन्तु एक महीने पर भी कोई कोटा जारी नहीं किया गया; और

(च) इस विलम्ब के लिए कौन लोग उत्तरदाई थे और उनको दण्डित करने के लिए क्या कदम उठाये थे ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) रुई 1979-80 के दौरान रेशा रुई के निर्यात के लिए कोटे निम्नलिखत अनुसार रिलीज किये गए :—

रिलीज की तारीख	मात्रा गाँठों में
20-3-1980	50,000
22-4-1980	50,000
20-5-1980	50,000
6-6-1980	3,50,000
योग :	5,00,000

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) जी हां। वाणिज्य मंत्री ने 28 मार्च, 1980 को निर्यातों के लिए रुई की 2 लाख गाँठों की रिलीज की घोषणा की थी। इस निर्णय का बाद में पुनरीक्षण किया गया और निर्यात कोटा बढ़ाकर 5 लाख गांठ कर दिया गया। रिलीजें ऊपर (क) के उत्तर में दिये गये अनुसार की गई हैं।

मन्त्रालय को इसी दिन राज्यपाल के सलाहरकार द्वारा की गई ऐसी किसी घोषणा की जानकारी नहीं है कि निर्यातों के लिए गुजरात को एक लाख गाँठें आबंटित की गई थीं। तथापि, गुजरात सहकारी विपणन परिसंघ को निर्यातों के लिए दो किस्तों में 63,000 गाँठे आबंटित की गई हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

एक बैन्ड के रेडियो पर उत्पादन शुल्क और लाइसेंस शुल्क का हटाया जाना

1577. **श्री आर. के. महालगी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बैंड के रेडियो पर उत्पादन शुल्क और लाइसेंस शुल्क हटाने की सिफारिश की है;

(ख) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय के कब तक लिए जाने की संभावना है;

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक तथा दो बैन्ड वाले रेडिओ पर से लाइसेन्स शुल्क समाप्त करने की वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है। एक बैन्ड वाले रेडियो पर उत्पादन शुल्क समाप्त करने के बारे में सूचना और प्रसारण मन्त्रालय द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गयी है।

(ख) तथा (ग) : सरकार ने एक तथा दो वैण्ड वाले रेडियो पर ब्राडकास्ट रिसीवर लाइसेंस शुल्क से छूट देने का फैसला किया है । जहां तक एक वैंड के रेडियो पर उप्पादन शुल्क का संबंध है, ऐसे रेडियो सेटों (जिनमें एक वैण्ड वाले सेट भी शामिल हैं) पर पूरी छूट है, जिनका मूल्य प्रति सेट 165 रुपये से अधिक नहीं हो और जिनका निर्माण लघु एककों द्वारा किया गया हो । एक वैण्ड के रेडियो सेटों का मूल्य 165 रु० से बढ़ जाने पर उन्हें उत्पादन शुल्क स छूट इस शर्त के अधीन बनी रहेगी कि उनका निर्माण लघु एककों द्वारा किया गया हो और ऐसे लघु एककों से रेडियो सेटों की कुल निकासी पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपये से अधिक की नहीं हुई हो; यह रियायत एक वित्त वर्ष में 50 लाख रु० के मूल्य तक के रेडियो सेटों की निकासी पर लागू होती है । एक वैण्ड के जिन रेडियो सेटों का निर्माण संगठित क्षेत्र के एककों द्वारा किया गया हो, उन पर मूल्यानुसार 15.75 प्रतिशत की दर से उत्पादन शुल्क लगता है ।

सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में राज्य व्यापार निगम की भूमिका

1578. **श्री आर. के. महालगी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि राज्य व्यापार निगम सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने में अपनी भूमिका को पर्याप्त रूप से निभा रही है,

(ख) क्या एक व्यापार संगठन होने के नाते, जिसे भारी मात्रा में खरीद करने का काम सौंपा गया है, इसका कोई बाजार-अनुसंधान संगठन है;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम ने विश्व वस्तु बाजार की निगरानी रखने के लिए वर्षों से कोई सक्षम व्यवस्था विकसित की है; और

(घ) आयात करने से प्राप्त होने वाले लाभ में सक्षम व्यापार निगम का कितना भाग है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) आयातित कच्चे माल का न्यायोचित और समान वितरण करके राज्य व्यापार निगम उन लघु क्षेत्र के विकास में सहायता पहुंचाती है जिन्हें अन्यथा गैर सरकारी आयातकों को ऊँची कीमतें देनी पड़ती । राज्य व्यापार निगम लघु क्षेत्र में तैयार होने वाले उत्पादों के लिए निर्यात बाजारों को भी संगठित करती रही है । इससे लघु क्षेत्र एककों विशेषरूप से चमड़ा, चमड़ा उत्पादों तथा अन्य विनिर्मित मदों के विकास में सहयोग मिला है ।

(ख) जी हाँ । राज्य व्यापार निगम में बाजार गवेषणा तथा सेवा प्रभाग है ।

(ग) जी हां । निगम ने एक "वस्तु तार सेवा" भी स्थापित की है जो कि रात दिन हर पल विश्व के प्रमुख बाजारों की विभिन्न वस्तुओं के संबंध में बाजार जानकारी देती है । निगम अपने विदेशों कार्यालयों, प्रमुख वस्तु दलालों तथा प्रकाशित सामाग्री के रूप में विशेषीकृत विपणन आसूचना अभिकरणों के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करता है ।

(घ) राज्य व्यापार निगम के लाभों में आयातों का अंश सरलीकरण के बारे में सरकार की नीति के अनुसार भिन्न-भिन्न है ।

आयातित स्ट्रैप्टोमाईसिन की आयात लागत तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा इसका विक्रय

1579. **श्री आर. के. महालगी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या

यह सच है कि आयातित स्ट्रेप्टोमाइसिन का आयात मूल्य 197 रु० प्रति किलोग्राम है और राज्य व्यापार निगम इसे 297 रु० प्रति किलोग्राम की दर पर बेचता है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : जी नहीं।

लौह-मिश्र धातु के उत्पादन में कमी

1580. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि गत वर्षों की तुलना में वर्ष 1979-80 में देश में लौह-मिश्र धातु के उत्पादन में कमी आई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और निकट भविष्य में सरकार का क्या कारगर उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हाँ।

(ख) लौह-मिश्र धातुओं के उत्पादन में कमी मुख्य रूप से बिजली की सप्लाई में कमी के कारण हुई है। फिर भी, देशीय माँग को पूरा करने के लिए सरकार ने लौह-मिश्र-धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी है। इस बात की घोषणा भी कर दी गई है कि वास्तविक उपयोक्ताओं के लौह-मिश्र धातुओं का आयात करने के लिए किए गए आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

इंडियन एयरलाइन्स के उच्च पदस्त अधिकारियों द्वारा पदत्याग

1581. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स के दो उच्च पदस्थ अधिकारियों ने एयरलाइन्स से त्यागपत्र दे दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उनके पदत्याग करने के कारण क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सऊदी अरब के सहयोग से एक भारतीय होटल मालिक द्वारा न्यूयार्क में पाँच स्टार होटल

1582. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने एक भारतीय होटल मालिक को सऊदी अरब के सहयोग से न्यूयार्क में एक पांच स्टार होटल खोलने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हाँ। भारत सरकार ने वाणिज्य मन्त्रालय ने एफ. ई. आर. ए., 1973 की धारा 27 के अधीन नीदरलैंड्स एण्टिलेस में मैसर्स ओबेराय होटल्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संपूर्ण स्वामित्व में एक सहायक होटल स्थापित करने सम्बन्धी उनके प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है, जो बदले में मैसर्स तामिमी फॉड एण्ड एसोशियेट्स, सऊदी अरेबिया के साथ सहयोग करते हुए एक साझेदारी के रूप में यू. एस. ए. में एक संयुक्त उपक्रम होटल परियोजना में पूंजी लगाएंगे।

(ख) प्रस्तावित होटल न्यूयार्क में एक साझेदारी कम्पनी के माध्यम से स्थापित किया जाएगा जिसमें मैसर्स ओबेराय होटल्स के 25% शेयर होंगे जबकि शेष 75% शेयर मैसर्स तामिमी फाँड एण्ड एसोशियेट्स साऊदी अरेबिया के होंगे।

न्यूयार्क में यह होटल वर्तमान होटल वारविजान के स्थल पर अवस्थित होगा। यह नया डीलक्स होटल एक होटल होगा जिसमें 253 कमरे तथा 30 सूट्स होंगे कुल लागत 350 लाख अमरीकी डालर होने का अनुमान है।

विशाखापत्तनम में समेकित इस्पात संयंत्र

1:83. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने जून, 1979 में विशाखापत्तनम में समेकित इस्पात संयंत्र की मंजूरी दी थी; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और इस बारे में अब तक कितनी प्रगती हुई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हाँ।

(ख) सरकार ने 2,256 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की है जिसकी वार्षिक क्षमता 34 लाख टन द्रव इस्पात तैयार करने की होगी। यह कारखाना हल्के और मध्यम मर्चेन्ट उत्पाद, तार छड़ और यूनीवर्सल वीम तैयार करेगा। कारखाने का प्रथम चरण निर्माण कार्य के आरम्भ होने से 4 वर्षों में पूरा हो जाएगा और उत्पादन होना आरम्भ हो जाएगा तथा 34 लाख टन चरण उसके 2 वर्ष पश्चात् पूरा होगा।

कारखाने के लिए पहले तैयार किए गए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में संशोधन किया जा रहा है।

संशोधित विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन का रूसी भाग प्राप्त हो गया है उसकी जाँच की जा रही है। आशा है सम्पूर्ण संशोधित विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन 2 महीनों में तैयार हो जाएगा। इस बीच स्थल कार्य पर विभिन्न अवस्थान तथा निर्माण पूर्व कार्य किये जा रहे हैं। कारखाने के लिए अपेक्षित भूमि में से अधिकाँश भूमि प्राप्त कर ली गई है। स्थल को समतल करने का कार्य चल रहा है और 30 लाख घन मीटर से अधिक मिट्टी का काम पूरा हो गया है। सरकार विस्थापित परिवारों को फिर से बसाने का काम कर रही है। स्थल पर निर्माण कार्य के लिए पानी और बिजली की व्यवस्था कर दी गई है। कारखाने को दूसरे भागों से मिलाने वाली सड़कों, निर्माण कार्य के लिए

पानी और बिजली पहुँचने की व्यवस्था, स्थल कार्यालयों, स्टोरेज शेड आदि का कार्य चल रहा है। रेलवे ने इस्पात कारखाने के स्थल पर साइडिंग तैयार करने का काम आरम्भ कर दिया है।

रुई उत्पाद में भर मार

1584. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या वाणिज्य खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष देश में रुई उत्पादन में भरमार होने के सम्बन्ध में संकेत मिले हैं;

(ख) रुई का कुल उत्पादन कितना है और देश में इस सीजन में पिछले वर्ष से आगे लाया गया रुई का स्टाक कितना है;

(ग) कपड़ा मिलों तथा गैर-कपड़ा एककों की रुई की अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(घ) भारतीय रुई निगम ने कौन-सी वसूली नीति अपनायी है तथा इसकी बिक्री और वितरण सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय रुई निगम ने अब तक रुई की बिक्री में भी हानि उठायी है; और

(च) इस वर्ष देश से कितनी रुई का निर्यात करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) ऐसे संकेत है कि देश में इस वर्ष रुई का उत्पादन संतोषजनक है।

(ख) तथा (ग) रुई सलाहकर बोर्ड द्वारा 14-5-1980 को हुई अपनी बैंक में लगाए गए अनुमानों के अनुसार चालू रुई मौसम 1979-80 के दौरान रुई के पिछले बकाया आगे ले जाए गए स्टाक, उत्पादन तथा रुई की आवश्यकता निम्नोक्त प्रकार है :

(170-170 कि० ग्रा० की गांठें लाख में)

पिछले बकाया आगे ले जाए गए स्टाक	27.27
उत्पादन	78.50
कपड़ा मिलों की माँग	73.00
अन्य अर्थात् गैर-कपड़ा मिलों की माँग	2.50

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) जी नहीं। रुई की खरीदारियाँ तथा बिक्रिय जारी है और नियम का लेखा वर्ष 31 अगस्त 1980 को समाप्त होगा। इसलिए, जब तक चालू रुई मौसम के सम्बन्ध में लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दे दिया जाता तब तक यह बताना सम्भव नहीं होगा कि नियम को चालू रुई मौसम के दौरान नुकसान हुआ अथवा उसने लाभ अर्जित किया।

(च) सरकार ने अब तक 1979-80 की चालू रुई फसल की रेशा रुई की कुल 5.10 लाख गाँठें निर्यात करने की घोषणा की है जिसमें बंगाल देशी रुई की 50,000 गांठें तथा यलो पिकिग्स की 10,000 गाँठें भी शामिल हैं।

विवरण

यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि रुई उपजकर्त्ताओं द्वारा लाभकारी कीमतें प्राप्त की जाएं, भारतीय रुई निगम ने निम्नोक्त खरीद नीति अपनाई है :

1. विनियमित विपणन समितियों के तत्वाधान में खुली निलामी/गुप्त निविदा से विनियमित बाजारों में कपास की खरीदारियां।

2. विनियमित बाजारों में खुली निलामी/गुप्त विविदा से लिन्ट की खरीदारी।

3. सहकारी समितियों तथा उनकी फैडरेशनों द्वारा जमा की गई कपास की खरीदारियां।

4. रुई उपजकर्त्ताओं की सहकारी समितियों से पूरी तरह दावी गई गांठों की खरीदारियां।

5. चल रही बाजार दरों पर इन सभी खरीदारियों के प्रभाव।

6. उन राज्यों में जहाँ पर सभी भागों में विनियमित बाजार नहीं हैं वहां पर निगम ने मौटे तौर पर चुनाव तथा वजन करने के लिए चुनावकर्त्ताओं का अपना दल भेज कर गांव में रुई उपज कर्त्ताओं से सीधे कपास खरीदने की नीति तैयार की है।

7. निगम ने अपने डिपो भी खोले हैं जहाँ पर निगम को वेचने के लिए उपजकर्त्ता अपनी कपास ला सकते हैं।

भारतीय रुई निगम द्वारा अपनाई जाने वाली विक्री सम्बन्धी नीति निम्नोक्त प्रकार है :

1. जव विभिन्न किस्मों के लिए मात्राएं तथा किमतें तय हो जाती हैं तब निगम राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रतिनिधियों के साथ पाक्षिक वैठकें आयोजित करके राष्ट्रीय वस्त्र निगम के मिलों को रुई वेचता है;

2. निगम राज्य वस्त्र निगमों, सहकारी कताई मिलों तथा गैर-सरकारी मिलों को प्रतिदिन प्रचलित बाजार कीमतों पर जब की स्टाक उपलब्ध होते हैं रुई वेचता है।

3. आयातित रुई की बिक्री : जव कभी भी रुई आयात की जाती है उसे वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी किए गए कोटाओं के आधार पर मिलों को वेचा जाता है।

अधिक भीड़ वाले मार्गों पर विमानों की सेवाएं बढ़ाने की योजनाएं

1585. **डा० बसन्त कुमार पंडित:** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह वताने की कृपा कि करेंगे :

(क) क्या सरकार ने इन्डियन एयरलाइन्स और एयर इन्डिया के विमानों में अधिक वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो (एक) इन्डियन एयरलाइंस और (दो) एयर इंडिया के वेड़ों में विमानों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ग) उनमें से कितने विमान (एक) अप्रचलित (दो) संचालन में अलामप्रद और (तीन) उड़ान के योग्य नहीं हैं; और

(घ) अधिक भीड़ वाले मार्गों पर विमानों की सेवाएं बढ़ाने और नए मार्गों पर विमान सेवाएं आरम्भ करने की क्या योजनाएं हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) सरकारी अनुमोदन से इंडियन एयरलाइन्स चालू वर्ष में दो एयरवस तथा चार बोइंग 737 विमान प्राप्त करेगी। 1981 में इंडियन एयरलाइन्स के विमान-वेड़े में चार और बोइंग

737 विमान सम्मिलित किए जाएंगे। एयर इंडिया ने 3 बोइंग 747 विमानों के लिए सरकार के अनुमोदन से एक आशय-पत्र जारी कर दिया है।

(ख) इन्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इन्डिया के परिचालनरत विमान-बेड़ों की वर्तमान संख्या नीचे दी गयी है :

इंडियन एयरलाइंस		
एयरबस	6	
बोइंग 737	13	
एच. एस.–748	15	(नागर विमानन के महानिदेशक से पट्टे पर लिए गये एक विमान सहित)
एफ-27	8	
कुल	42	
एयर इंडिया		
बोइंग 747	10	
बोइंग 707-437	3	
बोइंग 707-337	5	
कुल	18	

(ग) (i) कोई नहीं।

(ii) इन्डियन एयरलाइंस के एच. एस.-748 तथा एफ-27 विमान और एयर इंडिया के बोइंग 707-437 विमान अलाभप्रद हैं

(iii) कोई नहीं।

(घ) आने वाले कुछ महीनों में, अपने विमान-बेड़े में अतिरिक्त एयरबस तथा बोइंग 737 विमान सम्मिलित कर लेने के बाद, इन्डियन एयरलाइन्स नवम्बर, 1980 से निम्नलिखित व्यस्त मार्गों पर धारिता में वृद्धि कर रही है :

दिल्ली/बम्बई/दिल्ली
दिल्ली/खुजूराहो/वाराणसी
बम्बई/बगलौर/बम्बई
मद्रास/बगलौर/मद्रास
दिल्ली/लखनऊ/दिल्ली
बम्बई/मद्रास/बम्बई

इंडियन एयरलाइन्स की बम्बई/राजकोट, कलकत्ता/भुवनेश्वर जैसे कुछ क्षेत्रीय मार्गों पर, जिन पर इस समय टर्बो प्रॉप विमान चलाए जा रहे हैं, जेट विमान परिचालित करने की योजनाएं हैं।

एयर इंडिया ने निम्नलिखित मार्गों पर चारिता/सेवाओं की संख्या में वृद्धि की है :

भारत/कॉटिनैन्ट
भारत/जापान
भारत/गल्फ

एयर इंडिया ने जून, 1980 से निम्नलिखित नये मार्ग चालू किये है :
भारत/जाम्बिया/तेजानिया
भारत/बगलादेश
भारत/आस्ट्रेलिया मार्ग पर मेलबोर्न को सम्मिलित कर लिया गया है ।

इंडियन एयर लाइन्स और एयर इन्डिया में कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता

1586. **डा० वसन्त कुमार पंडित** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया में कर्मचारियों को विगत तीन वर्षों में समयोपरि भत्ते की कितनी अदायगी की गई; और

(ख) इसमें वृद्धि के क्या कारण हैं और उसको कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क)

(लाख रुपयों में)

	1977-78	1978-79	1979-80
एयर इंडिया	117·23	131·85	150·21
इंडियन एयरलाइंस	22·30	50·17	70·13

(ख) एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के समयोपरि भत्ते के बिल में वृद्धि के लिये निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है :

1. वेतन में संशोधन, जिसके परिणामस्वरूप समयोपरि भत्ते की दर में वृद्धि हुई;

2. उड़ान परिचालों में वृद्धि

3. अनुभवी मैंटिनेंस इंजीनियरों की कमी;

4. अप्रत्याशित एवं अपरिहार्य आपातिक परिस्थितियाँ जैसे कि उड़ानों में देरियाँ, इंजनों में खराबियाँ, तकनीकी त्रुटियाँ तथा गैर-अनुसूचित विमानों की प्रबन्ध व्यवस्था आदि ।

समयोपरि भत्ते के बिल में कमी करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :

1. पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था की जा रही है;

2. अधिकारियों/पर्यवेक्षी कर्मचारियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम सावधानी बरती जा रही है कि कर्मचारियों द्वारा कार्य के समय का पूर्ण एवं प्रभावी रूप से उपयोग किया जाये ।

3. यह सुनिश्चित करने के लिए कि समयोपरि कार्य करने की अनुमति आपातकालीन परिस्थितियों में अथवा जहाँ सर्वथा अपरिहार्य हो, परिचालनात्मक अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिये दी जाये, क्षेत्रीय तथा मुख्यालय स्तर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

तमिलनाडु में अराजपत्रित अधिकारियों तथा कृषकों से सम्बन्धित समस्याएं

1587. **श्री जी एम. बनातवाला :** क्या **वित्त मंत्री** तमिलनाडु के मुख्य मंत्री द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता के बारे में 14 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 518 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुख्य मंत्री के ज्ञापन में उल्लिखित तमिलनाडु में अराजपत्रित अधिकारियों तथा कृषकों से सम्बन्धित समस्याओं की जाँच कर ली है;

(ख) यदि हाँ, तो मुख्य बातों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है और कितनी वित्तीय सहायता की माँग की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो मामले में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं तथा सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने की सम्भावना कब तक है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई वारोत) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने प्राकृतिक प्रकोपों से प्रभावित कृषकों द्वारा देय बकाया सहकारी रकमों की मूलधन की राशि के पुनः निर्धारण और उस पर ब्याज को बट्टे खाते में डालने के लिये 40 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मांगी थी, राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को रियायतें देने के लिए सहायता की मात्रा को विनिर्दिष्ट नहीं किया था।

केन्द्रीय सरकार प्राकृतिक प्रकोपों से प्रभावित कृषकों की समस्याओं के प्रति जागरूक है। केन्द्रीय सरकार राहत सम्बन्धी व्यय के वित्तपोषण के लिये सभी राज्यों को सातवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई व्यवस्थाओं और नीतियों के अनुसार सहायता दे रही है। यह सहायता विशेष रूप से प्राकृतिक प्रकोपों से प्रभावित कृषकों को सहायता देने के लिए होती है परन्तु इसे विद्यमान स्कीमों और इस प्रयोजन के लिए निर्धारित की गई संस्थागतयव व्यवस्थाओं के ढांचे के अन्दर ही होनी चाहिए। सहकारी देय रकमों के किसी एक भाग को अथवा पूर्ण रूप से बट्टे खाते डालना कोई हल नहीं है क्योंकि इसके दीर्घाविधिक प्रभाव होंगे जिससे सहकारी ऋण पद्धति की क्षमता को गम्भीर हानि होगी और इसका ढांचा दुर्बल हो जाएगा। फिर भी यदि राज्य सरकार सहाकरी देय रकमों को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से वसूल न करने सम्बन्धी योजनाओं को अपनाने की इच्छुक हो तो उसे अपने संसाधनों में से ही ऐसा करना चाहिए; इस प्रयोजन के लिये कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा सकती।

जहां तक राज्य सरकार के कर्मचारियों को रियायतें देने का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार की नीति है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों, विकासात्मक आवश्यकताओं का और अन्य सम्बन्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण करें। राज्य सरकार को वेतन और भत्तों की व्यवस्था करने सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम के पास खाद्य तेलों का स्टाक पड़ा होने के क्या कारण हानि

1588. **श्री नवीन रवाणी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम के पास खद्य तेलों (आयातित) का कितना स्टाक पड़ा है और कब से पड़ा है तथा इसका आयात करने और विभिन्न पत्तनों पर इसका भण्डार करने में कितनी धनराशि लगाई जाती है;

(ख) भडारण किये गये तेलों पर ब्याज के रूप में कितनी हानि हुई है;

(ग) इस तेल को बेचने और वितरित करने के लिए राज्य व्यापार निगम की क्या योजना है और इसे किस मूल्य पर बेचा जायेगा; और

(घ) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने उचित दर की दुकानों के माध्यम से बिक्री के लिये पेशकश किये जाने के बावजूद स्टाक नहीं उठाया है, यदि हां तो ये राज्य कौन-कौन से हैं और इसे बिकवाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) राज्य व्यापार निगम के पास 7.6.1980 को आयातित खाद्य तेलों के स्टाक लगभग 2.92 लाखमे टन के थे जो 21/2 से 3 महीने की औसत स्टार्किंग अवधि के लिये निर्धारित मांग के अनुरूप है। तेल की उपरोक्त मात्रा के लिये पहुँच लागत लगभग 169 करोड़ रु० बनती है। क्षेत्र में तेल की कुल स्टोरेज लागत 33 लाख प्रति मास तक है।

(ख) स्टाक के इस स्तर को बनाये रखने में ऐसी कोई हानि नहीं है क्योंकि अधिप्राप्ति, उद्योग को वितरण के लिये कुल आवश्यक समय और सट्टेबाजी तथा तेल संचलन। सुपुर्दगियों में विभिन्नि अवरोधों की परिहार की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 21/2 से 3 महीने की एक न्यूनतम अवधि के लिए एक इन्वेन्टरी रखने का प्रबन्ध निर्णय है।

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यातित तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटन हेतु बनस्पति उद्योग तथा राज्य सरकारों को सप्लाई किये जाते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित रूप में जून, 1980 के अन्त तक वैद्य वर्तमान तेल निर्गमन कीमतें निम्नलिखित अनुसार है :

तेल	वनस्पति (पी. एम. टी. एक्स-एस. टी. सी. टेंक)	पी. डी. एस. (एफ. ओ. आर. डेस्टीनेशन/पी. एम.टी.)
एस. बी. ओ. क्रूड	7210 रु०	—
क्षेल्म तेल	700 रु०	—
आर. एस. ओ.(सी)	7210 रु०	6300 रु०
आर. एस. ओ. (आर)	—	8000 रु०
आर. बी. डी. पी. ओ.	—	6400 रु० (बल्क)
आर. बी. डी. पी. ओ.	—	7750 रु० (टिन्नड)

पाल्मोइन	—	6400 रु० (बल्क)
पाल्माइन	—	7750 (टिन्नड)

(घ) विभिन्न राज्यों को तेल के आवंटन केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बिक्री करने के लिये किये गये। हालांकि प्रारम्भिक चरणों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उठान धीमा था परन्तु मई, 1980 से उठान में सुधार हुआ है और यह गति चलते रहने की सम्भावना है।

नेशनल फ्लाइंग एकेडेमी

1589. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नागर विमानन महानिदेशालय (डी. जी. सी. ए.) द्वारा सुझाई गई नेशनल फ्लाइंग एकेडेमी स्थापित करने की योजना पर विचार करना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा अपेक्षित वाणिज्यिक पाइलटों की कुल कितनी आवश्यकता है;

(घ) क्या सरकार ने बेरोजगारी वाणिज्यिक पाइलटों को एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स में रोजगार देने का निर्णय किया है; और

(ङ) इस विषय पर जे. आर. डी. टाटा समिति के प्रतिवेदन (1975) की क्या-क्या सिफारिशें थीं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अगले वर्ष एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स की वाणिज्यिक विमानचालकों की अनुमानित आवश्यकता क्रमश: लगभग 36 तथा 25 होगी।

(घ) एयर इण्डियन बेरोजगार वाणिज्यिक विमानचालकों की भर्ती करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वे केवल उच्चतर लाइसेंसिंग अर्हताओं तथा उड़ान अनुभव वाले विमानचालक ही भर्ती करते हैं।

परन्तु इण्डियन एयरलाइन्स ऐसे बेरोजगार वाणिज्यिक विमानचालकों की नियुक्ति करने पर विचार करते हैं जो अपेक्षित अर्हताओं आदि की पूर्ति करते हैं।

(ङ) इस प्रश्न पर टाटा समिति की सिफारिशें निम्न प्रकार थीं :

1· वाणिज्यिक विमानचालकों के प्रारम्भिक प्रशिक्षण के लिये नागर विमानन विभाग द्वारा एक सैंट्रल फ्लाइंग स्कूल स्थापित एवं परिचालित किया जाये। यद्धपि यह स्कूल क्रमश: तैयार किया जा रहा है, फ्लाइंग क्लबों के स्तरों में सुधार करने लिए और तत्काल उपाय करने जरूरी हैं जोकि विमानचालकों को निजी विमानचालक लाइसेंस स्तर तक प्रशिक्षण देना जारी रखें।

2. वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस प्रशिक्षण हेतु भर्ती को संभावित प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप सीमित रखा जाना चाहिये और उम्मीदवारों के चयन तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उनकी राय ली जानी चाहिये। वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंसधारियों के विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक विमानों पर और आगे प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व, नागर विमानन के महानिदेशालय की सामान्य देख-रेख के अंतर्गत उसके नियोक्ताओं का होना चाहिए।

बोलनगिर (उड़ीसा) में एक लघु एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित किया जाने का प्रस्ताव

1590. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाँधी सदन पहाड़ी श्रेणी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में बाक्साइट के निक्षेपों का उपयोग करने के लिये बोलनगिर जिले में एक लघु एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना करने के लिये भारत सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य कब आरम्भ करने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

सोवियत संघ से रुई का आयात

1591. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रुई से धागा बनाने के लिये भारत की फालतू कताई क्षमता का उपयोग करने हेतु सोवियत संघ से रुई का आयात करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का निर्माण कार्य

1592. **श्री पी० जे० कुरियन** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का निर्माण-कार्य धीमा पड़ गया है;

(ख) यदि हाँ तो, इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार-निर्माण कार्य की गति बढ़ाने के लिए काई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्रीप्रणव मुखर्जी) : (क) अब तक संयंत्र स्थल पर केवल निर्माण-पूर्व कार्य जैसे स्थल को समतल करने, मिट्टी की जाँच करने, पहुँच सड़कों का निर्माण करने, निर्माण-कार्य के लिए पानी और बिजली की व्यवस्था, रेलवे साइडिंग का निर्माण करने आदि कार्य आरम्भ किए गए हैं। सामान्यतः ये सभी कार्य समय सूची के अनुसार चल रहे हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नीबू की जाति के फलों का निर्यात

1593. **श्री ए० नीला लोहियादसन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष 1975-76 से 1979-80 तक साइट्रस ऐसिडा,साइट्रस औरानटियम और साइट्रस डेकुमना जैसे नीबू की जाति के फलों का कुल निर्यात मूल्य कितना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : 1975-76 से 1979 80 के वर्षों में संतरे. माल्टे, नीबू तथा कागजी नीबू, चकोतरा जैसे साइट्रस फलों के निर्यातों के कुल मूल्य निम्नोक्त प्रकार था :—

	मूल्य लाख रुपए
1975-76	50.24
1976-77	89-00
1977-78	115.79
1978-79	157.85
1979-80	7.14

वर्ष 1979-80 के आंकड़े अनन्तिम हैं और सीमा शुल्क सदनों के निर्यातों, की दैनिक सूचियों पर अधारित है जिकमें बंगला देश को हुए निर्यात शामिल नहीं है ।

केले और आमों का निर्यात

1594. **श्री के० ए० राजन** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-तैयार (अनप्रोसेस्ड) केलों तथा आमों का निर्यात बढ़ रहा है अथवा घट रहा है;

(ख) 1979-80 में केलों और आमों का निर्यात कुल कितने मूल्य का किया गया; और

(ग) क्या सरकार ने केरल के केले (नेनथ्रान) के निर्यात की सम्भावनाओं की जाँच की है और हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) तथा (ख) 1976-77 से 1979-80 तक केलों और आमों के निर्यातों के कुल मूल्य निम्नोक्त प्रकार है ।

वर्ष	मूल्य लाख रु० में	
	केले	आम
1976-77	12.88	197.58
1977-78	0.17	309.62
1978-79	5.30	371.93
1979-80 (अनन्तिम)	2.71	341.13

(ग) केरल के नेन्थ्रान केलों के निर्यात बढ़ाने के लिए सकरार द्वारा कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है ।

तमिलनाडु के लघु पत्तनों से निर्यात तथा आयात के माल के यातायात का विकास

1595. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** क्या: वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में कुड्डालोर और नागपट्टिनम के लघु बन्दरगाहों से निर्यात तथा आयात की माल की यातायात का विकास करने हेतु संवर्धन उपायों कों जांच करने और उनका सुझाव देने हेतु एक उच्च स्तरीय कार्यकारी दल की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त उच्च स्तरीय दल के सदस्यों के नाम क्या हैं; और क्या इसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; यदि हां, तो तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन के कब तक मिलने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : कार्यकारी दल की संरचना का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण नोट संलग्न है। इस कार्यकारी दल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है और आशा है कि यह अपनी रिपोर्ट को कुछ महीनों के भीतर अन्तिम रूप दे देगा।

विवरण

तमिलनाडु में कुड्डालोर तथा नागापट्टिनम के छोटे पत्तनों द्वारा यातायात विकसित करने पर विचार करने तथा संवर्धनात्मक उपाय सुझाने के लिए गठित कार्यकारी दल की संरचना का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण।

1. आयुक्त तथा सचिव, तमिलनाडु सरकार, परिवहन विभाग, मद्रास	अध्यक्ष
2. आयुक्त तथा सचिव, तमिलनाडु सरकार, उद्योग विभाग, मद्रास	सदस्य
3. कलैक्टर आफ साउथ आर्कोट अथवा उसका नामिती	सदस्य
4. कलैक्टर आफ थँजावर अथवा उसका नामिती	सदस्य
5. कलैक्टोरेट आफ सैंट्रल एक्साइज एण्ड कस्टम्स, मद्रास से प्रतिनिधि	सदस्य
6- जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
7. रेल मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
8. जहाजरानी निदेशालय से प्रतिनिधि	सदस्य
9. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट से प्रतिनिधि	सदस्य
10. इन्डियन नेशनल शिपओनर्स एसोसियेशन से प्रतिनिधि	सदस्य
11 राज्य व्यापार निगम से प्रतिनिधि	सदस्य
12. खनिज तथा धातु व्यापार निगम से प्रतिनिधि	सदस्य
13. भारतीय खाद्य निगम से प्रतिनिधि	सदस्य
14. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से प्रतिनिधि	सदस्य
15. भारतीय जहाजरानी निगम से प्रतिनिधि	सदस्य

16. हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद से प्रतिनिधि	सदस्य
17. चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद से प्रतिनिधि	सस्दय
18. इन्जीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद से प्रतिनिधि	सदस्य
19. राष्ट्रीय कृषि परिसंघ से प्रतिनिधि	सदस्य
20. दक्षिण भारतीय शिपर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधि	सदस्य
21. दक्षिण भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्डल, मद्रास का प्रतिनिधि	सदस्य
22. भारतीय वाणिज्य मण्डल, नागापट्टिनम का प्रतिनिधि	सदस्य
23. उप निदेशक (निर्यात संवर्धन), वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय मद्रास	सदस्य
24. उद्योग तथा वाणिज्यक निदेशालय, तमिलनाडु सरकार में निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ का प्रतिनिधि	सदस्य
25. राज्य पत्तन अधिकारी, मद्रास	सदस्य-सचिव

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों द्वारा उत्पादित इस्पात

1596. **श्री टी. आर. शमन्ना :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 से 1979 तक के गत तीन वर्षों के दौरान (1)दुर्गापुर, (2)राउरकेला (3) भिलाई आदि सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों द्वारा उत्पादित इस्पात की मात्रा मूल्य क्या हैं; और

(ख) उक्त तीन वर्षों के दौरान इन कारखानों ने कितना लाभ कमाया अथवा उन्हें कितनी हानि हुई ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1977-78 (13 महीने), 1978-79 तथा 1979-80 (11 महीने) में सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों द्वारा उत्पादित वेदाम इस्पात की मात्रा तथा मूल्य से सम्बन्धित आँकड़े नीचे दिए गये हैं :—

मात्रा :— हजार टनों में/मूल्य :— करोड़ रुपयों में

	1977-78		1978-79		1979.80	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
दुर्गापुर	936.491	150.36	704.184	160.40	604	124.42
राउरकेला	1256.365	367.47	963.358	335.84	1045	302.77
भिलाई	2037.866	367.91	1737.976	365.50	1706	272.71
बोकारो	874.198	193.86	871.919	251.62	849	207.81
इस्को 12 महीने	492.906	94.82	481.00	उपलब्ध नहीं	430	××

* वर्ष 1979-80 के लिए उत्पादन तथा मूल्य के आंकड़े अस्थायी हैं क्योंकि इस अवधि का हिसाब-किताब अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं किया गया है और उसकी लेखा-परीक्षा नहीं की गई है।

(ख) वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान उपर्युक्त इस्पात कारखानों को हुए लाभ हानि के बारे में नीचे बताया गया है :—

(करोड़ रुपयों में)

संयंत्र/इकाई	1977-78 (13 महीने) ***	1978-79 (11 महीने)
राउरकेला इस्पात कारखाना	(+) 20.97	(+) 47.24
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	(—) 15.84	(+) 4.37
भिलाई इस्पात कारखाना	(+) 40.35	(+) 49.96
बोकारो इस्पात कारखाना	(—) 10.10	(—) 31.42
इस्को (12 महीने)	(—) 39.12	*

* वर्ष 1979-80 के दौरान इस्पात कारखानों की हुए लाभ तथा हानि का हिसाब-किताब अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं किया गया है तथा उनकी लेखा-परीक्षा नहीं हुई है। इस्को का वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 का हिसाब-किताब अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुआ है।

केरल में और अधिक पत्तनों का निर्माण

1597. **श्री इड केड इम्बीचीबावा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है किस सरकार ने विदेशी सीमेंट को जहाजों से उतारने हेतु स्थान की कमी होने के कारण जहाजरानी फर्मों को विलम्ब शुल्क की भारी राशि का भुगतान किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए केरल में मध्यम दर्जे के और अधिक पत्तनों का निर्माण करवाने का कोई विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1978-79 में विलम्ब शुल्क के रूप में 4.28 करोड़ रु० का भुगतान किया गया था।

(ख) प्रमुख पत्तनी के लिए केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है और ऐसा एक पत्तन कोचीन में स्थिति है। छोटे तथा मध्यम आकार के पतनों के विनिर्माण के मामले पर सरकारों द्वारा विचार और निर्णय किया जाना है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा विश्व व्यापी टेंडर मांगे बिना चीनी खरीदा जाना

1598. **श्रीमति गीता मुखर्जी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य व्यापार निगम ने 2 लाख टन चीनी लन्दन में बिना विश्वव्यापी टैंडर खरीदी थी ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : जी हाँ। चीनी की पूर्ति/मांग स्थिति में विश्वव्यापी असन्तुलन के कारण यह निर्णय किया गया कि राज्य व्यापार निगम को, जो कि चीनी के आयात/निर्यात को सरणीवद्ध करेगा, सामान्य तौर पर टैंडर नहीं मांगने चाहिए अपितु वह एक या दो प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक सदनों के साथ वार्ताएं करके क्रय तथा

*** लाभ के आंकड़े इन्वेटेटमेंट एलाउंस रिजर्व के लिए व्यवस्था करने से पूर्व के हैं।

विक्रय सम्पन्न करें। यह तरीका यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपनाया गया कि बड़ी मात्रा में चीनी के क्रय तथा विक्रय के भारत के इरादे की जानकारी विश्व बाजारों को पहले ही न मिले क्योंकि इससे मूल्य में काफी वृद्धि हो जाएगी जो भारत के आर्थिक हितों के अनुकूल नहीं होगा ?

लन्दन के एक दलाल के माध्यम से चीनी का आयात

1599. **श्री एन. ई. होरो :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हिन्दुस्तान टाइम्स दिनांक 22 मई, 1980 में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत सरकार ने लन्दन के एक दलाल के माध्यम से दो लाख टन चीनी के लिये गुपचुप तरीके से क्रयादेश दिया जिस सौदे में देश को लगभग 64 करोड़ रु० की हानि हुई;

(ख) क्या यह भी सच है कि चीनी लन्दन के दलाल के माध्यम से 915 डालर प्रति टन अथवा 732 रु० प्रति क्विंटल की ऊंची दर पर खरीदी गई है और सरकार को 45 डालर प्रति टन का समुद्र भाड़ा भी अदा करना होगा जिससे चीनी का घाट मूल्य 960 डालर प्रति टन अथवा 768 रु० प्रति क्विंटल हो जायेगा; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है। राज्य व्यापार निगम द्वारा चीनी की खरीद के बारे में गोपनीयता रखी जानी थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बाजार में भारत की उपस्थिति से कीमतों में किसी प्रकार की तीव्र वृद्धि न हो जाए। यह चीनी राज्य व्यापार निगम द्वारा संविदा पर हस्ताक्षर करते समय प्रचलित सर्वोत्तम उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दलाल से खरीदी गई है। इस खरीद कार्य में किसी प्रकार की हानि होने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) जी नहीं। राज्य व्यापार निगम द्वारा हाल ही में खरीदी गई इस आयातित चीनी की उतरने तक की लागत लगभग 560 रु० प्रति क्विंटल होगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के कर्मचारी द्वारा फन्डस के दुर्विनियोग के बारे में अभ्यावेदन

1600. **श्री जय नारायण रौत :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के कतिपय कर्मचारियों द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग करने और फन्डस का दुर्विनियोग करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

ऐसा कोई खास अभ्यावेदन नहीं मिला है कि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटे के कुछ अधिकारियों द्वारा सत्ता का दुरुपयोग तथा फन्डस का दुर्विनियोग किया गया। हां, हिन्दुस्तान जिंक लि० के अधिकारियों के सम्बन्ध में जनवरी, 1979 से मई, 1980 के दौरान इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) में सतर्कता संबंधी 16 शिकायतों की जानकारी अवश्य मिली थी।

2. इन शिकायतों/मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

मामलों का स्वरूप	मामलों की संख्या गुमनाम/ छद्मनाम से शिकायतें	हस्ताक्षर युक्त शिकायतें	जोड़	छानबीन के बाद निपटाए गए मामले	वे मामले जिनकी छानबीन जारी है
1. सत्ता का दुरुपयोग	1	—	1	1	—
2. भ्रष्टाचार के आरोप	4	1	5	2	3
3. आचार नियमों का उल्लघंन	—	1	1	—	1
4. ठेका/टेंडर में अनियमित्ता	1	3	4	4	—
5. मान्यता प्राप्त यूनियन के पदाधिकारियों के प्रति पक्षपात	—	2	2	1	1
6. विविध	1	2	3	3	3
जोड़	7	9	16	11	5

3. अब तक निपटाये गए सभी ग्यारह मामलों में आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए "ब्लूम कास्टरों" की पुराने ढंग की और घटिया प्रौद्योगिकी का आयात

1601. श्री एन. के. शेजवलकर : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विशाखापत्तन इस्पात संयंत्र के लिये इस्पात बनाने हेतु उन्नत और अधिक किफायती बिलेट कास्टरों की जगह "ब्लूम कास्टरों" की पुराने ढंग की और घाटिया प्रौद्योगिकी का आयात कर रहा है;

(ख) यदि हाँ तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और विशाखापत्तनम इस्पात के उत्पादन संयंत्र में, जहां पुराने ढग की ऐसी प्रौद्योगिकी काम में लाई जा रही है, इस्पात के उत्पादन में हुई हानि और उस पर पड़े बुरे प्रभाव का ब्योरा क्या है; और

(ग) उन्नत तथा अधिक किफायती "बिलेट कास्टर" प्राप्त करने के लिये की जाने वाली कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) यह कहना ठीक न होगा कि ब्लूम तैयार करने की प्रक्रिया अब अप्रचलित हो गई है अथवा यह घटिया किस्म की प्रौद्योगिकी है। विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने में लगाए जाने वाले एल. डी. कन्वर्टरों के बड़े आकार, कारखाने के प्रोडक्ट मिक्स तथा दूसरे विभिन्न तकनीकी तथा प्रचालनात्मक पहलुओं को ध्यान में रखकर यह विचार किया गया कि सीधे बिलेट बनाने की बजाय ढलाई की निरन्तर प्रक्रिया से ब्लूम बनाकर इस्पात तैयार करने के कार्य पर निर्भ करना ज्यादा ठीक होगा तथा ऐसा करना ही वांछनीय होगा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विशेषधिकार के प्रश्न के बारे में

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने सोने की नीलामी के प्रश्न के बारे में वित्त मंत्री के विरुद्ध 18-6-80 को एक प्रस्ताव की सूचना दी थी। आपने बताया था कि उन्होंने मामले को रद्द नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पूर्ण तथ्यों के लिये वित्त मंत्री को पुनः लिखा है; मैं उन्हें पुनः स्मरण कराऊंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे पास लोक सभा और राज्य सभा के रिकार्ड मौजूद हैं। वित्त मंत्री ने राज्य सभा में लिखित रूप में बतया था कि केवल जब्त किया गया सोना था।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैं इसकी अनुमत नहीं दे रहा हूँ; यह अभी भी विचाराधीन है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्ड) मैं नियम 222(3) के अधीन दिये जाने वाले प्रस्ताव के साथ पठित नियम 369 (1) और निदेश 117 और 118 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ। इस सम्बन्ध में मैंने कार्यवाही वृत्तान्त से यह उद्धृत किया था कि माननीय मंत्री श्री शंकरानन्दन ने सदन को गुमराह किया है कि डाक्टरों ने कोई ज्ञापन नहीं दिया यहाँ पर मेरे पास दिये गये ज्ञापन की मूल रसीद है जिसये पता चलता है कि जूनियर डाक्टरों ने ज्ञापन दिया था।

अध्यक्ष महोदय : कृपया नियम 118 के अधीन मामला उठायें श्री राम विलास पासवान।

श्री राम विलास पासवान: (हाजीपुर) अध्यक्ष जी, कल मैंने नियम 223 के अन्तर्गत शिक्षा मंत्री श्री शंकरानन्द के खिलाफ प्रिवलेज मोशन दिया है। आपको याद होगा कि डाक्टर्स के

सम्बन्ध में 18 तारीख को इसी सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था और मंत्री महोदय ने कहा था···

अध्यक्ष महोदय : मुझे जूनियर डाक्टरों की हड़ताल के बारे में सभा को गुमराह करने के लिये शिक्षा और स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री श्री शंकरानन्द के विरुद्ध श्री राम विलास पासवान, श्री वाजपेयी और श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना मिली थी। मैंने वास्तविक जानकारी माँगी है और उसके मिलने पर मैं अपना निर्णय दूँगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपकी अनुमति माँगता हूँ; मेरे पास मूल रसीद हैं! इससे अधिक क्या जानकारी आप चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, कृपया अपनी सीट पर बैठिये। श्री पंडित।

डा० वसंत कुमार पंडित (राज गढ़) : फिल्म लोक परलोक, जिससे शहर में काफी उत्तेजना पैदा हो गई है, के बारे में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर मुझे कुछ कहना है, स्थिति गम्भीर होने की सम्भावना है···मेरा अल्प सूचना प्रश्न ···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, इसकी अनुमति नहीं दी जाती; कृपया मेरे चेम्बर में आइये अब सभा पटल पर पत्र रखे जायें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

काफी बोर्ड के वर्ष 1977-78 (सामान्य निधि) और वर्ष 1976-77 (पूल निधि) के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, इलायची बोर्ड के वर्ष 1978 को वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकारण की समीक्षा, पटसन उत्पादनों पर उत्पादन कर लगाये जाने के बारे में अधिसूचना, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कान्स्ट्रक्शन लि. कलकत्ता का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकारण की समीक्षा तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

वाणिज्य और इस्पात तथा खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित यह सभा पटल रखता हूँ :—

(1) काफी बोर्ड के वर्ष 1977-78 (सामान्य निधि) और वर्ष 1976-77 (पूलनिधि) के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी. -928/80)

(2) (एक) इलायची बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) इलायची बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1978-79 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. -929/80)

(3) उद्योग (विकास और विनयमय) अधिनियम, 1951 की धारा 9 के अन्तर्गत जारी की गई पटसन उत्पादों पर शुल्क लगाये जाने के संबंध में अधिसूचना संख्या सां० आ० 102 (ङ)

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 19 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। (ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. -930/80)

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण) की एक एक प्रति :—

(एक) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमेटेड, कलकत्ता के वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी. -931/80)

नेशनल को आपरेटिव कन्जूमर्स फैडरेशन लि० नई दिल्ली का वर्ष 1978-79 का वार्षिकप्रतिवेदन

नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं नेशनल कोआपरेटिव कन्जूमर्स फैड़रेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखता हूँ। (ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 932/80)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बम्बई को वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और भारतीय काजू निगम लि० नई दिल्ली का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

वाणिज्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जेड. आर अन्सारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धार 12 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, वर्ष 1978-79 के केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बम्बई के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति। (ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. -933/80)

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) भारतीय काजू निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय काजू निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणीयां। (ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी. 934/80

विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के 31.12.78 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन, आयकर (तीसरा) संशोधन नियम, 1980 और उत्पादन शुल्क योग्य माल पर उत्पादन शुल्क और अब तक लागू दरों पर आयातित माल पर सहायक सीमा शुल्क लगाये जाने की योजना को जारी रखने सम्बन्धी अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोत) : (1) मैं बैंककारी कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति पुन:* सभा पटल पर रखता हूँ :—

(एक) सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुये वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखा-परीक्षण का प्रतिवेदन ।

(दो) बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुये वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तीन) पंजाब नेशनल बैंक के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुये वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चार) बैंक आफ बड़ौदा के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुये वर्ष के कार्य-करण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(पांच) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुये वर्ष के कार्य-करण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(छ) केनरा बैंक के 31 दिसम्बर 1978 को समाप्त हुये वर्ष के कार्य करण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(सात) यूनाइटेड बैंक आफ इडिया के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(आठ) देना बैंक के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यक्रम तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(नौ) सिंडीकेट बैंक के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(दस) यूनियन बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ग्यारह) इलाहाबाद बैंक के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(बारह) इंडियन बैंक के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

---

*प्रतिवेदन पहले 11 मार्च, 1980 को सभा पटल पर रखे गए थे ।

(तेरह) बैंक अफ महाराष्ट्र के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चौदह) इंडियन ओवरसीज बैंक के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। (ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी 934/80)

(2) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत, आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 12 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां. आ. 396 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। (ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 935/80)

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 114 (ङ) से 119 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति, जो दिनांक 25 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा वित्त अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अधीन अब तक लागू दरों पर उत्पाद शुल्क योग्य माल पर विशेष उत्पाद शुल्क की योजना को जारी रखने सम्बन्धी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 120 (ङ) से 130 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति, जो दिनांक 25 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा वित्त अधिनियम, 1980 उपबन्धों के अधीन अब तक लागू दरों पर आयातित माल पर सहायक सीमा शुल्क लगाये जाने की योजना को जारी रखने सम्बन्धी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी 936/80)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली में आयुवदिक कालेजों के छात्रों की हड़ताल का समाचार

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"दिल्ली में आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों की हड़ताल का समाचार।"

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) :

महोदय,

दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में चार आयुर्वेदिक कालेज हैं। करोल बाग स्थित आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कालेज दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। निम्नलिखित तीन प्राइवेट आयुर्वेदिक कालेज ईस्ट-पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी प्रेक्टिशनर्स एक्ट 1949 के उपबन्धों के

अधीन दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में परीक्षायें लेने और पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिये इग्जामिनिंग बाडी से सम्बद्ध हैं :—

(1) सनातन धर्म आयुर्वेदिक कालेज, किशन नगर।

(2) अहिंसा आयुर्वेदिक कालेज, शंकर रोड, तथा

(3) धन्वतरि आयुर्वेदिक कालेज, मुंडका।

2. इन तीनों प्राइवेट कालेजों के छात्रों ने अपने-अपने कालेजों में विभिन्न सुविधायें उपलब्ध न होने की शिकायत को लेकर सितम्बर, 1979 में हड़ताल कर दी थी। सचिव (चिकित्सा), दिल्ली प्रशासन तथा अध्यक्ष, इग्जामिनिंग बाडी ने इन तीनों कालेजों के छात्रों के प्रतिनिधियों तथा प्रबन्धकों के साथ अनेक बैठकें कीं। उन्होंने इन संस्थाओं में अपेक्षित सुविधायें सुलभ करने के लिये इन कालेजों के प्रबन्धकों को मनाने की कोशिश की। इन तीनों कालेजों के प्रबन्धकों ने उचित समय पर ये अपेक्षित सुविधायें सुलभ करने का वचन दिया था। नवम्बर, 1979 में छात्रों ने अपनी माँगों को इस प्रकार संशोधित कर दिया :—

(1) प्रशासन द्वारा इन तीनों कालेजों को बन्द किया जाये।

(2) हड़ताली छात्रों के हित में एक नया कालेज खोला जाये।

3. हडताली छात्रों ने इन संस्थाओं में गड़बड़ की और इच्छुक छात्रों को अपनी-अपनी कक्षाओं में नहीं जाने दिया। सनातन धर्म कालेज और अहिंसा कालेज, शंकर रोड के प्रबन्धको ने प्रशासन को सूचित किया कि उन्हें अपनी संस्थाओं को बन्द करने के लिये बाध्य किया गया था। वैसे, धन्वन्तरि आयुर्वेदिक कालेज, मुन्डका के प्रबन्धकों ने सितम्बर, 1979 में सूचित किया था कि वे अपनी संस्था को चला रहे हैं।

4. इस समय इन तीनों कालेजों में से सनातन धर्म आयुर्वेदिक कालेज के प्रबन्धकों ने इग्जामिनिंग बाडी को लिखे अपने 4 जून, 1980 के पत्र में यह सूचित किया है कि कालेज के छात्रों तथा उनके माता-पिता के अनुरोध पर इस कालेज को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है। कालेज के प्रबन्धकों ने पोस्टल सर्टिफिकेट के अधीन प्रत्येक छात्र को एक अलग-अलग पत्र भेजा है और 7 जून, 1980 को दो स्थानीय समाचार पत्रों में भी इस आशय का एक नोटिस जारी किया है। वह पता चला है कि अहिंसा आयुर्वेदिक कालेज, शंकर रोड के प्रबन्धक शीघ्र ही इस कार्रवाई का अनुसरण करने वाले है।

चिरंजीलाल शर्मा : मन्त्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार इन तीनों कालिजों के लगभग 600 छात्र साढ़े 9 माह से हड़ताल पर हैं और अपनी माँगों को पूरा करने के लिए दर-दर मारे फिर रहे हैं। वास्तव में एक वर्ष का समय बुरी तरह बर्बाद कर दिया गया है। लगभग 250 छात्र समाचार पत्रों के समाचारों के अनुसार अपना विरोध प्रकट करने आये थे। इनमें से 53 छात्र गिरफ्तार कर लिए गये और मजिस्ट्रेट के आदेशों के अन्तर्गत छोड़े गए। मन्त्री महोदय ने बताया है कि तीनों कालिजों के प्रबन्धकों ने आयोजित अवधि में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का अश्वासन दिया है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि यह आयोचित अवधि क्या है। दूसरे इन छात्रों की मांग क्या थी ? तीसरे, क्या छात्रों की माँगों को पूरा करने के लिए प्रबन्धकों ने कोई ठोस कदम उठाये ? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली

प्रशासन इन कालिजों को उनके विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध करने की वाँछनीयता पर विचार करेगा मन्त्री महोदय ने बताया है कि सनातनधर्म आयुर्वेदिक कालिज और अहिंसा आयुर्वेदिक कालिज, शंकर रोड के प्रबन्धकों ने प्रशासन को सूचित किया है कि वे इन संस्थानों को बद करने के लिए विवश हो गये थे। मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहूँगा कि इन सस्थानों को बन्द कर दिये जाने पर जिन्होंने 600 छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, दिल्ली प्रशासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं, विशेषतया जबकि इन कालिजों से 600 छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। क्या मंत्री महोदय को पता है कि इन संस्थानों ने छात्रों से दाखले के समय बड़ी-बड़ी धनराशियां बटोरी हैं, यदि हाँ तो क्या सरकार सदन को बतायेगी कि इन प्रबन्धकों के आचरण की जांच कराई जायेगी ?

श्री बी शंकरानन्द : ये सभी तीनों कालिज, गैर सरकारी कालिज हैं। इनमें से एक नया कालिज है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इन तीनों ही कालिजों में छात्रों को सुविधायें उपलब्ध कराने के मामले में सुधार की गुन्जायश है और इन तीनों कालिजोंके प्रबन्धक छात्रों द्वारा मांगी गई सभी सुविधाये चरणबद्ध रूप में उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गये हैं। दिल्ली प्रशासन ने बैठकों की व्यवस्था की थी जिनमें छात्रों तथा प्रबन्धकों ने माग लिया और प्रबन्धक सुविधायें उपलब्ध कराने पर सहमत हो गये थे। माननीय सदस्यों को पता होगा कि छात्रों की मूल मांग एक उचित भवन, उपकरण, प्रयोग शाला आदि उपलब्ध कराने के बारे में उचित सुविधा देने से सम्बन्धित थी। परन्तु इसके पश्चात उन्होंने अपनी माँगें बदल दीं और कहा कि ये तीनों कालिज बन्द होने चाहिए और सरकारी एक नया कालिज खोलना चाहिए। यदि माँग यही है, तो अब भलीभाँति सोच सकते हैं। कि हमं इसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। जहाँ तक सुविधाओं की बात है, मैं चाहता हूँ कि छात्रों को सुविधायें उपलब्ध कराई जायें और हम प्रबन्धकों को इस पर सहमत कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं और प्रबन्धक सहमत हो गये हैं।

श्री के ए० राजन (त्रिचूर) : मैंने मंत्री महोदय के वक्तव्य को ध्यान पूर्वक देखा है। दुर्भाग्यवश तथ्यों को थोड़ा तोड़ा मरोड़ा गया है। दूर दूर से आने वाले में 650 छात्र गत नौ महीने से दिल्ली की गलियों के चक्कर काट रहे हैं। उनकी शिकायतें आती हैं। आयुर्वेदिक अध्यन के मामले में, यदि आप छात्रों को वैज्ञानिक रूप से शिक्षा देना चाहते हैं तो उनके लिए वैज्ञानिक उपकरण, प्रयोगशाला आदि की व्यवस्था होनी ही चाहिए। इन कालिजों में सभी आधुनिक सुविधायें, प्रयोगशाला में तथा अन्य चीजें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। छात्रों की शिकायत का मूलमत है कि कालिजों को विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध किया गया है परन्तु सुविधा प्रधान करने की चिन्ता नहीं करते। ये आयुर्वेदिक छात्र केवल इस कारण ही अपना अध्यन नहीं कर पाये कि वहाँ प्रयोगशालाओं जैसी सुबिधायें उपलब्ध नहीं थी अपितु इन्हें शिक्षा देने के लिए योग्यता प्राप्त शिक्षक भी उपलब्ध नहीं थे। तब दूर दूर से भी आने वाले इन कालिजों में उपस्थित होने का इन 650 छात्रों को लाभ ही क्या था और यह मामला 9 महीने से अनिर्णित पड़ा है। ये छात्र तभी से आन्दोलन कर रहे हैं। इन्होंने संसद के समक्ष भी प्रदर्शन किया था। वक्तव्य में ऐसा आक्षेप लगाया गया है कि छात्रों का व्यवहार गैर-जिम्मेदारना था आदि। ऐसा आक्षेप नहीं लगाया जाना चाहिए था। हमें उनकी वास्तविक शिकायत पर ध्यान देना चाहिए। मैं मंत्री

महोदय का ध्यान छात्रों तथा स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री लस्कर के बीच 8-2-80 को हुई बैठक की ओर दिलाना चाहत हूँ। उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया था कि एक महीने के अन्दर उनके लिए एक नया कालिज खोला जायेगा सरकार को इस तथ्य पर ध्यान न देकर कि वह किस दल से सम्बन्धित हैं, छात्रों को दिए गये अश्वासन पूरे करने चाहिए। अब छात्रों की केवल यह माँग है कि मंत्री महोदय तथा सरकार को अपना आश्वासन पूरा करना चाहिए। आप उससे विमुख नहीं हो सकते, गैर-सरकारी कालिज सुविधायें प्रदान करें अथवा नहीं। उन्होंने कहा है कि एक शिक्षा वर्ष बर्बाद तो हो गया है। मुझे भय है कि छात्रों का यह वर्ष भी बर्बाद हो जायेगा वर्तमान तथ्यों के अनुसार गैर-सरकारी सस्थान आवश्यक वैज्ञानिक उपकरण, प्रयोगशालायें, योग्य शिक्षक तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध नहीं कर सकते। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय इस मामले पर तत्कानीन सरकार द्वारा छात्रों को दिये गये आश्वासन पर दृढ़ रहेंगे और एक नया सरकारी कालिज खोलेंगे।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि छात्रों को पूरी सुविधायें उपलब्ध कराइ जानी चाहिए। इसमें कोई संदेह भी नहीं है। परन्तु मैंने सदन को बताया है कि प्रबन्धकों, छात्रों और दिल्ली प्रशासन की बैठक हुई है और प्रबन्धक सभी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गए हैं चाहे ये अध्यापक हों अथवा उपकरण अथवा भवन अथवा ग्रथालय हों।

जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि छात्रों तथा उनके अभिभावकों के अनुरोध पर एक कालिज के प्रबन्धकों ने कालिज खोलने का निर्णय किया है। दूसरा कालिज भी शीघ्र ही इसके कुछ समय पश्चात खोला जा सकता है। छात्र वहाँ कुछ समय तक अपना अध्ययन जारी रखें और उन कालिजों में पूरी सुविधाओं के लिए कुछ समय तक प्रतीक्षा करें।

जहां तक योग्यता प्राप्त अध्यापकों सम्बन्ध है, तीनों कालिजों में से दो पुराने कालिज हैं। इन कालिजों से छात्र प्रत्येक वर्ष परीक्षा देते हैं और अपनी डिग्री अथवा डिप्लोमा, जैसा भी हो प्राप्त करते हैं ये नए कालिज नहीं हैं। यकायक छात्रों ने माँग की कि ये गैर-सरकारी कालिज बन्द होने चाहिए। और सरकार द्वारा एक नया कालिज खोला जाना चाहिए। पता नहीं यह माँग क्यों की गई है।

श्री के० ए० राजन : सरकार ने इन्हें आश्वासन दिया है।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कोई निश्चित आश्वासन नहीं दिया है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि सरकार इस मामले पर ध्यान देगी और इन छात्रों की सहायता करने का प्रयास करेगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसन्त साठे ध्रुव वक्तव्य देंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मन्त्री महोदय अपना वक्तव्य दें, इससे पूर्व मैं प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : 19 जून, 1980 को मध्याह्न भोजन के अन्तराल के बाद, डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने व्यवस्था का एक प्रश्न उठाया और यह कहा कि प्रेस आयोग के गठन के बारे में सरकार द्वारा सदन के बाहर घोषणा की गई, जबकि सदन का सत्र चल रहा था। उन्होंने यह तर्क दिया

कि यह घोषणा पहले सदन में की जानी चाहिए थी। संसदीय कार्य मन्त्री ने यह कहा कि उन्होंने उक्त प्रश्न को नोट कर लिया है और वह इसे सम्बन्धित मन्त्री को भेज देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने उस समय यह टिप्पणी की थी, "आपने उचित विरोध प्रकट किया है और संसदीय कार्य मन्त्री ने पहले ही उत्तर दे दिया है।" आपको सम्बन्धित मन्त्री से उत्तर की अपेक्षा करनी चाहिए। अब वह वक्तव्य दे रहे हैं। उनके वक्तव्य के बाद, मैं आपको अपना प्रश्न उठाने की अनुमति दूंगा।

प्रेस आयोग के नये सदस्यों के बारे में वक्तव्य

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : कल कुछ माननीय सदस्यों ने सदन में यह कहा था कि प्रेस आयोग के नए सदस्यों के नामों की सूचना पहले सभा में दी जानी चाहिए थी।

जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है, सरकार ने प्रेस आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष और सदस्यों के द्वारा जनवरी, 1980 में दिए गए त्यागपत्र स्वीकार कर लिए थे और यह घोशणा भी की थी कि प्रेस आयोग को संशोधित और अधिक व्यापक विचारणीय विषयों के साथ पुनर्गठित किया जायेगा। उसके बाद सरकार ने प्रेस आयोग का कार्यकाल 31 दिसम्बर, 1980 तक बढ़ा दिया था और 21 अप्रैल, 1980 को श्री न्यायमूर्ति के. के. मैथ्यू को आयोगका नया अध्यक्ष नियुक्त किया था।

कुछ समय से कुछ नाम समाचारपत्रों में प्रकाशित होते रहे हैं। नियमों के अन्तर्गत, जहां तक प्रेस आयोग के सदस्यों के नामों का सम्बन्ध है, उनको विधिवत् अधिसूचित किया जाना होता है ताकि वे प्रामाणिक रूप से प्रकाशित हो सकें। तथापि, जहां तक संशोधित विचारणीय विषयों का सम्बन्ध है, उनको मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया जाना है। अतः नए सदस्यों के नामों की अधिसूचना 18 जून, 1980 को जारी कर दी गई। संशोधित विचारणीय विषयों को मैं मंत्रि मंडल द्वारा इनको स्वीकृत कर दिए जाने के बाद सदन में रखना चाहता था।

इस माननीय सदन और संसद को नजर अन्दाज करने का मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैं इस सदन की परिपाटियों और गौरव दोनों को महत्व देता हूँ।

प्रेस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. श्री न्यायमूर्ति के. के. मैथ्यू ... अध्यक्ष

सदस्य

2. श्री न्ययायमूर्ति शिशर कुमार मुकर्जी
3. श्रीमती अमृता प्रीतम
4. श्री पी. वी गाडगिल
5. श्री इशरत अली सिद्दीकी
6. श्री राजेन्द्र माथुर
7. श्री गिरीलाल जैन

8. श्री के. आर. गणेश

9. श्री मदन माटिया

10. प्रो. एच. के. परांजपे

11. श्री रणबीर सिंह

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् जी, मैं आपको पहले ही नोटिस दे चुका हूँ और मैं कोई निवेदन करूं, इससे पूर्व मैं चाहूँगा कि आप भावी प्रक्रिया के बारे में विचार करें कि जब कभी किसी माननीय मन्त्री द्वारा वक्तव्य दिया जाता है और वक्तव्य दिये जाने से पूर्व जब हमें प्रक्रिया सम्बन्धी कोई मुद्दा उठाना होता है, तो हमें अपना निवेदन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसका सदैव पालन किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा।

प्रो. मधु दण्डवते : यह आपसे केवल निवेदन है। सदन में कुछ पूर्व उदाहरण हैं। मैं पाँचवी लोक सभा के एक पूर्वोदाहरण का उद्धरण दूंगा।

श्रम मंत्री ने सदन के बाहर कुछ घोषणाएं की थी जबकि सदन का सत्र चल रहा था और उस अवर पर अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि औचित्य की यह मांग है कि जब सदन का सत्र चल रहा हो, तो ऐसी महत्वपूर्ण घोषणायें सदन के समक्ष की जानी चाहिए न कि सदन के बाहर। इसलिए इन सभी तकनीकी बारीकियों के साथ, जिनका श्री बसन्त साठे ने उल्लेख किया, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रेस आयोग में नये नाम जोड़े जाने संबंधी महत्वपूर्ण घोषणा सदन के समक्ष पहले की जानी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय : अब आपको वक्तव्य से सन्तुष्ट होना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान् जी, मैं यह बात रिकार्ड में दर्ज करना चाहता हूँ, जिससे वे इस प्रकार की पुनरावृत्ति से बच सकें।

श्री बसन्त साठे : श्रीमान जी, मैं इस विरोध से सहमत नहीं हूँ। मैंने कोई गैर कानूनी कार्य नहीं किया है।...(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान जी, मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि मन्त्री महोदय सहमत हैं अथवा नहीं। प्रश्न तो इसमें अन्तर्ग्रस्त औचित्य का है और इसलिए, आपसे मैंने अपील की है।

श्री बसन्त साठे : यह अनुचित है।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : जो कुछ मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में पढ़ा है, उसे मैंने सावधानी से सुना है और यह कहते हुए मुझे खेद है कि उन्होंने यह कहा है कि इस सदन को नजर अन्दाज करने का उनका कोई इरादा नहीं है, (व्यवधान) ऐसा करके उन्होंने सदन से क्षमा माँगी है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। (व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : मैं माफी नहीं मांग सकता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों कहते हैं (व्यवधान) श्री साठे आप क्यों कहते है (व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : आप इस पर बहस की अनुमति क्यों दे रहे हैं ? (व्यवधान)

डा. सुब्रह्मण्यम (बम्बई उत्तरपूर्व) श्रीमान जी, मुझे एक निवेदन करना है

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मैंने श्री नीरेन घोष से कहा है। श्री घोष, वक्तव्य के बाद क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री नीरेन घोष : दूसरा प्रश्न यह है कि मन्त्री महोदय जब कभी वक्तव्य दें, तो उन्हें यह स्पष्टीकरण देना चाहिए कि पिछले आयोग ने क्यों त्यागपत्र दिया। क्या आयोग सरकार के प्रतिकूल कार्य कर रहा था ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। श्री भीष्म नारायण सिंह।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादव पुर) श्रीमान जी, उन्होंने एक कानूनी मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि पहले इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, जिसके बिना नियुक्ति प्रभावी नहीं होता है और यही कारण है कि उन्होंने सदन के समक्ष वक्तव्य नहीं दिया।

पिछले दिन आपने कहा था कि उत्पाद शुल्क में वृद्धि सम्बन्धी घोषणा, जो एक अधिसूचना के बिना प्रभावी नहीं हो सकती थी, इससे पहले सदन में की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ये दो भिन्न प्रश्न हैं

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रश्न इस अधिसूचना को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने से सम्बन्धित है। पहले उन्हें इसे सदन में लाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस मामले को काफी अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया है।

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूँ कि 23 जून, 1980 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

(एक) वर्ष 1980-81 के लिए सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा।

(दो) वर्ष 1980-81 के लिए अनुदानों की मांगों (रेल) पर चर्चा तथा मतदान।

(तीन) आवश्यक सेवा बनाये रखना (आसाम) अध्यादेश, 1980 के निरनुमोदन सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा तथा आवश्यक सेवाएं बनाये रखना (आसाम) विधेयक, 1980 पर विचार करना तथा पारित करना।

(चार) नेशनल कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) विधेयक, 1980 पर विचार करना तथा पारित करना।

प्रो० मधु दण्डते (राजापुर) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं अगले सप्ताह की कार्य सूची में दो मामलों को शामिल करने का का सुझाव दे रहा हूं जिन पर या तो चर्चा की जाये अथवा सम्बन्धित मंत्री महोदय द्वारा उसके सम्बन्ध में वक्तव्य दिया जाए।

26 अप्रैल, 1978, को रेल मंत्रालय के परामर्श से योजना आयोग ने राष्ट्रीय यातायात नीति सम्बन्धी पान्डेय समिति की नियुक्त की थी तथा इस समिति ने 8 मई, 1980 को अपना प्रतिवेदन पहले ही सरकार को प्रस्तुत कर दिया है तथा मेरे एक प्रश्न के उत्तर में सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि समिति ने यह सिफारिश की है कि बड़ी रेलवे लाइन, वेस्ट कोस्ट रेलवे लाइन, को आप्टा ऐ मंगलूर तक स्वीकार कर लिया जाय। समिति की यह सिफारिश सर्व सम्मति से है। मैं चाहता हूं कि रेल मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें तथा सदन को बतायें कि वे किस चरणबद्ध तरीके से इस सिफारिश को कार्यान्वित करने जा रहे हैं। क्योंकि यह प्रतिवेदन योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई समिति ने दिया है इसलिए मेरा सुझाव है कि निर्माण कार्य दोनों ओर से शुरू किया जाये, जिससे कि इसके जल्दी पूरा होने की सम्भावना बनी रहे।

दूसरे दुर्भाग्यवश मोशेदयान की भारत में गुप्त यात्रा के सम्बन्ध में सदन में काफी विवाद है। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आज के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित सुन्दराजन के एक लेख में दी गई जानकारी की ओर दिलाना चाहता हूं। इस लेख का शीर्षक है "दी इजराइय कनैक्शन" और इस में बताया गया है कि सैनिक गुप्तचर सहित शीर्ष पदस्य इजराइली अधिकारली 1965 तथा 1971 के बीच सरकार के प्रमुख लोगों, प्रायः सभी सरकारी नेताओं से मिले हैं। मैं तत्कालीन सरकार की किसी प्रकार से निन्दा नहीं करना चाहता, लेकिन यदि देश की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करने ही होते हैं, यद्यपि मैं उनसे असहमत हूं तो भी मैं यह मानता हूं कि सरकार तथा मन्त्री, रक्षा मंत्री, प्रधान मंत्री को इस प्रकार की अनौपचारिक बातचीत करने का अधिकार है। अतः सुन्दराजन के इस लेख की पृष्ठभूमि में, जो आज के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय को एक स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए, क्योंकि किसी विदेशी पत्रिका में प्रकाशित किसी समाचार के आधार पर प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिए और यह मामला सदन में भी उठा गया।

अतः एक विदेशी पत्रिका पर ध्यान दिया गया है, तो मेरा विचार है कि सुन्दराजन के लेख जो एक भारतीय पत्र' हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ है पर भी विचार किया जाना चाहिए।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : केरल के लोगों को पुनः आश्वस्त करने के लिए सरकार द्वारा एक वक्तव्य शीघ्र दिया जाना आवश्यक है। हमारी कुछ गम्भीर तथा तात्कालीक समस्याए हैं, जिनसे राज्य की अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। केरल का एक सर्वदलीय शिष्ट मण्डल, मुख्य मंत्री के नेतृत्व में माननीय प्रधान मत्री से मिला और उन्हें एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा पिछले वर्ष आयात किया गया प्रकृतिक रबड़ बिक नहीं पाया है और उस तथ्य को ध्यान में रखते हुए और केरल तथा अन्य राज्यों में रबड़ उत्पादकों को पुनः आश्वस्त करने के लिए प्राकृतिक रबड़ के आयात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस मामले में सरकार को वक्तव्य देना चाहिए।

प्रस्तुत किये गये ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि देश में कोको बीन की कीमत एकाएक न गिरने देने तथा कोका को उत्पादकों में व्याप्त निराशा के निवारण के लिये कोको बीन का आयात बन्द किया जाना चाहिए निर्यात के लिये उपलब्ध कोको का निर्यात को बढ़ावा देने के लिये एक सक्रिय कार्यक्रम आरंभ किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि भारत के काजू निगम के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा कच्चे काजू का आयात करने तथा इसे केरल को देने की तत्काल अत्यन्त आवश्यक है।

ज्ञापन में कोचीन में असेमोहिकस परियोजना की स्थापना करने तथा कलानोर जिले में प्रस्तावित स्थान पर एक स्थायी नौ-सेना आकादमी स्थापित करने सम्बन्धी कुछ अन्य बातें भी हैं।

केरल से मुख्य मत्री के नेतृत्व में सभी राजनैतिक दलों का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि मंडल यहाँ आया है। तथा केरल की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण समस्या में प्रधान मंत्री के सामने रखी गई हैं। अतः यह आवश्यक है कि सरकार को इन मामलों के बारे में इस सदन में जल्दी से जल्दी वक्तव्य देना चाहिए।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि पिछली लोक सभा अर्थात पाँचवीं लोक सभा के समय तत्कालिन जनता सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग तथा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक तथा कानूनी दर्जा देने के विचार से एक विधेयक सभा में प्रस्तुत किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश यह विधेयक संविधान संशोधन विधेयक होने से सभा में अपेक्षित बहुमत न होने के कारण पास नहीं हो सका। मैं सरकार से अल्पसख्यक आयोग तथा पिछला वर्ग आयोग की संवैधानिक तथा कानूनी दर्जा देने के लिये जल्दी से जल्दी संविधान के संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक लाने की प्रार्थना करता हूँ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नोटिस दिया है कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्या पर विस्तृत चर्चा सम्बन्धी विषय को भी सम्मीलित किया जाये। असम में कल भी हिंसक घटनाएं होती रही हैं। त्रिपुरा में भी कल तथा परसों हिंसक घटनाएं घटी हैं। इसके अतिरिक्त वहां एक पृथकवादी आन्दोलन भी तेज किया गया है। एक सेवन सिस्टर्स लिबराइजेशन आर्मी का गठन किया गया है। जिसका संचालन शिलांग से किया जा रहा है। वे भी गड़बड़ पैदा कर रहे हैं तथा पृथकवादी आन्दोलन को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मणिपुर तथा इसके आस पास के क्षेत्रों में भी उपद्रव हो रहे हैं। अतः मेरा विचार है कि यह उचित ही होगा कि सम्पूर्ण पूर्वोतर क्षेत्र में होने वाली घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर सभा में विचार किया जाये और संभा इस विषय में अपनी राय दे जिससे कि समस्या का समाधान किया जा सके। मैं यह चाहता हूँ कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में इस विशेष चर्चा को शामिल किया जाये।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जिसे मैं उठाना चाहता हूँ वह दण्डकारण्य परियोजना सम्बन्धी मामला। वहाँ सरकार ने सार्वजनिक घोषणा की है कि सरकार का विचार 1981 के अन्त तक दण्डकरण्य परियोजना को बन्द करने का है। लेकिन वहाँ से जो रिपोर्टें मिल रही हैं, और उनमें यह बताया गया है कि दण्डकारण्य परियोजना में पुनर्वास की समस्या अभी पूरी तरह हल नहीं हुई है। वहाँ दोहरा प्रशासन चल रहा है। भारत सरकार के पुनर्वास विभाग और दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण में परस्पर विरोध है। इसके परिणाम स्वरूप जो वृहद योजना पहले उस क्षेत्र के समेकित विकास के लिये बनायी गयी थी उसे बन्द कर दिया गया हैं तथा उस योजना पर कोई कार्यवाई नहीं की गयी है। अतः सरकार की ओर से दिये गये इस वक्तव्य से कि सन 1980 के अन्त तक दडकारण्य विकास प्राधिकरण या दंडकारण्य परियोजना को बन्द कर दिया

जायेगा, लोगों में विशेष तौर से उन शरणार्थियों में जिन्हें दंडकारण्य क्षेत्र में वसाया गया है गम्भीर आशंका तथा भ्रय पैदा कर दिया है।

हाल ही में दंडकारण्य परियोजना के चेयरमैन भी·····

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण संक्षिप्त करें।

श्री चित्त वसु : उसकी नियुक्ति कर दी गयी है। उस क्षेत्र में भारी असंतोष है। अतः अगले सप्ताह की कार्य सूची में उस विषय को भी शामिल किया जाये।

श्री कृष्ण चन्द हाल्दर (दुर्गापुर) : श्रीमान् जी, श्री समर मुखर्जी और मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है।

अध्यक्ष महोदय : ध्यनाकर्षण प्रस्तावों पर मेरे कक्ष में विचार विमर्श किया जा सकता है। श्री घोष आपने अपना नाम तो दिया है लेकिन आपने मुझे अपने मुद्दे नहीं बताये हैं। आपको ये दे देने चाहिए।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : श्रीमान् जी, मुझे खेद है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको केवल एक मिनट का समय दूंगा।

श्री नीरेन घोष : मैं यह चाहूंगा कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में विजय में गोली काण्ड को शामिल किया जाये क्योंकि यह बार बार कहा गया है कि अल्प संख्यक प्रतिनिधि मंडल आज प्रधान मन्त्री से मिला है। यह बात आज या शायद कल के अखबारों में भी छपी थी कि सेना पुलिस आन्दोलन का पक्ष ले रही है तथा इसके साथ अपनी हमदर्दी दिखा रही है हालांकि यह एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था किन्तु पुलिस ने उन पर गोलियां चलायी जिससे अनेक व्यक्ति मारे गये। यदि वहाँ इस प्रकार की स्थिति है तो असम में अल्प संख्यकों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती क्योंकि यह एक मिसाल बन जाती है। अतः मैं चाहूँगा कि इस विषय को भी लिया जाये।

दूसरी बात यह कहना चाहूँगा कि हाल समाचार पत्रों में ताजमहल के सम्बन्ध में एक समाचार छपा था कि मथुरा तेल शोधक कारखाने द्वारा ताजमहल की सुरक्षा के लिये उपाय पर्याप्त नहीं हैं और ताजमहल नष्ट हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आप नियम 377 के अन्तर्गत नोटिस दे सकते हैं।

हाँ, श्री सोमनाथ चटर्जी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमान, जी मैं पूर्वोतर क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा के बारे में श्री चित्त बसु का जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूँ। यह लगभग एक विस्फोटक स्थिति है। देश का वह सम्पूर्ण क्षेत्र·····

अध्यक्ष महोदय : आप उसी की पुनरावृत्ति क्यों करते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : अतः मैं विस्तार से नहीं कहूँगा।

दूसरी बात मैं सारे देश में पैट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव के बारे में···

अध्यक्ष महोदय : नियम 184 के अन्तर्गत हमने इसे पहले ही गृहीत कर लिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने इसे गृहीत कर लिया है ?

मेरी तीसरी बात यह है कि आज भी माननीय वाणीज्य मन्त्री महोदय ने कहा है कि ऐसे इंजीनियरी माल के निर्यात तथा अन्य निर्मित माल के निर्यात के लिये एक विशेष लक्ष्य

निर्धारित किया गया है । जहाँ लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है लेकिन उन्हें कच्चा माल न मिलने के कारण भारी मुशीबतों का सामना करना पड़ रहा है । क्योंकि कच्चे माल पूरी तरह केन्द्रीय सरकार के नियत्रण में हैं । अत. मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण पहलू पर जिससे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, यहां चर्चा की जानी चाहिए ।

मेरा चोथा मुद्दा यह है कि कलकत्ता पत्तन की स्थिति उत्तरोत्तर··· हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय : उस पर चर्चा पहले ही की जा चुकी है ।

हाँ, श्री वसु ।

श्री ज्योतिमयबसु (डायमंड हार्वर) : महोदय प्रेस आयोग के पुनर्गठन के बारे में एक प्रस्ताव है इस सम्बन्ध में जब हम सभा में चर्चा करेंगे—मन्त्री महोदय से चर्चा के माध्यम से जानना चाहूँगा । कि प्रेस आयोग में संस्थागत तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है । हम देखते हैं कि उसमें पत्रकार संस्थाओं का भी प्रतिनिधित्व नहीं है । अन्यथा मुझे कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं होती । वे सभी प्रतिष्ठित पत्रकार हैं । लेकिन प्रेस आयोग में क्षेत्रीय तथा संस्थागत प्रतिनिधित्व का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है । विचारार्थ के विषयों बारे में इतना विलम्ब क्यों किया गया है यदि सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रेस आयोग को सौंपे गये विचारार्थ विषयों का राजनीतिक कारणों से अनुमोदन नहीं किया, तो उसने अपने अनुसार विचारार्थ विषय पहले और समय पर तैयार क्यों नहीं किये ? इस पर चर्चा की आवश्यकता है क्योंकि प्रेस आयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और संसदीय प्रजातन्त्र को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका अगला मुद्दा क्या है ?

श्री ज्योतिमय बसु : मेरे अगले मुद्दे के सम्बन्ध में मेरे माननीय कामरेड श्री ए. के. राय ने सिन्दरी का मामला उठाया है । सिन्दरी उर्वरक कारखाना ऐसी परियोजना आरम्भ करने जा रहा है जो स्वयं ही समाप्त हो जायेगी वह इसका ब्यौरा देंगे । मैं उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करूंगा । मैं यह चाहता हूँ कि नियम 193 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव रखा गया है उस पर सभा में यथाशीघ्र चर्चा की जाये ।

मैं अपनी तीसरी यह बात कहकर बैठ जाऊंगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् प्रति वर्ष लगभग 83 करोड़ रुपये खर्च करती है । यह परिषद कृषि वैज्ञानिकों का केवल आमोद का स्थान है । कुल मिलाकर इसका कृषकों से कोई सम्बन्ध नहीं हैं । मैं चाहता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर इस सभा में चर्चा की जाये ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई-उत्तर-पूर्व) श्री मान जी जब हम सुझाव देते हैं तो मन्त्री महोदय को कम से कम हमें लिखित रूप में यह सूचित करना चाहिए कि उन्होंने सुझावों को स्वीकार कर लिया है या नहीं । इस अल्पशिष्टाचार से हमें काफी संतोष मिलेगा ।

इस सभा में कई बार जगुआर विमानों के सौदे के बारे में चर्चा हुई है । अब मुझे पता लगा है कि सरकार ने वस्तुत: जगुआर विमान खरीद के 2 मामले को खत्म करने का निश्चय कर लिया है । यह साबित करने के लिये कि यह सौदा कितना अनुचित और कितने लोगों ने इससे कितना धन कमाया था, कुछ पत्रकारों को इस सम्बन्ध में सामग्री दी गई है अत: यह बहुत ही अच्छा होगा यदि जगुआर विमान और हैरियर विमान दोनों के सौदों के बारे में इस सभा में

पूरी चर्चा की जाये। इन पर उनको खुलकर कहने दिया जाये कि जगुआर-विमान के सौदे में क्या खराबी है और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया जा रहा है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उनको देश पर पांच वर्ष तक शासन करने का अधिकार मिला है। मेरा विश्वास है कि वे पांच वर्ष तक देश का शासन सम्भालेंगे, लेकिन शायद वे पांच वर्ष तक शासन न कर पायें। अतः श्रीमान जी सरकार को कम से कम यह अवश्य बताना चाहिए कि वह निर्णय को क्यों बदल रही हैं।

बम्बई में निम्न मध्यम वर्ग के लोग महाराष्ट्र आवास बोर्ड की आवासीय कालोनियों में रहते हैं। आप यह सोचते होंगे कि इससे केन्द्रीय सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन इसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है। जिस ढंग और जिन शर्तों के अनुसार वे उन मकानों में रहते हैं तथा उन आवासों की मरम्मत आदि-आदि सब केन्द्रीय सरकार द्वारा ही नियमित की जाती है। कई वर्षों तक उनकी उपेक्षा की गयी है यदि यहां श्री बसन्त दादा पाटिल होते तो वे तत्काल यही कहते कि उनके समय में भी इनकी उपेक्षा हुई थी और यह अब भी हो रही है। अतः इस सभा को महाराष्ट्र आवस बोर्ड के 50000 मकानों के बारे में चर्चा करनी होगी। कुछ राहत तत्काल दी जानी चाहिए; अन्यथा इस बरसात में अनेक मकान गिर जायेंगे और अनेक व्यक्ति मर जायेंगे।

अन्त में मैं वैद्यलिंगम आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने की मांग कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह मद्दों में नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपकी कृपा से मैं यह कहूंगा, कि वैद्यालिंगम आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा क्यों नहीं की जा रही हैं? क्या सरकार को डर है कि उसमें कुछ भी नहीं है और मोरारजी देसाई तथा श्री कान्ति देसाई साफ बच जायेंगे?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकट सुब्बया) : यह निर्णय करना कार्य मंत्राणा समिति का काम है कि किन-किन विषयों को सभा में रखा जाना है।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : पहले भाग में सदस्यों द्वारा उठाये गये वे मुद्दे हैं जिनमें उन्होंने सम्बन्धित मन्त्रियों से उन मुद्दों के बारे में वक्तव्य देने की मांग की है। मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों को दो भागों में बांटता हूं। इसके पहले मैं उन मुद्दों को संबंधित मन्त्रियों के पास भेज दूंगा। दूसरे भाग का सम्बन्ध कार्य मंत्रणा समिति से है मैं उन मुद्दों को कार्य मंत्रणा समिति के सामने रख दूंगा।

त्रिपुरा राहत शिविरों में राहत की व्यवस्था करने के बारे में वक्तव्य

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लास्कर) : अध्यक्ष महोदय, त्रिपुरा सरकार से तार द्वारा अनुरोध मिलने पर भारतीय रेडक्रास सोसायटी ने त्रिपुरा में विभिन्न कैम्पों में रह रहे बेघर हुये लोगों की सहायता के लिये चार मीट्रिक टन कम्बल कपड़े, पाउडत दूध और दवाइयाँ विमान और सड़क परिवहन द्वारा तुरन्त अगरतला पहुँचाये।

राज्य सरकार के अनुरोध पर स्वास्थ मंत्रालय द्वारा और चिकित्सा सामग्री विमान से पहुँचाई जा रही है, जिसमें 14 प्रकार की दवाइयां हैं और इन दवाइयों में अतिसार रोधी, कृमिनाशक एटिबायोटिक दवाइयां भी शामिल हैं।

त्रिपुरा को हैजा वैकलीन की और एक लाख खुराके विमान से भेजी जा रहे हैं। इस के अलावा 16 जून, 1980 को भारतीय रेडक्रास सोसायटी ने दो दो डाक्टरों और एक एक फार्मासिस्ट वाले दो चिकित्सा दलों और उनके साथ दो स्वतः पूर्ण मेडिकल यूनिटें विमान से भेजी। इसके अतिरिक्त एक एक सर्जन, कार्य चिकित्सक, बाल चिकित्सक विकलांग विज्ञान सर्जन, एनेस्थेटिस्ट और तीन जूनियर डाक्टरों के एक दल को तैयार रखा गया है और जैसे ही राज्य सरकार से कोई सूचना मिलेगी उन्हें विमान से अगरतला भेज दिया जायेगा। ये सब डाक्टर सफदरजंग अस्पताल के हैं।

मैंने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और रेडक्रास की एक समन्वय बैठक बुलाई है जिसमें और ज्यादा कुमुक भेजने की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है।

समिति के लिये निर्वाचन

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

वाणिज्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ; कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रुप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है;

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य से ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधियनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रुप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नियम ३७७ के आधीन मामले

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु···

एक माननीय सदस्य : वे अपनी सीट पर नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर न होकर गलत जगह पर हैं।

श्री ज्योतिर्म बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय, मैं गलत स्थान पर नहीं अपितु नंगे पैर खड़ा हूँ। मद संख्या 10—

अध्यक्ष महोदय : हमने नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करनी है।

(एक) मैसर्स यूनियन नार्थ जूट मिल पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को जबरन छुट्टी किये जाने का समाचार

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, यह मैसर्स यूनियन नार्थ जूट मिल पश्चिम बंगाल, जो कि केन्द्रीय सरकार के प्रबन्धाधीन एक उपक्रम है, के मामलों से संबंधित है।

प्रबन्धकों ने बिना किसी कारण के मजदूरों को लम्बे समय तक जबरन छुट्टी पर भेज दिया है जिसके परिणाम स्वरुप उत्पादन में अब तक 90 लाख रुपये की हानि हो चुकी है। प्रबन्धकों ने मनमाने तरीके से लगभग 2500 मजदूरों तथा कर्मचारियों को 13-5-80 से बिना किसी मुआवजे के जबरन छुट्टी दे दी है।

फैक्टरी प्रबन्धकों ने मिल में कार्यरत मजदूर संघों के प्रतिनिधियों से बिना कोई वार्ता के का तथा कोई पूर्व सूचना दिये बिना 12-5-80 को एकाएक कताई विभाग के बोबिन मजदूरों पर काम असहनीय बोझ लादने का नोटिस लगा दिया।

इस संबध में यहाँ यह बताना आवश्यक है कि यूनियन नार्थ जूट मिल ही ऐसी एक मात्र जूट मिल है जो कि कारीगरों के सराहनीय प्रयासों के कारण सुचार रूप से तथा लाभप्रद तरीके से चल रही है।

कारीगरों की माँग है कि जबरन छुट्टी के आदेश को तुरन्त वापस लिया जाये तथा उत्पादन पुन: चालू किया जाय। उन्होंने यह माँग भी की है कि जनहित में मिल का अविलम्ब राष्ट्रीयकरण किया जाय।

मंत्री महोदय को सारी स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक वक्तव्य देना चाहिए

(दो) बिहार में पश्चिम कोसी नहर को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता

श्री भोगेन्द्रझा (मधुबनी) : महोदय मैं पश्चिमी कोसी नहर से संबंधित प्रश्न उठाना चाहता हूँ। महोदय इस परियोजना का अनेक बार उद्घाटन किया गया लगभग प्रत्येक चुनाव के समय इसका उद्घाटन किया गया···

अध्यक्ष महोदय मेरे विचार में यह बड़ी खेदजनक बात है।

श्री भोगेन्द्रझा : किन्तु महोदय, आज तक भी इसे पूरा नहीं किया जा सका है। इसलिए महोदय, मैं आपका तथा इस सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि बिहार के मधुबनी जिले में पश्चिमी कोसी नहर को पूरा करने के काम में अनावश्यक देर हो चुकी है। इस नहर के पूरा हो जाने से 8 लाख एकड़ से भी अधिक भूमि की सिचाई की जा सकेगी। इसमें से लगभग आधी भूमि में जो कि कमला नदी के पूर्वी तट पर है, अधूरे काम को पूरा करने के एक वर्ष के भीतर सिंचाई प्रारम्भ की जा सकती है। इस भूमि के दूसरे हिस्से जो कि कमला नदी के पश्चिम तट पर हैं, को पूरा करने तथा कमला नदी पर पुल बनाने के कार्य में लगभग 3 वर्ष का समय लग सकता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह पर्याप्त धन की व्यवस्था करें तथा राज्य सरकार को समय सूची के अनुसार परियोजना पूरी करने के निर्देश दे।

मैं प्रार्थना करता हूँ कि मंत्री महोदय को यदि आज संभव नहीं है तो कम से कम किसी अन्य दिन एक लिखित उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाय कि इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है। अन्यथा इन मामलों को उठाकर सदन का समय व्यर्थ नष्ट करने का कोई लाभ नहीं है।

(तीन) सिन्दरी स्थित उरर्वक संयंत्र के नवीकरण तथा उसकी नीलामी रोकने की आवश्यकता

श्री ए. के. राय (धनबाद) : भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड की सिंदरी यूनिट ने अपनी

अधिसूचना सख्या एन. आई. टी. संख्या, ए एम एम/डिस्पोजल/टेन्डर/14/80 के माध्यम से देश के प्रमुख समाचार पत्रों में 'जहाँ है जैसा है' के आधार पर अपने रासायनिक संयंत्रों की बिक्री के लिए विज्ञापन दिया था, टेन्डर खोले जाने की निर्धारित तिथि 20.3.80 थी। उपर्युक्त विज्ञापन जो कि निम्नलिखित मदों के सम्बन्ध में था, 25.2.80 के स्टेट्समैन में, 24.2.80 के हिन्दुस्तान टाइम्स में तथा 21.2.80 के इण्डियन नेशन और कुछ अन्य समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था :—

1. सेमी वाटर एक्सप्रोड्यूसर गैस प्लान्ट
2. गैस रिफोर्मिंग प्लान्ट
3. एयर सैपरेशन यूनिट 1 (लिण्डे फ्रैंकले)
4. एयर सैपरेशन यूनिट
5. नैफ्था रिफोर्मिंग प्लान्ट
6. अमोनिया प्लान्ट सी सी सी यूनिट
7. अमोनिया प्लान्ट मोंटिसेटनी यूनिट
8. यूरिया प्लान्ट
9. अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट प्लान्ट (डबल साल्ट)

नीलाम किये जाने वाले उपकरणों के विवरण से निम्नलिखित बातों का पता चलता है :

(1) **अमोनिया प्लान्ट**

(क) 1976 में नाम रूप ने भारतीय उर्वरक निगम के अन्तर्गत ही वी एण्ड डी के माध्यम से कम्प्रैसर नं० 5 माँगा था तथा उसे दिया नहीं गया था।

(ख) दो मिक्सर गैस कम्प्रैसरों में कोई खराबी नहीं है।

(ग) छः वाटर स्क्रबर में से 4 पूरी तरह ठीक हैं।

(2) **गैस रिफोर्मिंग प्लान्ट**

(क) अमोनिया काम्प्रैसर अच्छी चालू हालत में है।

(3) कुल बायलरों की संख्या 27 है जोकि पिछले वर्ष बिहार सरकार के बायलर निरीक्षकों द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के अनुसार संतोषजनक स्थिति में हैं।

(4) **डबल साल्ट प्लान्ट** : सभी उपकरण अच्छी चालू हालत में हैं। सरकारी क्षेत्र में विद्यमान एक उर्वरक संयंत्र जो कि देश का सर्वप्रथम प्रतिष्ठा-प्रतीक संयंत्र है, की इस समग्र बिक्री की सबसे अधिक विचित्र बात यह है कि जो दर सूचियाँ स्वीकार की गयी वे सभी बाजार दर से कम थी तथा यह भी बताया गया है कि दिखायी गयी सामग्री वास्तविक सामग्री से कहीं कम थी।

यह खेदजनक बात है कि जबकि देश में उर्वरक की भारी कमी है तथा उर्वरक का उत्पादन उसकी माँग से कम है, सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम भारतीय उर्वरक निगम कोयले से चलने वाले अपने एकमात्र उर्वरक संयंत्र को जिसमें करोड़ों रुपया लगा है, उसके नवीकरण की सम्भान्यता का पता लगाये बिना तथा उर्वरक उत्पादन हेतु उसकी क्षमता का उपयोग किये बिना ही आपने इस संयंत्र की समग्र यूनिट को गैर सरकारी कम्पनियों के हाथ नीलाम करने जा रहा है, हांलाकि इसके अधिकतर हिस्से अच्छी हालत में हैं तथा उन्हें उपर्युक्त कार्य में अर्थक्षम ढंग

से काम में लाया जा सकता था। इस सम्बन्ध में किये गये उपाय कोई समुचित संवीक्षा किये बिना किये गये जबकि डीजल से चलने वाला सिंदरी मार्डेनाइजेशन प्लान्ट डीजल की कमी के कारण बन्द पड़ा है और डीजल से चलने वाले सारे संयंत्रों को कोयले से चलाये जाने वाले संयंत्र बनाने की अखिल भारतीय मांग अभी विचराधीन है। सरकार को चाहिए कि वह इस मामले में हस्ताक्षेप करें, कोयले से चलने वाले इस संयत्र की मरम्मत करके उसकी नीलामी को रोके।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 199 के अन्तर्गत मैं आपकी अनुमति से···।

अध्यक्ष महोदय : आपकी सूचना आने पर मैं इस पर विचार करूंगा। अब श्री विजय राघवन्।

(चार) सांताक्रूज हवाई अड्डे पर कथित भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय

श्री वी. एस. विजयराघवन् (पालघाट) ** : बम्बई के सांताक्रूज हवाई अड्डे पर हुई शर्मनाक घटनाओं के बारे में समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं विदेशों में काम करने वाले हमारे अनेक व्यक्ति प्रतिदिन आते हैं। अक्सर, जो व्यक्ति अपने परिवार वालों से मिलने आते हैं तथा वहाँ थोड़े समय ठहरते हैं, वे इस अड्डे के भ्रष्ट कर्मचारियों का शिकार होते हैं।

यान यात्रियों को ऊपर से नीचे स्तर तक टिकट पास हो जाने पर भी विमान में कोई स्थान नहीं मिलता जबकि प्रत्तीक्षा सूची में विद्यमान यात्री अधिकारियों को रिश्वत देकर उसी विमान से यात्रा करने में सफल हो जाते हैं। यह रोजमर्रा की बात हो गयी है। इसके अतिरिक्त समुचित रूप से सीमा शुल्क का भुगतान करने वाले यात्रियों को डरा धमका कर उनसे रिश्वत लेना भी अधिकारियों के लिए रोजमर्रा का काम हो गया है। इसका एक उदाहरण श्री सेल्वाराज है जो कि दुबई से अपनी सख्त बीमार मां से मिलने आ रहे थे। लेकिन टिकट के कर उचित होने के बावजूद उन्हें विमान में कोई सीट नहीं मिल सकी दूसरा मामला एक महिला का है जो कि अपने खुद के विवाह के लिए मस्कत से आ रही थी। अधिकारियों को रिश्वत देने के बाद भी वह समय पर अपने घर नहीं पहुँच सकी। इसके अतिरिक्त एक अन्य मामला किन्हीं श्री शमसुद्दीन का है जिनसे कस्टम अधिकारियों ने यह कहने के बावजूद 290 रुपये छीन लिये कि उन्होने कस्टम शुल्क की सभी बकाया राशि का भुगतान कर चुके हैं। ये घटनाएं 5 जून, 1980 को मलयाला मनोरमा दैनिक में प्रकाशित हुई हैं। इसी तरह की धोखाधड़ी के शिकार लगभग 50 ऐसे लोग एक विशेष बस से केरल पहुँचे और तब उन्होंने उपर्युक्त दैनिक को इस घटना की रिपोर्ट दी। पहले भी इस तरह की धोखाधड़ी के बारे में शिकायतें किए जाने बाद भी इस तरह की धोखाधड़ी में लगे लोग निर्भय होकर स्वच्छन्द रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। इससे लोगों में आशंका और निराशा पैदा हुई है। केन्द्र सरकार तथा नागर विमानन प्राधिकारियों को चाहिए कि वे इस समस्या की ओर तत्काल ध्यान दें। वहां जिस तरह का भ्रष्टचार तथा धोखाधड़ी चल रही है, उससे देश की प्रतिष्ठा पर कलंक लगेगा। अतः इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शीघ्र तथा कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

(पांच) बिहार में जूट उत्पादकों के शोषण को रोकने के उपाय

श्री डूमरलाल बैठा (अररिया): अध्यक्ष महोदय बिहार में जूट उत्पादकों की स्थिति अत्यन्त

** मलयालम में दिए गए वक्तव्य के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री चन्द्रपाल शैलानी]

कि उनकी मेनटेनेंस और पट्रोल पर जितना खर्चा आता है, उसको रोका जा सकता है। उन गाड़ियों का दुरुपयोग किया जाता है। अधिकारी उन्हें अपने निजी कामों और परिवार के सदस्यों के लिए इस्तेमाल में लाते हैं।

दिल्ली डिवीजन के डी. आर. एम. की स्टाफ कार जो अभी कुछ दिन पहले खरीदी गई थी आप को ताज्जुब होगा कि उसकी सीटें लगवाने, गद्दियों पर कपड़े चढ़वाने तथा शीशों के परदे लगाने पर 1153 रुपये खर्च आए जो बिल्कुल फिजूलखर्ची है और जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।

रेलवे की नौकरियों में आजादी के 33 साल बाद आज भी शेड्यूल्ड कास्ट और शैड्ल्ड ट्राइब्ज के लोगों का कोटा पूरा नहीं हुआ है। दूसरी तरफ जहां भारत सरकार में 55 साल की उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं वहां रेलवे में 58 साल की उम्र पूरी करने के बाद भी एक्सटेंशन दिया गया है। □ □ स्टेशन सुपरीटेंडेंट दिल्ली जक्शन को···(व्यवधान)

सभापति महोदय : 58 साल की जो आप बात कर रहे हैं उसके सम्बन्ध में जिसका नाम ले रहे हैं उसको यहां बोलने का कोई मौका नहीं है। तो कृपया आप उनका नाम न लें। नाम लेकर बोलेंगे तो जिसका नाम ले रहे हैं यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ·· ये सदन के नियम हैं।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : मेरा यह कहना है कि अगर मंत्री जी और अधिकारीगण किसी विशेष अफसर को खुश करना चाहते हैं या इनाम देना चाहते हैं तो उसको उसी स्केल में री-एम्पलायमेंट दे दें। आप इसके ऊपर जरा गंभीरता से विचार कीजिए कि एक आदमी को एक्सटेंशन देने से कितने आदमियों का गला घोंटा जाता है, कितने आदमियों के हकों का हनन होता है···

सभापति महोदय : मैं आप की मदद करना चाहता हूं। आप को कोई ऐसी चीज सदन के ध्यान में लानी है तो उनका डेजिगनेशन बतलाकर कह सकते हैं, उनका नाम नहीं ले सकते हैं।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : इसी तरह बीकानेर डिवीजन के मैकेनिकल इंजीनियर को एक साल का एक्सटेंशन दिया गया है। और इस तरह के बहुत से मामले हैं।

रेलें जहां यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुचाती हैं वहां जो जीवन के आवश्यक पदार्थ हैं उनको भी ढोने में काफी मदद करती हैं जिससे आदमी को अपना जीवन अच्छी तरह से निर्वाह करने के लिए चीजें वहां पर उपलब्ध होती हैं। लेकिन अभी हमारे देश में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां रेल नहीं पहुचती हैं। आसाम में जो गड़बड़ बहुत दिनों से चल रही है जिसके बहुत से कारण हो सकते हैं, उस पर मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता, लेकिन एक यह बात भी सही है कि वहां पर आवागमन के

□ □ कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

साधन बहुत कम हैं···(व्यवधान)···

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : सभापति महोदय, दो मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा।

सभापति महोदय : डिप्टी स्पीकर साहब ने आपको आगाह कर दिया था, पहले ही बता दिया था।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो तीन सुझाव देकर खत्म कर रहा हूं।

39 अप और 40 डाउन तथा जनता एक्सप्रेस दिल्ली और अलीगढ़ के बीच सभी स्टेशनों पर रुकती हैं लेकिन उसमें यात्रियों से एक्सप्रेस का किराया चार्ज किया जाता है जो उनके साथ अन्याय है। यह नहीं होना चाहिए।

हाथरस किला से अलीगढ़ तक जो शटल गाड़ी चलती है उस में तीन डिब्बे बढ़ाए जाएं तथा उसे शाम के समय भी एक ट्रिप करनी चाहिए।

अलीगढ़ जंक्शन से लोग लगभग 3 हजार यात्री दिल्ली आते जाते हैं जिनके लिए वर्तमान गाड़ियां पर्याप्त नहीं हैं। अतः कम से कम एक गाड़ी और बढ़ाई जाय।

अलीगढ़ दिल्ली और नई दिल्ली के बीच यात्रियों की समस्याओं को देखते हुए यहां एम० ई० कोच चलाना अत्यावश्यक है।

अलीगढ़-बरेली-मुरादाबाद लाइन पर एक भी फास्ट ट्रेन नहीं है जिससे यात्रियों का पूरा दिन खराब होता है।

पूर्वोत्तर रेलवे मीटर गेज पर गोरखपुर से अजमेर या अहमदाबाद तक एक मेल या एक्स प्रेस गाड़ी चलाई जाय।

पूर्वोत्तर रेलवे पर चलने वाली आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस सिकन्दराराऊ स्टेशन पर सिर्फ एक मिनट रुकती है। कभी-कभी सवारियां चढ़ उतर भी नहीं पातीं कि गाड़ी चल देती है, लिहाजा वहां कम से कम 3 मिनट का स्टोपेज किया जाय जबकि कासगंज जंक्शन पर यह गाड़ी आधा घंटा खड़ी रहती है। सिकन्दराराऊ से इसी गाड़ी में सैकेन्ड क्लास में दो बर्थों के आरक्षण की व्यवस्था की जाय।

पूर्वोत्तर रेलवे के मथुरा रेल पुल पर पथ गैलरी का निर्माण शीघ्र कराया जाय। विगत वर्षों में सैकड़ों लोग अपने प्राण दे चुके हैं। अतः पथ-गैलरी का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है।

विक्रमशिला व गोमती एक्सप्रेस का अलीगढ़ जंक्शन पर दोनों तरफ से स्टाप होना चाहिए।

श्री सतीश प्रसाद सिंह (खगरिया) : सभापति महोदय, ऐसे तो हमारे सदन के बहुत सारे सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिए हैं, मैं एक बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जितनी

दोनों में) तथा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 156 के अधीन इलायची पर लगने वाले निर्यात शुल्क में कमी के सम्बन्ध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखा गया देखिये एल. टी. संख्या 939/80)

सभापति महोदय : अब माननीय रेल मंत्री उत्तर देंगे। वे बैठकर ही उत्तर दे सकते हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है।

रेल बजट 1980-81 सामान्य चर्चा-जारी

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : सभापति महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वे रेलवे बजट द्रस्तुत करने का जो अवसर मुझे मिला, उस पर प्राय: 3 दिनों तक माननीय सदन ने बड़ी गम्भीरता के साथ विचार किया। माननीय सदस्यों ने बहुत बड़ी संख्या में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, में उन सब को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब अपनी ओर से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत से सुझाव दिये और मेरा मार्ग-दर्शन किया।

माननीय सदस्यों के भाषणों से मुझे बड़ा प्रकाश मिला है, मुझे बहुत सी जानकारी मिली है और मुझे बोध हुआ है कि इस विभाग का संचालन करने के लिए मेरे सम्मुख क्या कर्त्तव्य हैं और किस प्रकार हैं। उन कर्त्तव्यों को पूरा करने की चेष्टा करूंगा, इसीलिए मैं हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।

मैं इस अवसर पर इतना और कहना चाहता हूँ कि सारी बातों का जवाब देना बजट का उत्तर देते हुए शायद संभव न होगा, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें ऐसी कही गई हैं, जिनके सम्बन्ध में जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। नई लाइनों को बढ़ाने की, विभिन्न क्षेत्रों में नये रेलवे लिंक्स पैदा करने की, छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने की, बहुत-से आपरेशनल मामलों में भी और यात्रियों को बहुत सी सुविधायें देने के मामले में भी जो सुझाव मेरे सामने आये हैं, उन सब पर मैं बहुत गंभीरता से विचार करूंगा। यह आश्वासन दे सकता हूँ सदन को कि सदन ही हमारा स्वामी है और उसकी जो आज्ञा होगी, जो उसके विचार हैं, भावनायें हैं उनका आदर करना और उन्हें कार्यान्वित करना मेरे लिए परम सन्तोष और परम धर्म की बात है।

जैसा कि परम्परा रही है-और मैंने भी उसका अनुसरण किया है-, जो ऐसे सवाल उठाये, गए, जिनका तत्काल उत्तर देना सम्भव नहीं हुआ, चाहे वे इनटेंरिम बजट के समय उठाये गये अथवा सेप्लीमेंटरी बजट के समय उठाये गये तो उस समय भी मैंने यह आश्वासन दिया था कि मैं उन प्रश्नों का उत्तर स्वयं माननीय सदस्यों के यहाँ पहुँचा दूंगा। आज मुझे यह कहने में प्रसन्नता होती है कि इनटेरिम बजट और सप्लीमेंटरी बजट से सम्बन्धित ऐसे बहुत से प्रश्नों का उत्तर मैंने पत्रों के द्वारा माननीय सदस्यों के पास भेजा है। उसमें समय अवश्य लगा होगा, क्योंकि बहुत सी जाँच-पड़ताल की भी बाते थीं, और बहुतों के सम्बन्ध में विभाग के दूरस्थ अंगों से रिपोर्ट मंगाने की आवश्यकता थी। संभव है

कि कुछ विलम्ब हुआ हो, लेकिन प्राय: सब बातों का उत्तर यथासंभव शक्ति-भर मैंने माननीय सदस्यों के पास अपने पत्रों के द्वारा भेजने की चेष्टा की थी। मुझे आशा है कि वह उन्हें मिल गया होगा। आज भी यदि ऐसे कोई प्रश्न रह जायें-और ऐसे प्रश्न उठाये गये हैं, जैसे किसी क्षेत्र में कोई लाइन बनाने का सवाल आदि-, तो उसके बारे में मैं नम्रतापूर्वक यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि उनका उत्तर मैं अपने पत्रों द्वारा उन माननीय सदस्यों के पास शीघ्र ही पहुँचा देने की चेष्टा करूगा।

इस बहस का श्री गणेश करने भार हमारे मित्र प्रो० दण्डवते, ने उठाया। वह तो प्रोफेसर हैं। मैं जीवन भर विद्यार्थी रहा हूँ। जीवन बीत गया करीब करीब, मैं विद्यार्थी रहा। इसी हैसियत में कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहा है। प्रोफेसर महोदय दण्डवते तो प्राचार्य हैं-आचार्य और उसमें "प्र" विशेषण लगा हुआ है। उन्हें अधिकार है कि वह मुझे कुछ बतायें, और उन्होंने बताया। मैं बड़ा कृतज्ञ हूं उनका कि बहुत सी बातों पर मुझे प्रकाश मिला। कुछ का उत्तर भी संक्षेप में और बड़ी नम्रता के साथ मैं दे देना चाहता हूं,

मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ—कोई अभियान मैं नहीं कह रहा हूं, नम्रता के साथ कह रहा हूं—कि किसी पर कोई दोषारोपण करूं। मेरी तबियत ऐसी नहीं है। मेरा रुझान भी इधर नहीं रहता है कि किसी पर किसी तरह का दोषारोपण करूं या उसका छिद्रान्वेषण करने की कोशिश करूं। यदि मैंने अपनी स्पीच में 1976-77 के बारे में या 1977-78 के बारे में कोई ऐसी बात कही है, जिससे पुरानी सरकारों पर कुछ आक्षेप लगता हो, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आक्षेप करने की मेरी कोई नीयत नहीं थी, मेरा वह इरादा भी नहीं था। मुझे दिखाई पड़ा कि यह वस्तु-स्थिति मालूम पड़ा कि यह परिस्थिति है, यह दिखाई पड़ा कि यह फैक्ट है देश की यह हालत है। जो बात दिखाई दे रही हो उसे जनता के प्रतिनिधियों के सामने व्यक्त करना शायद मुनासिब होता है। मेरे ऊपर इसका उत्तरदायित्व आया तो यह और भी आवश्यक हो गया कि जो हमारा स्वामी-मंडल यहाँ बैठा हुआ है उसके सामने अपनी भावना को व्यक्त करूं। इस दृष्टि से मैंने कहा था। अगर मैंने कोई आक्षेप करने के इरादे से नहीं कहा था प्रोफेसर दण्डवते को ऐसा लगा हो कि मैंने कोई आक्षेप किया तो मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूँ कि ऐसा मेरा इरादा नहीं था और अगर यह बात थोड़ी सी उनको चुभ गई तो उसके लिए मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं। मेरा कोई मंशा वैसा नहीं था।

इस प्रश्न का उत्तर, हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब ने, परसों जब उनका भाषण हुआ था, उसमें कुछ दिया है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि 1976-77 कुछ एफिश्येंसी थी रेलवे में। उस सन्दर्भ में यह ध्यान आकर्षित किया कि 1979-80 में वह एफिश्येंसी नहीं रह गई और उसको ले आने में हमें लगता है कि कुछ समय लगेगा। यही बात मैंने कही थी। उस समय थी एफिश्येंसी थोड़ी। मुझे स्वयं बड़ा खेद है कि तीन चार पाँच महीने से रेलवे विभाग का काम मेरे ऊपर आया है, अब मैं यह कह सकता हूँ कि अपनी शक्ति भर, अपनी बुद्धि भर और अपनी समझ भर मैंने उसमें सुधार करने की चेष्टा की है पूरी शक्ति के साथ, पर मैं उसमें अभी सफल नहीं हो सका। मुझे इसका खेद होता है, कभी-कभी लज्जा भी आती है कि ऐसा हुआ। 1976-77 में कुछ बातें थीं। माननीय सदस्यों को अन्दाज है, एक छोटी सी बात है कि सारी गाड़ियां पंक्चुअली चला करती थीं। यह आपको याद होगा। लोग गाड़ियों के टाइम से अपनी घड़ी मिला लिया

करते थे, यह हमने खुद ही देखा है। रेल की गाड़ी आएगी तो यह टाइम होगा, उसके हिसाब से लोग घड़ी मिला लिया करते थे। अब वह नहीं रहा। बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, चार महीनों से कोशिश कर रहा हूँ। अपने रेलवे बोर्ड के साथियों से कहा, हमारे यहां जनरल मैनेजर्स की मीटिंग हुई, उन से कहा और जो काम करने वाले अधिकारी मिलते हैं उनसे कहा। हमारे श्रमिकों का कुछ थोड़ा बहुत जो आवागमन हुआ, मुझसे जो मिल सके उनको कहा कि भाई पंक्चुअलिटी कम से कम ठीक करो। मुझे ऐसा लगता है, मेरे ऊपर ऐसा उसका प्रभाव है कि रेलें जब ठीक चलती हैं तो साधारण जन-समाज के मन में धारणा यह बनती है कि देश ठीक चल रहा है। ठीक टाइम से रेल आए और ठीक टाइम से जाय तो साधारण जन ऐसा सोचता है कि देश भी ठीक चल रहा है और जब गाड़ियाँ चार-चार, पांच-पांच घण्टे लेट होने लगती हैं तो ऐसा लगता है कि देश ठीक नहीं चल रहा है, देश में कुछ गड़बड़ है। इस दृष्टि से भी में समझता हूँ कि यह पंक्चुअलिटी हमें मेन्टेन करनी चाहिए। 76-77 में बहुत बड़े अनुपात में यह चीज मौजूद थी। जैसा मैंने निवेदन किया कि लोग घड़ी मिला लिया करते थे गाड़ी के टाइम से लेकिन अब घड़ी की बात तो जाने दीजिए, चार-चार पाँच-पांच घण्टे गाड़ियां लेट आती हैं और मुझे क्षमा करें तो मैं कहूँ कि कभी-कभी तो ऐसा हुआ कि शाम को 6 बजे जो गाड़ी आने वाली थी वह दूसरे दिन 6 बजे आई। ऐसा हुआ है।

76-77 में रिजर्वेशन के झगड़े भी बहुत कम हो गये थे। ऐसा नियम कुछ बन गया था कि बहुत आसानी से रिजर्वेशन हो जाता था। लोग तारीफ भी किया करते थे। यहाँ हाउस में कहा कि रिजर्वेशन में अब कोई झगड़ा नहीं है। आजकल रिजर्वेशन कराना मुश्किल है। बहुत सी शिकायतें आती हैं। लोग हमारे दफ्तर में आ कर कहते हैं रिजर्वेशन करा दीजिए। दफ्तर वाले बात कर लेते हैं, वहां से वह कह देते हैं कि रिजर्वेशन कर दिया। हमने उनको सूचना दे दी कि रिजर्वेशन हो गया और जब वह ट्रेन पर पहुँचे तो उनका नाम ही वहां नहीं है। अब वहां से वह टेलीफोन करते हैं कि कहिए मंत्री जी आप ने तो कहा था कि रिजर्वेशन हो गया लेकिन यहां तो हमारा नाम ही नहीं है। अब आप झनखिए, पटकिए, उसको सजा दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन वह यात्री अपने बीवी-बच्चों को लेकर स्टेशन पर गया तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिला। उस समय इस तरह की दिक्कतें नहीं थीं और इसके खिलाफ लोग प्रशंसा किया करते थे।

जहाँ तक वैगन्स का मामला है, 1976-77 में, मुझे याद है, कलकत्ता, बम्बई के लोग हमारे पास आये कहने के लिए कि पंडितजी, क्या हो गया यह चमत्कार, कहाँ तो वैगन्स मिलते नहीं थे, बल्कि एक सज्जन ने कहा जब तक 4 हजार रुपया देते थे तब वैगन मिलता था और अब ऐसा हो गया है कि रेलवे के अधिकारी पीछे-पीछे घूमते हैं कि वैगन खड़ा है, आप ले लें—तो यह क्या चमत्कार आपने कर दिया ? अब आजकल वैगन्स मिलने में दिक्कत हो रही है। इसी तरह से स्टेशन्स की सफाई, कोचेज की सफाई की बात है, अभी हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि पखे नहीं चलते हैं, पानी नहीं मिलता है स्टेशन्स पर टायलेट बहुत खराब हैं—यह सारी बातें कही गई हैं लेकिन इन सारी चीजों में 1976-77 में काफी सुधार था किसी वजह से, उसमें सभी का सहयोग मिला था। हमारे प्रोडक्शन सेंटर्स में प्रोडक्शन बढ़ा था, डिसिप्लिन बनी हुई थी। यह सारी चीजे लेकिन अब 1976-77 में दिखाई देती थीं लेकिन 1979-80 में वही रेलें हैं, वही मोहकमा है—यह बात तो ठीक है कि हम मिनिस्टर तो कैजुअल लेबर होते हैं, जैसा कि दण्डवते

जी ने कहा, आज हम यहाँ पर हैं और कल चड्ढी पहनकर सड़क पर दिखाई देंगे--लेकिन जैसा मैंने कहा वही मोहक्मा है, वही लोग हैं परन्तु एफिशिएन्सी वह नहीं रह गई है। इसके लिए हम चेष्टा करते हैं परन्तु अभी कोई सफलता नहीं मिली है। तो इसी की तरफ हमने इशारा किया था और कहा था कि लगता है। इस एफीशिएन्सी को प्राप्त करने में अभी बहुत समय लगेगा। मैंसदन से कह सकता हूँ कि एफीशिएन्सी में जो लास हुआ है उसका दोष मैं किसी को नहीं दे रहा हूँ लेकिन जो विभाग मुझे चलाने को मिला, मुझे लज्जा आती है कि इस तरह की हमारी एफीशिन्सी खत्म हो गई है और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि लोगों को कष्ट हो रहा है।

वेस ईयर की जो बात थी, जिसकी तरफ दण्डवते जी ने इशारा किया कि 1977-78 को वेस ईयर माना गया है, यह बात ठीक है कि प्रोडक्टिवटी-लिंक्ड बोनस देने की बात कही गई तो 1977-78 को वेस ईयर मानना ही चाहिए। उस वक्त एक बात हुई कि 1977-78 में लोडिंग 1 मिलियन टन कम हुई। 1976-77 में लोडिंग हुई थी 212 मिलियन टन और 1977-78 में लोडिंग हुई 211 मिलियन टन यानी 1 मिलियन टन कम हुई। फिर भी हमने उसको माना, इसलिए कि लीड कुछ ज्यादा हुई। लीड ज्यादा होने के लिए, प्रोडक्टिवटी-लिंक्ड बोनस देना ही चाहते थे इसलिए कहा कि इतना काम करो तब बोनस मिलेगा। 1977-78 में लीड कुछ ज्यादा थी हालांकि लोड 1 मिलियन टन कम हुआ था। हालाँकि एकोनामी और फाइनेंशियल प्वाइन्ट आफ व्यू से एक मिलियन टन लोड कम होना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद सबसे अधिक लोड हुआ 1976-77, में, यह रिकार्ड लोड है 212 मिलियन टन, उतना कभी नहीं हुआ, दण्डवते जी के जमाने में लोड कम होता चला गया जो 1979-80 में खत्म हुआ 193 मिलियन टन पर। 1976-77 में जो 212 मिलियन टन का लोड रहा था वह फिर कभी एचीव नहीं हुआ। इस बार हमने टार्गेट बनाया है 214 मिलियन टन का, यह सोच करके कि 212 मिलियन हम एचीव कर चुके हैं, अब 214 मिलियन टन रखें। अब 214 का टार्गेट रखा है, जिसको एचीव करने की चेष्टा कर रहे हैं। मेरी तमाम रेलवे के अधिकारियों से रेलवे बोर्ड के अपने सदस्यों से रेल में काम करने वाले अपने तमाम साथियों से, जो ग्रास रुट वर्कर्स से लेकर और ऊपर तक जो बैठे हुए हैं, प्रार्थना है, अपील है कि देश के नाम पर, रेलवे की आर्थिक परिस्थितियों के नाम पर कि 214 मिलियन टन का जो टार्गेट रखा है, उसको उपलब्ध करने की, इस लक्ष्य को प्राप्त करने की, भरपूर कोशिश करें और चेष्टा करें।

मान्यवर, मुझे समर मुखर्जी साहब क्षमा करें और अपने विरोधी दल के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि कृपा करके थोड़ा सहयोग दीजिए हमारे इन्डस्ट्रीयल रिलेशन्स को बनाए रखने की कोशिश कीजिए। मैं कह चुका हूँ, वायदा कर चुका हूं, कि सबकी तकलीफों की तरफ ध्यान दूँगा और दूर करने की कोशिश करूँगा। ऐसा सहयोग सबसे मिले और हम 214 मिलियन टन के टार्गेट को एचीव कर सकें, इसका देश की इकानामी पर बड़ा भारी असर होगा।

आज यह बात स्पष्ट हो गई है कि रेलवे की एजीवमेंट 193 मिलियन टन तक आई, कमी 75-76 में 204 मिलियन टन थी। इन्होंने टार्गेट रखा था 224 मिलियन टन का, वह भी एचीव नहीं हुआ, 212 मिलियन टन भी नहीं हुआ और इसका नतीजा यह हुआ कि इसका असर सारे देश की इकानोमी पर पड़ा। यह सब लोग जानते है और प्रो० दण्डवते भी मुझ से ज्यादा

इस बात को जानते हैं । उन्हें रेलवे के चलाने का बहुत बड़ा ज्ञान हैं। काफी समय तक उन्होंने इस संस्था को चलाया है । मैं उन से प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं कोई उनके उपर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने भरपूर चेष्टा की किन्तु परिस्थितियाँ ऐसी थी, चाहे कोयले की परिस्थिति रही हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की परिस्थिति रही हो, चाहे पावर-कट की परिस्थिति रही हो, चाहे लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन रही हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, नतीजा यह हुआ कि जो कमी 76-77 में 212 मिलियन टन एचीव हुआ था वह 1979-80 में गिर कर 193 मिलियन टन रह गया और इसका नतीजा यह हुआ कि इसका असर हमारे देश की इकानामी के ऊपर प्रत्यक्ष दिखाई देता है । इस चीज की ओर मैंने संकेत किया था, कोई आक्षेप करने का इरादा नहीं था ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम इस बात की चेष्ठा करेंगे कि हम अपने इस टार्गेट को एचीव कर सकें । कुछ बातें प्रो० दंडवते साहब ने ऐसी कहीं जिनसे हम स्वयं सहमत हैं । उनको रेलवे सस्थान को चलाने का अनुभव रहा है, उसके आधार पर यह बात कही गई है और उसकी तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया है, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान भी दिया गया है । उनके कह देने से और अधिक हमारा ध्यान जाएगा और मैं समझता हूँ कि हमारे नीचे से ऊपर तक जो रेलवे बोर्ड में और रेलवे भवन में अधिकारी हैं, वे भी उससे कुछ थोड़ा सा प्रकाश ग्रहण करेंगे और उस काम को आगे बढ़ावेगें ताकि उसमें विशेष रूप से काम हो सके । जिन बातों की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है, उसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं उनसे सहमत भी हूँ । उन्होंने कहा है कि इलैक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम को स्पीड-अप करें । मैं समझता हूँ कि यह बात सही है । इस काम में बड़ा पैसा खर्च होता है, रेलवे बोर्ड में इसकी तरफ ध्यान दिलाया गया है । इस काम को करने के लिए मैटिरियल भी मिलना चाहिए । प्रो० दंडवते साहब भी इस परिस्थिति को जानते हैं और कोई दूसरी गति नहीं है, आज इनर्जी की पोजीशन को देखते हुए, आज कोयले की पोजीशन को देखते हुए, आज डीजल की पोजीशन को देखते हुए, आज नहीं तो कल आगामी कुछ वर्षों के अन्दर सिवाय इसके कोई गति नहीं रह जाएगी कि इलैक्ट्रिफिकेशन का काम बहुत बड़े पैमाने पर देश में होता रहे, ताकि रेलवे का संचालन होता चले, क्योंकि अगर बाधा पड़ी तो देश की गति रूक जाएगी । इसलिए इसकी तरफ विशेष रूप से ध्यान देने की जरुरत है । हमने, मान्यवर, इसकी तरफ ध्यान दिया है ।

आप ने ट्रेक्शन की बात कही, उस की तरफ भी ध्यान दिया है । जो पुरानी रेल लाइन है उन पर गति को नहीं बढ़ा सकते हैं और कभी-कभी दुर्घटनाओं का भी डर रहता है । उन में परिवर्तन की जरूरत है और इस के लिये हम ने प्रावधान भी किया है । आपने भी अपने भाषण में इस का संकेत किया है, हम उसको मन्जूर करते हैं ।

वैगन्ज के मामले को लीजिये— आज देश में वैगन्ज की जरूरत बहुत बढ़ गई है । इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान सब से पहले प्रायोरिटी सैक्टर की तरफ दिलाना चाहता हूं, क्योंकि बार-बार इस तरह की शिकायत माननीय सदस्यों की तरफ से आ जाती है कि फलानी जगह वैगन्ज नहीं पहुँच रही हैं । इस वक्त तक जितनी वैगन्ज हमारे पास रही हैं, उन से कभी कभी महसूस नहीं हुई और उन से हमारा काम चलता रहा है, हमारे पास कुल वैगन जिसमें 4 लाख से अधिक हैं । लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज्यादा वैगन्ज की जरूरत पड़ेगी । अभी कल ही हमारे यहां कैबिनेट कमेटी की मीटिंग थी- इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में । उस में यह

चर्चा हुई कि जैसे-जैसे आवश्यकता बढ़ रही है, उसे पूरा करने के लिये ज्यादा वैगन्ज की जरूरत हैं। आज हमारे पास जितनी वैगन्ज हैं वे सब-की-सब आप के प्रायोरिटी सेक्टर में लगी हुई हैं। जैसे पावर-हाउसेज को कोल पहुँचाना है। 1979 के दिसम्बर तक इस क्षेत्र में 26 सौ या 27 सौ प्रति दिन लोड कर रही थी, अब उस काम पर 500, 600 वैगन्ज प्रति दिन और ज्यादा काम कर रही है, करीब-करीब 3300 वैगन्ज की डेली एवरेज है जो पावर-हाउसेज को कोल पहुँचा रही हैं। कभी-कभी यह शिकायत आ जाती है कि कहीं-कहीं पावर-हाउसेज में कोयले का स्टाक बिल्ड-आप नहीं हुआ, एक ही दिन का स्टाक रह गया, वहाँ जल्दी पहुँचाना, हमें तुरन्त उस तरफ ध्यान देना पड़ता है।

कोयले को केवल पावर हाउसेज में ही नहीं पहुँचाना होता है दूसरी जगहों पर भी पहुँचाना होता है, जैसे स्टील प्लाँट्स हैं, ट्रेड की आवश्यकता है, टैक्सटाइल मिले हैं, सब जगह इस की जरुरत होती है। अभी कुछ महीने पहले, मेरा ख्याल है फरवरी में लगभग 9500 वैगन्ज पर डे कोयला ढोती रही हैं, अब शायद कुछ कम हुआ हो, लेकिन इतनी वैगन्ज सिर्फ कोयले के ढोने में लगी रही हैं।

गल्ला पहुँचाना पड़ता है इस मामले में हमें बहुत बड़ी लीड लेनी पड़ी है। हमारे राव साहब यहाँ बैठे हुए हैं इन की फूड कारपोरेशन कह देती है कि पंजाब और हरियाणा में इतनी एलाटमेन्ट हुई है, इस को तुरन्त फलाँ स्टेट में पहुँचाओ। वह गल्ला हम को वहाँ से उठा कर असम ले जाना पड़ता है। आप की नार्थ ईस्टेर्न स्टेट्स की शिकायत आती रहती है कि वहाँ कम पहुँच रहा है, हम को तुरन्त गोहाटी ले जाना पड़ता है, फिर वहाँ से उस का आगे डिस्ट्रीब्यूशन होता है लाखों टन गल्ला हम को डाउट एफेक्टेड एरियाज में जैसे असम है या दूसरे स्केअरसिटी राज्य हैं, वहां पहुँचाना पड़ा है। ये सब काम प्रायोरिट के आधार पर किये गये।

मैं आप के सामने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक और नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई मिसाल इस बात की नहीं मिलेगी कि डाउट एफेक्टेड एरियाज में इस बार रेलवे ने सिर्फ खाना ही नहीं पहुँचाया, बल्कि पानी भी पहचाने की कोशिश की है टैंकर्स में भर भर कर पानी पहुँचाया है, जब कि टैंकर्स में हम को डीजल पहुँचाने की जरुरत थी, पैट्रोलियम प्रोडक्टस को पहचाने की जरुरत थी। चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, जब यह सुनाई पड़ा कि वहाँ इन्सान और जानवरों के लिये भी पीने का पानी नहीं है तो उन ड्राउट एफेक्टेड एरियाज में हम ने तुरन्त पानी पहुँचानी की कोशिश की।

जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी, चाहे कोल में प्रोडक्शन बढ़े, सुपर पावर स्टेशन्ज बनें, इण्डस्ट्रीयलाइजेशन का काम बढ़े, हमारा नया प्लान आ रहा है, उस की वजह से जिन जिन एरियाज का डेवेलपमेन्ट होगा, तमाम जगहों पर वैगन्ज की जरुरत पड़ेगी, ऐसी स्थिति में हमारे पास जितनी वैगन्ज हैं, उन से काम पूरा नही होगा। प्रो० मधुदण्डवते जी ने भी इस की तरफ इशारा किया है, उनके बहुत से सुझाव ऐसे हैं जो रचनात्मक हैं, जिन की तरफ हम सब को ध्यान देने की जरुरत है। में उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम पहले से ही इन बातों के लिये चेष्टा कर रहे हैं। इस काम काम के लिये फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने रुपया एलाट कर दिया है, बजट में भी उसको रखा गया है। आप ने देखा होगा कि रोलिंग स्टाक के नाम पर काफी पैसा रखा गया है। हमने वैगन बनाने वाली फैक्ट्रीज को बहुत बड़ें आर्डर प्लेस कर रखे हैं और हम तो ऐसा

समझते हैं कि हमारे देश में शायद कुछ ऐसी केपेसिटी है, जहां तक मुझे याद आ रहा है अगर मैं भूल नहीं करता, करीब 24-24 हजार वैगन बनाने की कैपिसिटी हमारे देश में मौजूद है। अगर हम इस बात की चेष्टा करें कि हर साल जितने वैगन मिलते हैं उन को लेकर जमा करते जांए और लाख दो लाख की एक वैगन्स की टीम हमारे पास हो जाय और अगर डेवलममेंट होता रहे, उस में वैगन्स न होने की वजह से कही कोई बोटलनेक न पैदा होने पायेगा।

तीसरा एक बहुत अच्छा सुझाव उन्होंने दिया कैप्टिव पावर हाऊसेज का मुझे खाली अफसोस यह है कि तीन वर्ष तक ये गवर्नमेंट में रहे और उसमें दंडवते जी का एक प्रमुख पार्ट रहा है, अगर कैप्टिव पावर हाउसेज बनाने की जरुरत थी, तो उस समय बना लेते। हमको तो आप ने सुझाव दे दिया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आप के सुझाव का स्वागत करूंगा और मैं चाहता हूँ कि यह सदन भी इस सुझाव का समर्थन करे।

सन् 1973 से मार्च 1977 तक, जब मैं रेलवे मिनिस्टर था, सन् 1973 में नहीं, 1974-75 में रेलवे मिनिस्टर बना था क्योंकि सन् 1973 में तो मैं शिपिंग का काम देखता था। तो जब मैं रेलवे मिनिस्टर बना और प्लानिंग कमीशन के सामने हमें रेलवे के मामलों को लेकर पेश होना पड़ा, तो उनके सामने मैंने यह सवाल उठाया था कि हमको पावर की जरूरत है और हम काफी इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहते हैं क्योंकि बिना इसके कोई गति नहीं है, इसलिए आप हमें पावर हाऊसेज बनाने की इजाजत दीजिए, लेकिन उस समय हमें इजाजत नहीं मिली। आप जानते ही हैं कि बिजली कट की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ईस्टर्न सेक्टर में हमारे वर्कशाप में काम नहीं हुआ है, यार्ड हमारे एम्पटी पड़े है, वाशिंग शिपिंग लाइन्स हमारी ठीक नहीं रही और हमारे रोलिंग स्टाम्स का मेन्टीनेन्स नहीं हुआ और वर्कशाप्स में कुछ काम नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि सारी रेलवे की आपरेशन्स पर इसका बुरा असर पड़ा है। हमको पावर नहीं मिलती रही और अगर पावर मिली भी तो दो, चार घंटे को मिली और फिर खत्म हो गई और खास कर ईस्टर्न सेक्टर में। डी. वी. सी. की कैसी बुरी हालत हो गई, यह आपने देख लिया। तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमने पहले भी यह बात कही थी कि हमको पावर हाऊसेज बनाने की इजाजत दीजिए। उस समय उसको मजूर नहीं किया गया। कुछ ऐसा ख्याल था कि यह एक सेन्ट्रल सबजेक्ट है और एक ही जगह से पावर चलेगी और यह कहा गया था कि आप को पावर मिलती रहेगी, आज तो दिक्कत नहीं है और अगर आगे कोई दिक्कत पड़ेगी भी नहीं। हमने तो अलग से पावर हाऊस बनाने के लिए यहाँ तक कहा था कि जितनी पावर की जरूरत हम को होगी, उतनी हम ले लेगें और बाकी जो बचेगी, उसको सरकार ले ले लेकिन उसके बाद भी वह मंजूर नहीं हुआ। अब जबकि फिर से रेलवे मिनिस्ट्री का भार मेरे ऊपर डाला गया है, मैंने फिर इस सवाल को उठाया है कि हमको पावर हाऊसेज बनाने की इजाजत मिलनी चाहिए ऐसी जगहों पर जो कोल के आस पास हों ताकि जल्दी से जल्दी पावर हाऊस से काम ले सकें। अब क्या होता है, यह देखा जाएगा, लेकिन मैं यह कहता हूँ कि उन्होंने जो यह सुझाव दिया है, उससे मैं सहमत हूँ और जहां तब हो सकेगा हमारे अपने पावर हाऊसेज होने चाहिए ताकि बिजली की कमी हमको न पड़े। आगे जैसे जैसे इलेक्ट्रिकफिकेशन की कोशिश हम करते चलेगें, जैसे तैसे हमारी बिजली की जरुरत बढ़ती चली जाएगी।

एक बात और मैं दण्डवते जी से कहना चाहता हूँ। उन्होंने यह कहा कि सीक्रेट बैलेट

आप होल्ड कीजिए फार डिटरमिनेशन आफ दि रेप्रेजेन्टेटिव यूनियन। आप तो मजदूर नेता रहे हैं अगर आप ने यह कर दिया होता, तो हमारा सर-दर्द दूर हो गया होता। मजदूरों पर उनका बड़ा असर है और वे उन में बड़े इफेक्टिव रहे हैं अगर उन्होंने कर दिया होता, तो वैसे ही हमारे सिर में दर्द रहता है, वह कुछ कम हो गया होता लेकिन वह नहीं हुआ। मुझे कोई एतराज नहीं है, हम एग्री करते हैं लेकिन इस मामले पर पहले ट्रेड यूनियन्स की ओर से होनी चाहिए, मजदूर नेताओं की ओर से होनी चाहिए क्योंकि अगर गवर्नमेंट पहल करती है, तो कहीं डिकटेटरशिप और डेमोक्रेसी का सवाल न पैदा हो जाए। हम इस में पहल नहीं करना चाहते। आप शुरु करें, तो हम उससे एग्री करेंगे। आप तो मजदूरों के नेता हैं। मैं समर मुखजी, आप से भी कहता हूँ. आप यह काम करा दीजिए, हम एग्री कर जायेंगे। भगवान आपको शक्ति भी दे, बुद्धि भी दे। मिनिस्टर जो है वह तो यह पाप करता ही है कि भगवान पर भरोसा करता है। इसीलिए मुखर्जी ने भी कह दिया कि रेलवे का केपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है। यह सुनकर मुझे लगा कि कहीं उनके मन में यह न आया हो कि मैं तिलक लगा कर बैठता हूँ, कहीं केपलिस्ट स्ट्रक्चर न होऊं।

श्री समर मुखर्जी : आप हमारी बात को समझे नहीं।

श्री कमलापति त्रिपाठी : केपलिस्ट स्ट्रक्चर तो तब होता है जबकि मुनाफाखोरी रेलवे करे। फार दा एक्सप्लोइटेशन आफ दा पिपुल। केपलिस्ट स्ट्रक्चर में प्रोफिट मोटिव मेन चीज है। वहां मुनाफाखोरी का ही दृष्टिकोण रहता है। आपने प्रोफिट मोटिव या कमर्शियल तो कह दिया लेकिन अगर यह कमर्शियल होती तो इसकी क्या यह हालत होती ? मुझे मालूम है कि दण्डवते जी ने इस दिशा में बहुत काम किया है, उनको तो मालूम ही होगा। जहां तक मुझे ख्याल है कि 243 करोड़ 59 लाख का जो इसका घाटा है वह इस कारण से है कि सोशल सर्विस का इतना बोझा रेलवे के ऊपर है। आप देखें कि लो रेट कमोडिटीज जिनको कि हम ढोते हैं उन पर 1979-80 में 68 करोड़ रुपये का बोझा रेलवे पर पड़ा, फिर सबरबन और नानसबरबन ट्रेंस पर भी हम सुविधाएं देते हैं उनका भी हम पर बोझा पड़ता है। लास आन फ्रेट कंसेशन आन रिलीफ मेजर्स का हम पर बोझा पड़ता है। यह सारा बोझा कुल मिला कर 243 करोड़, 59 लाख रुपये का होता है अगर इसको पूरा करने के लिए हम कदम उठावें तो आप उसको केपलिस्ट स्ट्रक्चर कहें। हम इतनी बड़ी सोशल सर्विस कर रहे हैं और स्ट्राइक कराने के लिए आप इसे केपलिस्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। (व्यवधान)

प्रोफेसर दण्डवते जी ने कहा कि इन द वेजिज आफ वर्क्स रीजनल डिस्पेरिटीज हैं और कहा कि रेलवे वर्क्स पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज के काउन्टर पार्टस हैं। मैं कहता हूँ कि रेलवे एम्प्लाईज आर द एम्प्लाईज आफ द गवर्नमेंट। अब उनको पब्लिक अण्डरटेकिंग्स के काउंटरपार्ट्स कह कर उनके लिए ज्यादा सुविधाओं की मांग करना जो कि गवर्नमेंट एम्प्लाईज को मिलती हैं, मैं समझता हूँ कि एक नया सवाल पैदा करना है, खतरे की घंटी पैदा करना है। मैं तो यह समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट एम्प्लाईज हैं और उन्हें पूरी वे सुविधाएं होनी चाहिए जो रेल की मारफत होती हैं। अगर वे सुविधाएं उनको नहीं मिलती हैं तो इसे देखने की जरूरत है और इसे ठीक करने की जरूरत है।

एक बात चव्हाण साहब ने उठाई। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। थोड़े में ही समाप्त कर दूंगा। आप कहें तो बामगुंडम-निजामाबाद के बारे में भी कह दूं (इंटरप्शूज)। एक बात चव्हाण साहब ने उठाई कि क्लेम्ज टिब्यूनल जो है उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। मुझे

याद है पिछली बार जब मैं रेल मंत्री था तो वहां कुछ अफसरों की कमी थी और उसको पूरा किया गया था। मैं समझता हूँ कि ट्रिब्यूनल एक अच्छा काम करता है और कानून के मुताबिक बना हुआ है। यह एक स्टेचुटरी बाडी है। इसे बैठ कर समाप्त नहीं किया जा सकता है समाप्त भी करना चाहें तो स्टेचुट मैचेज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वह काम अच्छा करता है। उसे और भी यूजफुल बनाने की चेष्टा की जा सकती है और की जानी चाहिए। यह एक इडिपेडेट बाडी है जिसमें क्लेम्ज वगैरह के बारे में जो लोगों की शिकायतें होती हैं रेलवे वालों के खिलाफ उसमें कोई अपील करता है तो अपना फैसला देता है और इम्पार्शल जजमेंट देता है। एक तो यह काम करता है दूसरे हमारे रेल कर्मचारियों के खिलाफ भी अगर कोई कार्य होती है वेज वगैरह के मामलों में उनके बारे में फैसला देता है। ये जो मामले हैं इनमें उनको राइट होता है कि वे ट्रिब्यूनल में जाकर अपील करें और जल्दी वहां पर फैसला हो जाता है। इस प्वाइंट आफ व्यू से भी मेरा आग्रह है कि एक इंडिपेडेट ट्रिब्यूनल बना हुआ है उससे काम लिया जा सकता है और वह काम जो कर रहा है, ठीक काम कर रहा है और उसके बारे में कुछ सजेशज हो तो दी जाएं ताकि उसकी और भी ज्यादा यूजफुल बनाया जा सके। उसकी और भी ज्यादा यूजफुलनेस कैसे हो सकती है यह देखने वाली बात है।

बार बार यहां कहा गया है कि आपने किराया भाड़ा बहुत बढ़ा दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि किराया भाड़ा बढ़ाते हुए मुझे बहुत कष्ट और तकलीफ हुई क्योंकि आम जनता पर भार पड़े यह मैं चाहता नहीं हूँ। लेकिन हमारे सामने कोई विकल्प नही था। मुझे ऐसा लगा कि जो उत्तरदायित्व आ गया है उसका निर्वाह करने के लिए, जो कर्त्तव्य है उसका पालन होना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि सिवाय इसके और कोई विकल्प नहीं है। संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ कि करीब 39 करोड़ का डिफिसिट था जो इंटेरिम बजट में हमने दिखाया था। वह हमारा किया हुआ नहीं था, पहले का था। आप देख सकते हैं सारी चीज कागजात में मौजूद है। दो एडीशनल इंस्टलमेंट्स आफ डी ए भी हैं जो 37 करोड़ की है। इनक्रीज इन डीजल प्राइसिस आठ दस महीने के लिए, पूरे साल के लिए नहीं, 55 करोड़। प्राइस इनक्रीज आफ जनरल स्टोर्ज, सब चीजों की कीमतें जो बढ़ी हैं, वह 20 करोड़। रनिंग एलाउन्स कमेटी एक बनी हुई है। उसकी जो रिकोमैंडेशंज आ रही है उनको इम्प्लेमैंट करने पर दस करोड़ और खर्च हो गया है। यह 122 करोड़ हुआ। अगर 122 करोड़ यह ले लें और करीब 39 करोड़ जो डिफिसिट है उसको मिला लें तो 162 करोड़ के करीब डिफिसिट हो जाता है। इस वास्ते कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दिया और किराया भाड़ा बढ़ाना पड़ा। बड़े दुःख के साथ मुझे यह बढ़ाना पड़ा है और इसलिए किया है क्योंकि कर्त्तव्य को पूरना करना है। रेलों को तो चालू रखना ही है। अगर यह नहीं किया जाता तो स्वाभाविक था कि जनरल रेवेन्यूज के ऊपर भार डाला जाता और कहा जाता कि फिर इतना पैसा दो, जितना लग चुका है वह तो लग ही चुका है। डिविडेड लायाबिलिटी कोई डैफर्ड लायाबिलिटी नहीं है। वह चलती ही रहती है। लोन भी पहले से हमारे ऊपर काफी है। अब फिर और और दो सौ करोड़ का हम लोन लेते तब हमारा काम चलता। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। यह संस्था 126 साल पुरानी है। इसको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए।

एक रेट इनक्वायरी कमेटी। उसकी रिपोर्ट लाइब्रेरी में रख दी गई है। हमने कहा था

बजट लिटरेचर के साथ सारी समरी, जितनी है, वह डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाये ताकि सदस्यों को यह अन्दाजा लग सके कि रेलवे रेट इनक्वायरी कमेटी ने इस सम्बन्ध में क्या रिकमैंडेशन्स की हैं जो रिकमैंडेशन्ज उन्होंने की हैं, उनके प्रकाश में जो वृद्धि की गई है, वह बहुत कम है। उन्होंने बहुत ज्यादा कहा है और जोर से कहा है।

अभी एक कमेटी का जिक्र प्रोफेसर साहब ने भी किया था, और लोगों ने भी किया था, वह है नेशनल ट्रांसपोर्ट पालिसी, पाण्डे कमेटी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह कमेटी प्लानिंग कमीशन ने बनाई है, हमारी बनाई हुई नहीं है। हमारी बनाई हुई तो रेलवे रुट टैरिफ कमेटी है। उसकी रिकमैंडेशन्स हमको मिल गई है तो आपकी बारी है।

प्रो० मधु दण्डवते : हम लोगों की रिक्वैस्ट पर यह कमेटी बनाई गई है।

श्री कमलापति त्रिपाठी : आपकी रिक्वैस्ट पर ही बनी होगी, लेकिन बनाई है प्लानिंग कमीशन ने। यह कमेटी मुझसे मिली थी, पांडे जी के नेतृत्व में यह कमेटी बनी है, बहुत जरूरी कमेटी बनी है। अब वक्त आ गया है कि नेशनल ट्रांस्पोर्ट पालिसी की कम्प्रीहैन्सिव स्टडी के बाद एक नेशनल प्लान बने क्योंकि ट्रांस्पोर्ट पर बड़ा भारी बौटलनैक होने जा रहा है। अगर हमारे देश का डैवलमेंट होना है तो वह तभी संभव होगा जब ट्रांसपोर्ट सैक्टर का बौटलनेक बिल्कुल कम्पलीटली दूर कर दिया जाये।

पेसन्ज का भी ट्रेफिक बढता जा रहा है। मेरी समझ में वह बहुत जरूरी कमेटी रही है और उसे प्लानिंग कमीशन ने बना है। जहां तक मेरी सूचना है, उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास नहीं आई है, वह तो प्राइम-मिनिस्टर के यहाँ सबमिट होती है और उस पर विचार होगा। रेलवे विल हैव टू से मच एबाउट इट, इसमें कोई सन्देह नहीं है, लेकिन वह हमसे मिले भी थे, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। हमें मालूम नहीं, लेकिन टैरिफ और रेट्स के बारे में उन्होंने कई सिफारिशें की हैं। रेट इंक्वायरी कमेटी की सिफरिशें हमारे सामने हैं, अगर उनको इम्पलीमेंट कर दें तो आप का यह भार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमने तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के के लिए जितना जरूरी था उतना करके छोड़ दिया है, आगे जैसा होगा देखेंगे। इरादा यह था कि हम अपने पैरों पर जरूर खड़े हों, लेकिन जनता पर भार डालने के काम से अपने को अलग रखें इस बात की चेष्टा कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि इस समय जितना हमने किया है, वह काफी था अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ताकि रेलें चलती रहें।

बहुत सी रेल लाइनों के बारे में बातचीत हुई, बहुत से प्रपोजल्स आये हैं। हमने इस बार एक काम किया है कि कन्याकुमारी से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, हर प्रदेश में और काठियावाड़ से लेकर कामाख्या के अन्त तक और नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी कुछ न कुछ काम शुरू करने की चेष्टा की है।

मैं इस बात को मानता हूँ कि रीजनल इम्बैलैन्सेज बड़ी खतरनाक चीज होती है, हमारे डेवलपमेंट के प्लान हैं और फाइव ईयर प्लैन में सब जगह इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रीजनल इम्बैलैंसेज न होने पावें और अगर कहीं हों तो किस तरह से हम उनको मीट कर पावें इसका उपाय निकलना चाहिए। मैं इस बात से एग्री करता हूं लेकिन मैं जानता हूँ कि आवश्यकता यह भी होती है डैवलपमैंट के लिए सारे हिन्दुस्तान को एक यूनिट मानकर चलें।

रेलवे अक्सर हिन्दुस्तान को एक यूनिट मानती रही है। इसके मायने यह नहीं है कि जो रीजनल इम्बैलेन्सेज हैं, उनको दूर करने की कोशिश न की जाये।

पूरे देश को एक यूनिट मानना चाहिए। जहाँ कहीं फैक्टरी लगी हों, जहाँ कहीं माइन्ज मिली हों, जहाँ कहीं प्राडक्शन के सैंटर हों या कोई एरिया डेवेलप होता हो, चाहे वे जगहें किसी भी प्रदेश में हों, वहां रेलवे लाइन पहुँचाना जरूरी है। अगर कहीं इन्डस्ट्रियल सैक्टर यकायक डेवेलप हो गया है, तो वहाँ रेलवे लाइन ले जाना जरूरी है, जैसा कि श्री सुखाड़िया ने कोटा के बारे में कहा है। जहां ओवर-आल स्थिति कों देखना पड़ेगा, वहाँ रिजनल इमबैलेंस को दूर करने की चेष्टा भी करनी होगी और हमने ऐसा किया है। हरएक प्रदेश में प्रायर्टी के आधार पर कुछ न कुछ काम करने की कोशिश की गई है। सब जगह थोड़ा थोड़ा काम किया जायेगा। और कुछ नहीं, तो लाइनों का सरवे ही करा रहे हैं। सरवे की लिस्ट बहुत लम्बी चौड़ी है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये सरवे लोगों को वहकाने के लिए, या फुसलाने के लिए, नहीं कराये जा रहे हैं। हम पूरी तरह से सरवे करायेंगे। इसके लिए काफी पैसा रखा है। जहाँ तक हो सकेगा, हम सरवे के फैसले के मुताबिक काम करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी सरवे से ऐसा लगता हो कि कोई लाइन रीम्यरेटिव नहीं है, लेकिन उस एरिया के डेवेलपमेंट के लिए जरुरी है, तो हम वह बोझा भी उठायेंगे और उस काम को करने की कोशिश करेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने सजेस्शन्ज दिये गये हैं, हम उनके उत्तर तो माननीय सदस्यों के पास भेजेंगे, लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हालाँकि उनके सब सुझाव नोट कर लिये गये है दफतर के लोगों ने नोट कर लिये हैं—, लेकिन बड़ा अच्छा होगा, अगर वे लिखित रूप में हमारे पास भेज दें। इससे वह सब हमारे रिकार्ड में रहेगा।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : क्या आप चाहते हैं कि दोबारा लिखें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी : वे लिखेंगे आप कोई कष्ट न करें, आपकी सिफारिशें मैं स्वयं लिख लूंगा यदि सब लोग लिख कर दे देंगे— बहुत से लोगों ने लिख कर दे भी दिया है —, तो हमारे काम में सुविधा होगी, उस मामले को देखने और अफसरों के साथ बैठ कर फैसला लेने में आसानी होगी।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : रेलवे में नये आदमियों को भर्ती करने का क्या तरीका है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी : नये आदमी तो भर्ती होते रहते हैं और उसके तरीक हैं।

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सुनते हैं कि मिनिस्टेरियल स्टाफ की भर्ती पर रोक है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : कैजुजल वर्कर्ज को रेगुलराइज कर दीजिए।

श्री कमलापति त्रिपाठी : ऐसा मालूम होता है कि नींद खुल गई और उठ कर बोलने लग गये। अभी तो मैं बोल ही रहा था। जरा उसको सुन लेते।

माननीय सदस्य ने रेक्रूटमेंट का सवाल उठाया है। रेक्रूटमेंट के लिए रेलवे सर्विस कमीशन बने हुए हैं, जो चार पांच हैं। मैं समझता हूँ कि क्लास थ्री के लोग उसी के द्वारा भर्ती

किये जाते हैं। क्लास वन और टू यू. पी. एस. सी. के द्वारा लिये जाते हैं। क्लास फोर के लोगों को जोनर जोनल रेलवेज भर्ती करती है। हमने एक बैन लगा रखा है— जब प्रो० दंडवते रेलवे मिनिस्टर थे, तब वह बैन लगा। हम उससे एग्री करते हैं। पहले कैजुअल लोगों को रेगुलर बनाया जाये और कैजुअल लेबर की भर्ती खालीं सब्स्टीयूट्स के तौर पर, या नई स्कीम्ज के लिए, की जाये। इसके अलावा कैजुअल लेबर को भर्ती न किया जाये, ताकि जो कैजुअल लेबरर्ज आलरेडी मौजूद हैं, पहले उनका रेगुलराइजेशन हो जाये। और उनका रेगुलराइजेशन तेजी से हो रहा है। अगर आपको ऐसे कैजुअल लेबर का पता है, जिसका रेगुलराइजेशन नहीं हुआ है.....

श्री रामावतार शास्त्री : ऐसे बहुत हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी : तो मुझे लिख कर भेज दीजिए, ताकि मेरी जान आपसे बच जाये। आप लिख कर भेज दीजिए। निजामाबाद-रामगुन्डम जो है यह जान नहीं छोड़ता, चिपक गया है। निजामाबाद से रामगुन्डम 145 किलोमीटर है। सत्यनारायण जी ने सवाल उठाया। इस का एक सर्वे हुआ था 1946 में जब निजाम की रेलवे थी। जब पोलिटिकल चेंजेज हुए, निजाम की गवर्नमेंट विलय हुई तो जो कुछ सर्वे वगैरह हुआ था वह सब खत्म कर दिया गया। दूसरा सर्वे 1974 में हुआ। उस में यह लगा कि 23 करोड़ रुपया इस पर खर्च होगा, 155 किलोमिटर है भी शायद और यह रेम्युनरेटिव भी नहीं है, इस का रिटर्न उतना नहीं है। किसी प्रकार यह सर्वे पूरी तरह से कम्पलीट नहीं हुआ था, अधूरा छोड़ दिया गया था। अब हम ने जो सर्वे शुरु किया है, अपने बजट में मैंने कहा है, सत्यनारायण जी को मैं बताना चाहता हूँ कि जो ओल्ड सर्वे 74 में हुआ है उस में जो कम्पलीशन नहीं हुआ है, उस को अब हम आप-टु-डेट करना चाहते हैं, और इसलिए करना चाहते हैं कि 80-81 में यह सर्वे पूरा हो जाय, 8 लाख रुपया इस सर्वे के ऊपर रखा गया है, तो अगले बजट में इस बात की चेष्टा कर सकें कि इस चीज को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं इस पर विचार किया जाय।

श्री एम. सत्यनारायण राव (करीमनगर) : दण्डवते साहब ने खत लिखा था कि सर्वे हो गया है, हम ऐक्सेप्ट कर लिए है, प्लानिंग कमीशन को भेजे हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी : जहां तक मेरी जानकारी है मैं ने इस बात की जाँच करने की कोशिश की और आगे जांच करूंगा क्योंकि उससे मैं सतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह बताया गया कि ऐसी कोई चिट्ठी रेलवे मिनिस्टर के यहाँ से ईश्यू नहीं हुई है।

श्री एम सत्यनारायण राव : आप के प्रेडीसेसर दण्डवते साहब बैठे हुए हैं, उन से पूछिए।

श्री कमलापति त्रिपाठी : हमें चिट्ठी दिखा दीजिए तो हम रेलवे बोर्ड वालों से पूछेंगे कि यह चिट्ठी मौजूद है। उन के पास रेकार्ड में नहीं है। आप हमें वह दिखा दीजिएगा। मैं आप से कहता हूं कि एश्योरेंस उन्होंने जो दिया वह दिया, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि मैं उस की एन्क्वायरी कराने की कोशिश करूँगा। डेढ़ वर्ष लग सकते हैं सर्वे में। मैं कोशिश करूंगा कि सर्वे स्पीड अप हो जाय और कोई फैसला हम आगे कर सकें। आप विश्वास रखें।

मुझे बड़ा खेद है कि एमेनिटिज का काम बहुत पिछड़ गया और हमारे यात्रियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिएं, कानूनी ढंग से जो लिखी हुई सुविधाएं हैं वह भी नहीं मिलती। इस

की मुझे लज्जा भी है और खेद भी है। मैं इस बात की चेष्टा करूंगा और मैं ने किया भी है फिर कुछ आप की बातें सुनी हैं तो अब तेजी के साथ इस की चेष्टा करूंगा, मैंने अपने सब साथियों से इस पर बात भी कर ली है, एमेनिटीज के लिए हम ने अब की बजट में कुछ पैसा भी रखा है ताकि एमेनिटीज के मामले को हम पूरा कर सकें। ऐसी कोशिश करूंगा कि जो चीजें हो जानी जाहिए वह तुरन्त कर दी जायें। तीन चार चीजें हैं कहा गया कहीं लाइट नहीं रहती, कहीं पंखा नहीं रहता, कहीं पानी नहीं रहता, स्टेशन और कोचेज की क्लीनलीनेस नहीं है इन चीजों तरफ हम विशेष ध्यान देंगे और पूरा करने की कोशिश करेंगे कि महीने, दो महीने में यह एमेनिटीज इम्प्रूव हो जायें।

एक बात और भी हमने सोची है। हमें खेद है पहले भी हुआ और इस बार भी हुआ है, 3-4 महीने में कई जगह डकैतियां हुई हैं, इसके बारे में हम बहुत बात चिन्तित हैं। स्टेट गवर्नमेन्ट्स से इसके बारे में बात चीत की है, उनसे अनुरोध किया है कि वे जी. आर. पी. को जरा एलर्ट करदें क्योंकि पुलिस पावर्स आर. पी. एफ. को नहीं हैं। उनकों पुलिस पावर्स दी जायें या न दी जायें यह सदन पर निर्भर करेगा, कभी मसला उठेगा तो जैसा सदन फैसला करेगा वह होगा। अभी आर. पी. एफ. के पास पुलिस पावर्स नहीं हैं। जी. आर. पी. के बारे में बातचीत की है, कुछ स्टेट्स ने मंजूर कर लिया है कुछ शायद आगे कर लेंगी कि इसकी स्ट्रेन्थ को बढ़ाया जाए। जी. आर. पी. स्ट्रेन्थ बढ़ाते हैं तो खर्चा बढ़ेगा। इसके लिए फैसला किया है कि 50 परसेंट स्टेट्स देंगी और 50 पेरसेंट रेलवे दे। हम इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि आर. पी. एफ. और जी. आर. पी. की कुछ टोलियाँ बनायें जोकि ट्रेन्स को एस्कार्ट करें। कुछ ऐन्टी डकैती सेल बन जायें और उसके माध्यम से डकैतियाँ को रोकने का प्रयास किया जाए। हमारी चेष्टा से इस दिशा में कुछ न कुछ काम होगा और इस सम्बन्ध में हम कार्यवाही कर रहे हैं।

बहुत से माननीय सदस्यों ने यहां पर सवाल उठाया कि नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं उन का डेबलपमेन्ट होना चाहिए। इसकी तरफ हमने ध्यान दिया है। हमने कुछ गाड़ियां शुरु की हैं और कुछ मैं अभी बताऊंगा जिन्होंने इस सवाल को उठाया उनकी दृष्टि से और कौन सी कार्यवाही की है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि बहस के दौरान में कुछ सुझाव हमको दिए गए हैं। उनके अनुसार थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जिनके सम्बन्ध में हम कुछ न कुछ रियायतें देना चाहते हैं बहुत से सदस्यों ने हमसे कहा कि जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनके बारे में आप क्या करना चाहते हैं तो हमने उस पर विचार किया है। 9 कमाडिटीज को तो हम छोड़ चुके हैं यानी जो फ्रेट रेट बढ़ाया हैं उससे उनको मुक्त रखा है। 9 वस्तुओं के अलावा कुछ और वस्तुओं को मुक्त किया है उसमें हैं :-

गन्ना
ताजी सब्जियाँ और फल जिसमें केला भी है।
प्याज
आलू
दूध
दवाइयां

दियासलाई

पशुचारा

इन्हें भी प्रस्तावित 15 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज से मुक्त रखा गया है

एक माननीय सदस्य : मछली को भी लीजिए, इससे देश के करोड़ों मल्लाहों पर असर पड़ेगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी : जो किया है, आप उसको सुन लीजिए। आप जो सुझाव भेजेंगे मैं देख लूंगा।

नार्थ इस्टर्न रोजन के लिए एक काम और किया है। सिलीगुड़ी जंक्शन के बाद सारा फ्रेट-ट्रैफिक है पूर्वोत्तर क्षेत्र भी इस 15 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज से मुक्त रहेगा। क्योंकि उन लोगों का कहना था कि सिलीगुड़ी के बाद असम और नार्थ इस्टर्न रीजन शुरु हो जाता है, तो उनके पास जो चीज आती है, वह दिल्ली से आती है। खाना यानी खाद्य आता है, तो कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और पंजाब से आता है,। नमक आता है तो गुजरात टयुटी कोरिन से आता है, चीनी आती है तो महाराष्ट्र से आती है कहने का मतलब यह कि सब चीजें उनके पास दूर से आती हैं उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सब चीजों में फ्रेट चार्जेज बढ़ जाती है, इसलिए चीजें उनको मंहगी पड़ती है। इसलिए उनको शिकायत थी कि गवर्नमेंट आफ इंडिया उनकी तरफ ध्यान नहीं देती हैं। इस प्वाइंट आफ व्यू से सिलीगुड़ी और न्यु जलपाई गुड़ी आपका जितना भी वह फ्रेट ट्रैफिक है, वह 15 परसेंट एडिशनल सरचार्ज से मुक्त रहेगा।

एक और छोटी सी प्रपोजल है। आपको अन्दाज होगा कि बहुत से लोगों ने यह कहा कि सैकेन्ड क्लास ट्रैफिक रेट को एक्जेस्मेंट कर दीजिए। मैंने यह कहा कि वह 80% से अधिक है। सरचार्ज अगर खत्म कर दें, तो जितना किया गया है, वह सब बेकार हो जायेगा। अब मैंने प्रस्ताव किया है कि 100 कि० मी० की दूरी तक अब दूसरे दर्जे के किराये में कोई वृद्धि नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : पंडित तो उदार होते हैं, देते जाइए.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या 100 किलोमीटर तक सीजन टिकट होल्डर्स को एक्जेक्ट कीजिएगा।

कमलापति त्रिपाठी : मुझे जो कुछ कहना था वह मैं करीब-करीब कह चुका हूं। अब मुझे सदन का अधिक समय नहीं लेना है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सुखाड़िया साहब ने यह प्रश्न उठाया था कि राजस्थान में सब की सब जितनी लाइनें हैं, सब एम० जी० हैं और प्लान में भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने सुझाव भी दिया कि अहमदाबाद से दिल्ली तक जो एम० जी० लाइन है, उसको बी० जी० कीजिए। अब इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो सुझाव उन्होंने दिया है, वह मेरे सामने है, हमारे यहां नोटेड है, जब सब पर विचार करने लगेंगे तब इस प्रस्ताव पर भी विचार करेंगे।

एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी- कल श्री कुम्भाराम जी ने कहा कि राजस्थान कैनाल का जो एरिया है, यह दुनिया का सब से बड़ा प्रोजेक्ट है। उन्होंने बताया कि 450 किलोमीटर का यह एरिया सरसब्ज हो जायगा, इस पर 250 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन वहां

कोई रेल की लाइन नहीं है। उस एरिये के डवेलपमेंट के बाद जो सामान वहां पर पैदा होगा, वह कैसे बाहर जायगा ? उनकी यह बात मुझे ठीक लगी। वहाँ पर एरिया डवेलपमेंट कमेटी पहले से जरूर होगी, अगर उन्होंने यह सुझाव दे दिया होता तो इस पर कार्यवाही शुरू हो जाती लेकिन वहां दूसरी सरकार थी, हमारी सरगार होती या सुखाड़िया जी की होती, तो उन्होंने अवश्य ऐसा सुझाव दे दिया होता। हमको अभी तक वहाँ से किसी ने नहीं लिखा है। लेकिन मैं उनकी इस बात को जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक प्रदेश का बहुत दिनों तक मुख्य मंत्री रह चुका हूं। जिस एरिये का डवेलपमेंट किया जाता है, वहां एक एरिया डवेलपमेंट कमेटी बनाई जाती है और जो इरिगेशन फैसिलिटीज दी जाती हैं, वे उसके द्वारा दी जाती हैं, इससे जनता को बहुत फायदा होता है, वरना सारा इंवेस्टेड मनी लोकलाइज्ड होकर रह जाता है। मैं ऐसा समझता हूं कि उनके सुझाव की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, उन्होंने इसे मेरे ध्यान में ला दिया है, जिसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूं। इस पर हम अवश्य विचार करेंगे। यद्यपि उन्होंने यह भी कह दिया है कि ये गैरजिम्मेदार हैं। गैरजिम्मेदार हैं, तो वैसे ही सही, जैसे हैं, वैसे हैं, उनके सेवक हैं और जैसा बन पड़ेगा सेवा करने की कोशिश करेंगे।

मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे समय दिया और मैं कृतज्ञ हूँ माननीय सदस्यों का, उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं उनकी बातों का उत्तर दे सकूं।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : मैंने जो आधारभूत बातें उठाई थी परन्तु मन्त्री महोदय ने उनका उल्लेख तक करने की कृपा नहीं की है।

सभापति महोदय : आप उनसे बाद में मिल लें। वे शायद उन प्रश्नों का उत्तर दे दें।

दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : सभापति महोदय, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 3 के अन्तर्गत की गई थी। उक्त अधिनियम की धारा 5 (2) के अधीन दिल्ली उच्च न्यायालय को 25,000 रुपये से अधिक राशि के प्रत्येक मुकदमे में सामान्यतया मूल सिविल क्षेत्राधिकार था। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना के पश्चात् यह पता चला कि सिविल मामलों के लिए दिल्ली जैसे महा नगर के लिए 25 000 रुपये की सीमा बहुत कम थी और दिल्ली उच्च न्यालय में मुकदमें एकत्र होने आरम्भ हो गए थे। मुकदमों को जल्दी निपटाने के उद्देश्य से 1969 में अधिनियम में संशोधन किया गया जिसमें उसके धन सम्बन्धी क्षेत्राधिकार को 55,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया। माध्यस्थम अधिनियम, 1940 के अधीन दिल्ली उच्च न्यायालय के माध्यस्थम् क्षेत्राधिकार को भी तदनुसार बढ़ाकर 50,000 रुपये से अधिक कर दिया गया था। धन सम्बन्धी सीमा को 25,000 रुपये से बढाकर 50,000 रुपये किए जाने के बावजूद मूल सिविल क्षेत्राधिकार के मामले एकत्र होते रहे और अब उनकी संख्या जो कि 1970 के अन्त में 1017 थी बढ़कर जून, 1978 में 3166 तथा 30 जून, 1979 में 3610 हो गई। रुपये के वर्तमान मूल्य को देखते हुए तथा उच्च न्यायालय में बकाया मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए यह आवश्यक समझा जा रहा है कि 50,000 रुपये की वर्तमान सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए तथा

उच्चन्यायालय को 100,000 रुपये से अधिक हो के मुकदमे में ही सामान्य मूल सिविल क्षेत्राधिकार होना चाहिए। इसके परिणामतः माध्यस्थम् अधिनियम. 1940 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय का माध्यस्थम् क्षेत्राधिकार भी तदनुसार बढ़कर 1 लाख रुपये से अधिक राशि के मुकदमे में हो जायेगा इस उपाय की सिफारिश राज्य सभा में पेश किए जाने के पूर्व दिल्ली की महानगर परिषद् ने 1978 में की थी। इसे राज्य सभा में 7 दिसम्बर, 1978 में पेश किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1980 राज्य सभा द्वारा 12 जून, 1980 को पारित किया गया था।

महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियक, 1966 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति महोदय, वैसे यह बिल ऐसा है, जिस पर बोलने की कोई खास बात नहीं है। इस बिल का समर्थन करते हुए मैं एक बात की ओर केवल मत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं जोकि यह जो हमारा सुझाव है वह इस बिल के अन्दर नहीं आता है। जो कुछ आज जूडीशियेरी की हालत है और खास तौर पर चाहे दिल्ली की बात हो...

सभापति महोदय : श्री यादव, हम जब बजट पर चर्चा करेंगे, उस समय आप सामान्य रूप से चर्चा कर सकते हैं।

श्री विजय कुमार यादव : एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं यह कह रहा हूं कि सारे देश के अन्दर और दिल्ली हाई कोर्ट में भी, जो बहुत बड़े पैमाने पर मुकदमे लम्बित हैं, सरकार का ध्यान इस ओर कई क्वाटर से खींचा गया है और हमारी भी यह जानकारी है कि ज्यादातर कोर्ट्स के अन्दर जजों की बहुत सारी जगहें खाली हैं लेकिन फिर भी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है और वह एक्टिवली इस बात को कंसिडर नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जगहें खाली हैं और केसेज पेन्डिग पड़े हुए हैं। मेरा तो यह स्पष्ट सुझाव होगा कि जो जजों की जगहें खाली पड़ी हुई हैं, उनको भरा जाए और नई जगहें भी क्रियेट की जाएं ताकि जो केसेज पेन्डिग हों, उनका डिस्पोजल हो सके।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि विधि मंत्री जी ने विधि मंत्री बनने के बाद अपनी हर स्पीच में इस बात को कहा है :

'सारी न्यायिक व्यवस्था को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के लिए उसमें परिवर्तन करना होगा।'

यह बात सुनते-सुनते मेरे कान पक गए हैं। कानून मंत्री हों या शिक्षा मंत्री हों, इस बात को रोज कहते हैं कि कानून में परिवर्तन होना चाहिए और शिक्षा मंत्री कहते हैं कि शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए। हमारे कानून मंत्री जी ने कानून में परिवर्तन करने के लिए यह किया है कि एक लाख रुपये की लागत वाले जो मुकदमें हैं, उन सारे मुकदमों को नीचे वाली कोर्ट्स में

ट्रान्सफर कर दिया जाए। इसका मतलब यह है कि जो देश की हाई कोर्टों में केसेज पैंडिंग हैं, वे 6 लाख 10 हजार 823 हैं। मैं सारी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता लेकिन यह बताना चाहता हूँ कि इलाहाबाद में 1 24,540, दिल्ली में 30,329, कलकत्ता में 71,950 और बम्बई में 58,090 केसेज हाई कोर्टों में पैंडिंग हैं। इस प्रकार से देश की सब हाई कोर्टों में कुल मिला कर 6 लाख 10 हजार 823 मुकदमे पैंडिंग हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट में आज 18 जज हैं और तीन एडीशनल जज हैं। इस तरह से कुल 21 जज हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट में मौजूद हैं लेकिन मुझे आप यह बताइए कि सबोर्डिनेट कोर्ट्स में कौन सा काम कम है। वहाँ पर तो केसेज में डे.टू-डे हियेरिंग नहीं होती। एक केस लिया जाता है और उस केस को पोस्टपोन करते हैं। मेरी समझ में वहां पर वैसे ही काम ज्यादा है और आज हिन्दुस्तान के अन्दर 55 जगहें खाली हैं, 55 वैकेन्सीज हैं।

सभापति महोदय : इस बिल में तो पीक्यूनरी जूरिसडिक्शन बढ़ाने की बात है।

श्री मूलचन्द डागा : इस जूरिसडिक्शन को बढ़ाने से लाभ क्या होगा। आप अब यही चाहते हैं कि उन कोर्टों पर और ज्यादा वजन डाल दिया जाए। उन कोर्टों में पहले से ही ज्यादा मुकदमें हैं। अभी एक उदाहरण सामने आया था कि 28 साल में एक मुकदमें का फैसला हुआ है। आप सिविल प्रोसीजर कोड में एमेंडमेंट नहीं करेंगे और लोगों को सस्ता न्याय नहीं देना चाहते, और इस प्रकार का एमेंडमेंट ला कर सारे मुकदमें उन कोर्ट्स में दे देंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि आजकल जो हमारी जुडीशियरी है, मुझे क्षमा करें, उतनी ईमानदार नहीं रही जितनी कि पहले थी। हाई कोर्ट के अन्दर एक लाख रुपये की क्या कीमत है। आज एक रुपये की कीमत 26 पैसे रह गई है। जब तक छोटी कोर्ट्स, सबोरडिनेट कोर्ट्स के विस्तार करने की गुंजाइश, अप टू डेट बनाने की गुंजाइश नहीं होगी तब तक जिस आब्जेक्टिव से आप दिल्ली मेट्रोकांसिल की सिफारिश पर यह बिल लाए हैं तब तक आपका वह आब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। हाई कोर्ट जजिज कम्पीटेंट होते हैं। उनके द्वारा केसिज का जल्दी डिस्पोजल होगा। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि आप इस छोटे से अमेंडमेंट पर पुनर्विचार करें। आप हाई कोर्ट्स में जजिज की संख्या बढ़ा दें और हाई कोर्ट में ही केस रखे जाएं। अन्यथा नोटिस सर्व होंगे, केसिज लटके रहेंगे और बहुत समय लगेगा।

श्री पी. शिवशंकर : सभापति महोदय, यह संशोधन नितान्त औपचारिक है। जैसाकि मैंने कहा है यह संशोधन पिछली सरकार द्वारा 1978 में लाया गया था। यह इस अर्थ में नितान्त औपचारिक है कि इसका उद्देश्य उच्च न्यायालय के कार्यभार को हलका करना ही है। मेरे मित्रों ने विभिन्न रिक्त पदों को भरने तथा और पदों को बनाने के बारे में कहा है। मैं नहीं समझता कि केवल नये पद बनाने से बकाया मामलों की समस्या हल हो जायेगी। जहां तक विद्यमान रिक्त पदों का सम्बन्ध है, हम उनको यथा समव शीघ्र भरने के लिए सभी संभव उपाय कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इस सम्बन्ध में कोई वैध आपत्ति उठाई गई है और मैं अनुरोध करता हूँ कि विधेयक पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री पी. शिवशंकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

सभापति महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा आरम्भ करेंगे।

श्री एम.एम.ए. खान (एटा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के दूसरे प्रतिवेदन से, जो 18 जून, 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन से, जो 18 जून, 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों के बारे में संकल्प

सभापति महोदय : अब सभा श्रीमती सुशीला गोपालन द्वारा 1 फरवरी 1980 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा करेगी :

"इस सभा की राय है कि संघवाद के सिद्धान्त के सही अर्थों के अनुरूप राज्यों को अधिक

वित्तीय शक्तियां तथा अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की दृष्टि से वर्तमान केन्द्र-राज्य संबंधों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है और इस संदर्भ में सभा केन्द्र-सरकार से आग्रह करती है कि वह मुख्य मंत्रियों तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन तुरन्त बुलाये।"

श्री सी.टी. दंडपाणि (पोल्लाची) : इस प्रश्न का अपना अर्थ है और मैं इस संकल्प का उद्देश्य स्पष्ट करना चाहता हूँ और इसके लिये अधिक समय की आवश्यकता होगी।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

विधेयक के प्रस्तावक ने सम्पूर्ण देश के सामने संघीयवाद के विचार को लाने के लिये प्रयत्न किया है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। किन्तु उसी के साथ मुझे कुछ आशंकायें हैं। साम्यवादी पार्टियों ने चाहे वे वामपंथी हों अथवा दक्षिण पंथी, राज्य स्वायत्तता का हौवा खड़ा किया था किन्तु ये वही थे जिन्होंने पिछले अवसरों पर इसी विचार का विरोध किया था। यही कारण यह है कि मुझे कुछ आशंकायें हैं। हाल में केरल और पश्चिम बगाल की सरकारें धन-राशि के नियतन पर और केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियाँ के विभाजन के प्रश्न की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास न करके केन्द्रीय सरकार पर आक्षेप करने लगी है।

द्रमुक ही ऐसी पार्टी है जिसने काफी पहले इस विचार को सामने रखा था। यही मुख्य कारण था कि हमारे नेता डाक्टर कलयगतार ने राजामन्नर समिति नियुक्त करके इस विचार को आरम्भ किया था जिसमें अर्थशास्त्रविद् तथा न्याय क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल थे। डाक्टर राजामन्नर इस समिति के चेयरमैन थे, डाक्टर ए. लक्ष्मण स्वामी मुदालिया तथा न्यायमूर्ति चन्द्र रेड्डी इस समिति के सदस्य थे। इस समिति का उद्देश्य केन्द्र राज्य सम्बन्धों, संविधान के विद्यमान उपबन्धों की जांच करना था, तथा "सम्पूर्ण देश की एकता को हानि पहुँचाये बिना राज्य में शासिकीय, विधायी और न्यायिक कार्यांगों को अधिकतम स्वायत्तता प्राप्त करने के लिये राज्य के संसाधनों को बैठाने का उपायों का सुझाव देना था। उस समिति ने 1971 में अपनी जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट पर द्रमुक पार्टी द्वारा स्वयं नियुक्त एक समिति द्वारा विचार किया गया था और तब रिपोर्ट को राज्य विधान सभा के समक्ष पेश किया गया था। राज्य सरकार ने एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया जिसमें सभा की स्वीकृत माँगी गई थी। उस समय अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक पार्टी विपक्षी दल था और उसने राज्यों को और अधिक शक्तियां प्रदान करने के विचार का इस आधार पर विरोध किया कि यह देश की एकता के लिये उचित नहीं होगा। सम्बद्ध पार्टीयों, कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी विधान सभा में सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि क्योंकि 'द्रमुक' ने यह संकल्प विधान सभा में प्रस्तुत किया था इसलिए वे इसका विरोध कर रहे थे। तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री अच्युत मेनन स्वयं हमारे संकल्प की आलोचना कर रहे थे। इसके साथ ही द्रमुक सरकार केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहती थी। अगर हमारा उद्देश्य वही था जैसा कि अन्ना ने 1969 में, जब वे मुख्य मंत्री थे, अपने एक लेख 'होम रुल' में लिखा था। वह अपने दल के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए पत्रों की शैली में साहित्य और लेखादि लिखा करते थे।

"प्रिय बधु,

मैं कभी सत्ता का लोभी नहीं रहा हो। मैं ऐसे संविधान के आधीन मुख्य मंत्री बनकर प्रसन्न हूं जो सिद्धान्त रुप में तो संघीय है परन्तु वास्तविक व्यवहार में अधिकाधिक केन्द्रीकृत हो

जाता है। इसलिए मैं यह घोषणा नहीं कर रहा कि मेरा इरादा केन्द्र को अप्रसन्न करना या उससे लड़ाई मोल लेना है। उससे किसी को लाभ नहीं होगा। हाँ, उपयुक्त अवसर दृढ़ संकल्प होना ही काम आएगा। मगर इससे पहले जनता को संघवाद के बारे में समझना होगा। वस्तुतः, प्रिय बंधु, में आपके सक्रिय सहयोग और अन्तरंग सहभागिता के लिए पूर्णतः अश्वस्त हूँ। उन्होंने यह 1969 में ही लिखा था। इसमें असली बात, जिसपर चर्चा अपेक्षित है केन्द्र-राज्य सम्बन्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको दो तीन मिनटों में अपना भाषण समाप्त करना है

श्री सी० टी० दंडपाणि : यह बहुत व्यापक विषय है। यह कैसे···

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल से एक सदस्य पहले ही बोल चुके हैं।

श्री सी० टी० दंडपाणि : संघीय सरकार का मतलब केन्द्र और राज्य के बीच केवल शक्तियों का बटवारा या केवल वित्तीय बटवारा नहीं होता उसमें और बहुत सी बातें आ जाती है।

मैं डा० के० सी० हीरे को उद्धत करूंगा। उन्होंने विशेषतः ऐसे देश के लिए, जहाँ विभिन्न भाषाओं, विभिन्न संस्कृतियों विभिन्न सभ्यतायों और विभिन्न धर्मों के लोग हों, माडर्न कांस्टीट्यूशन में लिखा है

"यदि ये समुदाय जाति और धर्म की दृष्टि से अलग हैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि उन्हें अपनी जातिय विशेषताएं बनाए रखने की छूट दी जाय यद्यिप ये समुदाय भाषा, जाति या धर्म की दृष्टि से भिन्न न हों फिर भी वे तब तक एकता के सूत्र में बंधने के लिए इच्छुक नहीं होंगे जब तक कि उन्हें संघ के भीतर स्वतंत्रता का आश्वासन न दिया जाए।"

उनके अनुसार सभी अल्प संख्यक या बहुसंख्यक सममुदायों की सुरक्षा आवश्यक है, इसलिए संघीय संविधान से सभी समुदायों को लाभ होगा जहाँ लोगों को केन्द्र अथवा राज्य से संरक्षण मिलता है मैं संघवाद के मुद्दे की गहराई में नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे अन्य मित्र उस सम्बन्ध में बहुत कुछ बोल चुके हैं। जहां तक इस देश का सम्बन्ध है हमारे लिए संघीय नीति अपरिहार्य है। यहाँ तक कि हमारी सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है क्योंकि अभी तो हमारी एकात्मक प्रणाली की सरकार है। बहुत से मामलों में उसे सिद्धान्त रुप में स्वीकार किया गया है हमारे माननीय सदस्य श्री संजय गांधी ने स्वयं अनेक जनसभाओं में कहा है कि सरकार और कांग्रेस दल की नीति मजबूत केन्द्र और मजबूत राज्य बनाने की है। द्रमुक दल का भी यही दृष्टि कोण है केन्द्र मजबूत होना चाहिए। इसके साथ ही राज्य सरकारों को भी मजबूत होना चाहिए मजबूत इस अर्थ में कि उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होनी चाहिए। उनकी प्रशासनिक शक्ति मजबूत होनी चाहिए इसके साथ साथ अपने असतोष व्यक्ति करने के लिए केन्द्रीय सरकार में उनका दखल होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह संघीय ढाँचा बहुत आसान नहीं है। मैं जानता हूँ यह बहुत मुश्किल चीज है। मैं जानता हू कि संघीय सरकार का कार्यकरण मुश्किल होता है। विश्व में आस्ट्रेलिया, स्विटजर लैन्ड और अमरीका, आदि जैसे अनेक देश हैं जो संघवाद के समर्थक हैं अगर उनमें आपस में मतभेद है। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जो हमारी राजनैतिक प्रणाली के अनुकूल हो। इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में कोई प्रस्ताव समाने रखे या विचार विमर्श करे या केन्द्र राज्य-सम्बन्ध के मामले पर विचार करने के लिए आयोग नियुक्त करे।

बहुत सी समस्याएं सुलझानी बाकी है उदाहरण के लिए परसों ही यहाँ अंतराज्यीय जल विवादपर विचार विमर्श हुआ था। तमिलनाडु में सिचाई के लिए पानी की कमी है जब कि कुछ दूसरे राज्यों में सिचाई के लिए पानी आवश्यकता से अधिक है मगर हमें वह पानी नहीं मिलता। इसका सीधा सा कारण है कि केन्द्रीय सरकार अन्तराज्यीय जल विवाद के मुद्दे को सुलझाने के लिए कोई कदम नहीं उठाती। बहुत से अवसरों पर अनुच्छेद 262 लागू नहीं की गई है। इसीलिए प्रशासनिक सुधार आयोग ने अध्यन दल गठित किया था जो इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि इस समस्या के लिए 3 विकल्प हो सकते हैं।

(एक) उच्तम न्यायालय द्वारा विवाद फैसला करने की व्यवस्था की जा सकती है जिस प्रकार अनुच्छेद इनके अनुसार अन्य विबादों को फैसला करने की व्यवस्था है।

(दो) नदियों सम्बधी अधिकारों का (राज्य के भीतर अथवा अन्तराज्यीय) केन्द्र को अन्तरण और सिचाई और जलविद्युत उर्जा को केन्द्र का विषय बनाना; अथवा

(तीन) मोटे तौर पर विद्यमान संवैधिक स्थिति का पालन करना परन्तु विद्यमान कानूनी व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को कठोर बनना।

ये सिफारिशें प्रशासनिक सुधार आयोग ने की हैं। मैं इस मामले को सभा के सामने रखना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि इन बातों पर विचार किया जाए। सभी राज्यों के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमरीका, आस्ट्रेलिया अथवा पश्चिम जर्मनी जैसे सभी देशों में, ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए आयोग नियुक्त करने की यह प्रणाली विद्यमान है। राज्यों के बीच सीमा-विवादों को लीजिए। अनुच्छेद 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार को किसी राज्य की सीमा को बदलने या बढ़ाने का निर्वाध शक्ति प्राप्त है। दूसरे देशों में यदि केन्द्रीय सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव होता है तो उसे पहले जनता के सामने रखा जाता है और जनमत-संग्रह किया जाता है। स्विट्जरलैंड और आस्ट्रेलिया जैसे देशों में ऐसा ही होता है। इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

फिर राज्पालों की नियुक्ति को लीजिए। केन्द्रीय सरकार पाँच वर्ष के लिए राज्यपालों को नियुक्त करती है और वे सरकार की इच्छा पर निर्भर करते हैं। मगर केन्द्रीय सरकार राज्यपालों को हटा नहीं सकती। आपातकाल के दौरान बहुत से राज्यपाल केन्द्रीय सरकार की इच्छा के विरुद्ध चल रहे थे। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में राज्यपाल केन्द्रीय सरकार की इच्छा के विरुद्ध काम कर रहे थे। वह सरकार के कार्यक्रम का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे थे। इसीलिए पिछले पाँच महीनों में केन्द्रीय सरकार के लिए दुर्भावना और वैमनस्य रहा। परन्तु केन्द्रीय सरकार कुछ नहीं कर सकती। एक बार नियुक्त किए जाने के बाद उसे हटाया नहीं जा सकता। आप उसे केवल एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित कर सकते हैं। संविधान में इस प्रकार की कमियां और अड़चने मौजूद हैं। या तो मुख्य मंत्रियों से परामर्श करके एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए अथवा प्रधान मंत्री स्वयं संविधान विशेषज्ञों से परामर्श करके, संविधान की ऐसी कमियां दूर करने का रास्ता निकाल सकती हैं ताकि भविष्य के लिए लोगों को कोई आशा की किरण मिले।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : कांग्रेस (आई०) से बहुत से सदस्य इस संकल्प पर बोलना चाहते हैं।

परन्तु समय नहीं है। 12 सदस्य पहले ही बोल चुके हैं। इसलिए, मन्त्री महोदय अपने विचार प्रस्तुत करेंगे प्रस्तावक महोदय उनका उत्तर देंगे।

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० बेंकट सुब्बया) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती सुशीला गोपालन द्वारा प्रस्तुत रूप संकल्प पर पिछले सत्र से बहस चल रही है। मेरे विचार में यह संकल्प ठीक समय पर प्रस्तुत किया गया है जब कि देश अनेक आन्तरिक और बाह्य चुनौतियों का सामना कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति हमारे लिए एक चुनौती है। इससे हमें देश की प्रभुसत्ता और अखण्डता की सुरक्षा से सम्बन्धित कठिनाइयों का अन्दाजा होता है। पृथकतावदी जैसी अखण्डनकारी प्रवृत्तियाँ सिर उठा रही हैं। इस तरह के पोस्टर देखने में आए हैं कि पूर्वोत्तर प्रदेश को हमारे देश से अलग हो जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में, मैं बहुत सच्चाई और ईमानदारी से महसूस करता हूं कि समय आ गया है अब हमें यह तय करना है कि केन्द्र-राज्य सम्बन्ध का स्वरूप क्या हो और किस सीमा तक राज्य और केन्द्र देश की अखण्डता और प्रभुसत्ता को सुरक्षित रखने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं।

श्रीमती गोपालन ने दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। पहला, विद्यमान संघवाद की संकल्पना के परिप्रेक्ष्य में राज्य के लिए अधिक स्वायतत्ता देने और केन्द्र-राज्य सम्बन्ध के बारे में है। संघवाद की संकल्पना से क्या तात्पर्य है ? क्या इसका आधार अमरीकी संविधान द्वारा स्वीकार किया गया संघवाद है या कोई अन्य संघवाद है ? माननीय सदस्या ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे किस प्रकार का सघवाद चाहती हैं। महोदय, जब हमारा संविधान बनाया गया था, तो इस मुद्दे पर बहुत विस्तार से विचार किया गया था। तब, संविधान के बनाने वालों ने, विशेषत: डा० अम्बेडकर ने, संविधान सभा के सामने दो विकल्प रखे थे। उन्होंने कहा, जैसा कि अभी श्री दण्डपाणि ने भी कहा है, 'हमारे देश की प्रकृति और परिस्थितियों को देखते हुए' उन्होंने अमरीका में विद्यमान संघवाद और, जो सविधान हम बनाना चाहते हैं, उसकी तुलना की।

डा० अम्बेडकर ने कहा :

"अमरीका की राष्ट्रपति शासन प्रणाली का आधार कार्य-पालिका और विधान पालिका का पृथक्कीकरण है। इसलिए राष्ट्रपति और उसके सचिव कांग्रेस के सदस्य नहीं हो सकते। संविधान प्रारूप में इस सिद्धान्त को मान्यता नहीं देता है। भारतीय संघ के अन्तर्गत संसद के सदस्य होते हैं। केवल सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। मंत्रियों को भी संसद सदस्यों के समान ही अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि, वे संसद में बैठ सकते हैं, वाद-विवाद में भाग ले सकते हैं और उसकी कार्यवाही में मतदान कर सकते हैं।"

उन्होंने आगे कहा :

"निस्सदेह सरकार की दोनों प्रणालियां ही लोक-तंत्रत्मक हैं और इन दोनों से एक का चयन करना बहुत सरल कार्य नहीं है। लोकतंत्रात्मक कार्य पालिका के लिए दो आवश्यक शर्तें हैं (1) वह स्थायी कार्य पालिका होनी चाहिए (2) वह जिम्मेदार कार्यपालिका होनी चाहिए। दुर्भाग्य से, अब तक ऐसी कोई प्रणाली खोज पाना संभव नहीं हो सका है जिसमें दोनों गुण समान्य रूप से हों। या तो ऐसी प्रणाली हो सकती है जिसमें स्थिरता तो अधिक हो लेकिन

दायित्व कम हो सकता है या फिर ऐसी प्रणाली हो सकती है जिसमें दायित्व तो अधिक हो परन्तु स्थिरता कम हो।"

आगे उन्होंने इस प्रकार तुलना की है :

"गैर-संसदीय प्रणाली के अधीन जैसी कि अमरीका में विद्यमान है, कार्यपालिका के उत्तरदायित्व का समय-समय पर निर्धारण होता है। दो वर्षों में यह एक बार किया जाता है। यह मतदाता किया जाता है। इंगलैंड में, जहां संसदीय प्रणाली प्रचालित है—क्योंकि हमने लगभग इंगलैंड जैसा संसदीय लोकतंत्र अपनाया है—

"....कार्यपालिका के दायित्वों का मूल्यांकन दैनिक और सावधिक दोनों रूपों में किया जाता है। दैनिक मूल्यांकन संसद सदस्यों द्वारा प्रश्नों, संकल्पों, अविश्वास प्रस्तावों, स्थगन प्रस्तावों तथा अभिभाषणों पर वाद-विवाद के माध्यम से किया जाता है। आवधिक मूल्यांकन मतदाताओं द्वारा चुनाव के समय, जो प्रति 5 वर्ष बाद या उससे पहले होता है, किया जाता है। उत्तरदायित्व का दैनिक मूल्यांकन जो अमरीकी प्रणाली में संभव नहीं है, आवधिक मूल्यांकन की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है, और भारत जैसे देश के लिए यह अत्याधिक आवश्यक है।"

इसलिये हमने जान बूझकर ऐसी प्रणाली अपनाई है जिसमें अधिक लचीलापन है और संसद तथा जनता दोनों के प्रति अधिकाधिक रूप से उत्तरदायी है। कई वर्षों से इसी बात की चर्चा हो रही है। बौद्धिक स्तर तथा राजनीतिज्ञों के स्तर पर इसी बात की चर्चा हो रही है कि अधिक स्वायत्तता किस सीमा तक दी जानी चाहिए? 'स्वायत्तता का अर्थ राज्य को पूरी स्वायत्तता देने के लिए स्वतंत्र स्वरूप प्रदान करना है अथवा राज्यों और केन्द्र सरकार के बीच वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना है? यह चर्चा लगातार जारी है। अनेक ज्ञापन भेजे गए या समय-समय पर अनेक संकल्प पारित किए गए हैं। जैसा कि मेरे मित्र श्री दंडपाणी ने अभी कहा, इसकी शुरुआत 'द्रमुक' सरकार ने की थी, जिसने राजामन्नार समिति गठित की थी और कुछ संकल्प प्रस्तुत किए थे, वर्ष 1978-79 में भी जिस समय जनता पार्टी का शासन था यह महसूस किया गया था कि वर्तमान प्रणाली काफी प्रभावशाली है, और इसमें परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है। उस समय मार्क्सवादी पार्टी और भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी जनता पार्टी के समर्थक थे। वर्तमान प्रणाली समय की कसौटी पर खरी उतरी है। संविधान में केन्द्र और राज्य दोनों को ही पर्याप्त शक्तियां प्रदान हैं। एक मामले में सभी सदस्यों के विचार समान ही हैं कि संविधान द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में आवंटित अधिकारों की दृष्टि से केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को मजबूत होना चाहिए।

अधिक स्वायत्तता की मांग 1967 में उठाई गई जब कुछ राज्यों में विभिन्न विचार धाराओं वाले राजनैतिक दल सत्ता में आए। उन्होंने ही राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता और अधिक वित्तीय शक्तियों की माँग की थी, उन दिनों 'द्रमुक' सरकार का यह सोचना उचित था कि उनके हितों की भलीभांति रक्षा नहीं हो पा रही है, किन्तु मेरे विचार से श्री करुणानिधि को जो अनुभव हुए हैं उससे अब वह इसको विपरीत सोच रहे होंगे। ऐसी ही बात केरल, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल की गैर कांग्रेसी सरकारों के लिए भी सार्थक है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या करुणानिधि ने अपने हाल के विचारों से आपको अवगत कराया है ?

श्री पी० वेंकट सुबय्या : मैंने 'होंगे' कहा है, वह केवल आप ही के माध्यम से कह सकते हैं।

यह भी एक विचित्र संयोग है कि इन तीनों राज्यों की सरकारें भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलों की हैं।

आँकड़ों से पता चलता है कि राज्यों की स्वायत्तता में कभी भी हस्ताक्षेप नहीं किया गया है। राज्ग सूची, केन्द्री सूची और समवर्ती सूची उनके अपने अलग-अलग कार्य क्षेत्र हैं जैसे श्री दण्डपाणि ने राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने के लिए दलील करते हुए कहा था कि राज्य पालों की एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद उन्हें हटाया नहीं जा सकता, उनका केवल स्थानाँतरण ही हो सकता है, और इसीलिए उन्हें बर्खास्त करने के लिए केन्द्र के पास और अधिक शक्ति होनी चाहिए। इन्होंने जल-विवाद की चर्चा की है।

ये बातें ध्यान में रखने वाली हैं। हमारे भारत जैसे देश में जो बहुभाषी, बहुजातीय और बहु-संस्कृति प्रधान है, बहुत सी समस्याएं हैं। यहाँ 'क्षेत्रीयवाद' के घातक सिद्धांत को भी उठाया गया है। यदि राज्यों को अधिकाधिक स्वायत्तता दी जाती रही तो कभी भी देश टुकड़ों में बंट सकता है। 'स्वायत्तता' की प्रभुसत्ता सपन्न स्वतंत्र गणतंत्र के रूप में समझा जाता है, या उसके प्रति ऐसी गलत फहमी है।

श्री के. ए. राजन : नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री पी. वेंकट सुबय्या : आंदोलन किये जा रहे हैं···

एक माननीय सदस्य : हमें आन्दोलन से कोई मतलब नहीं है।

श्री पी. वेंकट सुबय्या : आप इन आंदोलनों को कैसे रोक सकते हैं ? यह वही देश है जिसकी हमने अखण्डता और प्रभुक्ता की रक्षा के लिए संघर्ष किया था, चाहे वह असम है, या केरल है या काश्मीर। देश एक है और अविभाज्य है, हमें इस देश की अखंडता के लिए संघर्ष करना होगा। अतः हमें 'अधिक स्वायत्तता' के नारे के उपयोग से पृथकतावादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। 'अधिक स्वायत्तता' की परिभाषा को ठीक से नहीं समझा गया है। यह समय इस प्रकार के विचारों को प्रोत्साहित करने का नहीं है।

केन्द्र की ओर से राज्यों को धनराशि आवंटन के बारे में भी मैं सदन की जानकारी के लिए आँकड़े उद्धृत करता हूँ। वर्ष 1951-52 से 1955-56 तक वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्यों को 447 करोड रुपये का अन्तरण किया गया तथा वित्त आयोग अनुदान, ऋण सहायता तथा स्वच्छिक राशि सहित राज्यों को वित्त आवंटन कुल मिलाकर 1431 करोड़ रुपये था। सातवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार अब विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली धन राशि 1431 करोड़ रुपये से बढ़कर 25,282 करोड़ रुपये हो गई है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : राज्यों से कुल कितना राजस्व अर्जित किया जाता है ?

श्री पी. वेंकट सुब्बया : सातवें वित्त आयोग ने सभी राज्यों के लिए जो कुल अन्तरण की जो सिफारिश की थी वह केन्द्रीय सरकार की कुल विभाज्य कर प्राप्ति का 55 प्रतिशत तथा केन्द्रीय सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति का 26 प्रतिशत होगी। आयकर प्राप्तियों के मामले में भी यह राशि

80% से बढ़कर 85% केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मामले में यह 20 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गई है। इस प्रकार राज्य सरकारों अपेक्षित साधन जुटाने हेतु उन्हें पर्याप्त वित्तीय आवंटन किया जा रहा है ताकि वे संविधान के उपबन्धों के अनुसार अपना कार्य संचालन कर सके। इसीलिए अधिक स्वायत्तता प्रदान करने और माननीय सदस्य के सुझाव जिन्होंने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करने—यही संकलप का व्यवहारिक भाग है का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच अनेक स्तरों से लगातार विचार-विमर्श किया जाता रहा है। राष्ट्रीय विकास अरिषद है, मुख्य मंत्री सम्मेलन है और अब राष्ट्रीय एकता परिषद भी गठित हो गई है, इस प्रकार ऐसे बहुत से मंच हैं जहाँ परस्पर समायोजन के लिए तथा यह देखने के लिए कि केन्द्र और राज्यों के बीच मतभेद न होने पाए और उनके अपने-अपने क्षेत्रों में एक दूसरे का किसी प्रकार भी अतिक्रमण न होने पाए इसके लिए नीति बनाने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकारों के बीच लगातार वार्तालाप होता रहा है, केन्द्रीय सरकार राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान करती है, और जहाँ तक राज्यों को प्राप्त शक्तियों के बारे में संविधान में की गई व्यवस्था का संबंध है, ऐसा कभी कोई अवसर नहीं आया जब राज्यों को प्राप्त वर्तमान स्वायत्तता को सरकार ने खतरे में डाला हो या उसका अतिक्रमण किया हो। संविधान में विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के भी हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त गुंजाईश है।

अत: वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में सरकार का विचार है कि वर्तमान संवैधानिक उपबंध काफी सुदृढ़ और कारगर हैं। ये समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, और इस मामले पर चर्चा के लिए मुख्य मंत्रियों और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की कोई और बैठक बुलाना आवश्यक नहीं।

मैं माननीया सदस्य को बधाई देता हूँ कि उन्होंने संसद में देश के समक्ष इस समस्या पर प्रकाश डाला है, जोकि जन सामान्य के विचारों को प्रतिबिम्बित करते हैं, उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र के प्रति, अपने राज्य के प्रति तथा संसद के प्रति अपना कर्त्तव्य निभाया है। और उन्होंने चर्चा में सदस्यों को संरचनात्मक और उपयोगी रूप से भाग लेने हेतु उनमें उत्कंठा पैदा की है, और उन्हें प्रोत्साहित किया है।

अत: मैं एक बार फिर माननीया सदस्य से निवेदन करूँगा कि वह इस संकल्प को वापिस ले लें और जन सधारण के कल्याण के लिए काम करने हेतु केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाने में सहायता करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीया सदस्या से पुन: निवेदन करता हूँ कि वह अपना संकल्प ले लें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती सुशीला गोपालन उत्तर देंगी।

श्रीमती सुशीला गोपालन (अलप्पी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि सभा में अनेक सदस्यों ने मेरे संकल्प का समर्थन किया और यह सुझाव दिया कि केन्द्रीय सरकार मुख्य मंत्रियों की बैठक शीघ्र ही आयोजित करे। मैं इस तथ्य को स्वीकार करती हूँ कि हमारा संविधान सिद्धांतत: संघीय प्रणाली बना है और उसका स्वरूप अनिवार्यत: एकात्मक है, यह एक सर्वमान्य तथ्य है, कि इसका संघात्मक होना या एकात्मक बने रहना केन्द्र की इच्छा पर निर्भर करता है।

स्वयं डा० अम्बेडकर ने कहा है कि यदि केन्द्रीय सरकार अन्यथा चाहे, तो यह संघात्मक हो जाएगा और यदि वे उसे ऐसे ही रहने देना चाहें, तो यह एकात्मक रहेगा।

सुदृढ़ केन्द्र की संकल्पना के बारे में मेरे विचारों से अनेक माननीय सदस्यों तथा सरकार को कुछ गलत फहमी है। माननीय मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों में हाल की घटनाओं का उल्लेख किया है। देश में घटी हाल की घटनाओं के कारण वास्तव में इस विषय पर गंभीर रूप से भली भाँति चर्चा किया जाना संगत है। ऐसा क्यों हो रहा है ? मंत्री महोदय ने भी क्षेत्रीय वाद के प्रश्न का हवाला दिया है। यह प्रश्न भी सामने आया है। इस प्रकार की विघटनकारी घातक प्रवृत्तियां क्यों पनप रही हैं ; आपको इनके विस्तार में जाना होगा और समस्या का अध्ययन करना होगा। सभी राज्यों की यही धारणा है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है, केवल उत्तरी राज्यों में ही नहीं केरल और अन्य राज्यों में भी ऐसी ही आम धारणा है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी यही महसूस हो रहा है। बिहार से काफी उत्पाद-शुल्क प्राप्त हो रहा है, किन्तु वहाँ की स्थिति क्या है ? वह पिछड़ा हुआ है। इसका यही अर्थ है कि आप केन्द्र में समुचित रूप से कार्य संचालन नहीं कर रहे हैं। आपको शक्तियों का विन्द्रीकरण करना होगा और यह देखना होगा कि वे अपने राज्यों में स्वय व्यवस्था का संचालन करें।

जब श्री महंती बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा ने सोचा कि केन्द्र को मजबूत होना चाहिए, वह यह भी कहते हैं कि उसके परिणाम स्वरूप भारत को दुर्बल करने वाले कारणों के विरुद्ध संविधान में अनेक रक्षोपाय किये गए हैं। मैं अपने सहकर्मियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आसाम और अन्य सीमावर्ती राज्यों की घटनाओं के बाद भी वे उसी विचार के समर्थक हैं। पिछले 33 वर्षों से केन्द्र में अधिकाधिक शक्तियों को केन्दित करने का प्रयास किया जा रहा रहा है किन्तु उसका परिणाम क्या होता रहा है ? क्या आप भारत की एकता की रक्षा कर सके है ? सभी प्रकार की घातक प्रवृत्तियाँ हमारे देश में बढ़ती जा रही हैं ?

पूर्वी भागों में देश से अलग होने की आवाज भी उठ रही है। क्या सत्तारूढ़ दल इससे कोई सबक लेगा ? वास्तव में आप कांग्रेस की अवधारणा से अलग हठ रहे हैं। जिसमें एक ऐसी संघीय सरकार की परिकल्पना की गई है जिसके अन्तर्गत कम से कम तथा आवश्यक विषय केन्द्र के पास हों और राज्यों के पास अधिक विषय रहें मैं सत्तारूढ़ दल से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या वह महात्मा गाँधी के विचारों पर अभी भी कायम है। ग्राम स्वराज की अवधारणा क्या है ? ग्राम स्वराज की अवधारणा में सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर बल दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : कौन से गाँधी ?

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं महात्मा गाँधी की बात कर रही हूँ, संजय गांधी की नहीं मैं जानती हूं कि वह राज्यों को और अधिक अधिकार दिये जाने के विरुद्ध हैं। वह चाहते हैं कि केन्द्र को अधिकाधिक अधिकार मिलते जायें। उन्होंने स्वयं ही यह कहा है कि यदि केन्द्र राज्यों के कार्य में हस्तक्षेप करें, तो कमजोर वर्गों की रक्षा की जा सकती है। मेरे संकल्प पर बोलते हुए उन्होंने यह कहा था कि यदि केन्द्र और अधिक अधिकार ले ले तो कमजोर वर्गों की रक्षा की जा सकती है। पिछले कई महीनों तक राज्यों पर आपका शासन रहा। इससे क्या हुआ ? क्या आप कमजोर वर्गों की रक्षा कर सके। कमजोर वर्गों पर रोजाना अत्यचार किये गये ऐसा क्यों हुआ ? मेरे पास अधिक समय नहीं है, इसीलिये मैं इस पर विस्तार से विचार व्यक्त नहीं कर

सकती। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कमजोर वर्गों को बचाने के लिए आप समुचित उपाय नहीं कर सके। केरल का उदाहरण लीजिए। वहाँ कमजोर वर्गों के लोगों, खेतीहर मजदूरों और किसानों के लिए भूमि कानून बनाये गये तथा सुरक्षा के दूसरे उपाय किये किये गए हैं। उन्हें पीटा नहीं जाता। उन पर हमला नहीं किया जाता। आपको उनसे सबक लेना होगा। केन्द्र के हाथों में अधिकार देना इसका समाधान नहीं है। आप को राज्यों को और अधिक अधिकार देने होंगे, क्योंकि भारत जैसे विभिन्न जातियों वाले तथा सांस्कृतिक वर्गों वाले देश में केवल केन्द्र सभी मामलों को नहीं सम्भाल सकता। 33 वर्ष तक आप प्रयास करते रहे और परिणाम आपके सामने है। आज देश के विभिन्न हिस्सों में ऊपेक्षा तीव्र भावना पनप रही है। अतः आपको राज्यों को और अधिक अधिकार और अधिक संसाधन और प्राशासनिक अधिकार देने होंगे। लेकिन स्थिति यह है कि अभी भी केन्द्र राज्य सरकारों से बातचीत करने और उनकी समस्याओं का हल खोजने हेतु उनके साथ विचार विमर्श के लिए तैयार नहीं हैं.

केरल का उदाहरण लीजिए। इस समय कोकों उत्पादकों को अपने कोको उत्पाद को बेचने में भारी दिक्कतें उठानी पड़ रहीं हैं। उन्होंने केन्द्र से यह अपील की है कि वह इसका अभाव न करे और आयात शुल्क न हठाये। लेकिन आपने क्या किया ? आपने कोको के आयात का फैसला कर लिया है ? ऐसा आपने केवल कैडबरी कम्पनी के लाभ के लिए किया है। केरल के हजारों किसान केन्द्र के इस रवैये से सुब्ध हैं। क्या आप राज्य सरकार से विचार-विमर्श नहीं कर सकते ? कैडबरी के लाभ के लिए ऐसा किया गया है। देश को केवल 200 टन कोको की जरूरत होती है, जबकि केरल और कर्नाटक दोनों मिलकर 3000 टन कोको का उत्पादन करते हैं। रबड़ की भी यही स्थिति है, यदि आप का यह रवैया रहा तो राज्यों में लोगों की क्या धारणा बनेगी ?

आप उनके साथ 1981 के योजना कार्य-क्रम पर विचार विमर्श करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। आप राष्ट्रीय विकास परिषद में विचार विमर्श के लिए मुख्य मंत्रियों को नहीं बुलाते। यह सब आप पर निर्भर है। मंत्री महोदय ने कहा कि विचार विमर्श के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद के मंच मौजूद हैं। लेकिन क्या उनकी बैठक होती है ? हाल ही में हमने विरोध प्रकट किया, केरल के मुख्य मंत्री ने विरोध प्रटक किया और कहा कि 80-81 के योजना कार्यक्रम पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। लेकिन आपने उन्हें नहीं बुलाया। आपने उनसे परामर्श नहीं किया। आपने कहा कि आप छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। यह भी छठी योजना का एक हिस्सा है। उन्हें आपसे बहुत सी बातें कहनी हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि आप राज्यों के साथ परामर्श करें। लेकिन हर बात आपकी मर्जी पर निर्भर है और ऐसी कोई सांविधिक व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा यह सब करने के लिए आपको बाध्य कर दिया जाये। अतः कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए जिसके द्वारा केन्द्र को राज्य के साथ मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए वाध्य किया जा सके। फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए हम यह कह रहे हैं कि राज्यों तथा केन्द्र के बीच सम्बन्धों की समस्या पर पुनर्विचार बहुत आवश्यक है। मैं सत्तारूढ़ दल को यह चेतावनी देना चाहती हूं कि यदि ऐसा नहीं किया और यदि उन्होंने हवा के रुख को नहीं समझा

तो इस देश में कुछ भी हो सकता है । अभी तो केवल पूर्वोत्तर राज्य पृथकता की माँग कर रहे हैं । यदि ऐसा नहीं किया गया तो अन्य राज्य भी ऐसी माँग करेंगे । हमारे जैसे विशाल देश में अकेला केन्द्र शासन नहीं चला सकता । संविधान में यह लिखा है अथवा नहीं- उसमें 44 बार संशोधन किए जा चुके हैं । मूल संविधान हर चीज की व्यवस्था नहीं है । जैसे-जैसे अनुभव बढ़ता गया, वैसे वैसे संविधान में भी संशोधन किये गये । यह समय की पुकार है । यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो जिन राज्यों में सत्तारूढ़ दल, कांग्रेस (आई) का शासन है, वे भी आपके विरुद्ध हो जायेंगी और वह दिन दूर नहीं है क्योंकि उनकी भी कुछ समस्यायें हैं । राज्यों को स्थिति सम्भालने में बडी कठिनाई हो रही है । आपको इस पर पुनर्विचार करना होगा । और इसमें परिवर्तन करना होगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह अभी भी बैठक बुलाये और यह सब करें। यह बहुत आसान है । मुख्यमंत्रियों और राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई जाये और इस बात पर विचार-विमर्श किया जाये कि किसी परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं । यदि उन सब का यह विचार हो कि किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है तो आप उन्हें आश्वस्त करें और उनकी सहायता के उपाय करें ।

अत: मैं सरकार से यह अपील करती हूँ कि वह मुख्य मंत्रियों और सभी राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन करने और उनके साथ विचार विमर्श करने के प्रस्ताव को स्वीकार करे । अब इसका समय आ गया है क्यों कि पूरे देश में विखण्डनकारी कार्य प्रवृत्तियाँ जोर पकड़ रही हैं । हम मजबूत केन्द्र चाहते हैं । केन्द्र विदेश रक्षा और संचार तथा दूसरे महत्वपूर्ण विषय अपने पास रखे लेकिन अन्य विषय राज्यों को दिये जाने चाहिए । केन्द्र राज्यों को अधिकार दे और राज्य में अधिकार जिला परिषदों और पचायतों को दें । केवल सभी लोगों की आकांक्षायें पूरी हो सकती हैं ।

अत: मैं एक बार फिर मंत्री महोदय से अपील करती हूँ कि वह इस संकल्प को स्वीकार करें और सम्मेलन कराने के लिए उपाय करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने संकल्प पर मत विभाजन कराना चाहती हैं ?

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं अपने संकल्प पर मत विभाजन कराना चाहती हूँ मंत्री महोदय कुछ कहें ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बाया) : उन्होंने बहुत महत्व पूर्ण बातें कही हैं । सरकार ने अपनी स्थिति स्पस्ट कर दी है । अत: मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह अपना संकल्प वापस ले लें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने आपसे दूसरी बार अपील की है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसन सोल) : उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया है । अब वह अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री जेवियर अराक्कल (एर्णाकुलम) : श्री कोडियन के नाम से दूसरे संकल्प को देखते हुए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह अपना संकल्प वापस ले लें ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपने संकल्प पर मत विभाजन कराना चाहती हैं । उस पर मत विभाजन कराने से पहले, इससे संबंधित संशोधन को निपटा लें । श्री ए. नीलालोहिया दसन

उपस्थिति नहीं है। मैं उनके द्वारा प्रस्तुत संशोधन को सभा में मत विभाजन के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : हम इस संशोधन को स्वीकार नहीं करते और साथ ही संकल्प का भी विरोध करते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संशोधन में मजबूत केन्द्र का आग्रह किया गया सत्तारुढ़ दल को यह स्वीकार नहीं है इससे यह संकेत मिलता है कि मजबूत केन्द्र नहीं चाहते। अतः वे माननीय सदस्य के संकल्प को स्वीकार कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री ए० नीलालोहियादसन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के मत विभाजन के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मुख्य संकल्प को सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत रखता हूँ; प्रश्न यह है कि :

इस सभा की राय है कि संघवाद के सिद्धान्त के सही अर्थों के अनुरुप राज्यों को अधिक वित्तीय शक्तियाँ तथा अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की दृष्टि से वर्तमान केन्द्र राज्य संबंधों का पुनर्मुल्यांकन आवश्यक है और इस संदर्भ में सभा केन्द्र सरकार से आग्रह करती है कि वह मुख्य मन्त्रियों तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन तुरन्त बुलायें।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

खेतीहर मजदूरों के लिए केन्द्रीय विधान के बारे में संकल्प

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह देश के लाखों खेतीहर मजदूरों के जिन्हें कृषि से रोजी कमाने के लिए शोषण की नृशन्स शक्तियों का शिकार होना पड़ता है और जिन्हें विद्यमान श्रम विधियों से लगभग कुछ भी संरक्षण प्राप्त नहीं है हितों की रक्षा करने के लिए केन्द्रीय विधान बनाये।"

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे इस सभा में देश के उन लाखों कृषि कार्यकारों की समस्याओं और कठिनाइयों को उठाने का मौका मिला है जो अभी भी सर्वाधिक दलित और उपेक्षित है और जिनका हमारे देश के कर्मकार वर्ग में सबसे अधिक शोषण कि या जाता है।

महोदय, कृषि कर्मकारों की संख्या कम नहीं है। संभवतः देश के कर्मकारों में यह सबसे बड़ा वर्ग है 1971 की जनगणना के अनुसार कृषि कर्मकारों की कुल संख्या 474.8 लाख थी और अब यह संख्या 5 करोड़ से भी अधिक है। 1971 की जनगणना के अनुसार वे देश के कुल कर्मकारों के एक चौथाई तथा ग्रामीण कर्मकारों के एक तिहाई के बराबर है। भारतीय कृषि के लिए जितने शारीरिक श्रम की जरुरत होती है उसमें 42 प्रतिशत श्रम यही लोग करते हैं। इतनी आजादी के के बाद देश में वृद्धि में हुई भारी प्रगति के बावजूद देश की कृषि अर्थ व्यवस्था में महत्व पूर्ण भूमिका निभाने वाले इन कर्मकारों की हमेशा उपेक्षा की गयी है।

अनाज का उत्पादन दुगने से भी अधिक हो गया है। कृषि की अन्य फसलों के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई है। कृषि आय में भी काफी वृद्धि हुई है। यद्यपि कृषि से आय में वृद्धि भी हुई है,

परन्तु इस अतिरिक्त आय से हमारे देश के लाखों कृषि श्रमिकों को कोई लाभ नहीं हुआ है। इसका लाभ मुख्यतः भूस्वामियों तथा देश के गावों के अन्य समृद्ध वर्गों को हुआ है।

महोदय, इस देश के कृषि संबंधी कार्यक्रम अथवा देश की कृषि संबंधी विकास की पूरी योजना में मुख्य दोष यह है कि उत्पादन कार्य में लगे लोगों की बिल्कुल उपेक्षा की गयी है और उनकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। कृषि कार्य में लगे लोगों में मुख्यतः छोटे और सीमान्तक किसान बटाईदार और कृषि श्रमिक हैं। महोदय जैसा कि मैंने पहले कहा है कि श्रमिक वर्ग में सबसे अधिक संख्या कृषि श्रमिकों की है। लेकिन कृषि के विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया में उनकी अपेक्षाओं व आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा गया है। कृषि के विकास के लिए जिस प्रकार पूँजी लगाना और अन्य निवेश तथा आधुनिक औद्योगिकी का प्रयोग करना आवश्यक है उसी प्रकार हमारी कृषि संबंधी अर्थव्यस्था के विकास के लिए यह बहुत आवश्यक है कि कृषि में लगे लोगों की अपेक्षाओं व आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।

हमारे देश में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं लेकिन इन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को तैयार करने का कार्य व उनका कार्यान्वयन मुख्यतया हमारे गावों के मेहनत मजदूरी करने वाले वर्ग के सक्रिय सहयोग के बिना ही किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी अपने विभिन्न सम्मेलनों व सिफारिशों में सदस्य देशों पर जोर दिया है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को तैयार करने व उनके कार्यान्वयन में ग्रामीण श्रमिकों का सक्रिय सहयोग किया जाना चाहिए।

महोदय, अब तक हमारे देश के कृषि श्रमिकों के संगठनों और यहां तक कि किसानों के संगठनों को भी विकास कार्यक्रमों को बनाने के कार्य में और उनके वास्तविक क्रियान्वयन में सक्रिय रुप से कताई सम्बद्ध नहीं किया जाता है।

महोदय, मैं सभा का समय, भारत के कृषि श्रमिकों की काम करने की दशा को विस्तार पूर्वक बताकर नष्ट नहीं करुँगा। परन्तु मैं माननीय सभा का ध्यान इस सम्बन्ध में कुछ प्रमुख बातों की ओर अवश्य आकृष्ट करना चाहूँगा।

महोदय, यह सोचा गया था कि भूमि सम्बन्धी सुधार होने से ग्रामीण श्रमिकों और भूमिहीन कृषि श्रमिकों को लाभ पहुँचेगा। यह भी सोचा गया था कि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण कानूनों के लागू हो जाने के परिणामस्वरुप उपलब्ध अतिरिक्त भूमि उनमें बाँट दी जायेगी। लेकिन वह आशा पूरी नहीं हुई।

कृषि मंत्रालय के अनुसार, कुल 68.60 लाख एकड़ अनुमानित अतिरिक्त भूमि में से केवल 45 लाख एकड़ भूमि को अतिरिक्त भूमि घोषित किया गया और वस्तुतः केवल 15.76 लाख एकड़ भूमि ही भूमिहीन लोगों में वितरित की गई है। परन्तु योजना आयोग कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त भूमि के अनुमान को नहीं मानता। आयोग के अनुमान के अनुसार संभावित अतिरिक्त भूमि 215 लाख एकड़ है। भूमिहीन लोगों को मकान बनाने के लिए भूमि आवंटित करने सम्बन्धी योजना की भी यही स्थिति है। उसका भी कार्यान्वयन ठीक नहीं हुआ है। अनेक मामलों में मकान बनाने के लिए आवटित की गई भूमि या तो मनुष्यों के रहने के काबिल नहीं है अथवा भूमिहीन व्यक्तियों के काम करने की सामान्य स्थान से काफी दूर है। अनेक मामलों में आवटित की गई भूमि जमींदारों व अन्य लोगों के गैरकानूनी कब्जे में है। लाखों भूमिहीन कृषक श्रमिक

जमींदारों व अन्य लोगों की जमीन पर बनी झोंपड़ियों में रह रहे हैं और अनेक राज्यों में उन्हें बेदखल किया जा रहा है। सरकारी भूमि के आवंटन की गति भी संतोषजनक नहीं है।

आपको मालूम है कि अधिकतर कृषि श्रमिक दलित अनुसूचित जातियों अथवा हिन्दुओं में तथाकथित हरिजन हैं और जमींदारों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों के निहित स्वार्थी लोगों द्वारा उनका न केवल आर्थिक शोषण ही किया जाता अपितु उन्हें सामाजिक असमानताओं और सामाजिक अत्याचारोंको भी सहना पड़ता है। अत्याचारों की संख्या बहुत बढ़ गई है और इस सभा में इस भीषण समस्या पर चर्चा की जा चुकी है। जहाँ तक इन लोगों पर अत्याचार की समस्या है, अभी तक कोई सुधार नहीं है चाहे वह जनता शासन हो अथवा काँग्रेस शासन। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहूँगा कि उन पर अत्याचार काँग्रेस शासन में अधिक हुए हैं अथवा जनता शासन में। जहाँ तक उनकी तकलीफों का सवाल है यह सब निरर्थक है। केन्द्र अथवा राज्यों में, सत्तारूढ़ दल का राजनैतिक स्वरूप कुछ भी हो, हमारे देश के हरिजन बहुत लम्बे अर्से से कष्ट सहते आ रहे हैं और अब भी लगातार कष्ट सह रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के कफल्टा गाँव में हुई हाल की घटना से साफ जाहिर है कि हमारे देश के हरिजनों और अन्य पिछड़े वर्गों के भाग्य में क्या है।

ग्रामीण कृषि श्रमिकों के इस बड़े वर्ग को, जिनके बारे में मैंने पहले कहा है कि इनकी संख्या पाँच करोड़ से अधिक है, हमारे देश के विभिन्न श्रमिक सम्बन्धी कानूनों के लाभ से वंचित रखा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकतर कृषि श्रमिक नैमित्तिक श्रमिक है। माननीय मन्त्री कह सकते हैं कि विभिन्न श्रम सम्बन्धी कानून कृषि श्रमिकों पर लागू होते हैं। मैं मानता हूँ स्थायी मजदूर की संख्या बहुत ही कम है जो राज्य फार्मों में अथवा उन आधुनिक फार्मों में कार्यरत है जो पूंजीवादी आधार पर संगठित हैं। परन्तु अधिकतर नैमित्तिक श्रमिक 1948 के केन्द्रीय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अतिरिक्त अन्य किसी श्रमिक सम्बन्धी कानूनों से लाभ नहीं उठा पाते हैं। इस अधिनियम का इतिहास भी केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों के कार्य संचालन की दुखद तस्वीर है। यद्यपि यह अधिनियम 1948 में पारित कर दिया गया था, और दो-तीन वर्ष के बाद यह निर्णय किया गया कि कृषि को इसके क्षेत्राधिकार में लाया जाए परन्तु इस अधिनियम के उपबन्धों को यथा इस अधिनियम के अन्तर्गत कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की घोषणा करना, लागू करने के लिए राज्य सरकारों की ओर से कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। यह अधिनियम पूरे देश में सितम्बर 1964 में लागू हुआ। इससे पहले, कुछ राज्य सरकारों ने न्यूनतम मजदूरी की घोषणा कर दी थी, परन्तु उन्होंने मजदूरी में संशोधन की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। अब अधिनियम के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि न्यूनतम मजदूरी में हर तीसरे या पाँचवें वर्ष अवश्य सशोधन किया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ राज्यों ने मजदूरी में संशोधन करने में दस वर्ष लगाए। न्यूनतम मजदूरी के उपबध को असम में लागू होने में 14 वर्ष लगे। महाराष्ट्र ने मजदूरी में संशोधन के लिए असम से भी अधिक समय लिया। मजदूरी में संशोधन के लिए इतना लम्बा अन्तराल देने पर न्यूनतम मजदूरी विधान निरर्थकहीन हो जाता है। 1960 से आरम्भ होने वाले दशक में और 1970 से आरम्भ होने वाले दशक के प्रारम्भ में न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने में अपेक्षाकृत कम समय लगा। परन्तु इन सभी मामलों में निर्धारित समय सीमा का अनिवार्यत: पालन नहीं किया गया था।

न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी कानून समूची समस्या का सबसे गंभीर पहलू यह था कि राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित, श्रमिकों की अत्यन्त आवश्यक आवश्यकताओं की तुलना में, अपर्याप्त और कम मजदूरी को भी लागू नहीं किया गया। किसी भी राज्य सरकार ने कोई भी ऐसा कारगर परिवर्तन नहीं किया जो इसे कुशलता पूर्वक लागू करता। अनेक राज्यों में राजस्व अधिकारियों अथवा खण्ड विकास अधिकारियों से कानून लागू करने के लिए कहा गया। ये अधिकारी न तो कृषि क्षेत्र में मजदूरी की समस्या से परिचित थे और न ही उनके पास इस समस्या के समाधान के लिये समय था। परिणाम यह हुआ कि सांविधिक से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी कानून केवल कागज पर ही रहा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग ने कृषि के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी को लागू करने के संबध में यह टिप्पणी दी कि "न्यूनतम अधिनियम भी राज्य में लागू नहीं हुआ।"

यहाँ मुख्य समस्या थी प्रवर्तन व्यवस्था की कमी कोई प्रवर्तन व्यवस्था थी ही नहीं। हाल में स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। और जैसे केरल, पश्चिम बंगाल में, तथा कुछ सीमा तक बिहार और पंजाब, आदि कुछ राज्यों में प्रवर्तन व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। कुल मिलाकर सारे देश में ही कानून प्रायः लागू नहीं हो पाया।

प्रवर्तन व्यवस्था को स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप चाहे कोई भी कानून बना लें, किन्तु जब तक उस कानून को लागू करने का कोई तंत्र नहीं हैं, और कानूनों को लागू करने के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारी व कर्मचारी नहीं हैं, तब तक किसी कानूनो के बनाने का कोई लाभ नहीं है कानून चाहे वह न्यूनतम मजदूरी संबधी कानून हो अथवा अन्य किसी और विषय सबधी।

इस संबध में, मैं माननीय मंत्री से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि मैं श्रम मंत्रालय में, केन्द्र व राज्यों के अलग-अलग प्रवर्तन व्यवस्था होनी चाहिए. कहने का तात्पर्य यह है कि राज्यों व केन्द्र में अलग-अलग श्रम विभाग होने चाहिए, क्योंकि विद्यमान श्रम विभागों के पास उद्योगिक और फैक्ट्री क्षेत्रों के विवादों की समस्याओं से सम्बन्धित बहुत अधिक कार्य है।

अतः यदि यह कार्य उन को सौंप दिया गया, तो वे न्याय कर नहीं पायेंगे। इसीलिए मैं इस बात पर बल दे रहा हूँ कि केन्द्र के समान राज्यों में भी अलग से श्रम-कक्ष स्थापित किये जाएं जो केवल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तथा कृषि श्रमिकों पर लागू अन्य कानूनों के क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं को ही देखें।

मुख्य प्रश्न कृषि श्रमिको के अधिकारों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय कानून के बारे में हैं। यह भारत के कृषि श्रमिकों और उनके आंदोलन की यह मांग काफी समय से चली आ रही हैं और जो लोग गांव के गरीबों के बीच काम कर रहे हैं, वे कई वर्षों से इस मांग के लिए आवाज उठा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ तक केन्द्र और अधिकतर राज्यों का संबंध है, उनकी आवाज अनसुनी कर दी गई है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि केरल में श्री सी. अच्युत मेनन की संयुक्त मोर्चा सरकार ने कृषि कामगारों की इस चिरकालीन माँग को स्वीकार किया उनके लिए विधान बनाया। "केरल कृषि कामगार "अधिनियम 1974।" चाहे यह अधिनियम पर्याप्त नहीं है, लेकिन विधान बनाए जाने की दिशा में यह पहला कदम था। इसमें काफी खामियां हैं, लेकिन फिर भी विधान संबंधी इस शुरूआत से हमारे देश के कृषि कामगारों और

ग्रामीण कामगारों को प्रेरणा मिलेगी। इस अधिनियम में नौकरी की सुरक्षा की व्यवस्था हैं, विवादों को सुलझाने की व्यवस्था भी इस में है। राज्य सरकार को न केवल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने का अधिकार दिया गया है, अपितु यदि राज्य सरकार उपयुक्त मामलों में आवश्यक समझे तो उसे अधिक मजदूरी दर निर्धारित करने का अधिकार भी दिया गया है। वह श्रमिकों की कार्य शर्तों और कार्य केघंटों के बारे में विनियमन करती है, कृषि श्रमिकों के लिए भविष्य निधि स्थापित करने की भी इस में व्यवस्था है। मैं यह कहूँगा कि केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कुछेक कदम उठाए थे, मैं अपने माननीय मित्र भूतपूर्व श्रम मंत्री श्री रवीन्द्र वर्मा को जो यहां उपस्थित हैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने असंगठित ग्रामीण श्रमिकों की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के के लिए पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण कामगारों का सम्मेलन बुलाया था, मेरे ख्याल में यह सम्मेलन 1978 में आयोजित किया गया था। उस सम्मेलन में केन्द्रीय कानून का प्रश्न उठाया गया था और उस पर विचार विमर्श किया गया था। उस सम्मेलन में अनेक सुझाव भी दिए गए थे। एक सुझाव यह भी दिया गया कि केन्द्र की तरफ से भी अवश्य एक आदर्श कानून होना चाहिए लेकिन विचार विमर्श में भाग लेने वाले अधिकतर सदस्य आदर्श कानून के पक्ष में नहीं, केन्द्रीय कानून के पक्ष में थे कुछ सदस्यों ने यह सुझाव भी दिया कि कानून राज्य बनाए न कि केन्द्र फिर भी उस सम्मेलन में भाग लेने वाले अधिकतर लोगों ने कृषि श्रमिकों के लिए केन्द्रीय कानून बनाए जाने पर बल दिया माननीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि इस पर विचार किया जाएगा तथा ग्रामीण असंगठित श्रमिकों के लिए एक केन्द्रीय स्थायी समिति का गठन किया जाएगा और उस समिति का गठन जुलाई, 1979 में कर दिया गया था।

केन्द्रीय स्थायी समिति की पहली बैठक जनवरी, 1980 में हुई। समिति के सभी सदस्य इस पर सहमत थे कि केन्द्रीय कानून होना चाहिए, इस बारे में प्राय: सभी एक मत थे। इस सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक विचार करने और आवश्यक सिफारिशें करने के लिए एक उप-समिति नियुक्त की गई,बंधक मजदूर, ,आवास, समाज कल्याण, श्रमिक शिक्षा आदि अन्य पहलुओं का अध्ययन करने के लिए दो और उप-समितियां भी गठित की गई। इन सब समितियों ने अपना काम पूरा कर लिया है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी है। लेकिन उसके बाद वह सरकार सत्ता में नहीं रही, और तब से उस समिति-ग्रामीण असंगठित श्रमिक सबंधी मुख्य समिति की बैठक नहीं हुई है। मैं नहीं जानता कि उस समिति की बैठक क्यों नहीं बुलाई गई। इस समिति के कार्य कारण के बारे में इस सरकार का रवैया क्या है? माननीय मंत्रीजी सरकार की प्रतिक्रियाएं बताएं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह केन्द्रीय स्थायी समिति की बैठक बुलाएं। उपसमिति द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया जाए और वह समिति केन्द्रीय कानून के बारे में कोई निर्णय ले।

जहाँ तक केन्द्रीय कानून का सम्बन्ध है, इस बारे में भारत के राष्ट्रीय मजदूर संघ केन्द्र एक मत हैं। पिछले वर्ष अक्तूबर में, नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन भारतीय खेत मजदूर यूनियन, जिसका प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ और जो आल इण्डिया ट्रेड यूनियन से कांग्रेस सम्बद्ध है, मार्क्सवादी दल द्वारा संचालित आल इण्डिया किसान सभा इण्डियन नेशनल रूरल लेबर फेडरेशन, द्वारा संचालित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस और हिन्द मजदूर सभा द्वारा संचालित खेत मजदूर पचायत के संयुक्त तत्वाधान में हुआ।

इस सम्मेलन में केन्द्रीय कानून के बारे में सर्व सम्मति से एक संकल्प स्वीकार किया गया। यह संकल्प तत्कालीन एक मन्त्री श्री के. बी. पटनाइक और कृषि मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं केन्द्रीय कानून में शामिल की जाने वाली कुछ आवश्यक बातों की चर्चा करना चाहूँगा। एक बात है ट्रेड यूनियन-अधिकार। जैसे ही कृषि श्रमिक अपने आप को यूनियन में संगठित करते हैं, यहाँ तक कि श्रमिक अपने अधिकारों के लिए उचित संघर्ष करने की जरा भी कोशिश करें—तो जमींदार और गाँव में रहने वाले निहित स्वार्थी तत्वों पर इस की भीषण प्रतिक्रिया होती है। हिंसा का सहारा लिया जाता है। श्रमिकों को आतंकित किया जाता है। यहां तक कि ट्रेड यूनियन कार्यकर्तायों को परेशान किया जाता है। श्रमिकों को अपने ट्रेड यूनियन अधिकारों से वंचित रखने के लिए जान बूझ कर उनको दबाने के प्रयास किए जाते हैं।

ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं और श्रमिकों के खिलाफ झूठे अभियोग दायर कराए जाते हैं। अपने अनुभव से, हमने देखा है कि स्थानीय प्रशासन, विशेष रूप से निम्न स्तर का प्रशासन, विशेषतया पुलिस प्राय: जमींदारों और निहित स्वार्थी तत्त्वों से साँठ-गांठ कर लेती है तथा मजदूरों को परेशान किया जाता है, ट्रेड यूनियन सम्बद्ध लोगों को परेशान किया जाता है। अत: प्रस्तावित कानून में, ट्रेड यूनियन अधिकार दिए जाने चाहिए। इस ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं को उसी प्रकार संरक्षण दिया जाना चाहिए जिस प्रकार संगठित क्षेत्र के ट्रेड यूनियन पदाधिकारियों को दिया जाता है।

इस के पश्चात नौकरी की सुरक्षा की बात आती है। महाराष्ट्र में नौकरी की गारंटी योजना है। अगर यह न हो तो, तो कुछ बेरोजगारी भत्ता अथवा इसी प्रकार की कोई अन्य योजना होनी चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि यह बिलकुल महाराष्ट्र जैसी हो, उससे बेहतर योजना भी बनाई जा सकती है। अन्य बातें है— काम करने की शर्तों का निर्धारण, बाहर से आए श्रमिकों को कानूनी संरक्षण चोट लगने अथवा मृत्यु होने पर पर्याप्त क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान।

श्री मूल चन्द डागा : (पाली) इन्होंने 45 मिनट ले लिए हैं। अब वह कितना और समय लेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह समाप्त करने जा रहे है। उन्होंने केवल 29 मिनट लिए हैं।

श्री मूल चन्द डागा : क्या इन के लिए कोई सीमा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव करने वाले को ज्यादा समय दिया जाना चाहिए, आप भी इस से सहमत होंगे।

श्री पी. के. कोडियन : मजूरी में सुधार करने के लिए उचित मशीनरी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया है, प्रभावकारी मशीनरी और सामाजिक सुरक्षा योजना होनी चाहिए।

अन्त में मैं कहूँगा कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए उपायों में से कुछ का अन्य राज्यों द्वारा अनुकरण किया जाना चाहिए। उदाहरण के तोर पर केरल सरकार ने हाल ही में एक योजना की घोषणा की है— कृषि श्रमिकों के लिए पेंशन योजना।

सरकार ने भी एक योजना की घोषणा की है जिसके अनुसार कोई भी कृषि कामगार, जिसकी उम्र 60 वर्ष हो गई हो, उसे 50 रु० महीना पेंशन दी जाएंगी।

अन्त में, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि केन्द्रीय कानून बनाने में अब कतई देर नहीं की जानी चाहिए। ग्रामीण श्रमिकों में ट्रेड यूनियन आन्दोलन का विकास करने के लिए यह अनिवार्य अपेक्षा है। हर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार काम करेंगे।

एक बार फिर मैं माननीय मत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वह जहाँ तक संभव हो यथा शीघ्र यदि संभव हो तो इसी सत्र में, कृषि श्रमिकों के लिए विधेयक सभा के सामने लायें।

धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह देश के लाखों खेतीहर मजदूरों के जिन्हें कृषि से रोजी कमाने के लिए शोषण की नृशन्स शक्तियों का शिकार होना पड़ता है और जिन्हें विद्यमान श्रम विधियों से लगभग कुछ भी संरक्षण प्राप्त नहीं है, हितों की रक्षा करने के लिए केन्द्रीय विधान बनाएं।"

श्री मूल चन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि संकल्प में—

"केन्द्रीय विधान" के बाद 'चालू सत्र के दौरान' अन्तः स्थापित किया जाए (1)

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

2. कि संकल्प में—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"कृषि श्रमिकों के बच्चों और महिलाओं के भविष्य के लिए उनकी दशा सुधारने हेतु सभी प्रकार के कल्याणकारी उपाय किये जाएं।" (2)

उपसभाध्यक्ष महोदय : अब सभा के समक्ष संकल्प और संशोधन प्रस्तुत हैं।

***श्री के. अर्जुनन** (धर्मपुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि कर्मकारों के अधिकारों को संरक्षण देने के लिए श्री कोडियन के संकल्प का मैं स्वागत करता हूँ।

हमारे यहाँ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, किन्तु दुर्भाग्य से देश के कई राज्यों में यह कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। औद्योगिक श्रमिकों की मागों का समर्थन करने और उन्हें पूरा करने के लिए उनकी काफी मजबूत ट्रेड यूनियनें और सगठन हैं। लेकिन कृषि कामगरों के लिए इस प्रकार का कोई भी ट्रेड यूनियन सगठन नहीं है। 1971 की जन गणना के अनुसार, कृषि-कार्य में 753 लाख लोग लगे हुए हैं जिनमें से 475 लाख कृषि श्रमिक हैं।

इस महान श्रमिक बल की ओर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को ध्यान देना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी राज्य कृषि श्रमिकों के हितार्थ लाभ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करें, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति के समान एक संसदीय समिति गठित की जानी चाहिए जिसमें लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य हों।

श्रम मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि इस दिशा में पहल करें।

1980-81 के आम बजट में ग्रामीण विकास को प्रमुखता दिए जाने के लिए मैं इस बजट

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

की प्रशंसा करता हूँ। श्री कोडियन भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के हैं और वे केरल के रहने वाले हैं। इस के बावजूद कि केरल सरकार ने बहुत से अर्थपूर्ण तथा सौदेश्य श्रम कल्याण कानून बनाए हैं, यदि श्री कोडियन इस संकल्प को लाने में तत्परता दिखाते तो केन्द्रीय सरकार पर दबाव पड़ता कि वह खेतिहर मजदूरों के फायदे के लिए कानून बनाएं। तमिलनाडू में भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी बहु-दलीय गठजोड़ में से एक पार्टी है। अभी हाल ही में हुए विधान सभा चुनावों में इस गठजोड़ ने तमिलनाडू की जनता से बहुत से वायदे किए थे। इन वायदों में एक यह भी वायदा था कि यदि गठजोड़ सता में लौटता है तो कृषक संघ की 9 सूत्री माँगों को पूरा करेगा। ए.आई.ए.डी.एम. के ने वायदा किया था कि वह कृषि के लिए दिए गए सभी ऋणों को रद्द कर देगा। मुझे विश्वास कि भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी, जो खेतिहर मजदूरों के उत्थान के लिए वचनबद्ध है, तमिलनाड्र में ए.आई.ए डी.एम. के सरकार पर इस बात के लिए दबाव डालेगी कि लोगों से, विशेषतया कृषक संघ से, किए गए वायदों को सरकार पूरा करें तमिल नाडू में जनता से किए गए वायदों को अगर सरकार पूरा नहीं करती तो मुझे आशा है कि भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी इस गठजोड़ से अलग हो जाएगा।

चुनावों से पहले ए.आई.ए.डी.एम. के सरकार ने कृषक संघ के नेता श्री नारायणस्वामी नायडू तथा संघ के अन्य पदाधारियों पर सदापराधिता का आरोप लगाया था। अब ए.आई.ए.डी.एम. के सत्ता में लौट आई है। श्री पोनियान, जो भ्रष्टाचार के लिए मशहुर हैं, न्याय विभाग के इचार्ज हैं) मुझे आश्चर्य हैं कि कृषक संघ के इन पदाधारियों को ऐसे व्यक्ति से न्याय की आशा कैसे की जा सकती है। यदि भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी सत्ताधारी गठजोड़ का एक सदस्य होने के नाते उस द्वारा चुनाव में किए गए वायदों को ए.आई.ए.डी.एम. के सरकार से पूरे करवाने में असफल हो जाती है तो तामिलनाडू में भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी से लोगों का विश्वास उठ जाएगा क्योंकि यह पार्टी खेतिहर मजदूरों को उनके अधिकार दिलाने के लिए वचनबद्ध है।

द्राविड़ मुनेजा कषगम, के नेता डा. के. करुणानिधि पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, जिनका हमारे देश में कृषि पर प्रभुत्व है, को उनके अधिकार दिलाने में अग्रणी रहे हैं। तमिल नाडू में जब डी.एम. के की सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने राज्य में खेतिहर मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए किसान पुलिस बल के नाम से एक विशेष पुलिस बल का गठन किया। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रहीं हैं कि केवल डी.एम. के ने खेतिहर मजदूरों के कल्याण के युग का सूत्रपात किया है। मैं चाहता हूँ कि भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी खेतिहर मजदूरों के साथ अपनी घोषित सहानुभूति को बनाए रखेगी इस बात के लिए सुनिश्चित करेगी कि ए.आई.ए.डी.एम. के सरकार विधान सभा चुनावों में कृषक संघ से किए गए वायदों को पूरा करें, अन्यथा भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी अपना विश्वास खो बैठेगी। मैं श्री कोडियन के संकल्प का समर्थन करता हूँ।

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संकल्प में साझेदारी होने की खुशी है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस संकल्प के प्रस्तुतकर्त्ता इसे कोई राजनैतिक पुट नहीं दिया है।

बहुत लम्बे अर्से से केवल भारत सरकार ने ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय ने ने खेतिहर मजदूरों की उपेक्षा की है। 1935 में जब हम इस सदन में केन्द्रीय परिषद् में आए थे

तो हमने महसूस किया कि कांग्रेस की ओर से यह दबाव डाला जाए कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय खेतिहर मजदूरों की हालत तथा आवश्यकताओं पर विचार करे। महान श्रमिक नेता स्वर्गीय एन. एम. जोशी उस समय अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कार्याकारिणी में थे। उन्होंने इस बात का भरसक प्रयास किया कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन स्वयं खेतिहर मजदूरों के कल्याण और प्रगति की ओर ध्यान दें। और किसी हद तक वे सफल भी रहे। इसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कुछ समझौतों को पारित कर दिया। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा वहां किसी समझौते को पारित करने का क्या फायदा जब भारत सरकार यहाँ खेतिहर मजदूरों की ओर ध्यान देने को तैयार ही नहीं। ब्रिटिश सरकार ने मजदूरी की अदायगी के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का लाभ खेतिहर मजदूरों को भी दिलाने के लिए मैंने एक संशोधन रखा, ब्रिटिश सरकार इससे सहमत नहीं हुई। सरकार ने कहा कि इस कानून को लागू करने के लिए हमारे पास मशीनरी नहीं है। मैंने यह भी सुझाव रखा था कि गांव पंचायत राजस्व अधिकारी तथा किसी विशेष इलाके के खेतिहर मजदूरों में से चुने हुए व्यक्तियों में से एक समिति का गठन किया जाए तथा इस समिति को उस अधिनियम के क्रियान्वयन का काम सौंपा जाए। इस सम्बन्ध में उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बाद हमें स्वतन्त्रता मिलने पर यह न्यूनतम वेतन अधिनियम आया। श्री जगजीवन उस विधेयक के इन्चार्ज थे। मैं चाहता था कि खेतिहर मजदूरों को भी इसका लाभ मिले। बड़ी मुश्किल से एक शर्त के साथ हम इसे खेतिहर मजदूरों पर भी लागू करवाने में कामयाब हुए इसमें एक उपबन्ध और जोड़ दिया गया कि कृषि जब तक राज्य का विषय है इसका क्रियान्वयन राज्य सरकार की मर्जी पर निर्भर करेगा। राज्य सरकारों ने जो कुछ किया है वह हमारे सामने हैं। उन्होंने इस अधिनियम की उपेक्षा कर दी। जहाँ सम्भव था, उन्होंने कृषि, बागानों के मजदूर तथा कुछ प्रतिष्ठानों में मशीन पर काम करने वाले मजदूरों के कुछ वर्गों पर नाममात्र का इसे लागू कर दिया। वे इससे सन्तुष्ट थे। और उन्होंने कुछ नहीं किया। आज तक यही स्थिति है।

जैसाकि मेरे माननीय मित्र ने कहा है इस दिशा में कुछ करने का श्रेय केरल तथा पश्चिम बंगाल सरकार को जाता है केरल सरकार ने यह कानून बना भी दिया है। मेरे विचार में इस विधेयक को पारित करने में सभी दल सहमत थे। अतः यह सभी दलों तथा राजनीति रहित विधेयक है मैं यह नहीं कहता कि इस विधेयक को अन्य राज्यों के लिए भी इसी रूप में स्वीकार कर लिया जाए। परन्तु इसी प्रकार का कानून अन्य सभी राज्यों में भी बनाया जाना चाहिए। जैसाकि मेरे माननीय मित्र ने अभी कहा है कि तमिलनाडु में श्री करुणानिधी ने अपने आप को संगठित करने तथा अपनी माँगें प्रस्तुत करने जैसे खतरनाक काम करने वाले खेतिहर मजदूरों के लिए आवश्यक पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था की है। फिर सभी श्रमिक नेता तथा सभी दलों—कांग्रेस: कम्यूनिस्ट, मार्कसवादी कम्यूनिस्ट, कम्यूनिस्ट (मार्कस्वादी-लेनिनवादी) के नेता श्रम कार्य में दिलचस्पी रखते है, खेतिहर मजदूरों को संगठित करने में क्यों असफल रहे ? इस पर हमें विचार करना चाहिए 1923 में मैंने खेतिहर मजदूरों को उनकी अपनी यूनियनों तथा भूमिधर किसानों को अन्य संगठनों के रूप में संगठित करना शुरू किया था। जहाँ तक कि छोटे भूमिधर किसानों का सम्बन्ध है, किसी तक मैं कामयाब रहा। परन्तु खेतिहर मजदूरों के मामले में मैं असफल रहा। आन्ध्र प्रदेश के कुछ जिलों में मेरे कम्यूनिस्ट मित्रों ने भी प्रयास किए थे

परन्तु असफल रहे। फिर हमने खेतिहर मजदूरों के लिए जिला तथा राज्य स्तर पर आम सम्मेलनों का आयोजन किया। 1946-1951 में जब मैं आन्ध्र प्रदेश कांग्रेस समिति का इन्चार्ज था, मैंने एक खेतिहर मजदूर काँग्रेस का गठन किया तथा लगभग सभी राज्यों में राज्य कांग्रेस समितियों ने इसी प्रकार की खेतिहर मजदूर काँग्रेस गठित की। फिर भी हम निम्न स्तर तक नहीं पहुँच सके और हमने खेतिहर मजदूरों को ट्रेड यूनियन बनाई, हमने कुछ हड़तालें भी की। हम बुरी तरह फंस गये। हमारे श्रम यूनियनों ने उच्च वेतन कार्यचालन की मानवीय परिस्थितियों में सुधार लाने तथा कुछ अन्य माँगें शुरू कर दी यह असफलता का दुखद अनुभव था। क्यों ? हमने जो कुछ किया उससे ज्यादा महात्मा गाँधी इन बातों को समझते थे। उन्होंने महसूस किया कि हमारे अधिकतर खेतिहर मजदूर, अनुसूचित जाति हरिजन तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं। वे अमानवीय परिस्थितियों में रह रहे थे। अपने लोगों में तथा अपनी झौंपड़ियों में भी वे स्वतन्त्रता से बात-चीत नहीं कर सकते। उनकी झौंपड़िया भी उनकी अपनी नहीं थी। उदाहरणतया तंजाबूर तथा तमिलनाडु के अन्य जिलों में उनकी रहने की जगह जमींदारों की जमीन में थी। रास्ता भी जमींदारों की चार दिवारी में से होकर जाता था। वे मजबूर थे। वे अछूत थे। अतः उन्होंने सभी कांग्रेस जनों से जिनमें आज के मेरे बहुत से मेरे क्योवृद्ध कम्यूनिस्ट मित्र उस समय काँग्रेस में थे, कहा कि पहले "पहले हम इस अस्पृशता का निवारण करें।"

अध्यक्ष महोदय : आप भी जानते हैं कि उन्हें 'शूद्र' कहा जाता था।

प्रो. एन. जी. रंगा : 'शूद्र' थोड़ा ऊँची जाति के लोग होते हैं। हरिजन तो 'शूद्र' से भी नीची जाति के हैं।

एक माननीय सदस्य 'पंचमा'

प्रो. एन. जी. रंगा : हाँ, 'पंचमा'। अतः हम अस्पृशता के विरुद्ध लड़े और आज भी हमारी लाड़ाई जारी है। किसी हद तक अधिकतर हरिजन इस खौफनाक पकड़ से मुक्त हो चुके है।

इसके बाद उन्होंने कहा कि "उनके पास मकानों के लिए अपना स्थान होना चाहिए।" उन्हें मकानों के लिए जमीन मिल रही है। इससे पता चलता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रांसगिकता क्या है। इसका श्रेय श्रीमती गाँधी को है कि करोड़ों रुपये खर्च करके लाखों लोगों को उनके रहने के लिए उनकी अपनी जमीन उपलब्ध कराई। इसका श्रेय कम्यूनिस्ट पार्टी तथा राजाजी को भी है कि उस समय उन्होंने यह घोषित किया कि जिस जमीन पर हरिजन रह रहे हैं वह उनकी अपनी सम्पत्ति है। इसके, डी. एम. के सरकार और ए. आई. ए. डी. एम. के सरकार—ए. आई. डी. एम. के. और डी. एम. के. मेरे लिए बराबर हैं—ने भी उस जमीन को भी उनकी अपनी सम्पत्ति घोषित किया। यह किया जाना चाहिए था। यह बिहार, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर भारत के कुछ राज्यों में अभी तक नहीं किया गया है। पंजाब में गरीब लोगों के पास रहने के लिए जमीन नहीं है। उन्हें झोंपड़ी तथा मकान दिये जाने चाहिये। उनके लिये मकान कहाँ हैं ? जहाँ सम्भव होता है वे रहते हैं—नहर के बाँध पर, सड़क के किनारे—टैंक बाँध पर, कहीं भी और हर जगह—और आज भी वे जमींदारों तथा पुलिस की दया पर जीते हैं। आज भी ऐसे लाखों लोग हैं। उनके बचाव के लिए इन्दिराजी अब आ रही हैं।

वह अपने आपको तभी श्रमिक समझेंगे जब वह स्वतन्त्र हो पाएंगे और उनके पास अपना

कहने के लिए मकान या मकान बनाने के लिए भूमि होगी। श्री कोडियन ने कहा है कि जैसे ही वह अपने आपको संगठित करना शुरू करेंगे, जमींदार उन्हें धमकाने लगेंगे। इन्दिराजी द्वारा उदाहरण पेश करने के बाद में मैं और श्री राजगोपाल नायडू बिहार और मराठवाड़ा के उन अनेक स्थानों पर गये थे जहां हरिजनों को गाजर मूली की तरह काटा गया था अथवा सताया या दबाया गया था, और उनकी थोड़ी-सी घरेलू चीजें भी उनसे इसलिये छीन ली गई थीं श्रमिक हरिजन थे और उन्होंने न केवल छुआछूत से अपने आपको मुक्त कर लिया था वरन वह समुचित मजदूरी भी माँगने लगे थे। हमें उसका अनुभव हो चुका है। उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। इन्हीं स्तरों से हमें अपने समाज को ऊपर काफी कुछ करना पड़ेगा।

मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्र श्री रवीन्द्र वर्मा, जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में मेरे साथ युवा कांग्रेस स्तर पर सहयोग किया था, जनता सरकार में श्रम मंत्री बने। सम्मेलन बुलाने, स्थायी समिति की स्थापना करने इन तीन उप-समितियों की स्थापना करना व उनकी रिपोर्ट प्राप्त करके विद्यमान सरकार के समक्ष रखने का सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन्दिराजी व उनकी सरकार हमारे पूर्ण सहयोग के साथ इन रिपोर्टों पर अच्छी तरह विचार करेंगी, और खेतिहर मजदूरों की रक्षा के लिए ट्रेड यूनियन संगठन और श्रम सुरक्षा के लिए आवश्यक राजनैतिक व वैधानिक कदम उठाए जायेंगे। यह सब एक के बाद एक करना होगा। मैं चाहूँगा कि वर्तमान सरकार महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार सरकारों द्वारा पारित विधानों और प्रशासनिक कदमों पर बहुत ध्यान से विचार करे, और तब कृषि श्रमिकों के लिये वैसा ही सुरक्षित विधान बनाने की दिशा में काम करे जैसा औद्योगिक के लिए उपलब्ध है। कुछ औद्योगिक श्रमिकों के कुछ तबकों को सामाजिक सुरक्षा खेतिहर मजदूर के लिए क्यों उपलब्ध नहीं है? हरिजनों के लिए तो व्यक्तिगत सुरक्षा भी उपलब्ध नहीं है। लोग वृद्धावस्था पेंशन की बात करते हैं। मुझे खुशी है एक राज्य सरकार ने तो इसको लागू भी कर दिया है। हमें इसकी बहुत आवश्यकता है। श्री राजगोपाल नायडु द्वारा एक विधेयक रखने का भी प्रस्ताव था जिससे इन को वृद्धावस्था में पेंशन मिल सके।

औद्योगिक श्रमिकों को बहुत समय से कर्मकार प्रतिकर मिल रहा है। कृषि में यंत्रों का प्रारम्भ अब हुआ है और अभी खेतिहर मजदूरों के लिए टैक्टरों, हारवैस्टरों व अन्य चीजों से होने वाली दुर्घटना से कोई सुरक्षा नहीं है। साँप भी हैं और उनके काटने से आदमी मर जाते हैं। वे पाटा और हल का प्रयोग करते हैं और उससे उन्हें चोट लग जाती है। उनके लिये कोई सुरक्षा नहीं है। उन्हें कुछ सुरक्षा तो दी जानी चाहिए, परन्तु यह कौन देगा? तथाकथित जमींदार तो खुद ही काफी निर्धन हैं। इसलिए यह राज्य का कर्त्तव्य है, वह इसकी जिम्मेदारी लें। यह जिम्मेदारी आंशिक नहीं होनी चाहिए वरन् पूर्णतया राज्य की होनी चाहिये।

मेरे माननीय मित्र श्री कोडियन ने कहा है कि उन्हें मजदूर संघ बनाने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। उनकी मान्यता है कि ऐसे भले लोग भी हैं जो उन्हें मजदूर संघ के रूप में संगठित करेंगे और ऐसे लोगों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन उन्हें संगठित करने वाले वे लोग कहाँ हैं? मैंने बहुत कोशिश की सैकड़ों कार्यकर्त्ताओं को प्रक्षिशण देकर गाँवों में भेजूँ, परन्तु एक या दो वर्षों के बाद उनके लिए कोई निर्वाह का खर्च नहीं जुट पाता। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि स्वय सरकार को हर गाँव में अवैतनिक कृषि श्रमिक कल्याण कार्यकर्त्ता के अनुरक्षण की

जिम्मेदारी लेनी चाहिये। उन्हें सौ या सौ रुपये, वेतन के तौर पर नहीं वरन जीवन-निर्वाह के लिये दिए जाँए जिससे कि वह एक अवैतनिक व्यक्ति रहे, जिससे उन्हें सरकारी सेवा का कोई भी अधिकार पदच्युत न कर सकें और वह सीधे जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायों हों मैंने इसी तरह का सुझाव दिया है। मुझे खुशी है कि उपसमिति ने इसे स्वीकार कर लिया है। ऐसे लोगों की भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये। लोग पूछ सकते हैं, उनकी व्यवस्था क्यों की जानी चाहिये ? कचहरियों में गरीब जनता की सुरक्षा हेतु हम वकीलों की माँग कर रहे हैं, जिनका खर्च सरकार उठाएगी। इसी प्रकार खेतिहर मजदूरों के लिए भी उनके जीवन-निर्वाह के लिए ऐसे संगठनकर्त्ता जुटाये जाने चाहिये, जो स्थानीय जमींदारों और अन्य लोगों के प्रभाव से मुक्त हों और उनको जीवन निर्वाह के लिए मानवीय के रूप में कुछ राशि दी चाहिए। उनका कार्य इन लोगों को संगठित करना होगा उस स्तर से हमें सीढ़ी-दर सीढ़ी ऊपर चढ़ना होगा।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए बहुत सारे अन्य विधान तो अब भी मौजूद हैं। क्या उन्हें खेतिहर मजदूरों को प्रसूति सम्बन्धी असुविधाएं उपलब्ध हैं ? औरत को सड़क के किनारे बच्चे को जन्म देना पड़ता है उसकी देखभाल के लिये कोई भी नहीं है। क्या उनके लिये उपयुक्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं ? हमने इन लोगों के लिये क्या किया है ? अब ही नहीं ब्रिटिश राज के जमाने से भी नहीं, मुखल काल से ही उनकी दशा शोचनीय रही है। अपने मित्र श्री कोडियन के कथन में मैं थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा उन्होंने बटाई उनकी मजदूरी में वृद्धि नहीं नहीं हुई है। उनकी मजदूरी समय-समय पर बढ़ती रही हैं। (व्यवधान) मैं आपका समर्थन ही कर रहा हूँ; मैं आपकी राय की ही पुष्टि कर रहा हूँ। आपके द्वारा छोड़े हुए मुद्दों को ही मैं जोड़ रहा हूँ क्योंकि इस क्षेत्र में मेरा अनुभव आप सबसे अधिक है।

समय-समय पर ही उनकी मजदूरी लगभग ठीक होती हैं। लेकिन साल के अधिकतर महीनों में क्या होता है, जब उनके पास कोई भी रोजगार नहीं होता ? क्या कोई उनके बारे में सोच रहा है ? महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए और एक दूसरी राज्य सरकार ने कहा है कि वह 50 रुपये अदा करेगी। 50 रुपये से क्या होता है ? हम राजनैतिक स्वतंत्रता सेनानियों को 200 रुपये महीना मिलता है। क्या हम जानते हैं कि वह क्या होता है। उससे कुछ नहीं होता। इससे साफ जाहिर होता है कि हमें किस घोर दयनीय, अवमानवीय और ऐतिहासिक रूप से कितने निचले स्तर से ऊपर उठाना है।

उनके लिए तो 50 रुपये भी बड़ी बड़ी चीज है स्वाभाविक है कि प्रति मजदूर तो इसका स्वागत करेगा। वह तो सरकार का आभार मानेंगे क्योंकि उसने उन्हें पचास रुपये दिए जबकि उनके पास पचास पैसे भी नहीं थे लेकिन 50 रुपये तो कुछ भी नहीं है यह कम से कम 150 या या 200 रुपये होने चाहिए, जो कि स्वातंत्रता सेनानियों को दिया जा रहा है। उस अवस्था से हमें उन्हे शीघ्रता से ऊपर उठाना है। जोतदारों, भू-धारकों के समूचे वर्ग को अपने हित में इन माँगों का समर्थन करना चाहिए उस स्तर से आगे हमें यह देखना चाहिए कि हम तथा सभी शहरों के वेतन भोगी लोग कृषीय वस्तुओं की क्या कीमत अदा कर रहे हैं। उस दिन मेरे माननीय मित्र मधु दण्डवते कह रहे थे कि उनके रेल कर्मचारियों को उतना ही वेतन मिलना चाहिए जो इस उद्यमों में लगे व्यक्तियों को मिलता है। मैंने उसमें हस्तक्षेप किया था और कहा था : "और

हरिजनों आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और इन खेतिहर मजदूरों का क्या होगा।" उन्हें क्या मिल रहा है ? आज भी उन्हें औसतन 150 रुपये या 200 रुपये महीना भी नहीं मिलता। दूसरे लोगों के मुकाबले यह 200 रुपये क्या हैं ? इसलिए मैं चाहता हूं कि इन लोगों को भी ऊपर उठाया जाए। हमें अब एक राष्ट्रीय ग्रामीण आवास नीति बनानी होगी। इन्दिराजी ने यह आवास स्थल नीति बनाई है।

उपाध्यक्ष महोदय : सारे कृषक समुदाय के लिए एक सामूहिक बीमा योजना बनाई जाये और सरकार उसका अधिदान अदा करे। इससे काफी सहायता मिलेगी। इस पर भी सोचा जा सकता है।

प्रो० एन० जी रंगा : यह सभी काम हमें करने होगे। हमें कहीं से तो इसकी शुरूआत करनी होगी। इसलिए केन्द्र को इसमें हाथ बटाना ही होगा। इसका यहां से कोई विधान बनाया जाना चाहिए. कितना कुछ है जो हम नहीं जानते हैं लेकिन केन्द्र द्वारा जो भी लागू किया जा सकता है, वह तो किया जाए और जो केन्द्र द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, राज्य की मदद से ही किया जा सकता है, उसमें ऐसा विधान आदर्श का काम देगा जिसे राज्य सरकारें अपना समझती हैं। जो भी राज्य सरकार इसे अपनाने को तैयार न हो सब उसकी निन्दा करेंगे। ऐसे राज्य को जनमत की शक्ति का सामना करना पड़ेगा। तब हम आवश्यक जनमत पैदा करके राज्य सरकार को बाध्य भी कर सकेंगे।

मैं अपने सभी माननीय मित्रों को आश्वासन देना चाहता हूं कि सभी राजनैतिक दलों के सहयोग से इन्दिरा जी इस दिशा में आगे बढ़ सकेंगी—बशर्ते आप सहयोग दें और खेतिहर मजदूरों के अतिरिक्त अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे मित्र भी सहयोग करें। हम सभी के सहयोग से यह सम्भव हो सकेगा और हमें इससे बेहतर समय और कोई नहीं मिल सकता। जैसे कि महात्मा गांधी के समय से कोई और अच्छा समय हमें अस्पृश्यता के राक्षस से लड़ने के लिए नहीं मिल सकता था वैसे ही जनता द्वारा इन्दिरा जी को दिए गए शासन-काल से अच्छा समय इसके लिए कोई और नहीं मिल सकता। वह सभा के सभी पक्षों का समर्थन प्राप्त करने में समर्थ हो सकती हैं। मैं यह नहीं कहता कि इसे जिस रूप में मैं महसूस कर रहा हूं सभी वैसा हीं करेंगे, परन्तु हर व्यक्ति का इस सकल्प द्वारा निर्देशित दिशा में काम करने और आगे बढने के लिए तैयार किया जा सकता है जिसमें श्री कोडियान पेश करना चाहेंगे और हमारे लोग पेश करना चाहेंगे श्री वर्मा ने अपनी पूरी कोशिक की थी लेकिन वह सफल नहीं रहे क्योंकि, उस समय दुर्भाग्य से उस सरकार ने उतना सहयोग नहीं दिया, जितनी की उन्हें आशा थी।

आइये हम इस दिशा में आगे बढ़ें और इस बात की कोशिश करें कि संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाए।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, महोदय मेरे माननीय मित्र श्री कोडियान द्वारा प्रस्तुत और मेरे सम्मानीय मित्र प्रोफेसर रंगा द्वारा समर्थित संकल्प का मैं समर्थन करता हूँ वास्तव में श्री रंगा ने जो कुछ कहा, उसके बाद संकल्प के समर्थन में कुछ भी कहना शेष नह रहीं जाता था। उन्होंने पूरे ज्ञान अनुभव और इस सुहृदयता से भाषण दिया जिससे उन्होंने देश के गरीब किसानों और कृषि कामगरों के लिए काम किया है। मुझे चौथे दशक में

उनके साथ रहने और आन्ध्र प्रदेश के कुछ जिलों में उनके साथ घूमने तथा जिस ईमानदारी और समर्पण की भावना से उन्होंने कृषि कामगरों के लिए काम किया है उसे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, समस्या के महत्व का उल्लेख मुझ से पहले बोलने वाले दोनों ही माननीय सदस्यों ने किया है। यह सभी को ज्ञात है कि हमारे देश में 80 प्रतिशत लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। ग्रामीण मजदूरों के परिवारों में से खेती-बाड़ी का काम करने वाले लगभग 86 प्रतिशत ग्रामीण मजदूर परिवार कृषि मजदूर परिवार हैं और लगभग 33 करोड़ 50 लाख लोग कृषि पर आश्रित हैं। 1971 में कुल 23 करोड़ 4 लाख 80 हजार कार्य बल (मजदूर) में से 16 करोड़ 3 लाख 50 हजार ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक थे। वर्ष 1978 में ग्रामीण कार्य बल बढ़कर लगभग 19 करोड़ 90 लाख हो गया। यह तथ्य कि हमारे कार्य बल की बहु संख्या ग्रामीण इलाकों में रहती और पसीना बहाती है, अतः किसी भी सरकार के लिए किसी भी ट्रेड यूनियन संगठन के लिए, किसी भी स्वैच्छिक सघ के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि काम करने वाले हमारे इस बहुसंख्यक श्रमिक उनकी समस्याओं को सर्वाधिक महत्व दिया जाए। लेकिन जैसा कि मेरे सम्मानीय मित्र श्री प्रीफेसर रंगा और उनसे पहले श्री कोडियन ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के इतिहास में किसी भी प्रकार से न तो सरकार और न ही ट्रेड यूनियनें काम करने वाले इस बहुसंख्यक बल की ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना ध्यान दे सकीं हैं। कोई नीति जिसका पालन श्रम मंत्रालय अथवा सरकार करती हैं, जब तक वह हमारे देश के इस बहुसंख्यक कार्य-बल की समस्याओं और माँगों को कुशलतापूर्वक और प्रभावकारी तरीके से हल नहीं करती उनका कार्य हमारे कार्य-बल की समस्याओं को स्पर्श करना मात्र होगा। दूर्भाग्य है पिछले काफी वर्षों अथवा शताब्दियों से जिसका उल्लेख मेरे माननीय मित्र श्री रंगा ने किया सरकारे केवल शहरी क्षेत्र में कार्यरत लोगों की ओर थोड़ा बहुत ध्यान दे रही हैं.

मैं यह नहीं कह रहा कि उनकी समस्यायें महत्वपूर्ण नहीं हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन हमारे ग्रामीण कार्य-बल (श्रमिकों) की हालात के बारे में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है उनकी कम आय उनका मौसमी और अनियमति रोजगार और अधिक मजदूरी अथवा सुख सुविधायें अथवा सामाजिक सुरक्षा अथवा सांविधिक-ग्रन्थों के अन्तर्गत उपबन्धों के अनुसार माँग करने के लिए उनमें संगठन बल का अभाव जैसी कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो ग्रामीण इलाकों के श्रमिकों की दुदर्शा की कहानी कहती है हमारी सरकार और ट्रेड यूनियन संगठनों को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

ग्रामीण श्रमिकों और कृषि श्रमिकों में व्याप्त बेरोजगारी, कम रोजगार' मौसमी रोजगार कर्जे का निरंतर बढता हुआ बोझ और कार्य दिवसों की घटती हुई संख्या, कुछ ऐसी समस्यायें हैं जिनसे कृषि श्रमिकों की परेशानियाँ और भी बढ़ गई हैं। ग्रामीण इलाके के हमारे श्रमिकों की ऋण-ग्रस्ता और बेरोजगारी की समस्यायें कितनी ही प्रांसगिक क्यों न हों इन पर मैं सभा का समय नहीं लूंगा। मैं यह बताना चाहता हूँ कि किन कारणों के दुर्भाग्य से इस कार्य-बल, इस बहुसंख्यक कार्य बल तथा इसकी समस्याओं और मांगों पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया गया है।

पहली बात यह है कि ग्रामीण लोग-शहरी लोगों की तरह, जोकि इकट्ठे और ज्यादा आबादी वाले इलाकों में रहते है, नहीं रहते। वे दूर दूर (बिखरे हुए) रहते हैं। वे हमारे देश

के दूर दराज के 5 लाख से 6 लाख गाँवों में एक दूसरे से अलग थलग रहते हैं। संचार के साधन भी उन्हें उपलब्ध नहीं हैं। प्रचार के साधन उन तक पहुँच नहीं पाये हैं।

अगर शहरी श्रमिकों के साथ अन्याय होता है तो समाचार पत्र इस बारे में समाचार प्रकाशित करते हैं अगर उन्हें मजूरी नहीं दी जाती अगर उनके साथ अन्याय होता है, तो समाचार पत्रों में उनका उल्लेख होता है। शहरी क्षेत्रों के श्रमिकों के बारे में प्रेस लगातार नजर रखती है तथा उनके पीछे सजग और सबल लोक मत रहता है। शहरी श्रमिक हमारी राजनीति और अर्थ व्यवस्था की धुरी है और वे इसको मिनटों में अस्त-व्यस्त कर सकते हैं। अतः उनके लिए ग्रामीण श्रमिक जो कि हमारे देश के दूर दराज के इलाकों में बिखरे रूप में रहते और काम करते हैं, की तुलना में अधिक मांग करना और अधिक ध्यान देना सम्भव हो गया है

ग्रामीण श्रमिकों का पूरी तरह से जमींदारों अथवा किसानों अथवा अन्य नियोजकों पर आश्रित होना, नौकरी के लिए वैकल्पिक स्रोतों का अभाव, व्यवसाय और पेशों में गतिशीलता का अभाव, ग्रामीण इलाकों में अर्थव्यवस्था में विविधता और नौकरी की सम्भावनाओं के अभाव से ग्रामीण कार्य-बल, सौदेबाजी पर उतारू नहीं हो सकत। और जो कुछ काम मिले उसी में उसे संतोष करना पड़ता है। अक्सर उनको शोषण अथवा भूख एक से समझोता करना पड़ता है।

किसी भी तरह उन्हें गुजर-बसर करना पड़ता है, उनकी गरीबी, कच्ची झोंपड़ियों और छप्पर, और कम आय से उत्पन्न समस्यायें इस बात से कई गुना बढ़ जाती है कि इन श्रमिकों की मांगों का समर्थन करने के लिए कमजोर संगठन है जो संगठन विद्यमान हैं उनको शहरी श्रमिक संगठनों की भाँति संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। अतः इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता यह बात गैर न्याय संगत और अक्षम्य है कि ग्रामीण क्षेत्र के हमारे कार्य बल की समस्याओं और आवश्यकताओं की उपेक्षा हुई है।

वैधानिक संरक्षण देने का उल्लेख किया गया था। सभी समस्याएं कानून से हल नहीं की जा सकतीं। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। लेकिन सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह समुदाय के कमजोर वर्गों को कानूनी संरक्षण प्रदान करे। इस बात पर, इस सभा में कोई दो राय नहीं हो सकती। न्यूनतम मजूरी अधिनियम भी है, और मेरे विचार से मेरे माननीय मित्र ने न्यायाधिकरण किसी प्राधिकरण अथवा से वक्तव्य उद्धृत किया है...

एक माननीय सदस्य : राष्ट्रीय श्रम आयोग।

श्री रविन्द्र वर्मा : राष्ट्रीय श्रम आयोग, ने न्यूनतम बताया हैं कि मजूरी अधिनियम अब लगभग अस्तित्वहीन हो गया है अब ट्रेड यूनियन अधिनियम, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम और अन्य अधिनियम हैं। लेकिन जैसा कि मेरे सम्माननीय मित्र प्रोफेसर रंगा ने बताया है, इन अधिनियमों में ग्रामीण कार्य-बल की ओर नाम-मात्र को ही ध्यान दिया गया है। वह हमारे ग्रामीण कार्य बल को यह वैधानिक संरक्षण दिए जाने का आग्रह करते आ रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य से अभी भी उन्हें वह वैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ है जिसकी उन्हें अपेक्षा है। कानून द्वारा संगठित होने और यूनियन रजिस्टर करने का संरक्षण अवश्य मिलना ही चाहिए। कानून में नौकरी की सुरक्षा, नौकरी के स्थानों की सुरक्षा और दुर्घटनाओं से सुरक्षा तथा दुर्घटना होने पर बीमें की व्यवस्था भी होनी चाहिए। कानून में कार्य की शर्तों।

कार्य घंटों और मजूरी के निर्धारण, तथा न्यूनतम मजूरी के निर्धारण और पुनरीक्षण के लिए एक मशीनरी की व्यवस्था होनी चाहिए और सबसे ज्यादा, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वास्तव में जो मजदूरी श्रमिक प्राप्त कर रहा है वह न्यूनतम मजदूरी के बराबर है।

महोदय, दुर्भाग्य से यद्यपि औद्योगिक विवाद अधिनियम में ऐसे उपबन्ध हैं जिनके अन्तर्गत शहरी श्रमिकों—ट्रेड यूनियनिस्ट और ट्रेड यूनियन के सदस्य दोनों ही को षडयंत्र के आरोप की संभावनाओं तथा कुछेक प्रकार के फौजदारी मुकदमों से संरक्षण तथा संगठित होने और ट्रेड यूनियन के रूप में रजिस्टर कराने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन ये अधिकार ग्रामीण श्रमिकों को प्राप्त नहीं है। मेरे सम्माननीय मित्र ने बताया कि जिन परिस्थितियों में कृषि श्रमिकों, अथवा कृषि श्रमिकों के आयोजकों को काम करना पड़ता है वे, ज्यादा खराब, ज्यादा गंभीर और ज्यादा चुनौती भरी होती हैं, जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय आप भी भली-भाँति जानते हैं।

ग्रामीण इलाकों में किया गया कोई भी आन्दोलन चाहे यह अपने अधिकारों की माँग करने के लिए ही क्यों न किया गया हो, प्रायः वर्तमान सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने वाला माना जाता है और आप पर विध्वंस होने के आरोप लगाए जाते हैं तथा स्थानीय प्रशासक बहुत ही उत्साह पूर्वक भारतीय दण्ड संहिता और भारतीय अपराध प्रक्रिया संहिता का सहारा कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के नाम पर लेते हैं जो कि इस प्रकार के सही आन्दोलनों को लपेटने के लिए बिना शर्त इस्तेमाल किया जाता है; तथा कृषि श्रमिकों के लिए ट्रेड यूनियन के रूप में संगठित होना बहुत ही कठिन हो जाता है।

विधि और संविधि तब तक पर्याप्त नहीं है, जब तक कि उनके पीछे वह दो बातें नहीं हैं, जिनका मेरे माननीय मित्रों ने उल्लेख किया है—विधि और संविधि को लागू करने तथा सविधि के उल्लंघन का पता लगाना और उसके लिए दण्ड देने और उसमें सुधार करने के लिए एक सक्षम मशीनरी की व्यवस्था की जाना। महोदय, अब अगर कानून को लागू किया जाना है, तो ऐसे लाभ पाने वाले संगठन भी होने चाहिएं, जो कानून का लागू किया जाना सुनिश्चित कर सकें; संविधि का होना भी बहुत ही जरूरी है। एक ऐसे प्रशासक की भी जरूरत है जिसमें कानून लागू करने की इच्छा और सामर्थ्य हो। और साथ ही किसी लोकप्रिय संगठन का होना जरूरी है जो कि लाभ प्राप्त करने वालों में जागरुकता उत्पन्न कर सके और यह सुनिश्चित कर सके कि संविधि को क्रियान्वित कर उसे सम्मान दिया जा रहा है। अतः, यहां मैं उन बातों अर्थात न्यूनतम मजूरी अधिनियम तथा बन्धक मजदूर अधिनियम और उनके प्रशासन के बारे में उल्लेख कर सकता हूँ जिनका मेरे माननीय मित्र ने उल्लेख किया है और जिससे क्रियान्वित और निरीक्षण के लिए अधिक सक्षम तंत्र की आवश्यकता सिद्ध हो गई है। अतः कानूनी संरक्षण प्राप्त करने और सांविधिक पुस्तकों में संरक्षण के लिए दिए गए विधान की क्रियान्विति, दोनों ही के लिए ग्रामीण श्रमिकों का संगठन होना महत्वपूर्ण है।

मेरे माननीय मित्र प्रोफेसर रंगा ने बहुत ही उचित प्रश्न उठाया है। उन्होंने कहा है, कि लोग ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने के लिए आगे क्यों नहीं आते। यह सच है कि लोग आगे आते हैं, लेकिन उन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों के

पैदा होने के कारण हैं : देहात में मजदूरों के रहने के स्थानों का बिखरे होना, पूर्णतया नियोक्ता पर निर्भर करना, विभिन्न माँगों पर आधारित विभिन्न समुदाय बनना, को लेकर आपस में फूट—पैसे कि तनखा भोगी, बटाईदार और छोटे किसान···मेरे माननीय मित्र सारी पृष्ठभूमि से परिचित हैं—जातिवाद के प्रभाव, जिसके बारे में मेरे मित्र ने कहा है, निहित स्वार्थ द्वारा कठिनाईयाँ पैदा करना, जो सगठनों को संगठित करने के प्रयासों को विफल करना चाहते हैं, कुछ मामलों में मजदूर संगठन से टकराने के लिए समानान्तर सगठन बनाना, प्रशासन का रूख जो प्राय: यह सोचता है कि यह निजी सम्पत्ति के अनुल्लंघनिय आधिकार को चुनौती है, देहात में प्रशासन के योगों की बहुत कम मौजूदगी, जिस क्षेत्र में खेतिहर मजदूरों ने चुनौती दी है वहाँ प्रशासन के निम्न स्तर के कर्मचारियों की उस क्षेत्र के निहित स्वार्थ के लोगों के साथ सांठ-गांठ जैसा कि मेरे माननीय मित्र प्रो. रंगा और श्री कोडियन ने कहा है कि कानूनी सुरक्षा, वित्तीय साधनों तथा संवर्ग की कमी के कारण भी समस्याएं जटिल हो जाती हैं। इनका परस्पर सम्बन्ध है। सरकार तो कोई संगठन बनाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। परन्तु सरकार को ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए कि स्वयंसेवी संगठनों, मजबूत और प्रभावशाली स्वयंसेवी संगठनों, को बढ़ावा मिले। इसके लिए यह आवश्यक है कि पहले कानूनी अड़चने दूर की जाएं, प्रशासनिक उदासीनता तथा विद्वेष समाप्त किया जाए, प्रशासन के निम्न स्तर के कर्मचारियों तथा निहित स्वार्थ के लोगों की साठगाँठ को समाप्त की जाए। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार अपनी नीति घोषित करे तथा इस नीति के क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रम बनाए।

महोदय, भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कनवेंशन संख्या 141 का अनुसमर्थन किया था। इस कन्वेंशन का समर्थन करने से भारत पर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि वह ग्रामीण मजदूरों ग्रामीण गरीबों का प्रभावशाली संगठन बनाने के अवसर प्रदान करे। इसका मतलब यह है कि कार्यक्रम के लिए संगठन बनाने, परियोजनाओं के लिए इन संगठनों के संगठनात्मक तत्र को चलाने सम्बन्धी कार्यों में जुटे मजदूरों को सभी प्रकार की सहायता दी जाए। जब तक सरकार इस कनवेंशन की परिपुष्टि के अनुरूप कार्रवाई नहीं करती तब तक इस कनवेंशन का अनुसमर्थन करने से पड़ने वाली जिम्मेदारी को सरकार निभा नहीं सकती।

महोदय, मेरे मित्र के संकल्प में केन्द्रीय विधान बनाने की आवश्यकता की बात कही गई है। उन्होने केरल अधिनियम का हवाला दिया है। मेरे माननीय मित्र प्रो० रगा ने कहा है इस संकल्प में सशोधन करना जरूरी है परन्तु प्रश्न यह है कि क्या एक केन्द्रीय विधान की आवश्यकता है ? महोदय, इसके लिए मैं अ ने विशिष्ट मित्र माननीय मत्री महोदय श्री अन्जैया को बधाई देता हूँ, जिन्होंने श्रम मंत्रालय का भार संभाला है, और उन्हें शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं जानता हूँ कि वे स्वयं भी एक ट्रेड यूनियन नेता रहे हैं और इसलिए वे खेतिहर मजदूरों तथा औद्योगिक श्रमिकों की समस्यों को भी अच्छी तरह जानते हैं। वे आंध्र प्रदेश में मंत्री रहे हैं परन्तु आन्ध्र प्रदेश भारत का एक छोटा सा भाग है। मन्त्री आते-जाते रहते हैं। यह हम सब जानते हैं। या कम से कम मैं यह जानता हूँ। परन्तु कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ करना (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मन्त्री तो नैमित्रिक श्रमिक के समान हैं !

श्री रविन्द्र वर्मा : जिन पदों पर हम अस्थाई रूप से कार्य कर रहे हैं उस कार्य की बजाय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यरत रहना अधिक महत्वपूर्ण है।

अतः, महोदय इसमें कोई शक नहीं है कि संकल्प के प्रस्तुतकर्ता की इस बात से वे भी सहमत होंगे कि रोजगार तथा सुरक्षा की निश्चिता के लिए केन्द्रीय विधान की आवश्यकता है।

मैं बार-बार सुरक्षा की बात करता हूँ, क्योंकि खेती कार्यों में होने वाली दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। इसके लिए देश में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। परन्तु, जहां तक मुझे पता लगा है, पड़ोसी राज्य हरियाणा में किए गए एक सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है कि इस वर्ष रबी की कटाई के दौरान एक हजार से भी अधिक मजदूर अपंग हो गये। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने यह सर्वेक्षण किया था। यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रति हजार पावर टिलर मशीन के प्रयोग से 25 दुर्घटनाएं हुई। यह केवल एक ही राज्य के आंकड़े हैं। आज कृषि की मशीनों, ट्रैक्टरों तथा थ्रेशर मशीनों का प्रयोग किया जाता है और लगभग सभी राज्यों में पावर टिलर मशीनें प्रयोग में लाई जाती हैं, अतः दुर्घटनाओं में वृद्धि होना स्वाभाविक है। मैं चाहता हूँ कि दुर्घटनाएं न हों। परन्तु, दुर्घटनाओं में वृद्धि होने की सम्भावना है और इसलिए यह आवश्यक है खेतिहर मजदूरों को भी दुर्घटनाओं कामु आवजा, बीमा आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की जायें। कीटनाशक दवाओं के बहुत अधिक प्रयोग से उत्पन्न खतरों के बारे में भी मैं बता देना चाहता हूँ, खासकर उस क्षेत्र में जहां बच्चे मजदूरी करते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि वहां अकसर ऐसे खतरे रहते हैं। अतः मैं यह कहना चहता कि हूँ अब यह अत्यन्तावश्यक हो गया है कि दुर्घटना बीमा कार्य करने के स्थान पर मजदूर की सुरक्षा, भविष्य निधि सामाजिक आदि जैसी सुविधाएं ग्रामीण मजदूरों को भी उपलब्ध कराई जाएं। हम उन्हें सुविधाएं क्यों नहीं दे सकते ? जब तक हम ग्रामीण क्षेत्र में 75% से 80% मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा आदि जैसी सुविधाएं प्रदान नहीं करते, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा देने तथा रोजगार सुरक्षा के लिए हमारी कोई नीति या कार्यक्रम है।

महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं केवल इतना कहता हूँ कि मैं श्री कोडियन के प्रस्ताव का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। किसी हद तक पिछली सरकार ने इस दिशा में कुछ शुरुआत की थी। पिछली सरकार ने शहरी मजदूर तथा औद्योगिक मजदूर के बीच अन्तुलन को ठीक करने का प्रयत्न किया था। पहली बार एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया था। एक स्थाई समिति गठित की गई तथा इस स्थाई समिति ने तीन उपसमितियां बनाई और प्रो० रंगा श्री कोडियन, श्री चित्त बसु और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने इन समितियों में काम किया था। उनकी रिपोर्ट उपलब्ध है। मैं नहीं समझता कि कोई सरकार या विरोधी दल इस प्रश्न को राजनैतिक पुट क्यों देगा। यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इसका राष्ट्रीय स्तर पर ही आत्मविश्लेषण करने तथा इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है, ताकि बहुत बड़ी संख्या में काम करने वाले ग्रामीण मजदूरों की मांगों तथा समस्याओं पर उचित ध्यान दिया जा सके। अतः मैं अपने माननीय मित्र से अपील करता हूँ कि वे इस संकल्प को स्वीकार कर लें। वास्तव में उन्हें यह कहने की कोई गुंजाइश नहीं कि इसे स्वीकार करना मुश्किल है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे मित्र श्री कोडियन ने बताया है कि 1961 में खेतिहर मजदूरों की संख्या देश के कुल मजदूरों की संख्या की 17·5 प्रतिशत थी, परन्तु 1971 में यह संख्या 30·7 प्रतिशत हो गई। यह वृद्धि चिन्ता

का विषय है। महोदय, किसी ने मैर्डल की पुस्तक 'एशियन ड्रामा' में पढ़ा होगा कि भारत में कृषि सुधार के उपायों के पीछे राजनैतिक इच्छा शक्ति या संकल्प न होने के कारण इन उपायों को सफलतापूर्वक लागू नहीं किया गया था अतः 1974 में भारत सरकार, [भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने संयुक्त रूप से योजना बनाई ताकि प्रभावशाली कदम उठाकर गरीब तथा असंगठित खेतिहर मजदूरों के रहन-सहन के स्तर में सुधार लाया जा सके।

महोदय, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि ट्रेड यूनियन आंदोलन से सम्बद्ध श्री अन्जैया ने श्रम मन्त्रालय का भार सम्भाला है और आशा है कि वह खेतिहर मजदूरों' की दशा सुधारने के लिए भरसक प्रयास करेंगे।

महोदय, 1974 में भूमि सीमा निर्धारित करके फालतू भूमि को बांटने तथा भूमि वितरण कार्यक्रम को सभी राज्यों में प्रभावशाली ढंग से लागू करने का निश्चय किया गया था। 1977 और 1979 के बीच कोई भूमि नहीं बांटी गई और 1977 तक चालू किये गये कार्यक्रम रोक दिए गए। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि उड़ीसा में कांग्रेस सरकार थी और उसने 1·10 लाख एकड़ भूमि का वितरण किया, परन्तु जनता सरकार आने के बाद एक एकड़ भूमि भी वितरित नहीं की गई बल्कि सभी कार्यक्रम पूरी तरह रोक दिये गये और चार हजार लोगों को बेदखल कर दिया गया।

महोदय, आप जानते हैं जैसा कि मेरे मित्र श्री वर्मा ने बताया है दंड प्रक्रिया संहिता तथा दंड संहिता के 411 खंडों में से 81 खण्ड सम्पत्ति की सुरक्षा संबंधी हैं। अतः हमारा समाज सम्पत्ति पर आधारित समाज है। लगभग सभी कानून सम्पत्ति मालिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। उड़ीसा में कांग्रेस सरकार के केन्द्रीय सरकार की सहमति से यह निश्चय किया भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, बटाईदारों और जमीदारों के बीच होने वाले झगड़े में पुलिस जमीदारों की सहायता के लिए नहीं जाएगी। यह पहला अवसर था कि उड़ीसा में कांग्रेस सरकार ने ऐसा कदम उठाया। यह एक नया काम था। पुलिस को गरीबों की मदद के लिए जाना पड़ता था यह एक ऐसा कार्य था जो पहली बार किया गया। परन्तु जनता सरकार आने के तुरन्त बाद शायद पहला काम उन्होंने यही किया कि उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प जनता पार्टी के सदस्य ने प्रस्तुत नहीं किया।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : महोदय मेरी सहानुभूति श्री कोडियन के साथ है। खेतिहर मजदूरों की सहायता के उपायों के लिए हम आपस में कार्यरत हैं। मैं उनके इरादों का समर्थन करता हूँ परन्तु पिछली 2½ वर्षों में पहले के सभी कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया गया। जहाँ भूमि सुधार (उपायों का संबंध है कोई कार्यक्रम लागू नहीं किया गया।

फालतू भूमि के बारे में मैं 1974 में लगाए अनुमान की ओर मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 68.60 लाख एकड़ फालतू भूमि का अनुमान था। इन आंकड़ों से हम सहमत नहीं हैं। परन्तु जो भी हो, अब तक इसमें से 15-76 लाख एकड़ भूमि वितिरित की गई है ? क्यों कम से कम 68·60 लाख एकड़ का बितरण किया जाना चाहिए था भूमिहीनों यह भूमि वितरित करना हमारी एक बहुत बड़ी उपलाब्धि है। जब आप बैंक से ऋण लेने जाते हैं तो बैंक वाले पूछते हैं "आपके पास जमीन है ? इन भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि के वितरण के कारण समाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। बैंक के पास भूमि गिरवी रखकर इन्हें आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त

हो जाता था भूमि के कारण इन्हें बैंकों से ऋण मिलने में सुविधा हुई। परन्तु पिछले $2\frac{1}{2}$ वर्षों के दौरान क्या हुआ ? पिछले $2\frac{1}{2}$ वर्षों के दौरान इस प्रकार के सभी ऋणों का भुगतान बन्द कर दिया गया। इन व्यक्तियों को इस प्रकार के ऋण नहीं दिये गये। ऐसे समस्त कार्यक्रमों को बन्द कर दिया गया। मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करुंगा कि वे इस संबन्ध में कारगर उपायों को तुरन्त लागू किया जाये ताकि बची हुई फालतू भूमि, जिसका, वितरण अभी नहीं किया गया है, का भी वितरण किया जा सके।

महोदय, इन्टक तथा भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण मजदूर संघ ग्रामीण मजदूर शक्ति के असगठित क्षेत्र को, संगठित करने के प्रयास कर रहे हैं मैं यह जानकर बहुत प्रसन्न हूँ कि भारत सरकार का श्रम मन्त्रालय पुनः इस असंगठित क्षेत्र की सहायता करने का प्रयास कर रहा है। वे इस सम्बन्ध में कुछ नवीन प्रयास कर रहें हैं। इस 15.76 लाख एकड़ फालतू भूमि को अविलम्ब वितरित किया जाना चाहिए इस प्रकार की भूमि का पता लागना पड़ेगा तथा प्राप्त कर्त्ताओं को उसका वास्तविक कब्जा देना पड़ेगा। इस प्रकार के वितरणों को राजस्व रजिस्टरों में अवश्य दर्ज किया जाना चाहिए। भूमिहीनों को भूमि दिये जाने सम्बन्धी समस्त औपचारिकताओं को अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में 8 लाख लोगों को आवास स्थल वितरित किये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई है इस अच्छे कार्यक्रम को शीघ्र लागू किया जाना चाहिए। जहाँ तक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का सम्बन्ध है, अधिकतर राज्योंमें इसको प्रभावी रुप से क्रियान्वित नही किया जा रहा है। यह मेरा अनुरोध है कि इसे समुचितएवं प्रभावी रुप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण ऋणों को समाप्त करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था, परन्तु किसी भी राज्य ने इसे ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं किया। आज तक भी ग्रामीण तथा कृषि मजदूरों द्वारा अपनी जरुरत के ऋणों का 48 प्रतिशत साहूकारों से ही लिया जाता है। इसका कारण यह है कि ग्रामीण ऋणों को समाप्त करने वाले अधिनियम को सही प्रकार से लागू नहीं किया गया। क्या माननीय मंत्री महोदय हमें इस दिशा में की गई प्रगति से अवगत कराएंगे ?

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार जुटाने के लिए ग्रामीण निर्माण-कार्य कार्यक्रम अच्छे कार्यक्रमों में से एक है। माननीय मंत्री महोदय को मेरा यह सुझाव है कि रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत वह राज्य सरकारों से प्रत्येक पंचायत में उन ग्रामीण मजदूरों के नाम दर्ज करने को कहें जिन्हें पूरे वर्ष कोई रोजगार नहीं मिलता— उन्हें अब 365 दिन में से 180 दिन ही रोजगार मिल पाता है। इस प्रकार यह पता चल सकेगा कि अमुक-अमुक व्यक्तियों को रोजगार की आवश्यकता है। यह बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा तथा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि प्रत्येक ग्रामीण मजदूर को वर्ष भर रोजगार मिलता रहे।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए सरकार ने 500 रुपये प्रतिमाह का न्यूनतम वेतन तय किया है। जबकि राउरकेला स्टील प्लांट में एक सफाई कर्मचारी को 500 रु० प्रतिमाह वेतन मिलता है तो एक ग्रामिण मजदूर, एक खेतीहर मजदूर को 500 रु० प्रतिमाह क्यों नहीं मिलने चाहिए जो कि फसल का उत्पादन करके देश का पालन-पोषण करता है। इस दिशा में वास्तविक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है तथा हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कुछ न्यूनतम वेतन खेतिहर मजदूर को भी अवश्य मिलता रहे।

बंधुआ मजदूर समाप्त करने संबंधी योजना को लागू किये जाने के बावजूद अभी भी 22 लाख बंधुआ मजदूर विद्यमान हैं। बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

उपभोक्ता ऋण दिये जाने के बारे में सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया था कि ग्रामिण मजदूरों, हरिजनों, आदिवासियों इत्यादि को उपभोक्ता ऋण उपलब्ध कराया जाय, परन्तु इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। इस ओर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि औद्योगिक श्रमिकों के समान ग्रामीण मजदूरों, खेतिहर मजदूरों को भी संगठित किया जाना चाहिए तथा औद्योगिक श्रमिकों को दी जा रही समस्त सुविधाओं— जैसे नौकरी की सुरक्षा, चिकित्सा सहायता, समय-सीमा निर्धारण इत्यादि— को इन मजदूरों के लिए भी अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केन्द्रीय सरकार एक आदर्श विधेयक बनाकर सभी राज्य सरकारों के पास भेजें ताकि इस दिशा में समस्त भारत में एकरूपता हो सके।

सरकार को, जिसने कि पहले भी ग्रामीण मजदूरों की दशा सुधारने के प्रयास किये हैं, बजट में ग्रामीणों को रोजगार दिलाने सबधी घोषित व्यापक कार्यक्रम को शीघ्रातिशीघ्र उचित रूप से लागू करवाना चाहिए। इसको लागू करने से काफी हद तक इनकी समस्याओं का निदान किया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु। इनके अतिरिक्त अन्य दो वक्ता, श्री ई. बालानन्दन तथा श्री डागा, भी हैं। वे दोनों अगली बार बोलेंगे।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने मित्र श्री कोडियान द्वारा प्रस्तावित संकल्प पर अपनी सहमति प्रकट करते हुए मुझे बहुत खुशी है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि अनुभवी किसान नेता प्रोफेसर रंगा ने भी प्रस्ताव को पूरा समर्थन दिया है।

प्रस्ताव का मुख्य मुद्दा है : क्या हमारे देश में खेतिहर मजदूरों के लिए एक केन्द्रीय विधान की आवश्यकता है ? मैं आपके सामने यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि केन्द्रीय विधान ही हमारे देश के खेतिहर मजदूर की परेशानियों तथा दयनीय स्थिति को सुधार कर सकता है। समस्त राज्यों में केन्द्रीय विधान को लागू किये जाने की आवश्यकता है।

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है तथा यह एक अच्छी बात है कि योजना आयोग जैसे संगठन हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्ता को स्वीकार करने लगे हैं। यह समाचार मिला है कि योजना आयोग ने हाल ही में कृषि संबंधी अर्थ-व्यवस्था के विकास का निर्णय लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सदन श्री चित्त बसु के भाषण की समाप्ति तक बैठने को तैयार है ?

कुछ माननीय सदस्यगण : नहीं श्रीमान्।

उपाध्यक्ष महोदय : तो श्री चित्त बसु अगली बैठक में अपना भाषण जारी रखेंगे। अब सदन स्थगित होता है।

मध्याह्न पश्चात् 6·0। बजे म. प.

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार 23 जून, 1980/2 आषाढ़, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स 472 पुरानी साईकिल मार्किट दिल्ली-6